30th वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT

2017-18

इनरिचिंग नेशन विद
पॉवर एण्ड वाटर सिक्योरिटी

Enriching Nation with
Power and Water Security

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

(भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A joint venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)

अभिदृष्टि

• पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ विश्व स्तरीय ऊर्जा इकाई स्थापित करना ।

मिशन

• ऊर्जा संसाधनों की दक्षतापूर्वक योजना बनाना, उनका विकास तथा प्रचालन करना ।
• अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अंगीकृत करना ।
• सीखने एवं नवोन्मेषीकरण की कार्य संस्कृति को बढ़ावा देकर निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करना ।
• पारस्परिक विश्वास द्वारा स्टेकहोल्डरों के साथ सतत मूल्य आधारित संबंध स्थापित करना ।
• परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का मानवीय दृष्टिकोण से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन करना ।

VISION

• A world class energy entity with commitment to environment and social values.

MISSION

• To plan, develop and operate energy resources efficiently.
• To adopt state of the art technologies.
• To achieve performance excellence by fostering work ethos of learning and innovation.
• To build sustainable value based relationship with stakeholders through mutual trust.
• To undertake rehabilitation and resettlement of project affected persons with human face.

सूची

कारपोरेट सिंहावलोकन

निदेशक मंडल 4
संदर्भ सूचनाएं 5
प्रमुख वित्तीय निष्पादन हाईलाइट्स 6
अध्यक्ष का अभिभाषण 12
निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल 15

निदेशकों की रिपोर्ट 2017–18 और अनुलग्नक

निदेशकों की रिपोर्ट 2017–18 18
अनुलग्नक–I कारपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट 45
अनुलग्नक–II कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 62
अनुलग्नक–III प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट 75
अनुलग्नक–IV ऊर्जा संरक्षण उपाय, अंगीकृत प्रोद्योगिकी एवं विदेशी मुद्रा अर्जन एवं विनिवेश 80
अनुलग्नक–V व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट 83
अनुलग्नक–VI प्रारूप नं. एमजीटी–9 वार्षिक रिटर्न का सार 101
अनुलग्नक–VII सचिवालयी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 108

वित्तीय विवरण 2017–18

विशिष्ट लेखाकरण नीतियां 2017–18 114
तुलन–पत्र 123
लाभ एवं हानि का विवरण 125
नगदी प्रवाह विवरण 127
लेखा संबंधी टिप्पणियां 130
वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 165
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अभ्युक्तियां 173

कारपोरेट सिंहावलोकन

- निदेशक मंडल
- संदर्भ सूचनाएं
- प्रमुख वित्तीय निष्पादन हाईलाइट्स
- अध्यक्ष का अभिभाषण
- निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल

निदेशक मंडल

28 सितंबर, 2018 के अनुसार

श्री डी.वी. सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राज पाल
आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय,
भारत सरकार, सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री टी. वेंकटेश
प्रमुख सचिव (सिंचाई एवं जल संसाधन),
उ.प्र. सरकार, सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री एच.एल. अरोड़ा
निदेशक (तकनीकी)

श्री विजय गोयल
निदेशक (कार्मिक)

श्री बची सिंह रावत
स्वतंत्र निदेशक

श्री मोहन सिंह रावत
स्वतंत्र निदेशक

श्री महाराज के. पंडित
स्वतंत्र निदेशक

संदर्भ सूचनाएं

पंजीकृत कार्यालय

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
सीआईएन : यू45203यूआर1988जीओआई009822
भागीरथी भवन (टॉप टेरेस)
भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल–249001
संपर्क नं. (0135) 2473403, 2439309
फैक्स : (0135) 2439442 एवं 2436761
वेबसाइट : www.thdc.co.in

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सुश्री रश्मि शर्मा
गंगा भवन, प्रगतिपुरम
बाई–पास रोड, ऋषिकेश – 249201
संपर्क नं. (0135) 2435842, 2439309 एवं 2437646
फैक्स : (0135) 2439442 एवं 2436761
वेबसाइट : rashmi.thdc@gmail.com

कारपोरेट कार्यालय

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
गंगा भवन, प्रगतिपुरम
बाई–पास रोड, ऋषिकेश–249201
उत्तराखण्ड

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

कार्वे कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
कार्वे सेलेनियम टॉवर – बी, प्लॉट नं. 31–32,
गाछीबाउली, फाइनेंनसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाकर्मगुडा,
हैदराबाद – 500032
दूरभाष : 91–40–33211000
ई मेल : rakesh.jamwal@karvy.com

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
364 ए, गोविंदपुरी, हरिद्वार – 249403

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स एस.सी. मोहंती एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
मैसर्स के.जी. गोयल एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
मैसर्स के.बी. सक्सेना एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली

डिबेंचर ट्रस्टी

विस्त्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड
ए–268, प्रथम तल, भीष्म पितामह मार्ग,
डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली – 110024

शेयर सूचीबद्ध

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज

डिपोजिटरी

सैंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि.
पंजीकृत कार्यालय : 17वां तल, पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट
फोर्ट, मुम्बई – 400001

नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लि.
ट्रेड वर्ल्ड, एविंग, चौथा तल, कमला मिल कंपाउंड
लोअर पैरेल, मुंबई–400013

बैंकर्स / वित्त इन्स्टीट्यूट

1. पंजाब नेशनल बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
3. विश्व बैंक
4. जम्मू एंड कश्मीर बैंक
5. पावर फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6. रूरल इलेक्ट्रीफीकेशन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी

केयर (क्रेडिट एनालिसिस ऐंड रिसर्च लि.)
इंडिया रेटिंग

सचिवालयी लेखापरीक्षक

मैसर्स पी. एस. आर. मूर्ति
178 आरपीएस फ्लेट्स, शेख सराय फेज–1,
नई दिल्ली – 110017

प्रमुख वित्तीय निष्पादन हाईलाइट्स

(राशि लाख ₹ में)

			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15*	2013-14*
क.		**राजस्व**					
	1	परिचालन से राजस्व	219064	209474	246649	239716	217376
	2	अन्य आय	3809	14123	1481	1077	862
	3	सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व	6822				
	4	सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास घटाएं	6822				
	5	**कुल राजस्व**	**222873**	**223597**	**248130**	**240793**	**218238**
ख.		**व्यय**					
	6	कर्मचारी लाभ व्यय	30649	25425	22857	22438	18854
	7	उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय	20342	19513	18003	17855	15370
	8	टैरिफ समायोजन (विनियामक देयता)	0	0	0	0	15192
	9	प्रावधान	0	445	9	12638	0
	10	बट्टे खाते डाला गया अशोध्य ऋण	0	0	0	7801	0
	11	पूर्व अवधि				13992	1076
	12	असाधारण मदें	554	16146	34830		
	13	**कुल व्यय**	**51545**	**61529**	**75699**	**74724**	**50492**
	14	**सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी) (5–13)**	**171328**	**162068**	**172431**	**166069**	**167746**
	15	मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन	57452	52557	49663	48386	48122
	16	**सकल लाभ (पीबीआईटी) (14–15)**	**113876**	**109511**	**122768**	**117683**	**119624**
	17	वित्त लागत	22787	29106	32887	43878	53027
	18	**कर पूर्व लाभ (16–17)**	**91089**	**80405**	**89881**	**73805**	**66597**
	19	आय कर	19056	17154	24252	18376	13985
	20	आस्थगित कर परिसंपत्ति	-5083	-8142	-16269	-13686	-6920
	21	**सतत परिचालन अवधि के लिए लाभ (18–19–20)**	**77116**	**71393**	**81898**	**69115**	**59532**
	22	अन्य सर्वग्राही आय	563	-414	-301		
	23	ओसीआई पर आय कर – आस्थगित कर परिसंपत्ति	195	144	104		
	24	**कर उपरांत लाभ (21+22+23)**	**77874**	**71123**	**81701**	**69115**	**59532**
ग.		**परिसंपत्तियाँ**					
	25	मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति (शुद्ध ब्लॉक)	732801	780687	752460	795672	843490
	26	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	395027	303529	239099	167453	111712
	27	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	4483	4694	4702	41181	57702
	28	आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	76219	70941	62655	45794	32108
	29	अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	71547	93795	63999	143	162
	30	चालू परिसंपत्तियां	159640	227149	232220	257434	190147
	31	कुल परिसंपत्तियां	1439717	1480795	1355135	1307677	1235321
घ.		**देनदारियां**					
	32	इक्विटी शेयर पूंजी	362743	359888	355888	352888	347309

		अन्य इक्विटी					
	33	आरक्षित और अधिशेष	488384	450193	415528	334405	282612
	34	सिंचाई घटक के लिए योगदान	0	83458	89989	96538	103203
	35	कुल अन्य इक्विटी	488384	533651	505517	430943	385815
	36	लंबी अवधि के उधार	241530	404185	349792	327566	307082
	37	अन्य लंबी अवधि की देनदारियां और प्रावधान	135478	61395	54666	55340	45640
	38	लघु अवधि के उधार	64663	38724	3677	43634	63359
	39	दीर्घ अवधि के उधार की चालू परिपक्वता	101283	37503	38431	43436	52480
	40	अन्य चालू देनदारियां	45636	45449	47164	53870	33636
	41	कुल देनदारियां	1439717	1480795	1355135	1307677	1235321
			-	-	-	-	-
	42	शुद्ध कीमत (32+33)	851127	810081	771416	687293	629921
	43	नियोजित पूंजी (42+36+26)	697630	910737	882109	847406	825291
	44	वर्ष के लिए लाभांश	25610	22100	16200	14000	0
ड़		**अनुपात**					
		प्रतिशेयर अर्जन (रु. 1000/– शेयर की कीमत)	215.24	198.85	230.52	197.60	172.88
		चालू अनुपात (30/(38+39+40),	0.75	1.87	2.60	1.83	1.27
		इक्विटी पर ऋण (36+39/42)	0.40	0.55	0.50	0.54	0.57
		नियोजित पूंजी पर वापसी (पीबीआईटी/नियोजित पूंजी) (16/43)	16.32%	12.02%	13.92%	13.89%	14.49%
		निवल मूल्य पर प्रतिफल (24/42)	9.15%	8.78%	10.59%	10.06%	9.45%
		प्रचालन से राजस्व को शुद्ध लाभ (24/1)	35.55%	33.95%	33.12%	28.83%	27.39%
		प्रतिशेयर लाभांश (रु. में) (प्रत्येक 1000 रु. का शेयर)	70.60	61.41	45.52	39.67	0.00

नोट 1* पूर्ववर्ती जीएपीपी के अनुसार

प्रमुख वित्तीय निष्पादन चार्ट

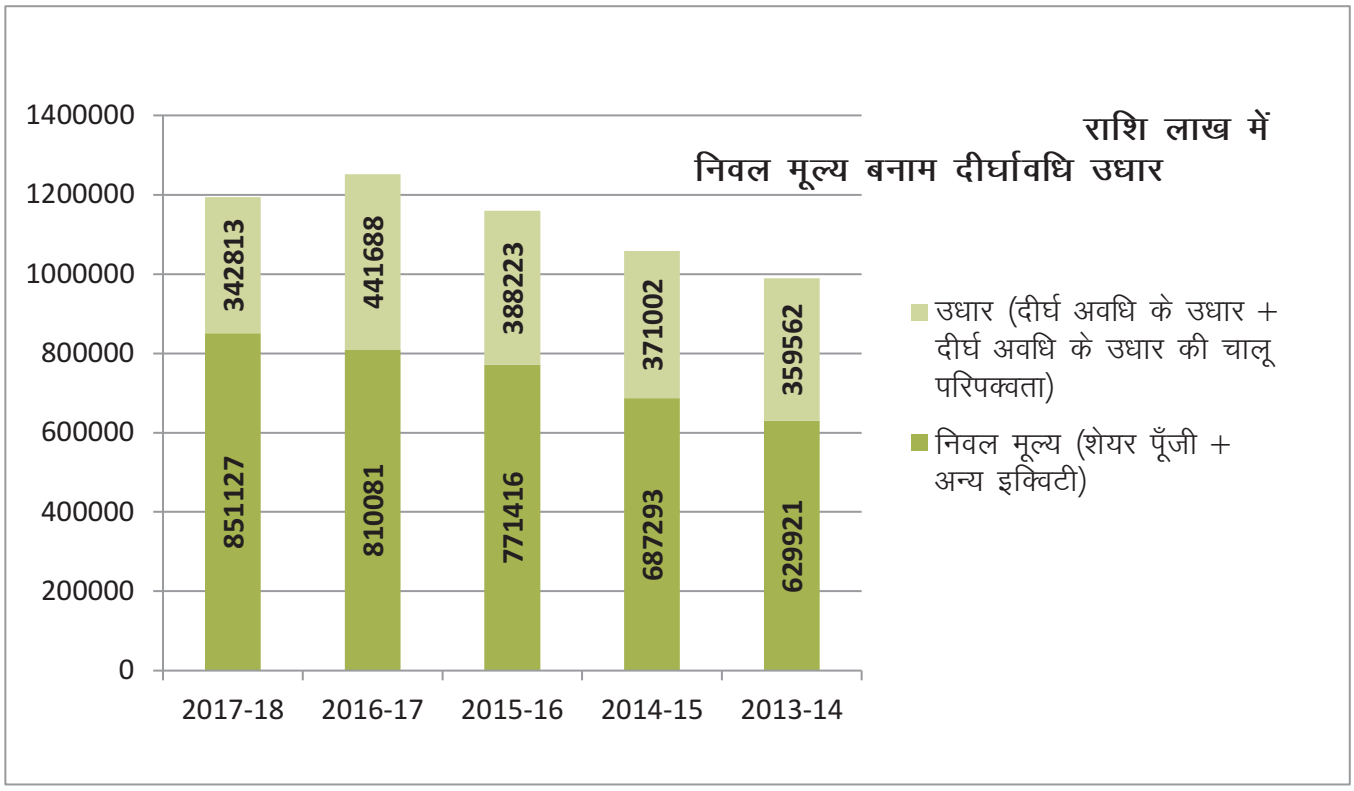

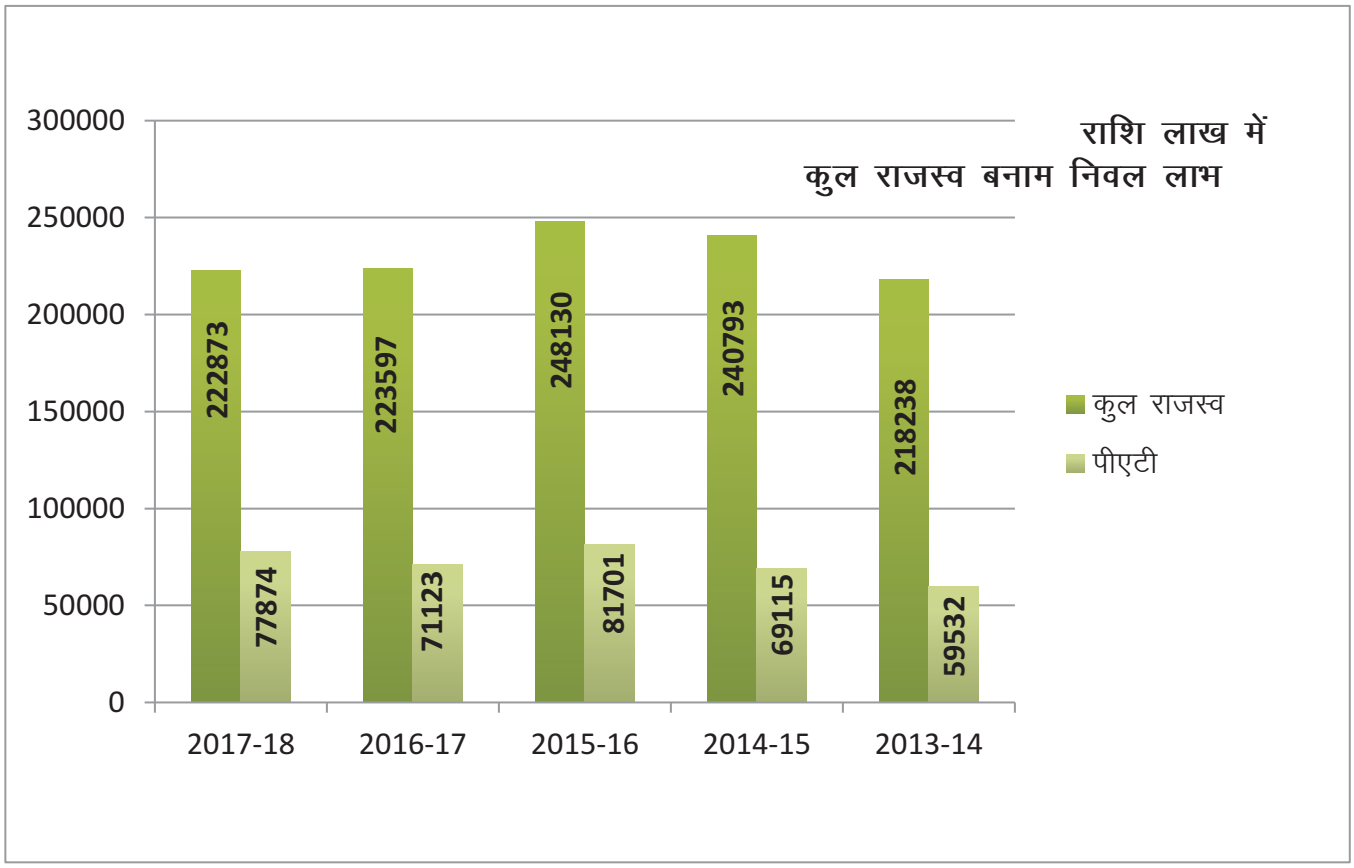

राजस्व का ब्रेकअप

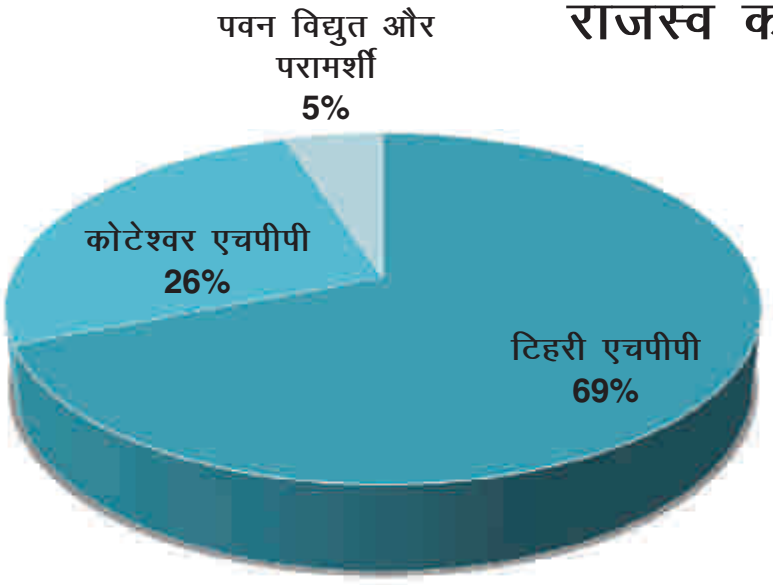

राजस्व का वितरण

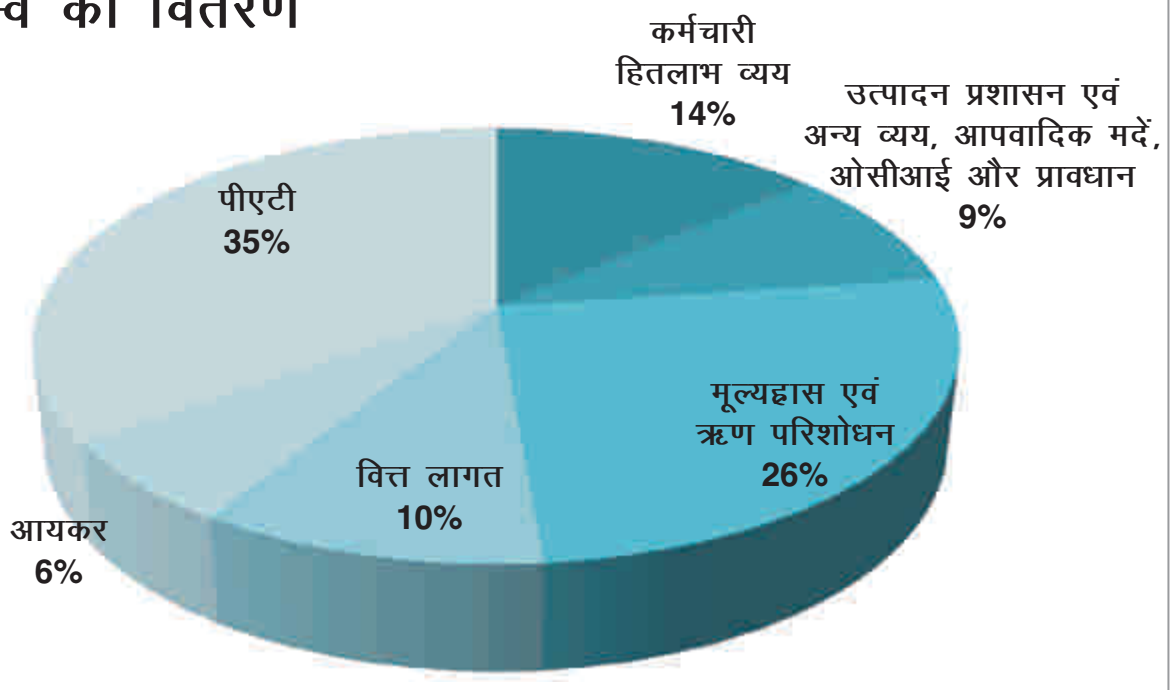

श्री डी.वी. सिंह, अ.प्र.नि., टीएचडीसीआईएल दिल्ली में माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
विद्युत एवं नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, भारत सरकार, श्री आर.के. सिंह को अंतरिम लाभांश का चैक सौंपते हुए

श्री ए.के. पोरवाल, महाप्रबंधक, टीएचडीसीआईएल लखनऊ में श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ.प्र. सरकार (बांये) को अंतरिम लाभांश का चैक सौंपते हुए

अध्यक्ष का अभिभाषण

प्रिय सदस्यगण,

मैं आपकी कंपनी की 30वीं वार्षिक आम सभा में आपका स्वागत करता हूं और मुझे वर्ष 2017–18 की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं निदेशकों की रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है । मैं इन्हें पढ़ने के लिए आपकी अनुमति चाहूंगा ।

आपकी कंपनी एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ किफायती और धारणीय गुणवत्ता की विद्युत उपलब्ध कराने के अतिरिक्त विद्युत क्षेत्र में क्षमता अभिवृद्धि की अभिदृष्टि और प्रतिबद्धता रखती है ।

आपकी कंपनी ने खुर्जा में 1320 मेगावाट का अपना पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट फास्ट ट्रेक मोड पर प्रारंभ किया है । खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान के निवेश अनुमोदन के लिए पीआईबी प्रस्ताव का ड्राफ्ट 31.08.2017 को विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया था । परियोजना (खुर्जा एसटीपीपी) की लागत अनुमानित रुप से 11089.42 करोड़ रु. है । जबकि एमडीओ के माध्यम से अमेलिया कोयला खदान विकसित करने में टीएचडीसीआईएल द्वारा किया जाने वाला व्यय 1587.16 करोड़ रु. प्रस्तावित था, पीआईबी की बैठक 17 जुलाई, 2018 को हुई थी और हमें निवेश अनुमोदन शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बीच विद्युत क्षेत्र में विषम विकास के चलते जल विद्युत क्षेत्र 13.19% नीचे चला गया है । जनवरी 2018 में जारी की गई राष्ट्रीय बिजली योजना भी इस विषम विकास को प्रदर्शित करती है और जल विद्युत क्षेत्र में पंप स्टोरेज संयंत्रों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए बल देती है क्योंकि ये मांग पूर्ति और उत्पादन पूर्ति की अस्थिरता में ग्रिड को संतुलित करते हैं । उच्च आरईएस में जान डालने को दृष्टिगत रखते हुए पंप स्टोरेज विकास को अलग श्रेणी के रूप में माना जाना चाहिए । पंप स्टोरेज परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अलग पॉलिसी दस्तावेज की आवश्यकता है । यह योजना पीएसपी को बिजली ग्रिड के सबसे अच्छे हितैषी के रूप में परिभाषित करती है और लाभग्राहियों की चार्जिंग के द्वारा ग्रिड की स्थिरता में अपनी भूमिका निभाने के लिए इसे उपयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए ।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपकी कंपनी चल रही परियोजनाओं नामतः टिहरी पीएसपी और वीपीएचईपी को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है । अपने पोर्टफोलियो में 113 मेगावॉट की पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने के बाद हम सौर ऊर्जा उत्पादन में क्षमता अभिवृद्धि करने का प्रयास भी कर रहे हैं ।

गत वर्ष की समीक्षा

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2017–18 के दौरान टीएचडीसीआईएल के सभी चारों प्रचालनात्मक संयंत्रों अर्थात 1000 मेगावाट की टिहरी एचपीपी, 400 मेगावाट की कोटेश्वर एचईपी, 50 मेगावाट के पाटन पवन विद्युत संयंत्र और 63 मेगावाट के देवभूमि द्वारका पवन विद्युत संयंत्र ने अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखा है । संयंत्रों ने 4450 मि.यू. के लक्ष्य की तुलना में 4540 मि.यू. विद्युत का उत्पादन किया । संयुक्त डिजाइन ऊर्जा से ऊपर लगभग 8% की वृद्धि हुई है, जो कि 4206 मि.यू. है। टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए प्रचालनात्मक दक्षता क्रमशः 79.325% और 68.305% प्राप्त की गई है जो इन परियोजनाओं के मानक आंकड़ों क्रमशः 77% और 67% से अधिक है ।

दूसरी ओर पाटन और द्वारका पवन विद्युत संयंत्रों के लिए क्रमशः 25.22% और 26.04% की क्षमता उपयोग कारक (सीयूएफ) की तुलना में 20.60% और 27.08% की प्रचालनात्मक दक्षता प्राप्त की गई ।

वर्ष 2017–18 के दौरान सकल बिक्री गत वर्ष 2016–17 के 2094.74 करोड़ रु. की तुलना में 2190.64 करोड़ रु. रही । शुद्ध लाभ में गत वर्ष के 711.23 करोड़ रु. की तुलना में इस वर्ष हुए

शुद्ध लाभ 778.74 करोड़ रु. के फलस्वरूप 9.5% की वृद्धि हुई है ।

परियोजनाएं

दो निर्माणाधीन परियोजनाओं नामतः 444 मेगावाट की विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी और 1000 मेगावाट की टिहरी पीएसपी पर कार्य की प्रगति मुख्यतः ठेकेदार मैसर्स एचसीसी लिमिटेड के पास नकदी की समस्या और स्थानीय लोगों द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं के कारण प्रभावित हुई है । इस मुद्दे का समाधान करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं । परियोजना को वापस पटरी पर लाने के लिए विद्युत मंत्रालय के समक्ष रणनीतिक हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव रखा गया है जो कि उनके विचाराधीन है ।

टिहरी पीएसपी में विद्युत गृह के उत्खनन का कार्य अधिकांशतः पूरा हो गया है तथा सभी ओवरहेड क्रेन (ईओटी) को पहले से ही कमीशन कर दिया गया है। अतः परियोजना कार्यों में थोड़ी तेजी लाने के क्रम में 2–3 महीने के भीतर ही मशीन हॉल में इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरण का उत्थापन प्रारंभ किया जा सकता है। इसी प्रकार, वीपीएचईपी में टीबीएम की अधिकांश खेप परियोजना स्थल पर पहले ही पहुंच गई हैं और टीबीएम असेंबली का कार्य प्रगति पर है। इसलिए थोड़े से प्रयास से ही टीबीएम के माध्यम से एचआरटी की खुदाई का महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया जा सकता है जिससे दोनों निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य में गति आ सकती है। हालांकि, सिविल कार्यों के ठेकेदार के पास नकदी की समस्या के कारण आपकी कंपनी को कार्य की धीमी प्रगति के प्रभाव का सामना कर पड़ रहा है ।

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक और निर्माणाधीन परियोजना नामतः 24 मेगावाट ढुकुवां एसएचपी कमीशनिंग के अग्रिम चरण में है । सिविल और हाइड्रो–मैकेनिकल के कार्य क्रमशः 92% और 80% पूर्ण हो गए हैं जबकि इलेक्ट्रो–मैकेनिकल कार्य संविदा मूल्य का लगभग 26% पूरा हो गया है । हम मार्च, 2019 तक परियोजना की कमीशनिंग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं ।

कंपनी के 1320 मेगावाट के प्रथम खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक मोड में संचालित किया जा रहा है । अवार्ड पूर्व गतिविधियों, विस्तृत इंजीनियरिंग, समीक्षा इंजीनियरिंग और पीएमसी के लिए परामर्शी कार्य 21 नवंबर, 2017 को एनटीपीसी लिमिटेड, नोएडा को अवार्ड किए गए हैं । ग्राम सभा की भूमि सहित कुल 1200.843 एकड़ भूमि का मूल कब्जा ले लिया गया है । यूपीएसआईडीसी, एसएलएओ और किसानों को अनुदान के लिए 310.36 करोड़ रु. की राशि अवमुक्त कर दी गई है। मैसर्स राइट्स के माध्यम से कोयला परिवहन और रेलवे साइडिंग की डीपीआर तैयार कराई गई है, जिसे 11 अक्टूबर, 2017 को उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है । रेल कॉरीडोर के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। परियोजना स्थल की भूमि के बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच –91) का मार्ग परिवर्तित करने के लिए एनएचएआई द्वारा दिसंबर, 2017 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने के लिए 05 जुलाई 2018 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 100 करोड़ रु. की राशि अवमुक्त कर दी गई है । एनएच –91 के मार्ग परिवर्तन की अधिसूचना 07.07.2018 को राजपत्र में प्रकाशित हो गई है ।

ऊपरी गंग नहर से 53 क्यूसेक जल उपलब्ध कराने के लिए मुंडाखेड़ा वितरण केंद्र में पाइपलाइन के द्वारा पंपिंग मोड में मेकअप वाटर योजना को अंतिम रूप दिया गया है और यूपीआईडी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारत में चरणबद्ध तरीके से 250 मेगावॉट की सौर पीवी परियोजना की स्थापना के लिए एसईसीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ ही आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान संस्थापित क्षमता बढ़ाकर 1563 मेगावॉट तक करने के लिए 50 मेगावाट की कमीशनिंग करने की योजना बनाई थी । लेकिन केएसईबी के द्वारा 3.55 रु. प्रति यूनिट के टैरिफ पर विद्युत बिक्री करार (पीएसए) के लिए "सैद्धांतिक मंजूरी" के बावजूद सभी संभावित प्रयास करने के बाद भी केएसईबी पीएसए पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हुआ । हालांकि, आपकी कंपनी 2019 में इसे कमीशन करने के लिए अथक प्रयास कर रही है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सततता

विगत वर्षों की भांति आपकी कंपनी ने अपने प्रचालनात्मक क्षेत्रों में सेवा (सोसाइटी फॉर इंपावरमेंट एंड वेलफेयर एक्टीविटीज) के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों को जारी रखा है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के लिए पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% की तुलना में इस वर्ष आपकी कंपनी ने 16.17 करोड़ रु के लक्ष्य की तुलना में 16.20 करोड़ रु. का व्यय किया । इसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शिक्षा और रोजगार, व्यावसायिक कौशलता में वृद्धि, पर्यावरण और सततता आदि क्षेत्र शामिल हैं । स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपकी कंपनी ने बहु विशेषज्ञता युक्त 112 बहु विशेषज्ञता वाले स्वास्थ्य शिविर लगाने के माध्यम से उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 1925 नेत्र सर्जरी सहित 27000 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया है ।

न्यूनतम खपत वाली ऊर्जा दक्षता परियोजना संचालित करते हुए आपकी कंपनी ने उ.प्र. के उन्नाव जिले व लखनऊ केन्ट और उत्तराखंड के उद्यम सिंह नगर जिले के सितारगंज में सोलर स्ट्रीट लाइट्स (एसएसएल) और सोलर हाई मास्ट लाइट (एचएमएल) प्रणालियों के लिए एलईडी आधारित परियोजना की संस्थापना और अनुरक्षण का कार्य पूरा कर लिया है । गंगा नदी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व और प्रत्येक वर्ष ऋषिकेश आने वाले लाखों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को ध्यान में रखते हुए गंगा घाट क्षेत्रों में राम झूला, लक्ष्मण झूला और त्रिवेणी घाट आदि दर्शनीय प्रमुख स्थलों को प्रकाशमान करने के

30वीं वार्षिक आम सभा का एक ग्रुप फोटोग्राफ

लिए एलईडी आधारित लाइटिंग परियोजना कार्यान्वित की जा चुकी है ।

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर 9वीं सततता रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और इसे पारदर्शिता और सुधार हेतु प्रतिक्रिया देने के लिए वेबसाइट पर अपलोड गया है ।

कारपोरेट सुशासन

आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि आपकी कंपनी को कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए लगातार 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त हो रही है। कंपनी ने कारपोरेट सुशासन के तंत्र की स्थापना की है जो इसके मामलों के नैतिक और प्रभावी आचरण के प्रति वचनबद्धता पर जोर देती है । अच्छे कारपोरेट सुशासन के कार्यान्वयन के लिए सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति स्थापित करने का हमारा निरंतर प्रयास है।

न्यायसंगत, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी ने हितधारकों का विश्वास और हितलाभ प्राप्त करने के लिए कारपोरेट सुशासन के उच्चतम मानकों को कायम रखा है । सर्वोत्तम प्रथाओं को अंगीकार करने के अतिरिक्त आपकी कंपनी अपनी कारपोरेट प्राथमिकताओं में जनहित को भी शामिल करती है। इसे सुविधाजनक बनाने के क्रम में कंपनी ने व्यापक सामाजिक अग्रणी कार्यक्रम विकसित किए हैं ।

भावी दृष्टिकोण

पीकिंग पावर सहित बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी पर्यावरण के मोर्चे पर कोई समझौता किए बिना उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए नए रास्तों की तलाश कर रही है। जलविद्युत क्षेत्र में हमारे उच्च लक्ष्य है और भूटान में संकोश परियोजना के निष्पादन की हम अभिलाषा रखते हैं ।

ऐसी निर्माणाधीन परियोजनाएं जिनमें वर्तमान में देरी हो रही है, उनका पुनरूद्धार करने तथा उन्हें तेजी से पटरी पर लाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए जा रहे हैं । कंपनी के आर्थिक विकास के लिए आपकी कंपनी निकट भविष्य में और अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं लेने की और अग्रसर है । इसी प्रकार, टीएचडीसीआईएल के कोटेश्वर जलाशय पर फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं की खोज की जा रही है ।

आभार

मैं वर्ष के दौरान हमारे कर्मचारियों के द्वारा की गई कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों की पूर्ण रुप से सराहना करता हूं । कंपनी में उनका विकास सुनिश्चित करने के द्वारा उनकी कड़ी मेहनत की मान्यता के रुप में उन्हें पुरस्कृत करने के प्रयास किए गए हैं।

कंपनी की ओर से मैं भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों, उ.प्र. सरकार और उत्तराखंड सरकार को उनकी निरंतर सहायता और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं । मैं निदेशक मंडल, निवेशकों और मूल्यवान ग्राहकों के समर्थन के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं।

मैं वर्ष के दौरान सीईए, सीडब्ल्यूसी, सीईआरसी, डीपीई, सेबी, एनएसई और बीएसई तथा अन्य विनियामक प्राधिकरणों से प्राप्त समर्थन और सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं।

मैं इस अवसर पर हमारे सभी हितधारकों को भी कंपनी में अपना विश्वास दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपकी कंपनी के विकास में निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों और बैंकों को भी धन्यवाद देता हूं ।

मुझे अंत तक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद, मैं भविष्य में भी आपके प्रोत्साहन और निरंतर समर्थन की कामना करता हूं ।

शुभकामनाओं सहित ।

(डी.वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03107819

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.09.2018

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल

श्री डी.वी. सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री धीरेन्द्र वीर सिंह ने 01.12.2016 को टीएचडीसी इंडिया लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का कार्यभार ग्रहण किया । श्री सिंह एनआईटी, राऊरकेला से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक (1983) हैं और आपको भूमिगत कार्यों, विद्युत गृह कार्यों, स्पिलवे, संविदा, सामग्री प्रबंधन, पुनर्वास एवं भारी सिविल निर्माण में 03 दशकों से अधिक समय का व्यापक अनुभव है। टीएचडीसीआईएल में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री सिंह ने लार्जन एवं टूब्रो में कार्य किया है ।

श्री सिंह ने टिहरी विद्युत गृह के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई तथा आप इसकी योजना एवं निर्माण के प्रभारी थे । टिहरी परियोजना की स्पिलवे प्रणाली के निर्माण एवं योजना के साथ ही इससे जुड़े विभिन्न कार्यों जैसे संविदा एवं सामग्री प्रबंधन, भवन एवं सड़क निर्माण आदि में भी आपने सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाई। परियोजना के द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को अन्य स्थानों पर बसाने एवं उनके पुनर्वास में भी आप गहरी संवेदनशीलता के साथ जुड़े रहे ।

श्री सिंह को कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4x100 मेगावाट) को वापस पटरी पर लाने में सहायता करने का श्रेय भी जाता है जब यह परियोजना अनेक विरामों के कारण पटरी से उतर चुकी थी । आपने इसके कार्यान्वयन में अनेक नवाचारी कार्य किए और चार वर्षों के रिकार्ड समय में टीएचडीसीआईएल की इसे चालू करने में सहायता की। श्री सिंह को वर्ष 2012 में आईआईटी, रूड़की में ''इंस्टीट्यूशन्स ऑफ इंजीनियर्स'' (इंडिया) के राष्ट्रीय सम्मेलन में ''इमिनेंट इंजीनियर'' की उपाधि से विभूषित किया गया । आपको ''इंस्टीट्यूशन्स ऑफ इंजीनियर्स'' (इंडिया) द्वारा ''चार्टर्ड इंजीनियर'' की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है ।

श्री राज पाल
आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय,
भारत सरकार, सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री राज पाल 30 अगस्त, 2017 से टीएचडीसी इंडिया लि. में भारत सरकार के नामित निदेशक नियुक्त किए गए हैं । श्री राज पाल विद्युत मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार है तथा आप इंडियन इकॉनोमिक सर्विस से हैं । आपने इकॉनोमिक्स में मास्टर्स एवं एम. फिल किया है । आपने इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग इकॉनोमिक्स, टोकियो, जापान से डेवलपमेंट स्टडीज में डिप्लोमा भी किया है। इंडियन इकॉनोमिक सर्विस के सदस्य के रूप में श्री राज पाल को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, उद्योग मंत्रालय, श्रम मंत्रालय आदि में लगभग 28 वर्ष का कार्यानुभव है। विद्युत मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के वर्तमान पद का कार्यभार संभालने से पूर्व टेलीफोन रेग्युलेटरी एथारिटी ऑफ इंडिया में आपने सलाहकार, आर्थिक विनिमय के रूप में कार्य किया है ।

श्री टी. वेंकटेश
प्रमुख सचिव (सिंचाई एवं जल संसाधन),
उ.प्र. सरकार, सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री टी. वेंकटेश, प्रमुख सचिव (सिंचाई एवं जल संसाधन), उ.प्र. को 14 मई, 2018 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में उ.प्र.सरकार के नामित निदेशक के रुप में नियुक्त किया गया है। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.ई. एवं एम.ई. की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की । आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के हैं । श्री टी.वेंकटेश ने अपना कैरियर सहायक कलेक्टर के रुप में शुरू किया और इसके बाद आपने परियोजना निदेशक, अलीगढ, सीडीओ और विभिन्न जिला प्रशासनों में प्रमुख अधिकारी, गोंडा, अल्मोडा और बरेली के जिला मजिस्ट्रेट, उ.प्र. सरकार में विशेष सचिव, जनवरी, 2005 से अगस्त, 2005 तक गोरखपुर डिवीजन में कमीशनर सहित उ.प्र. में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया । आप अगस्त, 2005 से अगस्त, 2012 तक तथा मार्च, 2017 से नवंबर, 2017 तक भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए और वहां पर संयुक्त सचिव, सीवीओ इत्यादि का उत्तरदायित्व ग्रहण किया ।

श्री एच.एल. अरोड़ा
निदेशक (तकनीकी)

श्री एच.एल.अरोड़ा ने 22 दिसंबर, 2017 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) का पदभार संभाला । श्री अरोड़ा थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और विद्युत क्षेत्र में आपका 36 वर्ष का लाजवाब केरियर है । अपनी 36 वर्षों की सेवा में से आपने 32 वर्ष उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन और प्रचालन व अनुरक्षण में व्यतीत किए हैं तथा जल विद्युत एवं पवन विद्युत परियोजनाओं की अवधारणा से कमीशनिंग तक विभिन्न परियोजना गतिविधियों से जुड़े रहे हैं । आपके पास योजना निर्माण, मॉनीटरिंग, पुनर्वास, भूमिगत कार्यों सहित बड़े सिविल ढाचों के निष्पादन, टिहरी एचपीपी एवं कोटेश्वर एचईपी के प्रचालन एवं अनुरक्षण की मजबूत पृष्ठभूमि है और गुणवत्ता आश्वासन एवं बांध सुरक्षा का प्रचुर मात्रा में अनुभव है । श्री अरोड़ा ने टीएचडीसी के व्यापारिक पोर्टफोलियो के विविधीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई है जिससे कि टीएचडीसी ने रिकार्ड समय में पाटन एवं द्वारका देवभूमि परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर नवीकरणीय ऊर्जा में प्रवेश किया । टीएचडीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आपने नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कं. लि. (एनपीसीसी) में कार्य किया है । बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट, कोर्बा में कूलिंग टावरों को समय से पूरा करने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । आपने एसडीए बैकॉनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इटली के सहयोग से एएससीआईआई, हैदराबाद द्वारा संचालित किए गए अग्रणी रणनीतिक परिवर्तन में एडवांस मैनेजमेंट प्रोगाम एवं स्टेट यूनिवर्सिटी मास्को के द्वारा संचालित डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन्स ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एवं हाइड्रोपॉवर कंस्ट्रक्शन्स में अपग्रेडेशन कार्यक्रम में भी भाग लिया ।

श्री विजय गोयल
निदेशक (कार्मिक)

श्री विजय गोयल ने 26.03.2018 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) के निदेशक(कार्मिक) का कार्यभार ग्रहण किया है । आपको मानव संसाधन प्रबंधन में 25 वर्षों से भी अधिक का व्यापक अनुभव है । इससे पूर्व श्री गोयल टीएचडीसी इंडिया लि. में 01.06.2015 से महाप्रबंधक (का. एवं प्रशा.) पद पर उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे थे तथा साथ ही आप कारपोरेट संचार, विधि एवं माध्यस्थम प्रकार्यों के प्रभारी भी थे । उनके हस्तक्षेपों के प्रमुख क्षेत्र नीति निर्माण, मानवशक्ति नियोजन, स्थापना एवं संपदा प्रकार्य, कर्मचारी संबंध, श्रम कानूनों का अनुपालन और नीतियों का समग्र निर्माण और कार्यान्वयन हैं । आपने एनएचपीसी से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में 1990 में वरि. कार्मिक अधिकारी (एसपीओ) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था । जुलाई, 1988 में निगम की स्थापना के तत्काल बाद आपने शुरूआती मानव संसाधन प्रणालियों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था । श्री गोयल दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से इतिहास (ऑनर्स) में स्नातक हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) हैं ।

श्री बची सिंह रावत
स्वतंत्र निदेशक

श्री बची सिंह रावत की टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक और आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में परास्नातक हैं। आप उत्तराखंड के अल्मोड़ा चुनाव क्षेत्र से 04 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। आप विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय (1999–2004) में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग में केंद्रीय राज्यमंत्री रहे हैं। आप केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री (अक्टूबर–नवंबर 1999) भी रह चुके हैं। आप भारत सरकार की विभिन्न समितियों जैसे रक्षा समिति एवं इसकी उप समिति, सदन में बैठने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति समिति तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं।

श्री मोहन सिंह रावत
स्वतंत्र निदेशक

श्री मोहन सिंह रावत की टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है। आप मेरठ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक हैं। आपने 1978 में गांवों के पूर्ण विकास के लिए गांव बसाओ अभियान चलाया। 1996 में आप भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं तत्पश्चात विभागीय सचिव एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने गए । आपके द्वारा सामाजिक एवं पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए आपको गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ने 2001 में डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। आपको 1996 में पौड़ी विधानसभा से विधायक चुना गया तथा ग्राम पंचायती राज, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा मंत्री के रूप में नामित किया गया तथा जलागम प्रबंधन के केबिनेट मंत्री के रूप में भी चुना गया। आपने कई कार्यशालाएं आयोजित कर मौसम परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए अभियान चलाया तथा वर्ष 2014 में भारत सरकार के राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में कार्य किया ।

प्रो. महाराज के. पंडित
स्वतंत्र निदेशक

श्री महाराज के. पंडित टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पर्यावरण अध्ययन विभाग में प्रोफेसर तथा माउंटेन एंड हिल डेवलपमेंट के अंतर कार्यक्षेत्र अध्ययन केंद्र के निदेशक हैं। आपने दिल्ली विश्वववियालय से बीएससी एवं पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में एक दशक से अनुसंधान अध्ययन करने के पश्चात वहीं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अध्येता हैं जहां आप विश्वविद्यालय के अध्येता कार्यक्रम के विजिटिंग वरिष्ठ सदस्य के रूप में कार्यरत रह चुके हैं और भूगोल विभाग में सहायक नियुक्ति पर हैं। आप 2014 में भारत के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए भी चुने गए हैं। आप जेपी एसोशिएट, एसजेवीएनएल, एनएचपीसी, रिलायंस पावर इत्यादि के पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अध्ययन और पर्यावरणीय प्रबंध योजना के जैव विविधता अध्ययनों का एक हिस्सा भी रहे हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट
2017-18

- निदेशकों की रिपोर्ट 2017–18
- अनुलग्नक–I कारपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट
- अनुलग्नक–II कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट
- अनुलग्नक–III प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट
- अनुलग्नक–IV ऊर्जा संरक्षण उपाय, अंगीकृत प्रोद्योगिकी एवं विदेशी मुद्रा अर्जन एवं विनिवेश
- अनुलग्नक–V व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट
- अनुलग्नक–VI प्रारूप नं. एमजीटी–9 वार्षिक रिटर्न का सार
- अनुलग्नक–VII सचिवालयी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट 2017–18

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक खातों, सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की अभ्युक्तियों के साथ कंपनी की 30वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

मुख्य कार्य निष्पादन विशेषताएं

- वर्ष 2016–17 के 4430 मि.यू. की तुलना में वर्ष 2017–18 में विद्युत उत्पादन बढ़कर 4540 मि.यू. हो गया।
- डिस्कॉम्स से राजस्व वसूली वर्ष 2017–18 की बिक्री के आंकड़े का 100% थी। वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी को ''बहुत अच्छा'' एमओयू रेटिंग प्रदान की गई।
- वर्ष 2017–18 के दौरान पूंजीगत व्यय (केपेक्स) 658.97 करोड़ था।
- ढुकवाँ लघु जल विद्युत परियोजना (24 मेगावाट) – उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले की बेतवा नदी पर निर्माण के अग्रिम चरण में है और मार्च 2019 तक इसके प्रारंभ होने का कार्यक्रम है।
- खुर्जा सुपर ताप विद्युत संयंत्र (1320 मेगावाट) :
  - ➢ खुर्जा सुपर ताप विद्युत संयंत्र और अमेलिया कोयला खदान के निवेश अनुमोदन के लिए पीआईबी प्रस्ताव का मसौदा 31.08.2017 को विद्युत मंत्रालय में प्रस्तुत किया गया। पीआईबी की बैठक 17 जुलाई, 2018 को हुई थी और आशा है कि निवेश अनुमोदन शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा।
  - ➢ दनवार रेलवे स्टेशन से रेलवे साइडिंग की कनेक्टिविटी के लिए मेसर्स राइट्स के माध्यम से तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद द्वारा 11 अक्तूबर, 2017 को अनुमोदित किया गया।
  - ➢ कोयले की ढुलाई और रेलवे साइडिंग के लिए इंजीनियरिंग स्केल योजना दिनांक 15.11.2017 को उत्तर मध्य रेलवे को प्रस्तुत की गई।
  - ➢ प्री–अवार्ड गतिविधियों, विस्तृत इंजीनियरिंग, समीक्षा इंजीनियरिंग के लिए परामर्श और पीएमसी दिनांक 21.11.2017 को एनटीपीसी लिमिटेड, नोएडा को अवार्ड किया गया।
  - ➢ परियोजना भूमि से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच–91) के मार्ग के परिवर्तन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई द्वारा दिसम्बर, 2017 में तैयार की गई है।
  - ➢ 3555.55 करोड़ रु. की साइट की लेवेलिंग सहित भाप जनरेटर और सम्बद्ध पैकेजों (टैक्स और ड्यूटी को छोड़कर) के लिए निविदा करना जो टीएचडीसीआईएल के इतिहास में सबसे बड़ा एकल पैकेज है तथा आईसीबी के माध्यम से 1523.41 करोड़ रु. की टर्बाइन जनरेटर और संबद्ध पैकेजों (टैक्स और ड्यूटी को छोड़कर) के लिए एनआईटी प्रक्रियाधीन हैं और निवेश अनुमोदन के अनुरूप दोनों परियोजनाओं के अवार्ड किए जाने की आशा है।
- वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी को एए + क्रेडिट रेटिंग प्रदान की गई।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रचालनों के वित्तीय परिणामों के सार निम्नानुसार हैं :–

टिहरी एचपीपी के भूमिगत विद्युत गृह का दृश्य

(रू. मिलियन में)

विवरण	2017-18 (भा. ले.मा. आंकड़े)	2016-17 (भा. ले.मा. आंकड़े)
आय		
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	21906	20948
अन्य आय	381	1412
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व	682	653
घटाएं : सिंचाई पर मूल्य ह्रास	682	653
सकल आय (क)	**22287**	**22360**
व्यय		
कर्मचारियों के हितार्थ व्यय	3065	2542
वित्तीय लागत	2279	2911
मूल्यह्रास	5745	5256
उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	2034	1951
संदिग्ध ऋण, प्राप्य, बट्टे खाते हेतु प्रावधान	0	45
असाधारण मदें – (आय) / व्यय–निवल	55	1615
कुल व्यय (ख)	**13178**	**14320**
कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (ग = क–ख)	**9109**	**8040**
कर	1397	901
सतत प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (I)	**7712**	**7139**
II अन्य वृहत आय		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन	56	(41)
आयकर से संबंधित अन्य मदें जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं हो सकेंगी– आस्थगित कर संपत्तियां	19	14
अन्य वृहत आय (II)	**75**	**(27)**
कुल वृहत आय (I+II)	**7787**	**7112**

वित्तीय निष्पादन

सकल राजस्व एवं लाभ

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में प्रचालनों से लाभ दर्शाया है। अन्य आय में कमी के कारण पिछले वित्त वर्ष 2016–17 की तुलना में सकल राजस्व में 0.33% की कमी आई है। तथापि, पिछले वर्ष के करोपरांत लाभ की तुलना में चालू वर्ष के करोपरांत लाभ (पीएटी) में 9.50% की वृद्धि हुई है। प्रचालनों से प्राप्त राजस्व, सकल राजस्व, करोपरांत लाभ (पीएटी) तथा सकल राजस्व में करोपरांत लाभ के % में परिवर्तन की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है।

(रू. मिलियन में)

विवरण	2017-18	2016-17	वृद्धि
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	21906	20948	958
सकल राजस्व	22287	22360	(73)
करोपरांत लाभ (पीएटी)	7787	7112	675
सकल राजस्व में करोपरांत लाभ का %	34.94%	31.81%	

गत पांच वर्षों के निवल लाभ का ग्राफिक प्रस्तुतीकरण नीचे दर्शाया गया है :

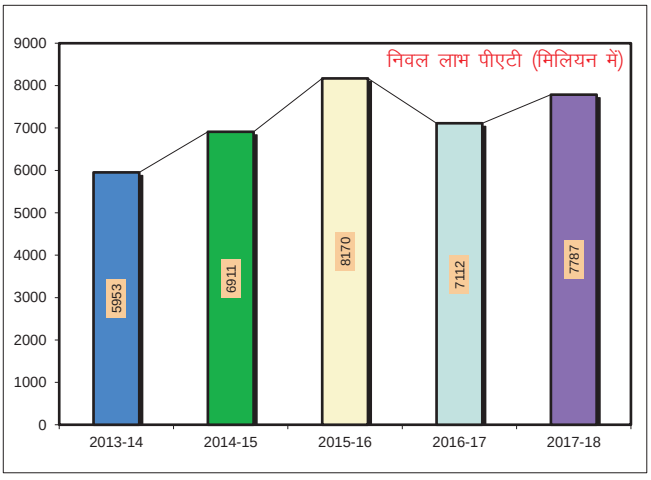

लाभांश

आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए रू. 1000/– सममूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 70.60 रू. प्रति इक्विटी शेयर के कुल लाभांश का भुगतान किया है। वर्ष के लिए 2561 मिलियन रू. के लाभांश का भुगतान किया गया जो करोपरांत लाभ (पीएटी) का 32.89% है और प्रदत्त पूँजी का 7.06% है।

पूंजीगत ढ़ाचा एवं निवल मूल्य (नेटवर्थ)

शेयर पूंजी :–

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 40000 मिलियन रू. है। वर्ष के दौरान वीपीएचईपी परियोजना के लिए इक्विटी घटक के लिए भारत सरकार से कंपनी को 320 मिलियन रु. का इक्विटी अंशदान प्राप्त हुआ है। इसमें से वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान 285.50 मिलियन रु. के इक्विटी शेयर भारत सरकार को आबंटित किए गए हैं और शेष 34.50 मिलियन रु. राशि के शेयर वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान भारत सरकार को आबंटित किए गए हैं। दिनांक 31.03.2018 को कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी और नेटवर्थ क्रमशः 36274.32 मिलियन रु. और 85112.66 मिलियन रु. है।

प्रचालनात्मक निष्पादन 2017–18

विद्युत उत्पादन

वर्ष 2017–18 के दौरान जल और पवन विद्युत परियोजनाओं कुल 4540 मिलियन यूनिट (मि.यू.) का विद्युत उत्पादन हुआ जबकि एमओयू लक्ष्य 4450 मि.यू. का था। इसके अतिरिक्त इसमें पिछले वर्ष के 4430 मि.यू. के उत्पादन की तुलना में वृद्धि भी हुई है।

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान जल एवं पवन विद्युत परियोजनाओं से किया गया कुल उत्पादन निम्नानुसार है :

संयंत्र का नाम	एमओयू लक्ष्य (बहुत अच्छा) (मि.यू. में)	वित्त वर्ष 2017–18 में कुल उत्पादन (मि.यू. में)	वित्त वर्ष 2016–17 में कुल उत्पादन (मि.यू. में)
जल विद्युत	4239	4300	4370
पवन विद्युत परियोजना	211	239.67	59.17
कुल	4450	4539.67	4429.17

टिहरी तथा कोटेश्वर विद्युत संयंत्रों से उत्पादन

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान टिहरी और कोटेश्वर विद्युत संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन तथा संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) के विवरण नीचे दिए जा रहे हैं :–

संयंत्र का नाम	मि.यू. में उत्पादन		प्रतिशतता में पीएएफ		
	एमओयू लक्ष्य (बहुत अच्छा)	उपलब्धि	एमओयू लक्ष्य (बहुत अच्छा)		उपलब्धि
टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट)	3014	3080	82.114		79.325
कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट)	1225	1220	71.238		68.305
जोड़	**4239**	**4300**	भारित औसत	**79.00**	**76.172**

टिहरी एचपीपी तथा केएचईपी के लिए संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) का भारित औसत 76.172% था जबकि एनएपीएएफ का भारित औसत 74.14% था।

पवन विद्युत संयंत्रों से उत्पादन

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान पवन विद्युत उत्पादन निम्नवत है :

संयंत्र का नाम	एमओयू लक्ष्य (बहुत अच्छा (एमयू में)	उपलब्धि (एमयू में)
पाटन पवन विद्युत परियोजना (50 मेगावाट)	107.5	90.22
द्वारका पवन विद्युत परियोजना (63 मेगावाट)	103.5	149.45
कुल	211	239.67

वाणिज्यिक निष्पादन

आपकी कंपनी लाभार्थी डिस्कॉम्स को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने में विश्वास रखती है। इसे लाभार्थियों ने वार्षिक प्रतिपुष्टि पत्र में ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्रदान कर अपनी संतुष्टि को व्यक्त कर स्वीकार किया है। आपकी कंपनी के कारोबार से राजस्व के मामले में वाणिज्यिक निष्पादन निम्न प्रकार हैं–

(मिलियन रू. में)

विवरण	2017-18	2016-17
प्रचालनों से राजस्व	21906	20948
नकदी वसूली (%)	100	100

माननीय सीईआरसी ने 2009–14 और 2014–19 तक की अवधि के लिए टिहरी एचपीपी के लिए दिनांक 05.12.2017 को संशोधित प्रशुल्क आदेश जारी किए है। इस आदेश के प्रभाव पर वित्त वर्ष 2017–18 के तुलन– पत्र में विचार किया गया है।

परियोजना वित्तपोषण

1. टिहरी पीएसपी परियोजना

टिहरी पीएसपी के वित्त पोषण के लिए 15000 मिलियन दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने हेतु कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले व्यापार संघ के साथ वित्तीय तालमेल स्थापित किया था। उपरोक्त मंजूरी के लिए 31 मार्च, 2018 के अनुसार 12276.50 मिलियन की राशि प्राप्त की गई है। कंपनी ने दिनांक 29.03.2018 को 6140 मिलियन रु. चुका दिए हैं और शेष राशि अप्रैल तथा मई 2018 में चुका दी है। कंपनी ने टिहरी पीएसपी के लिए 83.87 मिलियन यूरो प्राप्त करने के लिए सोसाइटी जनरल के साथ वित्तीय तालमेल किया है और अभी ऋण आहरित किया जाना है।

2. वीपीएचईपी परियोजना

कंपनी ने वीपीएचईपी के लिए विश्व बैंक के साथ 648 मिलियन अमेरिकी डालर प्राप्त करने के लिए तालमेल किया था। वर्ष के दौरान इसमें से 1.78 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि प्राप्त की जा चुकी है। दिनांक 31.03.2018 तक कुल 94.37 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि आहरित की गई थी। कंपनी ने विश्व बैंक से मूल वितरण समय–सूची दिसम्बर, 2017 तक के बजाय दिसम्बर, 2020 तक बढ़ाने तथा तद्नुसार चुकौती की अनुसूची को पुनः निर्धारित करने का अनुरोध किया था। विश्व बैंक ने वितरण अनुसूची जून, 2019 तक बढ़ा दी है। हालाँकि चुकौती की समय–सूची के पुनः निर्धारण को अंतिम रूप दिया जाना अभी शेष है। अंतिम रूप देने का कार्य लंबित होने के कारण ऋण सेवा मूल संविदा शर्तों के अनुसार की गई है और वर्ष के दौरान 2.03 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि चुकाई गई है।

3. कारपोरेट बांड निर्गम

वर्ष 2016–17 के दौरान आपकी कंपनी ने आगामी/चालू परियोजनाओं के पूंजी खर्च को वहन करने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर 7.59 प्रतिशत की दर से रू. 6000 मिलियन के सुरक्षित प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय बांड जारी किए। बांड 10 वर्ष पश्चात प्रतिदेय होंगे तथा वार्षिक आधार पर ब्याज देय होगा।

वित्त वर्ष 2017–18 के लिए परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में संक्षिप्त ऑकड़े निम्नानुसार हैं :–

ऋणदाता का नाम	ऋण राशि	वर्ष 2017–18 के दौरान आहरित राशि	चुकाया गया ऋण	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण
विश्व बैंक से आईबीआरडी ऋण	यूएस डॉलर 648 मिलियन	रु. 134.32 मिलियन*	रु. 131.52 मिलियन	रु. 6006.69 मिलियन
एसबीआई	रु. 15000 मिलियन	शून्य	रु. 6140.00 मिलियन	रु. 6136.50 मिलियन
सोसाइटे जनरेल	83.87 मिलियन यूरो	शून्य	शून्य	शून्य
कारपोरेट बांड्स	6000 मिलियन	शून्य	शून्य	6000 मिलियन

* परिवर्तनीय विनिमय दर शामिल है।

निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और स्थिति :

- **टिहरी पीएसपी (4x250 मेगावाट)**

पंप स्टोरेज प्लांट(पीएसपी) पानी के पुनर्चक्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। टिहरी पीएसपी में प्रत्येक 250 मेगावाट की 4 रिवर्सिबल इकाईयां होंगी। ये ऑफ पीक ऊर्जा को

पीक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगी। ऑफ पीक घंटों के दौरान पंपिंग प्रचालन के लिए 1651.66 मिलियन यूनिट ऊर्जा की जरूरत होगी। पीक घंटों के दौरान यह टरबाइन मोड पर कार्य करेगी ताकि उत्तरी क्षेत्र के लिए 1321.82 मि.यू. अतिरिक्त पीकिंग विद्युत का उत्पादन किया जा सके।

जुलाई, 2011 में ईपीसी संविदा ठेका दिए जाने के बाद कंपनी को विभिन्न बाह्य कारकों का सामना करना पड़ा जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान से समग्र खनन के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने की मनाही तथा सिविल ठेकेदार मैसर्स एचसीसी लि. के पास नकदी संकट जिसके चलते कार्य की प्रगति धीमी हुई है। हालांकि, स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार बातचीत और वाह्य एजेंसियों के साथ अंतरंग समन्वय के चलते कंपनी निरंतर कार्य करने में सक्षम हुई है। एक साथ सभी मोर्चों पर काम में तेजी लाने के लिए ठेकेदारों को अस्थाई ब्याज आधारित काम चलाए रखने के पूंजीगत वित्त पोषित किया गया है। टीएचडीसी परियोजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है और सभी घटनाक्रमों से मंत्रालय को अवगत कराया है।

विभिन्न अवसंरचनाओं के सभी प्रवेश एडिट्स तथा जल ड्रेनेज गैलरियों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस समय दोनों अपस्ट्रीम सर्ज शाफ्टों, बटर फ्लाई वाल्व चैम्बर (बीवीसी), पेनस्टॉक असेम्बली चैम्बर (पीएसी) बस बार टनल, डाउनस्ट्रीम सर्ज शाफ्ट तथा टेल रेस टनलों (टीआरटी) की खुदाई का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। कंट्रोल रूम, बसबार व टीआरटी में कंक्रीटिंग भी प्रगति पर है। मशीन हाल की खुदाई पूरी होने वाली है। 347.54 करोड़ रू. तथा 66.27 मिलियन यूरो की राशि के 73.16% उपस्कर/सामग्री परियोजना स्थल पर पहुंच गए हैं। विद्युत गृह में दोनों ईओटी क्रेनों का उत्थापन पूरा हो गया है। सभी 04 जेनरेटर स्टेप अप ट्रांसफार्मर (जीएसयू) कैवर्न के अंदर स्थापित कर दिए गए हैं। जीआईएस एवं जीआईबी का कार्य पूरा होने वाला है। बैकफिल कंक्रीट सहित पेनस्टॉक स्टील लाइनर का उत्थापन प्रगति पर है।

पीएसपी में मशीन हाल में खुदाई कार्य पर थोड़ा सा बल दिए जाने पर ईएम और एचएम कार्यों की प्रगति में तेजी आएगी।

परियोजना की अनुमोदित लागत, किए गए व्यय एवं कमीशनिंग की समय–सूची का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

(राशि करोड़ रू. में)

परियोजना लागत		कार्य पूरा होने की समय–सूची	
अनुमोदित (आरसीई अनुमोदन नवंबर, 11)	व्यय (अगस्त, 18 तक)	अनुमोदित (आरसीई अनुमोदन नवंबर, 11)	प्रत्याशित
2978.86 (अप्रैल, 10 मूल्य स्तर)	2600.50 (87.30%)	फरवरी, 16	मई, 21

पुनरीक्षित अनुमानित लागतः जनवरी, 17 के मूल्य स्तर पर 897.82 करोड़ की आईडीसी व एफ सी सहित 4401.90 करोड़ रु. की आरसीई सीईए के दिनांक 09.02.18 के पत्र के द्वारा अनुमोदित की गई है।

आरसीई II के लिए पुनरीक्षित अनुमानित लागत की पहली बैठक दिनांक 07.09.2018 को विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली में की गई थी।

- **विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (4 x 111 मेगावाट)**

वीपीएचईपी एक 'रन ऑफ द रिवर' परियोजना है। इसमें अलकनंदा नदी पर कुल 237 मी. के 'सकल हेड' का दोहन करने के लिए 65 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध की परिकल्पना की गई है। इससे प्रति वर्ष 1657.09 मि.यू डिजाइन ऊर्जा (95 प्रतिशत मशीन उपलब्धता के साथ) का उत्पादन होगा।

सिविल और एच एम पैकेजों के लिए मैसर्स एचसीसी लिमिटेड, मुंबई के साथ 54 माह में पूर्णता अवधि सहित दिनांक 17.01.2014 को संविदा पर हस्ताक्षर किए गए। अलकनंदा नदी का मार्ग दिनांक 02.04.18 को डायवर्जन सुरंग के जरिए मोड़ दिया गया है। बांध स्थल पर डी–सिल्टिंग चैम्बर्स, इनटेक सुरंगों, एचआरटी के गेट प्रचालन चेम्बर (जीओसी), एचआरटी और टीआरटी की खुदाई, एसएफटी एवं एसएफटी–जीओसी आदि तक एडिट का कार्य प्रगति पर है। विद्युत गृह परियोजना स्थल पर विद्युत गृह, ट्रांसफार्मर हॉल, प्रमुख प्रवेश सुरंग, डाउन

स्ट्रीम सर्ज शाफ्ट तल के लिए एडिट, डाउन स्ट्रीम सर्ज शाफ्ट का आगे उत्खनन (ऊपर से) प्रगति पर है। टीबीएम प्लेटफार्म क्षेत्र में प्लेटफार्म का विकास/विस्तार और टीबीएम लांचिंग चैम्बर की खुदाई और टीबीएम की असेम्बली का कार्य प्रगति पर है। कार्य की प्रगति में स्थानीय निवासियों द्वारा बंद करवाने/व्यवधान पैदा करने के कारण असर पड़ा है। ठेकेदार के साथ भूवैज्ञानिक विचलन, नगदी प्रवाह एवं अपर्याप्त संसाधन जुटाने की समस्या है। स्थानीय मुद्दों को स्थानीय लोगों के साथ लगातार संवाद एवं जिला प्रशासन की मदद से सुलझाने की कोशिश की जा रही है। निर्माण कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए नगदी प्रवाह में सुधार हेतु सिविल ठेकेदार को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

इलैक्ट्रो–मैकेनिकल कार्यों के लिए मैसर्स बीएचईएल, नोएडा के साथ 48 माह की पूर्णता अवधि के साथ दिनांक 18.11.2014 को हस्ताक्षर किए गए। विद्युत गृह स्थल का ले–आऊट अनुमोदित हो चुका है। परियोजना के विभिन्न स्थलों पर मृदा प्रतिरोधकता के मापन किए जा चुके हैं। विद्युत गृह और बीएफवी, टर्बाइन, जनरेटर, एक्साइटेशन सिस्टम आईपीबीडी, पावर हाउस ग्रांउडिंग सिस्टम और सहायक ट्रांसफार्मर के लिए ईओटी क्रेन के दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया है। शेष परिकल्पना एवं अभियांत्रिकी कार्य प्रगति पर है। सिविल – एचएम तथा ईएम कार्यों के एक साथ पूर्ण होने पर परियोजना को दिसंबर, 2019 तक चालू किए जाने की संभावना थी। तथापि, परियोजना का अब दिसम्बर, 21 में चालू होना प्रत्याशित है।

परियोजना की अनुमानित लागत, व्यय और कमीशनिंग की समय–सूची नीचे दी गई है–

(राशि मिलियन रू. में)

परियोजना लागत		कार्य पूरा होने की समय–सूची	
अनुमोदित	**व्यय (अगस्त, 18 तक)**	**अनुमोदित**	**प्रत्याशित**
2491.58 (मार्च, 08 मूल्य स्तर) (अगस्त,08 के निवेश अनुमोदनानुसार)	1459.63 (58.58%)	जून–2013 (अगस्त, 08 के निवेश अनुमोदनानुसार)	दिसम्बर, 21

पुनरीक्षित लागत अनुमान : सीसीईए द्वारा अगस्त, 2008 में परियोजना के लिए 2491.58 करोड़ (मार्च –08 मूल्य स्तर) रु. का निवेश अनुमोदन किया गया । मई, 17 के मूल्य स्तर पर 3789.61 करोड़ रु. (235.59 करोड़ रु. की आईडीसी और एफसी सहित) की आरसीई, अनुमोदन के लिए दिनांक 31.10.2017 को विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी।

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दिनांक 09.01.2018 को परियोजना की संशोधित डिजाइन ऊर्जा को 1657.09 मि.यू. के रूप में अंतिम रूप दिया गया है।
- अनुमोदित परिवर्तन ज्ञापन (एमओसी) के आधार पर टीएचडीसी ने 4105.30 करोड़ रु. की अनुमोदित एमओसी को शामिल कर मार्च, 2018 के मूल्य स्तर पर पुनः आरसीई तैयार किया है जिसमें 312.39 करोड़ रु. की आईडीसी और एफसी शामिल है जिसे दिसम्बर, 2021 तक पूरा किया जाना है और इसे 30 जुलाई, 2018 को विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है।

ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना (24 मेगावाट)

ढुकवाँ लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले में बेतवा नदी पर वर्तमान ढुकवाँ मैसेनरी सह अर्दन डैम के तल में किया जा रहा है। परियोजना के पूरा हो जाने पर इससे प्रतिवर्ष 97.82 मि.यू. बिजली का उत्पादन होगा।

- लगभग 88% सिविल कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। एचआरसी लाइनिंग (ट्रांजिशन को छोड़कर) पूरी की जा चुकी है। यूनिट क्षेत्र में ई.ओ.टी. क्रेन के उपलब्ध हो जाने पर, कंक्रीटिंग सहित यूनिट – 1 और 2 में ड्राफ्ट ट्यूब (डीटी) कोन के उत्थापन का कार्य पूरा हो चुका है; इसके अतिरिक्त ईएम निर्माण कार्य प्रगति पर है। एचआरसी इनटेक गेटों और पावर इनटेक गेटों का प्रारंभण (कमीशन) किया जा चुका है। सभी 03 यूनिटों में पेन स्टॉक का उत्थापन कार्य पूरा किया जा चुका है। ड्राफ्ट ट्यूब गेटों के संस्थापन का कार्य प्रगति पर है। ड्राफ्ट ट्यूब एल्बो लाइनर और डीटी कोन के उत्थापन के बाद यूनिट – 1 और 2 की स्पाइरल केसिंग का उत्थापन कार्य प्रगति पर है।
- क्रास जल निकासी (ड्रेनेज) कार्य और ब्रिज क्रासिंग एचआरसी पूरा कर लिया गया है।
- हाइड्रो – मेकैनिकल उपस्करों की आपूर्ति लगभग पूरी हो गई है और परियोजना स्थल पर इलेक्ट्रो – मेकैनिकल उपस्कर की आपूर्ति प्रगति पर है।

- पारेषण लाइन बिछाने के लिए आवश्यक 1.39 हेक्टेअर वन भूमि के लिए द्वितीय चरण की अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शीघ्र प्रदान किए जाने की आशा है और पूरक वनीकरण के लिए जमीन उपलब्ध करवा दी गई है। विद्युत निकासी के लिए टावर उत्थापन आदि का कार्य यूपीपीसीएल द्वारा किया जाना प्रगति पर है।

परियोजना की लागत, इस पर किया गया व्यय और कमीशनिंग समय सूची नीचे दी गई है।

(राशि करोड़ में)

परियोजना लागत		कार्य पूरा होने की समय–सूची	
अनुमोदित	व्यय (अगस्त, 18 तक)	अनुमोदित	प्रत्याशित
294.60 (जुलाई 2016 मूल्य स्तर)	191.90 (65.13%)	फरवरी-14	मार्च, 19

झेलम तमक

- भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 13 अगस्त, 2013 के अपने आदेश द्वारा उत्तराखंड में 24 जल विद्युत परियोजनाओं, जिसमें आपकी कंपनी की झेलम तमक परियोजना भी शामिल है, को पर्यावरणीय स्वीकृति देने पर रोक लगा दी थी।

- माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार 6 विशिष्ट जल विद्युत परियोजनाओं नामतः लता तपोवन (171 मेगावाट), झेलम तमक (108 मेगावाट), कोटलीभेल 1ए (195 मेगावाट), अलकनंदा (300 मेगावाट), खिरो गंगा (4 मेगावाट), भ्यूंडर गंगा (24.3 मेगावाट) के सदस्यों को शामिल कर एक विशेषज्ञ समिति (ईबी) का गठन किया गया था।

- पर्यावरण प्रवाह पर विशेषज्ञ समिति के सिफारिश प्रारूप के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दिनांक 06.04.18 के पत्र संख्या 207/22/2015/एचपीए–1/277 द्वारा ईबी से प्राप्त प्रारूप रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रवाह पर विचार कर विद्युत क्षमता अध्ययन पर संशोधित अध्याय प्रस्तुत करने का निदेश दिया। संशोधित पर्यावरणीय प्रवाह पर विचार कर विद्युत क्षमता अध्ययन संबंधी अध्याय दिनांक 17.05.2018 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को भेज दिया गया है।

- दिनांक 09.08.2017 के एनजीटी के आदेश के संदर्भ में उत्तराखंड सरकार (जीओयूके) ने दिनांक 05.06.2018 के पत्र द्वारा ई–फ्लो 15% तय किया था। दिनांक 29.06.2018 के पत्र के माध्यम से सीईए से झेलम तमक (108 मेगावाट) के पीपीएस अध्याय के संशोधन की जरूरत पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है।

- सीईए ने पीपीएस अध्याय के संबंध में टिप्पणियाँ अग्रेषित कीं और संशोधित आईसी 90 मेगावाट पर परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता की जाँच करने का सुझाव दिया। हमारे परामर्शदाता एसएलईआई द्वारा इसकी जाँच की जा रही है।

- 31 मार्च, 2018 तक 15.29 करोड़ रु. खर्च हो चुके हैं। इसे सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत दर्शाया गया है (पूँजी कार्य प्रगति पर है)।

अन्य ऊर्जा क्षेत्रों में विविधीकरण

आपकी कंपनी, जल विद्युत से ऊर्जा के अन्य स्रोतों जैसे पवन, सौर और ताप में अपनी गतिविधियों का विविधीकरण कर रही है। ऐसी परियोजनाओं की स्थापना के लिए कंपनी की गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं :

- **पवन विद्युत परियोजनाएं :**

क. 50 मेगावाट (25 x 2 मेगावाट) पाटन विंड फार्म, जिला पाटन, गुजरात

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का विविधीकरण किया है। गुजरात के पाटन जिले में पवन टर्बाइन संस्थापित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2016–17 और वित्त वर्ष 2017–18 में परियोजनाओं ने क्रमशः 59.041 मि.यू. और 90.23 मि.यू. विद्युत का उत्पादन किया।

परियोजना को रू. 1 करोड़ प्रति मे.वा. के केप के साथ रू. 0.50 प्रति यूनिट उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) का लाभ उठाने के लिए इरेडा के साथ पंजीकृत किया गया है। परियोजना के एमएनआरई की योजना के अंतर्गत कुल रू. 500 मिलियन की जीबीआई प्राप्त होगी।

ख. 63 मे.वा (30 X 2.1 मे.वा.) जिला देवभूमि द्वारका, गुजरात

टीएचडीसीआईएल ने गुजरात के जिला देवभूमि द्वारका में

श्री ए.के. भल्ला, सचिव (विद्युत), भारत सरकार एवं श्री डी.वी. सिंह, अ.प्र.नि., टीएचडीसीआईएल, वर्ष 2017–18 के लिए एमओयू दस्तावेजों का आदान प्रदान करते हुए

दिसंबर, 2016 में विकास की अनुमति एवं गुजरात सरकार से स्थानान्तरण अनुमति प्राप्त होने के बाद 63 मे.वा. (30 x 2.1 मे.वा.) क्षमता की अपनी द्वितीय पवन ऊर्जा परियोजना को 3 महीने अर्थात 31.03.2017 को रिकार्ड अवधि में सफलतापूर्वक चालू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप टीएचडीसी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से रू. 630 मिलियन की राशि का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के अनुदान का पात्र हो गया है। वित्त वर्ष 2016–17 और वित्त वर्ष 2017–18 में परियोजना ने क्रमशः 0.1387 मि.यू. एवं 149.45 मि.यू. विद्युत का उत्पादन किया।

- **सौर विद्युत परियोजनाः**

टीएचडीसीआईएल ने दिनांक 13.02.2015 को कुल 250 मे.वा. क्षमता की चरणबद्ध तरीके से ग्रिड कनैक्टिंग सौर विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केरल में 50 मे.वा. सौर पीवी परियोजना की स्थापना के लिए एसईसीआई, केएसईबी एवं टीएचडीसीआईएल के बीच त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए।

केएसईबी के साथ एमओयू एवं त्रिपक्षीय करार के क्रम में एसईसीआई के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के ईपीसी ठेकेदार के चयन के लिए टीएचडीसीआईएल में सर्वोत्तम औद्योगिक पद्धतियों का अनुसरण किया है।

50 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए 3.55 रु. प्रति यूनिट की दर से विद्युत बिक्री करार (पीएसए) के लिए केरल सरकार और केरल राज्य विद्युत बोर्ड के साथ हस्ताक्षर हेतु टीएचडीसीआईएल द्वारा पर्याप्त प्रयास किए जाने और विद्युत मंत्रालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने बावजूद उस पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सके।

चूँकि एनआरआरई ने कासरगाड, केरल स्थित 50 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना के लिए पहले मंजूर की गई 25 करोड़ रु. की वाएबल गैप फंडिंग (वीजीएफ) राशि को निरस्त करने की सूचना दी है इसलिए अब इस परियोजना वाएबल गैप फंडिंग (वीजीएफ) देय नहीं है। तद्नुसार एसईसीआई से इस परियोजना के लिए पहले फ्लोट की गई एनआईटी को रद्द करने तथा प्राथमिकता आधार पर "खुली श्रेणी" के तहत पुनः निविदा करने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया है। तथापि, इस संदर्भ में भूमि की अनुमति दिए जाने के संबंध में केरल सरकार के मंत्रिमंडल की अनुमति प्रतीक्षित है। इसके बाद एसईएसआई द्वारा कार्य शुरू किया जाएगा।

सौर रूफ टॉप पावर प्लांट (500 किलोवाट)

500 किलोवाट के रूफ टॉप पावर प्लांट का प्रचालन और अनुरक्षण सफलतापूर्वक किया गया है और यूपीसीएल द्वारा 2.98 लाख रु. की ऊर्जा नौ माह के लिए ग्रिड को आपूर्ति के निर्यात के लिए जमा की गई है जो अपनी खपत के अतिरिक्त होगी।

- **ताप विद्युत परियोजना–खुर्जा सुपर थर्मल पावर स्टेशन–(1320 मे.वा.)**

उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में कोयला आधारित 1320 मे.वा. का सुपर थर्मल पावर प्लांट (एसटीपीपी) स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र से कुल वार्षिक विद्युत उत्पादन 9828 मि.यू. होगा जो संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) के 85% के समनुरूप है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 53 क्यूसेक पानी छोड़े जाने संबंधी प्रतिबद्धता पत्र जारी किया है। 660 मे.वा. की तीसरी यूनिट के भावी विस्तार के साथ 660 मे.वा. प्रत्येक क्षमता की 2 यूनिटों के कार्यान्वयन

टिहरी बांध एवं जलाशय का विहंगम दृश्य

के लिए 1200 एकड़ भूमि के पूरे प्लाट का उपयोग करते हुए परियोजना का ले–आउट और डीपीआर पुनरीक्षित कर दिए गए हैं तथा पर्यावरण मंत्रालय ने स्वीकार भी कर लिया है।

भूमि अधिग्रहण सहित निवेश पूर्व गतिविधियों के लिए 5858.2 मिलियन रूपये की राशि खर्च करने के लिए भारत सरकार ने 20.11.2015 को स्वीकृति प्रदान की है। विभिन्न गतिविधियों की स्थिति निम्नवत है–

- ग्राम सभा सहित कुल (1200.843 एकड) भूमि का मूल कब्जा ले लिया गया है। भूमि के सुरक्षित कब्जे हेतु फेंसिंग सहित खम्भों को लगाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।
- कार्य स्थल के पास ट्रांजिट कैंप/अतिथि गृह का निर्माण किया जा चुका है तथा इस्तेमाल शुरू हो चुका है।
- दिनांक 30.03.2017 को परियोजना को पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त होने जाने के बाद, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी, बुलंदशहर) से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एनओसी) प्राप्त किया जाना था। दिनांक 13.06.2018 को एसपीसीबी द्वारा "स्थापित करने की सहमति" दी जा चुकी है।
- खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान के निवेश अनुमोदन के लिए मसौदा पीआईबी प्रस्ताव दिनांक 31.08.2017 को विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है। परियोजना (एसटीपीपी) की लागत नवम्बर, 2017 के मूल्य स्तर पर 11089.42 करोड़ रू. होने का अनुमान है। जबकि एमडीओ के माध्यम से अमेलिया खदान को विकसित करने में टीएचडीसीआईएल द्वारा खर्च किया जाने वाला अनुमानित व्यय 1587.16 करोड़ रू. है।
- पीआईबी की बैठक 17 जुलाई, 2018 को आयोजित की गई थी। आशा है कि निवेश अनुमोदन शीघ्र प्राप्त हो जाएगा।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा परियोजना – भूमि से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच–91) में परिवर्तन किया जा रहा है। एनएचएआई ने 394.915 करोड़ रू. निर्मुक्त करने का अनुरोध किया है। इसमे से 100 करोड़ रू. की राशि भूमि अधिग्रहण कार्य को सुकर बनाने के लिए निर्मुक्त की जा चुकी है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।
- 4225 करोड़ रू. के "स्टीम जनरेटर और सम्बद्ध पैकेजों" की एनआईटी दिनांक 25.06.2018 को सीपीपी पोर्टल पर आईसीबी के लिए प्रकाशित की जा चुकी है। कंपनी के इतिहास में अवार्ड किया जाने वाला यह सबसे बड़ा एकल पैकेज है।
- परियोजना के मुख्य कार्य, निवेश अनुमोदन के अनुरूप अवार्ड किए जाने के लिए निर्धारित हैं।
- पहली इकाई की सीओडी, निवेश अनुमोदन की तारीख से 48 माह में और दूसरी इकाई उसके 06 माह बाद के अंतराल (अर्थात पहली इकाई अक्तूबर, 2022 तक और दूसरी इकाई अप्रैल 2023 तक) परिकल्पित है।

अमेलिया कोयला ब्लाक :

खुर्जा एसटीपीपी की ईंधन संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने टीएचडीसीआईएल को दिनांक 29.08.2016 को अमेलिया कोयला खदान

आबंटित की है। कोयला मंत्रालय और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बीच आबंटन करार पर दिनांक 15.12.16 को हस्ताक्षर किए गए हैं। इस खदान को आबंटन की तारीख अर्थात सितम्बर 2020 के बाद 44 माह में विकसित किया जाना है। 277 मिलियन टन कोयले के खनन के लिए एमडीओ के चयन के लिए बोली दस्तावेज सीएमपीडीआईएल और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के जरिए तैयार करवाया गया है। शीघ्र ही एनआईटी अपेक्षित है।

अमेलिया कोयला खदान के लिए 1846.72 हेक्टेयर भूमि की स्वीकृतियां विभिन्न चरणों में है।

दिनांक 30.08.2018 को आयोजित एफएसी बैठक में एक समिति का गठन किया गया था जो स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट देगी जिससे उसे अगली एफएसी बैठक में प्रस्तुत किया जा सके।

पूर्ववर्ती आबंटिती अर्थात एमपीएसएमसीएल के नाम पहले ही पर्यावरणीय अनुमति जारी की जा चुकी है और पहले चरण की वन मंजूरी के बाद उसे टीएचडीसीआईएल के नाम अंतरित कर दिया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया चल रही है।

सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के अंतर्गत परियोजनाएं :

भूटान में परियोजनाओं का विकास

- **संकोश एचईपी (2585 मेगावाट):**

प्रस्तावित परियोजना में 215 मीटर ऊंचे रोलर संपीडित कंक्रीट बांध तथा 2500 मे.वा. (8X312.5 मेगावाट) की संस्थापित क्षमता के साथ 5,949.05 मि.यू. ऊर्जा उत्पादन सहित मुख्य बांध के ठीक नीचे दो विद्युत गृह (बांए एवं दांए छोर पर) तथा मुख्य बांध के डाउनस्ट्रीम में 416.34 मि.यू. की ऊर्जा उत्पादन के साथ 85 मेगावाट (3X28.33 मेगावाट) की संस्थापित क्षमता सहित विनियामक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। संकोश एचईपी, भूटान का कुल ऊर्जा उत्पादन 6365.39 मि.यू. है तथा अप्रैल, 2016 के मूल्य स्तर पर परियोजना की लागत 123820.32 मिलियन रू. है।

संकोश एचईपी के लिए डीपीआर की जांच कर ली गई हैं तथा सीईए/सीडब्ल्यूसी द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सीईए द्वारा संकोश एचईपी की डीपीआर का मूल्यांकन पत्र 06.06.2017 को जारी किया गया। आरजीओबी के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार अंतिम रूप से आधारित डीपीआर के अपेक्षित संख्या0 में सेट 11.08.2017 को भेजे गए थे।

संकोश एचईपी के कार्यान्वयन के तौर–तरीकों से जुड़े मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए अन्तर–मंत्रालयी बैठक, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में दिनांक 21.06.18 को हुई जिसकी अध्यक्षता विदेश सचिव ने की। सचिव (विद्युत मंत्रालय) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल ने इसमें भाग लिया। टीएचडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने इस बैठक में संकोश परियोजना के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रुप में कार्य करने हेतु टीएचडीसी के प्रस्ताव के बारे में बताया।

टीएचडीसी ने दिनांक 06.07.2018 के पत्र संख्या टीएचडीसी/सीएमडी द्वारा भी संकोश एचईपी, भूटान के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक परिप्रेक्ष्य योजना विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की है।

- **बुनाखा एचईपी (3X60 मेगावाट)**

प्रस्तावित परियोजना में 707.44 मि.यू. ऊर्जा के वार्षिक उत्पादन सहित ऊर्ध्वाकार टरबाईन (3X60 मेगावाट) की संस्थापना के साथ भंडारण बांध और तलीय विद्युत गृह के निर्माण की परिकल्पना की गई है। परियोजना की निर्माण अवधि 69 माह है। फरवरी, 14 के दौरान भूटान की शाही सरकार की कैबिनेट ने बुनाखा एचईपी के कार्यान्वयन के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया। भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच कार्यान्वयन के लिए अंतर–सरकारी करार (आईजी) पर अप्रैल, 2014 में हस्ताक्षर किए गए हैं।

परियोजना का निर्माण एकमात्र परियोजना के रूप में करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं माना गया है। सीईए/सीडब्यू ने बांध की लागत अनुप्रवाह परियोजनाओं की अंशधारिता के लिए बनाए गए फार्मूला के आधार पर फंडिंग पैटर्न निर्धारित किया है। सभी हितधारकों ने बुनाखा के लिए सहमत अंतिम लागत साझेदारी तंत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लागत अनुमान जो मूलतः 2013 के मूल्य स्तर पर तैयार किए गए थे, उन्हें अप्रैल, 2015 के मूल्य स्तर पर 16228.5 मिलियन में पुनरीक्षित कर दिया गया है और इसे सीईए ने अनुमोदित कर दिया है। भूटान की बुनाखा एचईपी के कार्यान्वयन के लिए भूटान पीएसयू के साथ संयुक्त उद्यम का निर्माण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार एवं आरजीओबी के पास विचाराधीन है।

बांध की सुरक्षा और टीएचडीसीआईएल में बाढ़ कम करने के उपाय

टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी का बांध सुरक्षा कार्यक्रम काफी व्यापक है। बांध के क्षेत्र और उसके संबद्ध क्षेत्रों में इंस्ट्रूमेंटेशन की व्यापक स्कीम की व्यवस्था की गई है ताकि बांध में होने वाली गतिविधियों का आंकलन और निगरानी की जा सके। बांध के क्षेत्र में निरीक्षण, उपलब्ध करवाई गई दीर्घाएं बांध सुरक्षा कार्यक्रम का भाग है और समय–समय पर उनका निरीक्षण किया जाता है। क्रमशः मजबूत कंपन और माइक्रो नेटवर्क के जरिए भूकंप के दौरान बांध के अशांत व्यवहार वाले

जलाशय द्वारा अभिप्रेरित भूकंप प्रवृति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

बांधों का सुरक्षित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्यूसी) के दिशानिर्देशों तथा अन्य संगठन में मौजूदा परिपाटियों के अनुसार मानसून से पहले और बाद में बांधों का अनिवार्य रूप से सुरक्षा निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समय–समय पर केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्यूसी) और अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त अन्य एजेंसियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

जलाशय प्रचालन और बाढ़ अल्पीकरण

जलाशय नियम वक्र के अनुसार प्रत्येक वर्ष 21 जून से शुरू कर जलाशय भरा जाता है। जलाशय को भरने के दौरान नियम वक्र (रूल कर्व) से पूर्व निर्धारित दर पर जलाशय को भरने तथा सक्रिय मानसून अवधि के दौरान भावी बाढ़ के लिए उचित भंडारण स्थान बनाए रखने में मदद मिलती है ताकि बांध से नीचे की ओर विनियमित/नियंत्रित रूप में पानी छोड़ा जा सके। टिहरी जलाशय के लिए वास्तविक समय अन्तर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली वर्ष 2016 से प्रचालनरत है जिसका नियंत्रण कक्ष टिहरी बांध पर स्थित है। पूर्वानुमान प्रणाली से जलाशय का बेहतर ढंग से प्रबंधन करने में मदद मिल रही है। कोटेश्वर बांध से ऋषिकेश तक नीचे की और आठ स्थानों पर स्पीकर/सायरन से युक्त पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) दिसम्बर, 2017 में स्थापित की गई है, जो कोटेश्वर बांध स्थित नियंत्रण कक्ष और स्टेट एमर्जेंसी आपरेशन सेंटर, देहरदून से प्रचालित की जाती है। ईडब्ल्यूएस नदी के आस–पास नीचे की ओर रहने वाले लोगों को वापस संदेशों और सायरनों के जरिए आगाह करने/चेतावनी देने में मदद करती है।

टिहरी बांध के माध्यम से बाद नियंत्रण–सही परिप्रेक्ष्य

टिहरी बांध एक भंडारण परियोजना है इसलिए यह मानसून अवधि के दौरान निचले क्षेत्रों को बाढ़ की तबाही से बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2010 की बाढ़ के दौरान 3500 क्यूसेक पानी छोड़ने (डिस्चार्ज) में 2200 क्यूसेक का भंडारण किया गया था जिसे अलकनंदा बाढ़ के समाप्त हो जाने पर बाद में विनियमित रूप से छोड़ा गया था। वर्ष 2013 में जब जून के महीने में उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आई थी, उस समय सौभाग्यवश टिहरी जलाशय में पानी सबसे निचले स्तर पर था और इसलिए भागीरथी नदी के बाढ़ का लगभग 7500 क्यूसेक पानी का टिहरी जलाशय में भंडारण कर लिया गया था। ऐसा न होने पर हरिद्वार स्थित गंगा के जलस्तर में लगभग 2.5 मीटर की वृद्धि हो गई होती। यदि अलकनंदा नदी पर एक भंडारण बांध परियोजना का निर्माण किया गया होता, तो इस प्रकार की बाढ़ का प्रभाव कई गुना कम हो गया होता।

पुनर्वास और पुनर्स्थापन

आपकी कंपनी हमेशा ही मानवीय दृष्टिकोण के साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास ओर पुनर्स्थापन (आर एंड आर) के लिए प्रतिबद्ध रही है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन इस तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है कि तर्कसंगत संक्रमण अवधि के बाद बाढ़ प्रभावित परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हो या कम से कम पूर्व स्तर बना रहे, आय क्षमता और उत्पादन स्तर में सुधार हो। टीएचडीसीआईएल पारस्परिक सहयोग या नियमित परामर्श के माध्यम से परियोजना से प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के साथ सौहार्द्रपूर्ण संबंध बना रही है।

परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए मुआवजा और लागू मानकों/दिशानिर्देशों के समकक्ष पुनर्वास और पुनर्स्थापन हितलाभ प्रदान किए जा रहे हैं। चूंकि वीपीएचईपी विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना है, इसलिए उस परियोजना में विश्व बैंक की सोशल सेफ गार्ड पालिसी भी चलन में है।

परिसम्पत्तियों की हानि के लिए मुआवजा देने के अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, आय उत्पादन गतिविधियां आदि जैसी विभिन्नि पहलें शुरू कर उनके आर्थिक उत्थान पर बल दिया जा रहा है।

टीएचडीसीआईएल, निर्माण गतिविधियों के कारण सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति को होने वाले किसी नुकसान से बचने के लिए सावधानियां बरत रही है। वीपीएचईपी में सुरंग संरेखप के ऊपर 500 मी. चौड़े कोरिडोर के भीतर पड़ रहे सभी ढ़ाचों की वीडियो ग्राफी कराई गई है और उन्हें बीमित किया गया है।

अभियांत्रिकी परामर्श

आपकी कंपनी ने नवीनतम साफ्टवेयर तथा डिजाइन विशेषज्ञों से युक्त एक अभियांत्रिकी परामर्श विभाग की स्थापना की है। सौंपे गए विभिन्न कार्यों की स्थिति इस प्रकार है:

- श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (जम्मू और कश्मीर) के असुरक्षित क्षेत्रों को ढलान स्थिरीकरण संबंधी सेवाएं प्रदान की गईं। कुल 33 कमजोर (सुभेद्य) क्षेत्रों की पहचान की गई। श्राइन बोर्ड द्वारा तैंतीस में से पांच स्थानों का उपचार किया गया है तथा दूसरे स्थानों के लिए कार्य अवार्ड करने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरे चरण में संरक्षण/उपचार कार्य के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा लेटर आफ एवार्ड जारी किया गया है तथा संरक्षण उपचार की प्रक्रिया चल रही है।
- नैनीताल स्थित राजभवन के भूस्खलन क्षेत्र के संरक्षण/उपचार के लिए परामर्शी सेवाओं के अंतर्गत चरण–। के लिए डीपीआर और निविदा दस्तावेज उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग (यूकेपीडब्यूडी) को दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त

चरण–।। की समग्र स्कीम के लिए पहले ही यूकेपीडब्यूडी, नैनीताल को डीपीआर प्रस्तुत की जा चुकी है।

- उत्तराखंड सरकार (जीओयूके) से आगे निदेश प्राप्त होने की प्रतीक्षा में मसूरी स्थित भूमिगत पार्किंग के विकास के लिए परामर्श कार्य रोक कर रखा गया है।
- टीएचडीसीआईएल ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ओर से लोक निर्माण (आरएंडबी), जम्मू और कश्मीर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि कार्य–नीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद गुफा के आसपास स्थित भूस्खंलन की आशंका वाले क्षेत्र के स्थिरीकरण के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान की जा सकें। अभियांत्रिकी उपायों, बीओक्यू, लागत अनुमान, निविदा दस्तावेज और ड्राइंग से युक्त डीपीआर लोक निर्माण (आरएंडबी) जम्मू और कश्मीर को प्रस्तुत कर दी गई है।
- मैसर्स वाप्कोस द्वारा उत्तराखंड सरकार के लिए तैयार किए जाने वाले सभी (05) पांच स्थानों के ढलान स्थिरीकरण की डीपीआर की तकनीकी वेटिंग और निविदा दस्तावेजों की आलोचनात्मक ढंग से जांच पड़ताल और वेटिंग टीएचडीसीआईएल द्वारा की गई है और पीआईयू (पावर इंटरफेस यूनिट) को प्रस्तुत किया गया है।
- तांबाखानी श्यूट उपचार के लिए दीर्घकालिक स्थिरता के उपायों की डिजाइन स्कीम, निविदा ड्राइंग, तकनीकी विनिर्देशन, मात्रा बिल और लागत अनुमान पहले ही डीएमएमसी, उत्तराखंड सरकार को प्रस्तुत किए जा चुके हैं। लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी द्वारा इस कार्य के लिए निविदा पहले ही फ्लोट की जा चुकी है और कार्य आरंभ होने की संभावना है।

अनुसंधान और विकास

टीएचडीसीआईएल का अनुसंधान और विकास केन्द्र ऋषिकेश में स्थापित किया गया है। टीएचडीसीआईएल की व्यापारिक जरूरतों अर्थात विद्युत क्षेत्र की मौजूदा समस्याओं और भावी जरूरतों को ध्यान में रखकर अनुसंधान और विकास गतिविधियां संचालित की जाती हैं। अनुसंधान और विकास गतिविधियां विशेषज्ञतायुक्त एजेंसियों जैसे शैक्षिक संस्थाओं और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि से सहयोग प्राप्त कर शुरू की जाती हैं। विकल्प के तौर पर, वैयक्ति रूप में इन–हाउस गतिविधियों के रूप में भी अनुसंधान और विकास गतिविधियां शुरू की गई है।

वर्ष 2017–18 के दौरान टीएचडीसीआईएल में चल रहे अनुसंधान और विकास इस प्रकार हैं :

- टिहरी क्षेत्र के चारों ओर भूकंप निगरानी केन्द्र स्थापित किए गए।
- टिहरी क्षेत्र के आस–पास माइक्रो भूकंपी नेटवर्क का विस्तार एवं अद्यतीकरण।
- टिहरी एवं कोटेश्वर के लिए रोटरी मशीनों एवं सहायक उपकरणों के कंपन का डाटा विश्लेषण।
- जीरो ब्रिज और कोटेश्वर के बीच सड़क की ढलान स्थिरता के लिए समग्र समाधान।
- टिहरी जलाशय के आवाह–क्षेत्र के लिए उपग्रह आधारित वास्तविक समय अन्तरप्रवाह पूर्वानुमान प्रणाली की स्थापना।

इन चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान और विकास परियोजनाएं पूरी की गई हैं :–

- ग्रिड विक्षोभ के अंतर्गत जल विद्युत संयंत्रों की परिवर्तनशील गति के गतिशील निष्पादन का विश्लेषण।
- टिहरी/कोटेश्वर बांध के अनुप्रवाह क्षेत्र में संस्थापित त्वरित चेतावनी प्रणाली (ईडब्यूएस) टिहरी और कोटेवर बांध के अनुप्रवाह क्षेत्र में लोगों को बचाने के लिए समय से सही चेतावनी देती है, जिससे सुरक्षात्मक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।
- हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर के लिए सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट (एससीसी) का विकास उन स्थानों के लिए बहुत उपयोगी होगा जहां कार्य स्थल के दुर्गम होने तथा भारी और घने रिइनफोर्समेंट जैसे बहुमंजिली इमारतों, मशीन प्रतिष्ठानों और वैकल्पिक कंक्रीट आदि के कारण परंपरागत तरीके से कंपैक्शन संभव नहीं है।
- टिहरी एवं केएचईपी के ईएम उपकरण की स्थिति की निगरानी में सक्रिय एहतियाती उपाय किए गए थे जिनसे टिहरी और कोटेश्वर विद्युत संयंत्रों की विश्वसनीयता/कार्यकुशलता और सुरक्षा में सुधार हुआ।

वर्ष के दौरान भिन्न–भिन्न तकनीकी पत्रिकाओं/सम्मेलनों में विभिन्न तकनीकी अनुसंधान पेपर्स प्रकाशित/प्रस्तुत किए गए हैं। इन–हाउस अनुसंधान और विकास गतिविधियों के आधार पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में 03 तकनीकी पेपर्स प्रकाशित और प्रस्तुत किए गए हैं और वर्ष के दौरान विशेषज्ञ एजेंसियों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के परिणाम के संबंध में विभिन्न पत्रिकाओं और सम्मेलनों में 07 तकनीकी पेपर्स प्रकाशित किए गए हैं। वर्ष के दौरान (2017–18) अनुसंधान और विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर 48.20 मिलियन रू. खर्च हुए

विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (444 मेगावाट) में 02.04.2018 को डाइवर्जन सुरंग के माध्यम से अलकनंदा नदी का मार्ग परिवर्तन

थे जो वर्ष 2016–17 के करोपरांत लाभ के न्यूनतम 0.5% की तुलना में 0.67% है।

गुणवत्ता आश्वासन

आपकी कंपनी का गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण से संबंधित पूर्ण साज–सज्जा युक्त स्थापित विंग है ताकि संयंत्र उपस्कर का बेहतर निष्पादन प्राप्त किया जा सकें। इस संबंध में एक आदर्श गुणवत्ता आश्वासन प्रबंधन प्रणाली लागू है ताकि कार्यान्वयन के अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाओं की गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण गतिविधियां कार्यान्वित की जा सकें जिससे सभी उत्पादन इकाइयों और उसकी सहायक कंपनियों से संबंधित सभी उपस्करों तथा चल रही परियोजनाओं (टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी और ढुकवां एचईपी) के कार्य स्थल पर उपलब्ध करवाए जा रहे सहायक उपस्करों की आदर्श गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। उपस्कर के प्रत्येक स्तर अर्थात निविदा दस्तावेज के लिए क्यूएएंडआई की तैयारी, क्यूएएंडआई पक्ष के लिए बोली मूल्यांकन, गुणवत्ता समन्वय प्रणाली को अंतिम रूप देने, उप–विक्रेता अनुमोदन, गुणवत्ता आश्वासन योजनाओं के अनुमोदन, चरणबद्ध और अंतिम निरीक्षण किए जाने, सामग्री प्रेषण अनुमति प्रमाण–पत्र (एमडीसीसी) में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की भूमिका होती है।

इसके अतिरिक्त गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण (क्यूएएंडआई) विंग संयंत्रों के उत्थापन और प्रारंभण के विभिन्नि चरणों में नियमित/आवधिक निरीक्षणों के द्वारा कार्य स्थल पर उपस्कर के संस्थापन के दौरान किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता आश्वासन भी सुनिश्चित करता है।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2017–18 तक निम्नलिखित प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त किए हैं :–

- कारपोरेट कार्यालय ऋषिकेश, टिहरी एचपीपी, पीएसपी, केएचईपी कोटेश्वर, वीपीएचईपी/पीपलकोटी और ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना ने आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) और ओएचएसएएस 18001:2007 (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) प्राप्त किए हैं।

- कारपोरेट आईटी विभाग, ऋषिकेश ने एसटीक्यूसी (मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन) नई दिल्ली के जरिए तीन वर्षों के लिए अक्तूबर, 2015 में आईएसएमएस (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) आईएसओ 27001 : 2013 का प्रमाणन प्राप्त किया है।

पर्यावरण प्रबंधन

आपकी कंपनी ने अपने विभिन्न कार्यालयों और परियोजना मोर्चों पर चलने वाली गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाली नकारात्मक प्रभाव से बचने, कम करने और शमन करने के लिए हमेशा पर्यावरण से जुड़े सुरक्षात्मक उपाय अपनाए हैं।

आपकी कंपनी अपने सभी कार्यस्थलों पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करके पशुओं और वनस्पतियों के जीवाश्मों (फ्लोरा और फौना) की सुरक्षा और संरक्षण करने तथा सर्वोत्तम पद्धतियों का कार्यान्वयन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी का उद्देश्य अपनी प्रत्येक परियोजना के लिए

पर्यावरण प्रबंधन योजना का उचित कार्यान्वयन करना है। इस संबंध में किए गए उपाय निम्नानुसार हैं :

- 444 मेगावाट की विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के विकास में शामिल निगरानी और पर्यावरण मूल्यांकन और सामाजिक मुद्दों के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों का पांच सदस्यीय पैनल जुटा है। ईएंडएस पैनल का तीसरा दौरा अप्रैल, 2017 में हुआ।

- मैसर्स वाप्कोस लि., गुड़गांव और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून को क्रमशः वीपीएचईपी की पर्यावरण प्रबंधन योजना और जलागम क्षेत्र उपचार योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्वतंत्र तृतीय पक्ष के रूप में लगाया गया है।

- डायरेक्ट्रेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरिस रिसर्च (डीसीएफआर), भीमताल को वीपीएचईपी में मत्स्य प्रबंधन के विकास एवं कार्यान्वयन हेतु लगाया गया है।

- वीपीएचईपी में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन विभाग को कैमरा ट्रैप उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि परियोजना स्थलों के आस–पास उचित स्थानों पर उन्हें संस्थापित कर निगरानी रखी जा सके।

- वीपीएचईपी कालोनी में लगभग 1800 वर्ग मी. क्षेत्र में एचआरडीआई, मंडल गोपेश्वर के परामर्श से एक औषधीय पौधों का उद्यान विकसित किया जा रहा है।

- प्रख्यात पर्यावरणविद श्री जगत सिंह चौधरी ऊर्फ ''जंगली'' के पर्यवेक्षण में वीपीएचईपी में हरित पट्टी का विकास कार्य शुरू किया गया है। परियोजना क्षेत्र में अब तक कुल 5000 पौधे रोपे गए हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपकी कंपनी को वीपीएचएचईपी की पर्यावरणीय वैधता अवधि में तीन (03) वर्षों अर्थात अगस्त, 2020 तक समय विस्तार दिया गया है।

आपकी कंपनी 1320 मेगावाट के खुर्जा विद्युत संयंत्र का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें ईआईए–ईएमपी रिपोर्ट के अंतर्गत परिकल्पित विभिन्न पर्यावरण और संरक्षण गतिविधियां, निर्माण गतिविधियां समरूप आधार पर कार्यान्वित की जानी हैं।

लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 05 जून, 2015 को कारपोरेट कार्यालय के साथ–साथ सभी परियोजनाओं में विश्व पर्यावरण दिवस (डब्ल्यूईडी) का आयोजन किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन

विद्युत परियोजना का विकास करने वाली कंपनी के नाते आपकी कंपनी, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर विशिष्ट और भौगोलिक स्थान विशिष्टि जोखिमों के अध्यधीन है। कंपनी ने जोखिम प्रबंधन मैनुअल को अपनाया है जो बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है। जोखिम प्रबंधन मैनुअल का उद्देश्य जोखिम प्रबंधन के प्रति स्तरित और अनुशासित दृष्टिकोण स्थापित करना है।

आपकी कंपनी ने प्रत्येक निर्माणाधीन परियोजना के लिए जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है जिसमें परियोजना स्थल के अधिकारी (जोखिम अधिकारी), परियोजना वित्त एवं कारपोरेट डिजाइन (सिविल व एचएम) के अधिकारी होते हैं। यह समिति अलग–अलग परियोजना के लिए जोखिम प्रबंधन योजना को अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी होती हैं। जोखिम प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन से कारपोरेट सुशासन और परियोजनाओं के निर्माण और परिचालन के दौरान बेहतर प्रबंधन पर बल मिला है।

जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत सूचना अलग से कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट (**अनुलग्नक– I**) में दी गई है। इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक– III** में प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट में जोखिम के मुख्य तत्व) दिए गए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

टीएचडीसीआईएल में समग्र उत्पादकता तथा कुशलता को सुधारने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी को एक रणनीतिक उपकरण समझा जाता है। हमने उत्पादित की जाने वाली परिसंपत्तियों के इष्टतम प्रयोग, निर्माण परियोजना के विकास में गति देने के लिए विभिन्न साफ्टवेयर सोल्यूशंस को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है ताकि इससे संगठन की गुणवत्ता, उत्पादकता एवं लाभप्रदता में सुधार आए। टीएचडीसीआईएल के पास नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार अवसंरचना हैं।

वित्त, मानव संसाधन, खरीद एवं संविदा, माल–सूची, परियोजना प्रबंधन, विद्युत संयंत्र प्रचालन एवं ऊर्जा बिक्री अनुरक्षण एवं लेखांकन, गुणवत्ता आश्वासन आदि सभी मुख्य व्यवसायों के कार्य हेतु कंप्यूटराइज्ड प्रणाली है। ये सभी कंप्यूटराइज्ड प्रणालियां वेब आधारित हैं तथा इनके द्वारा सभी स्थानों जैसे कारपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, परियोजनाओं, विद्युत केंद्रो से इंटरनेट के माध्यम से एसेस किया जा रहा है। सभी स्थानों पर साफ्टवेयर अनुप्रयोगों की निर्बाध एसेस के लिए ड्यूल इंटरनेट लीज लाइने मौजूद हैं। इसके साथ ही भुगतानों

श्री एच.एल. अरोड़ा, निदेशक (तकनीकी) एवं टीएचडीसीआईएल के अन्य अधिकारीगण, श्री अनिरूद्ध कुमार, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), भारत सरकार के साथ टिहरी एचपीपी के दौरे पर

में पारदर्शिता के लिए विक्रेताओं/ठेकेदारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों की स्थिति का पता लगाने के लिए हमने वेब आधारित बिल ट्रेकिंग प्रणाली भी कार्यान्वित की है। अपनी शिकायतों को दर्ज करने और शिकायतों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जनता के लिए शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित की गई है।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित मूल्य वर्धन हासिल किए गए :

1) ओपन सोर्स टेक्नोलाजी में नई वेबसाइट विकसित की गई हैं और इसे एनआईसी, नई दिल्ली में क्लाउड एनवायर्नमेंट में डिप्लाय किया गया है। इसमें बहुत सी उन्नत सुविधाएं हैं जैसे डायनेमिक लुक, विद्युत स्टेशनों की निष्पादन रिपोर्ट, परियोजनावार स्थिति रिपोर्ट, परियोजनाओं की सफलता की कहानियां, सीएसआर पोर्टल आदि।

2) एफएमएस एप्लीकेशन साफ्टवेयर को भारतीय लेखाकरण मानक (इंडएएस) के अनुरूप बनाया गया।

3) सभी एपलीकेशन साफ्टवेयरों के डेटाबेस को ओरेकल के नवीनतम संस्करण में ले जाना।

4) ''ई 8 और इससे ऊपर के कार्यपालकों की तिमाही सतर्कता क्लियरेंस रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए एप्लीकेशन साफ्टवेयर का विकास।

5) ई 7 स्तर के कार्यपालकों के लिए ऑनलाइन पीएमएस का कार्यान्वयन।

6) ई 8 और ई 9 स्तर के कार्यपालकों के लिए ऑनलाइन पीएमएस का विकास और कार्यान्वयन

7) 'गेट 2018' के माध्यम से अभियंता प्रशिक्षुओं की ऑनलाइन भर्ती के एप्लीकेशन और कार्यान्वयन का विकास।

लगातार कार्यकुशलता तथा पत्र, नोट और फाइलों पर व्यक्ति/अनुभाग/विभाग स्तर पर कार्रवाई को कारगर बनाने में सुधार के लिए धीरे धीरे कागज रहित कार्यालय की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, टीएचडीसीआईएल में **ई–आफिस (एनआईसी द्वारा विकसित)** विभाग को कार्यान्वित करने की कार्रवाई चल रही है। इससे लगने वाले अनावश्यक समय/कार्रवाई करने में होने वाले विलंब में कमी आएगी तथा पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित होगी।

टीएचडीसी ने कारपोरेट कार्यालय ऋषिकेश में दिसंबर, 2015 से साइबर सुरक्षा नीति कार्यान्वित कर दी है। कंपनी ने सफलतापूर्वक कागज की खपत कम कर दी है तथा डाटा का मानकीकरण प्राप्त कर लिया है एवं सुव्यवस्थित तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ बड़ी सीमा तक सूचना की परिशुद्धता प्राप्त कर ली है। साइबर सुरक्षा कायम रखने के लिए सभी सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और आईटी अवसंरचनाओं की लेखा परीक्षा सूचीबद्ध सुरक्षा लेखा परीक्षकों सीईआरटी–इन द्वारा नियमित रूप से की जाती है तथा साइबर सुरक्षा के बारे में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशालायें आयोजित की जाती हैं। भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार ई–प्रापण (इलेक्ट्रानिक टेंडर) प्रणाली को भी सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

पुरस्कार एवं प्रशस्ति

आपकी कंपनी के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन की भारत सरकार एवं अन्य प्रतिष्ठित संगठनों तथा संस्थानों द्वारा समय–समय पर विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न पुरस्कारों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है एवं सराहना की गई है।

आपकी कंपनी को विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2016–17 के लिए इसके कार्य निष्पादन को ''बहुत अच्छा'' रेटिंग दी गई है। टीएचडीसी का प्रयास चहुंमुखी वृद्धि का है जो कि पूर्व में प्राप्त हुए पुरस्कार एवं उपलब्धियों की सूची से प्रतिबिम्बित होता है। हाल ही में, कंपनी को 21.07.2018 को देहरादून में उत्कृष्ट एचआर अवार्ड 2018 प्रदान किया गया है। श्री विजय गोयल, निदेशक (कार्मिक) ने निगम की ओर से यह पुरस्कार उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री हरक सिंह रावत से प्राप्त किया।

मानव संसाधन विकास

जैसा कि विश्व और अधिक प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है और यहां संसाधनों की भी कमी हो रही है, ऐसी स्थिति में संगठन की आंतरिक शक्ति ही इसे सफलता दिलवाएगी। प्रमुख रणनीतिक निर्णयों के सुचारू कार्यान्वयन में मानव पूंजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसलिए इसे ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण (केएसए मॉडल) से समृद्ध करने की जरूरत है। हमारी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि प्रशिक्षण और विकासात्मक गतिविधियों के जरिए क्षमता निर्माण अस्तित्व और विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। संगठनात्मक उत्कृष्टता तभी प्राप्त की जा सकती है जब मानव संसाधन स्वचालित हो तथा ऐसे माहौल में काम करें जो शिक्षण और साझेदारी की संस्कृति को प्रोत्साहित करे।

31.03.2018 को आपकी कंपनी की मानव पूंजी 1922 है जिसमें 822 कार्यपालक, 115 पर्यवेक्षक और 985 कामगार हैं। कंपनी को अपने उच्च प्रेरित और सक्षम मानव संसाधन पर गर्व है। मानव संसाधन विकास की अभिदृष्टि **व्यावसायिकता और उत्कृष्टता प्राप्त करने के माध्यम से विकास की कार्य संस्कृति का सृजन करना है।**

रणनीतिक मानव संसाधन विकास हस्तक्षेपों के माध्यम से कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को अद्यतन बनाने और स्तर बढ़ाने के हमारे प्रयास में वर्ष 2017–18 के दौरान कुल 49 इनहाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए गए, इसके अतिरिक्त, 4000 प्रशिक्षण मानव दिवस के लक्ष्य की तुलना में बाहरी तौर पर फ्लोट किए गए कुल 6380 प्रशिक्षण मानव दिवस के लिए नामांकन किए गए जो लक्ष्य से 57% अधिक है।

श्री विजय गोयल, निदेशक (कार्मिक), टीएचडीसीआईएल माननीय केबिनेट मंत्री, उत्तराखंड सरकार, डॉ. हरक सिंह रावत से "एच आर एक्सीड अवार्ड" प्राप्त करते हुए

यह रिकार्ड पर रखना समीचीन होगा कि आईआईटी, आईआईएम, आईसीएआई आदि जैसे उत्कृष्ट केंद्रों में कम से कम एक सप्ताह के प्रशिक्षण में भाग लेने के माध्यम से प्रतिभा प्रबंधन और करियर प्रगति के संबंध में एचआरएम टेम्प्लेट से संबंधित एमओयू लक्ष्य (2017–18) उत्कृष्ट रेटिंग के अंतर्गत पूरा कर लिया गया है। जिसके अंतर्गत विभिन्न उत्कृष्ट केंद्रों में 82 कार्यपालकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

- मेंटरिंग और कोचिंग
- साइबर सुरक्षा
- कंपन विश्लेषण एवं मॉनीटरिंग
- प्रमाणित प्रशिक्षकों के लिए उन्नत पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
- सीएसआर, सततता और टीएचडीसीआईएल संचार रणनीति
- वित्तीय धोखाधड़ी
- 13 सप्ताह का ओएंडएम प्रशिक्षण
- अधिवर्षिता योजना
- अनुशासन प्रबंधन और संविदा श्रम प्रबंधन कार्यक्रम
- ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और इलेक्ट्रानिक टोटल स्टेशन (ईटीएस) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

इसके अतिरिक्त, भारत और विदेशों के अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईएम, आईआईटी, आईसीए, एएससीआई आदि में तकनीकी/प्रबंधन कार्यक्रमों के बाहरी फलोटेड नामांकनों के लिए अधिकारियों का नामांकन किया गया है। आपकी कंपनी को

प्रतिभा प्रबंधन और करियर प्रगति से संबंधित एचआरएम टेम्प्लेट से संबंधित एमओयू (2017–18) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त हुई।

बोर्ड के सदस्यों को भारत और विदेशों में एएससीआई, हैदराबाद डीपीई और स्कोप, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए नामित कर उनकी प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा किया गया है।

कर्मचारियों के उत्साहवर्धन, सकारात्मकता और कार्य संस्कृति में सुधार हेतु टीएचडीसीआईएल के विभिन्न स्थानों पर प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अनेक प्रेरक वक्ताओं के माध्यम से विभिन्न प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

आपकी कंपनी ने विभिन्न विषयों से संबधित क्षेत्रों में 47 जेईटी और 10 ईटी भर्ती किए है। नई भर्ती किए जाने वालों के लिए एक सुदृढ़ रोडमैप तैयार किया गया है जिससे वे कंपनी में निर्बाध रूप से शामिल होकर संगठन के उत्पादक कर्मचारी बन सकें।

मैसर्स सीआरआईएसआईएल ने क्षमता निर्माण और संस्थात्मक सुदृढ़ीकरण के संबंध में एक परामर्शी दायित्व कार्यान्वित किया है। इस रिपोर्ट का परिणाम भावी मानव संसाधन विकास हस्तक्षेपों की अभिकल्पना करने और रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के कौशल विकास के साथ–साथ सीएसआर के अंतर्गत कंपनी के प्रचालनीय क्षेत्र के आस–पास के क्षेत्रों के युवाओं के लिए विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों पर भी निवेश कर रही है।

कर्मचारी संबंध और कल्याण

आपकी कंपनी के अनवरत तारांकित निष्पादन के पीछे सौहाद्रपूर्ण कर्मचारी संबंधों का शक्तिशाली बल है। आपकी कंपनी में कर्मचारी संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। कर्मचारी और प्रबंधन दोनों ही कंपनी के हित के साथ–साथ इसके हितधारकों के हितों को आगे बढ़ाने में एक दूसरे के प्रयासों में सहयोग देते हैं जिससे कंपनी में सद्भाव और सौहार्दपूर्ण कर्मचारी संबंध समग्र एवं विशिष्ट रूप में प्रदर्शित होते हैं।

वर्ष के दौरान टीएचडीसीआईएल की सभी परियोजनाओं/ केंद्रों/ इकाइयों में कर्मचारी संबंध सौहार्द्रपूर्ण और समरस बने रहे। प्रबंधकों और कामगारों तथा कार्यपालकों के शीर्ष संघ के बीच लगातार विचार–विमर्श होता रहा। वर्ष के दौरान संगठित बैठकें आयोजित की गईं जिनमें कार्य निष्पादन और उत्पादकता

श्री डी.वी. सिंह, अ.प्र.नि., टीएचडीसीआईएल, श्री एच.एल. अरोड़ा, निदेशक (तकनीकी) एवं श्री विजय गोयल, निदेशक (कार्मिक) की उपस्थिति में ऋषिकेश कार्यालय परिसर में "अपना बाजार" भवन का उद्घाटन करते हुए

संबंधी मामलों पर गहन विचार–विमर्श किया गया। कामगारों के प्रतिनिधियों को संयुक्त प्रबंधन परिषद में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई जिसमें प्रबंधन और कामगारों के समान संख्या में प्रतिनिधियों ने सकारात्मक विचार–विमर्श में भाग लिया। टीएचडीसी की क्वालिटी सर्कल टीम ने गुणवत्ता संकल्पनाओं के संबंध में मॉडल प्रस्तुत किए जिनकी प्रशंसा हुई और जिन्हें क्षेत्रीय गुणवत्ता सर्किल मीट में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुए। इस प्रकार इसने सतत सुधार और सामग्री उन्मुख अप्रोच के प्रति उत्साहवर्धक प्रतिबद्धता प्रमाणित की।

आपकी कंपनी कल्याण संबंधी ऐसी नई नीतियां तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही है जिनका उद्देश्य कर्मचारियों के आनंद और कल्याण की मात्रा को बढ़ाना है। आपकी कंपनी ने इस वर्ष के दौरान ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन खेल तथा अंतर–सार्वजनिक उपक्रम खेल आदि अनेक कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की और आईसीपीएसयू के तत्वावधान में आयोजित अनेक खेल कार्यक्रमों में विजेता बनी। संबंधित क्लबों द्वारा कर्मचारियों की तनाव मुक्ति तथा आपसी संबंधों को बेहतर बनाने हेतु अन्य अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वस्थ सामुदायिक जीवन के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित कर दीवाली, होली, दुर्गापूजा, नववर्ष, स्थापना दिवस आदि जैसे विभिन्न त्यौहार सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। विभिन्न यूनिटों में योग दिवस मनाना, अनेक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर कार्यशालाओं का आयोजन, चिकित्सा – जाँच शिविर और रक्त दान शिविर आदि जैसे विशेष आयोजन वर्ष भर किए जाते रहे ।

अ.जा./अ.ज.जा तथा दिव्यांग व्यक्तियों संबंधी पहल

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रुप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने का प्रयास करती रही है। आपकी कंपनी ने अ.जा./अ.ज.जा. कार्मिकों के कल्याण के लिए सरकारी दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है तथा उनकी शिकायतों का पूर्णरूपेण समाधान किया है। आंतरिक पदोन्नति और भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपकी कंपनी ने खुले विज्ञापन द्वारा अ.जा के 11 उम्मीदवारों, अ.ज.जा के 01 उम्मीदवार और विशेष दिव्यांग श्रेणी के 02 उम्मीदवारों की भर्ती की।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के कार्यान्वयन के अनुपालन में निगम ने अपने अधिकांश भवनों पर रैंप बनवाकर सुगम पहुंच प्रदान की है। आपकी कंपनी सुगम भारत अभियान के अंतर्गत निर्धारित दिशा– निदेशों का पालन कर दिव्यांगजनों के लिए निर्बाध माहौल बनाने का हरसंभव प्रयास कर रही है। आपकी कंपनी ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों को नामित किया है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने दिन– प्रतिदिन के कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयास किए हैं। आपकी कंपनी का मत है कि हिंदी भाषा में सहयोग एवं राष्ट्रीय उत्साह सृजन करने की शक्ति है। आपकी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार एवं सफल कार्यान्वयन के लिए अथक प्रयास किए हैं। वर्ष के दौरान परियोजना, यूनिटों एवं कारपोरेट कार्यालय में अनेक हिंदी कार्यशालाएं एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं ताकि सरकारी काम में हिंदी का अधिकतम प्रयोग करने के लिए कर्मचारी प्रोत्साहित हो सकें। सभी कार्यालय आदेश, फार्मेट एवं परिपत्र हिंदी में जारी किए गए। सामग्री, अधिकारिक वेबसाइट पर द्विभाषी रूप में भी दर्शाई जा रही है। महत्वपूर्ण विज्ञापन और गृह पत्रिकाएं द्विभाषी रूप में हिन्दी और अंग्रेजी में जारी की गईं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), हरिद्वार द्वारा कारपोरेट कार्यालय को द्वितीय राजभाषा वैजयंती पुरस्कार प्रदान किया गया।

वर्ष के दौरान राजभाषा अनुभाग द्वारा 21 कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें 496 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कम्प्यूटरों/लैपटॉप में द्विभाषी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हिन्दी सॉफ्टवेयर/फोंट संस्थापित किए गए हैं। कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हिन्दी टंकण/ आशुलिपि प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। अधीनस्थ कार्यालयों/यूनिटों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, हिन्दी पखवाड़ा सहित वर्ष भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेकर हिन्दी को बढ़ावा देने में कर्मचारियों को सक्रिय रूप से भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पुरस्कार स्कीमें भी लागू की गई हैं। इनमें इनहाऊस प्रकाशित की जा रही पत्रिकाओं में लेख देने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना भी शामिल है। वर्ष 2017 के दौरान 'हिन्दी हास्य कवि सम्मेलन' का आयोजन किया गया था। प्रत्येक चार माह के अंतराल पर हिन्दी गृह पत्रिका 'पहल' का प्रकाशन किया जा रहा है।

आपकी कंपनी ने कारपोरेट कार्यालय में सर्वोत्तम पुस्तकालयों में से एक पुस्तकालय तथा कंपनी की विभिन्न संस्थापनाओं में हिन्दी पुस्तकालय स्थापित किए हैं जहाँ कर्मचारियों को लोकप्रिय/साहित्यिक पत्रिकाएं और समाचार पत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं।

आपकी कंपनी नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) हरिद्वार और टिहरी की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी संभाल रही है। वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विभिन्न गतिविधियाँ/कार्यक्रम जैसे छमाही बैठकें आयोजित की गईं। सभी गतिविधियाँ और कार्यक्रम राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की गई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार देश के नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए ठोस कार्रवाई की है।

टीएचडीसीआईएल की अधिकृत वेबसाइट पर ऐसी सूचनाएं होती हैं, जो अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत

गणतंत्र दिवस–2018 समारोह का दृश्य

प्रकाशित की जानी आवश्यक हैं। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी, सूचना प्राप्त करने के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर करने से संबंधित सभी प्रपत्र टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सूचना मांगने वालों से प्राप्त किए गए सभी आवेदन पत्रों का निपटान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मे सन्निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। वर्ष 2017–18 के दौरान देश भर के नागरिकों से कुल 128 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांगी गई थीं और उन्हें समय पर सूचनाएं उपलब्ध करवा दी गई थीं।

वर्ष के दौरान प्रथम अपीलीय अधिकारी को 11 अपीलें प्राप्त हुई, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सभी अपीलों का निपटान कर दिया गया। 06 अपीलें केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) नई दिल्ली में दायर की गईं।

महिला कर्मचारी कल्याण

आपकी कंपनी भारत सरकार के दर्शन के अनुरूप महिला कर्मचारियों को समान विकास का अवसर प्रदान करती है। कंपनी के भिन्न–भिन्न सोपान क्रम स्तरों पर महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। महिला कर्मचारियों के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। आपकी कंपनी ने डब्ल्यूआईपीएस (सार्वजनिक क्षेत्र में महिला) समिति गठित की है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारक, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रकटन

आपकी कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है तथा ऐसी घटनाओं की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारक, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें, यदि कोई हों, पर कार्रवाई करने तथा जाँच करने के लिए शिकायत समितियाँ गठित की गई हैं। अभी तक यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जन संपर्क पहल / कारपोरेट संचार

आपकी कंपनी का रचनात्मक संचार में दृढ़ विश्वास है तथा विभिन्न हितधारियों को संलग्न करने के लिए नवोन्मेषी और विविध साधनों को अपनाती है। वर्ष 2017–18 के दौरान उत्पादक हस्तक्षेपों के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं।

न्यू / सोशल मीडिया : कंपनी ने सक्रिय एवं विविध सोशल मीडिया उपकरण यथा वैरीफाइड फेसबुक पेज, यू ट्यूब चैनल, ट्वीटर हैंडल विकसित किए हैं और इन मीडिया टूल्स को विद्युत मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं भारत सरकार की माय गवर्नमेंट (सिटीजन इनगेजमेंट प्लेटफार्म) के साथ जोड़ा गया है। आपकी कंपनी ने रोचक सूचनाप्रद सामग्री के साथ इलेक्ट्रानिक पत्रिका (टीएचडीसीआईएल संचार चार्टर) तथा

कर्मचारियों के साथ त्वरित गति से वास्तविक संवाद हेतु बल्क संदेश सेवा विकसित की है। आपकी कंपनी ने वायस काल सर्विस जैसी नई पहल की शुरूआत भी की है।

आपकी कंपनी ने भारत सरकार के अनेक वृहद कार्यक्रमों यथा विमुद्रीकरण तथा नकदी रहित लेन–देन हेतु बड़े स्तर पर प्रचार के लिए सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया है। इस कार्य के लिए वृहद जनहित में डिजिटल भुगतान कार्यशालाओं के आयोजन तथा बैनरों के माध्यम से आउट डोर प्रचार किया गया है। आपकी कंपनी ने **सौभाग्य स्कीम** (प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना) के संबंध में जागरूकता लाने के लिए पूरे उत्तराखंड में होर्डिंग (संख्या 500) संस्थापित किए हैं। आपकी कंपनी ने एक मीडिया गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें निगम की उपलब्धियों को मीडिया कार्मिकों के साथ साझा किया गया।

मीडिया कंसल्टेंसी : आपके निगम ने क्षमता निर्माण एवं संस्थानिक सशक्तीकरण(सीबीआईएस) के लिए मैसर्स परफेक्ट रिलेशनस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली को संचार रणनीति के विकास और कार्यान्वयन हेतु परामर्शी सेवाओं के लिए मीडिया सलाहकार के रूप में संलग्न किया है। संविदा का चरण–02, 03.05.2017 से लागू है जिसमें मीडिया कंसल्टेसी फर्म के सहयोग से अनुमोदित संचार रणनीति 18 माह के लिए कार्यान्वयन के अंतर्गत है।

कम्यूनिटी आउटरीच : आपकी कंपनी ने 'टीएचडीसीआईएल–उत्कृष्टता की ओर यात्रा' नामक एक कारपोरेट फिल्म का निर्माण किया है जिसमें निगम की 25 वर्षीय यात्रा के दृश्य दर्शाती है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी लिमि.) के सहयोग से **सबका साथ सबका विकास** विषय पर टीएचडीसीआईएल की एक कारपोरेट वीडियो बनाई गई। आपकी कंपनी ने स्वच्छ भारत अभियान, ऊर्जा संरक्षण पर विद्यालय स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन संबंधी लघु फिल्म/वीडियो भी बनाई हैं।

क्षमता निर्माण पहलें : क्षमता निर्माण और संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण (सीबीआईएस) के अंतर्गत अनेक कार्यशालाएं आयोजित की गईं जैसे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों के साथ– साथ निगम के प्रमुख कार्यपालकों के लिए मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। सीएसआर तथा पीआर कार्मिकों के लिए सीएसआर तथा कम्यूनिटी आउटरिच कार्यशाला आयोजित की गई। फोटोग्राफी में रूचि रखने वाले प्रकार्यात्मक कर्मचारियों की पहचान करने के लिए टिहरी में फोटोग्राफी एवं कम्पोजिशन कार्यशाला आयोजित की गई।

प्रकाशन : कारपोरेट संचार टीम ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन किए :–

- गृह पत्रिका 'गंगावतरणम' के 04 तिमाही अंक
- वर्ष 2017–18 के दौरान विद्युत मंत्रालय और टीएचडीसीआईएल में एमओयू
- टीएचडीसी हाइड्रो–टेक;
- द्विभाषी टीएचडीसी प्रोफाइल और ब्रोशर

सतर्कता गतिविधियाँ

सतर्कता प्रशासन का उद्देश्य प्रबंधकीय कार्यकुशलता और प्रभावकारिता बढ़ाना है। इसका उद्देश्य निष्ठा और शुचिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। सतर्कता से जुड़े कार्य का मुख्य बल निवारक सतर्कता पर होता है। निवारक सतर्कता ऐसे उपाय होते हैं जो उन प्रणालियों/ प्रक्रियाओं में सुधार लाते हैं जिनका उद्देश्य भ्रष्टाचार की गुंजाइश को समाप्त करना तथा प्रबंधन में वृद्धि करना है जिससे इष्टतम परिणाम प्राप्त किए जा सकें। जटिल नियमों/प्रक्रियाओं की पहचान कर उन्हें सरल बनाना, विवेकाधिकारों में कमी लाना, जवाबदेही सुनिश्चित करना, कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना, ईमानदारी की संस्कृति को सुकर बनाना और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देना आदि कुछ ऐसे उपाय हैं। नियमित जाँच/ औचक, निरीक्षक किए गए है और पारदर्शिता लाने के लिए संबंधित विभाग से परामर्श का प्रणालियों को सुप्रवाही बनाया जा रहा है।

निवारक सतर्कता के भाग के रूप में सीटीई टाइप / औचक निरीक्षण किए जाते हैं। जांच और अन्वेषण करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित की गई समय– सूची का पालन किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और शाखा प्रमुख, सीबीआई देहरादून से परामर्श कर वर्ष 2018 के लिए संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की सूची को भी अंतिम रूप दिया गया है।

- **ई–गवर्नेंस** : भ्रष्टाचार को समाप्त करने/ कम करने के अपने प्रयास में सतर्कता विभाग ने ऑनलाइन शिकायत हैंडलिंग प्रणाली, ऑनलाइन संपत्ति विवरणी आदि के माध्यम से सतर्कता प्रशासन में प्रभावी उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी से लाभ लेने का प्रयास किया है। ई– टेंडरिंग, ई–भुगतान, ई–प्रापण, बिल ट्रैकिंग प्रणाली, वेंडर पंजीकरण, संविदा से जुड़े कागजात तथा एवार्ड परिणामों को अपलोड करने जैसे विभिन्न उपायों की शुरूआत कर संगठन में पारदर्शिता और जवाबदेही की

31वाँ स्थापना दिवस समारोह

अवधारणा का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के नियमों और विनियमों को भी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है और उन्हें अद्यतन बनाया जाता है।

- सतर्कता से जुड़े मामलों के संबंध में कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए मानव संसाधन विकास विभाग टीएचडीसीआईएल से परामर्श कर सतर्कता विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करता है।

- **सुव्यवस्थित सुधार** – जाँच/ अन्वेषण के दौरान कुछ मुद्दे जानकारी में आते हैं। इन मुद्दों से बचा जा सकता था, यदि संबंधित कार्यपालक ने अधिक सावधानी से पारदर्शी निर्णय लिया होता। सुव्यवस्थित सुधार के रूप में ऐसे मुद्दे/ मामले सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाते हैं ताकि भविष्य में गलतियाँ न दोहराई जाएं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

- **सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2017** :– टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा 30.10.2017 से 04.11.2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसका विषय 'माई विजन करप्शन फ्री इंडिया' था। इसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने निर्दिष्ट किया था। इस अवसर पर सतर्कता विभाग ने "सीवीसी गाइडलाइंस ऑन् पीआईडीपीआई", 'प्रिवेंटिव विजिलेंस एंड कामन', इंटररेग्यूलेटरीज इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट पर एक बुकलेट का प्रकाशन किया। पोस्टर्स/बैनर्स आन एंटी– करप्शन, सचेतक तंत्र और निष्ठा की शपथ से संबंधित पीडीपीआई दिशानिर्देशों पर भारत सरकार के संकल्प को प्रकाशित कर प्रदर्शित करने के लिए टीएचडीसीआईएल के सभी अधिकारियों में वितरित किया। ऋषिकेश, टिहरी और पीपलकोटी स्थित स्कूलों में निष्ठा क्लब स्थापित किए गए थे और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान निष्ठा क्लब के सदस्यों के बीच विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदारी

वर्ष 2017–18 के दौरान टीएचडीसी ने अपने कुल वार्षिक खरीदारी की 25.64% वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी एमएसई से की है। इसमें उन मदों/ उपस्करों/ सेवाओं के मूल्य शामिल नहीं है जो या तो मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) प्रापाइटरी उपस्कर और/ या एमएसई द्वारा विनिर्मित नहीं किए गए हैं/ उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से की गई खरीदारी का ब्यौरा, जैसा कि सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट करना जरूरी है, इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	आंकड़े (रूपए करोड़ में) वर्ष 2017-18
I	कुल वार्षिक प्रापण (मूल्य में)*	24.84
II	एमएसई (अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाली एमएसई सहित) से प्रापण किए गए सामान एवं सेवाओं का कुल दाम	6.37
III	अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से ही प्रापण किए सामान एवं सेवाओं का कुल दाम	0.02
IV	कुल प्रापण में से (अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	25.64%
V	कुल प्रापण में से अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	0.08%
VII	क्या सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से क्रय की वार्षिक प्रापण योजना अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है।	जी हां

*इसमें सामान एवं सेवाओं का ही प्रापण शामिल है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के समन्वय से विक्रेता विकास हेतु विशेष कार्यक्रम भी संचालित किए गए। सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों (एमएसईएस) के खरीदारी हेतु मदों सहित वार्षिक खरीद योजना को टीएचडीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। टीएचडीसीआईएल की ओर से खरीदारी योजना के कार्यान्वयन और समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय को इससे अवगत कराया गया।

संगत पक्षों के साथ अनुबंध एवं व्यवस्थाएं

वित वर्ष 2017–18 में कंपनी ने अपने किसी संगत पक्ष के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार महत्वपूर्ण लेन–देन नहीं किया।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) और इस अधिनियम की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड(ज) के अनुपालन में और कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) में संदर्भित संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरण का प्रकटन निम्नलिखित है :–

विवरण	ब्यौरा
आर्म्स लेंथ आधार को छोड़कर संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन–देन का ब्यौरा	शून्य
आर्म्स लेंथ आधार पर संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन–देन का ब्यौरा	शून्य

कारपोरेट सुशासन

आपकी कंपनी ने अच्छे कारपोरेट सुशासन संव्यवहार अंगीकार करने का प्रयास किया है। आपकी कंपनी में कारपोरेट सुशासन तंत्र पारदर्शिता और निष्पक्षता, समयबद्ध और संतुलित प्रकटन, वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा, पर्यावरण के प्रति नैतिक और उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णय लेने की बाध्यता, हितधारकों के अधिकार और हितों के संरक्षण पर आधारित है।

भारत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) 2015 और

लोक उपक्रम विभाग के द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कारपोरेट सुशासन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कारपोरेट सुशासन पर एक विस्तृत रिपोर्ट जिसमें लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और अन्य बोर्ड स्तर की समितियों के कार्य एवं दायरा **अनुबंध– I** के अनुसार संलग्न है।

डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालनार्थ प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण–पत्र भी संलग्न है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सततता विकास (एसडी)

आपकी कंपनी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा सामाजिक एवं पर्यावरण सततता के लिए जागरूक है। कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सीएसआर नियमों के अंतर्गत यथा अपेक्षित आपकी कंपनी ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से सीएसआर एवं सततता नीति 2015 प्रारंभ की है। तद्नुसार, पूर्ववर्ती 03 वर्षों के कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर के कार्यान्वयन के लिए आबंटित किया गया है।

सभी सीएसआर परियोजनाओं पर बोर्ड स्तर के नीचे की समिति (बीबीएलसी) द्वारा विचार किया जाता है तथा बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति (बीएलसी) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। सीएसआर परियोजना के कार्यान्वयन से पहले गतिविधियों की प्राथमिकताओं के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण किया जाता है।

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 16.20 करोड़ रू. का व्यय किया गया जो पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत लाभ के 2% से अधिक है।

सीएसआर पर विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक– II** के रूप में दी गई है।

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसरण में प्रबंधन संबंधी विचार–विमर्श और विश्लेषण के बारे में एक विशेष रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के **अनुलग्नक– III** में अलग से दी गई है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रोद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित विवरण **अनुलग्नक–IV** में दिया गया है।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अच्छी कारपोरेट सुशासन पद्धति व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट के भाग के रूप में कंपनी द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन संबंधी मुद्दों पर कंपनी द्वारा की गई पहलों का प्रकटीकरण **अनुलग्नक–V** में दिया गया है।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के अनुसार कंपनी की वार्षिक विवरणी का सार **अनुलग्नक–VI** में दिया गया है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के अनुसरण में निदेशक एतदद्वारा निम्नलिखित पुष्टि करते हैं:

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने तर्कसंगत और विवेक सम्मत हैं कि उनसे वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों तथा इस अवधि में कंपनी के लाभ की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सके।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितता से बचाव करने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन अभिलेखों के पर्याप्त अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू कारोबार के आधार पर तैयार किए हैं।

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से प्रचालनीय है; और

(च) निदेशकों ने कारगर प्रचालन के लिए सभी लागू कानूनों के प्रावधान सहित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थी एवं प्रभावी रूप से प्रचालनरत थी।

अन्य प्रकटीकरण

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। वर्ष के दौरान ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया तथा प्रचालन अथवा डिजाइन में कोई उल्लेखनीय कमजोरी नहीं पाई गई।

कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक अर्थात मैसर्स पी.डी. अग्रवाल एंड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कम्पनी में वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में ठोस एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और धोखाधड़ी को रोकने और इसका पता लगाने के लिए कम्पनी में पर्याप्त नीतियां मौजूद हैं।

ऋणों तथा दी गई गारंटी, किए गए निवेश तथा दी गई प्रतिभूतियों के विवरण

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम 2013 (उपधारा 1 के अतिरिक्त) की धारा 186 जो लिए गए ऋण, दी गई गारंटी अथवा प्रदत्त प्रतिभूतियों से संबंधित है, उन कंपनियों पर लागू नहीं है जो अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं भविष्य के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित आदेश का महत्व एवं वस्तु स्थिति का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान किसी भी विनियामक या न्यायालय या अधिकरण द्वारा कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं प्रचालनों को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण एवं तथ्यपरक आदेश पारित नहीं किया गया है।

लागत रिकार्ड का रख–रखाव

आपकी कम्पनी ने वर्ष 2017–18 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के अधीन यथा–विनिर्दिष्ट लागत रिकार्ड का अनुरक्षण किया है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) में स्वतंत्र निदेशकों के बारे में निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं तथा प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से धारा 149(7) के अंतर्गत आवश्यक घोषणा प्राप्त हो गई है।

निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी अलग बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–IV के अंतर्गत उन्हें सौंपे गए कार्य की समीक्षा की। इसमें बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन भी शामिल है।

लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सांविधिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी, सरकारी कंपनी होने के नाते इसमें सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सी एंड एजी के दिनांक 20.07.2017 के पत्र क्रमांक सीएवी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, टिहरी(1)/158 के द्वारा मैसर्स पीडी अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, 364 ए, गोविंदपुरी, हरिद्वार – 249403 को कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

कथित अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत यथापेक्षित सांविधिक लेखापरीक्षक को देय पारिश्रमिक का भुगतान नियत करने के लिए प्रस्ताव वार्षिक आम सभा की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में बिना शर्त (अनक्वालिफाइड) रिपोर्ट दी है इसलिए कंपनी की टिप्पणियां भी 'शून्य' हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुपूरक के रुप में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां वित्तीय विवरणों सहित संलग्न है।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) ने वार्षिक लेखाओं के संबंध में शून्य टिप्पणियां दी हैं, तदनुसार प्रबंधन का उत्तर 'शून्य' है।

लागत लेखा परीक्षक एवं लागत लेखा परीक्षक रिपोर्ट

कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अधीन टिहरी यूनिट, कोटेश्वर यूनिट एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लागत लेखा रिकार्ड की लेखा

परीक्षा के लिए 50000 रू. प्रत्येक के पारिश्रमिक पर क्रमशः मैसर्स एस.सी. मोहन्ती एवं एसोशिएट, लागत एवं प्रबंधन लेखा कार, नई दिल्ली , मैसर्स के.जी. गोयल एसोशिएट, लागत एवं प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली एवं मैसर्स के.बी. सक्सेना एवं एसोशिएट, लागत एवं प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली को लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। उपरोक्त नियुक्त किए गए लागत लेखा परीक्षकों में से मैसर्स एस.सी. मोहन्ती एवं एसोशिएट, लागत एवं प्रबंधन लेखाकार मुख्य लागत लेखा परीक्षक हैं।

लागत लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अपनी रिपोर्ट में कोई संदेह या शर्त नहीं लगाई है।

सचिवालयी लेखापरीक्षा

वर्ष 2016–17 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुपालन में मैसर्स पीएसआर मूर्ति, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव ने की है। कंपनी ने सभी सचिवालयी प्रावधानों का अनुसरण किया है और चूक के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है। सचिवालयी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट **अनुलग्नक–VII** के रुप में संलग्न है।

डिबेंचर ट्रस्टी

आपकी कम्पनी द्वारा जारी किए गए कारपोरेट बांड के लिए नियुक्त किए गए डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

ट्रस्टी का नाम और पता
विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व आईएल एवं एफएस ट्रस्ट कम्पनी लिमिटेड) दी आईएलएवंएफएस वित्तीय केन्द्र, प्लॉट–सी–22, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बान्द्रा पूर्व मुम्बई –400051

आभार

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, राज्य सरकारों और उनके मंत्रालयों, विभागों/बोर्ड, बैंकरों, वित्तीय संस्थानों, ऋणदाताओं और निवेशकों से प्राप्त सतत सहयोग और समर्थन हेतु उनका हृदय से आभार व्यक्त करता है। बोर्ड अपने बहुमूल्य ग्राहकों, प्रादेशिक विद्युत बोर्डों तथा डिस्काम्स एवं हमारे परामर्शी कार्यों के अन्य मूल्यवान ग्राहकों की विशेष सराहना करता है।

आपके निदेशकगण सभी हितधारकों, व्यापारिक भागीदारों एवं टीएचडीसी के सभी सदस्यों को बोर्ड में उसके विश्वास, निष्ठा एवं भरोसा रखने के लिए धन्यवाद करते हैं।

आपके निदेशक गण, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से प्राप्त रचनात्मक सुझावों के लिए उनका आभार व्यक्त करते है और उनके द्वारा दिए गए निरंतर सहयोग व सहायता के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशक टीएचडीसीआईएल के सभी स्तरों के कर्मचारियों की उनके समर्पित प्रयासों व उत्साह के प्रति सराहना करते हैं जिन्होंने कंपनी को निरंतर आगे बढ़ाना जारी रखा तथा इसका विस्तार किया जाना सुनिश्चित किया है ।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

(डी.वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03107819

दिनांकः 28.09.2018
स्थानः नई दिल्ली

कारपोरेट सुशासन की रिपोर्ट

कारपोरेट सुशासन की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

कारपोरेट सुशासन कंपनी के विभिन्न हितधारकों के सर्वोत्तम हित में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के बारे में है। कम्पनी का मानना है कि कारपोरेट सुशासन कम्पनी के वास्तविक स्वामी के रूप में पणधारियों का अहस्तांतरणीय अधिकार है।

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कारपोरेट सुशासन पर कंपनी की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है। कंपनी, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। हमारी कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी कारपोरेट शासन मापदण्डों द्वारा कारपोरेट सुशासन के क्षेत्र में लाए गए परिवर्तनों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सेबी (एलओडीआर) विनियामक, 2015 के प्रावधानों का पालन करने के अतिरिक्त हम लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा कारपोरेट सुशासन पर जारी दिशानिर्देशों का भी पालन करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 एवं लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत अपेक्षित कारपोरेट सुशासन की अच्छी पद्धतियों को लागू करने के लिए कंपनी प्रयासरत एवं आकांशी है। कंपनी लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सभी कारपोरेट सुशासन दिशा–निर्देशों का अनुपालन कर रही है। कारपोरेट सुशासन से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए डीपीई द्वारा कंपनी को वर्ष 2016–17 के लिए 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान की गई है। डीपीई को प्रस्तुत की गई ग्रेडिंग रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2017–18 के लिए भी कंपनी इसी रेटिंग को प्राप्त करने की आशा रखती है।

कारपोरेट सुशासन के संबंध में कंपनी की विचारधारा का संक्षिप्त विवरण

हमारी कारपोरेट संरचना, व्यापार एवं प्रकटन पद्धतियां हमारी कारपोरेट सुशासन विचारधारा से जुड़ी हैं। कम्पनी के कारपोरेट सुशासन सिद्धांत सभी संगत एवं लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं और उनका पालन किया जाता है। हमारा मत है कि बेहतर कारपोरेट सुशासन हितधारकों के विश्वास को बढ़ाने एवं बनाए रखने के लिए ठोस कारपोरेट सुशासन महत्वपूर्ण है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं कि हम अपने व्यवसायिक लक्ष्य निष्ठा से प्राप्त करें। हमारी कम्पनी की कारपोरेट सुशासन नीति का मूलभूत प्रयोजन पणधारियों एवं अन्य भागीदारों के लिए विवेक एवं अभिज्ञता की कारपोरेट संस्कृति को जारी रखना है।

आपकी कंपनी में कारपोरेट सुशासन तंत्र निम्नलिखित मापदंडों पर आधारित है:

- पारदर्शिता और निष्पक्षता
- समय से और संतुलित प्रकटन
- मूल्यवर्धन में बोर्ड की भूमिका तथा जिम्मेदारियां
- वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा
- नीतिपरक तथा उत्तरदायी निर्णय लेने को बढ़ावा देना
- पर्यावरण के प्रति दायित्व
- हितधारकों के अधिकार और हित
- अनुपालन

निदेशक मंडल को कम्पनी प्रबंधन, इसके मामलों और कम्पनी के निदेशन एवं निष्पादन का सम्पूर्ण दायित्व सौंपा गया है। निदेशक मंडल, कम्पनी अधिनियम, 2013, एओए, डीपीई और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों जो कम्पनी पर लागू हों, के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य करता है। टीएचडीसीआईएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) शामिल होते हैं। निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रदत्त शक्तियां इस धारणा, इरादे एवं प्रयोजन के साथ पुनः विभिन्न कार्यपालकों को उप–प्रत्यायोजित की गई हैं कि इससे निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का निर्धारित नीतिगत ढ़ांचे में निर्बाध, शीघ्र एवं दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन हो सके। टीएचडीसीआईएल ने सामान एवं सेवाओं की खरीद के लिए मानक नीति एवं प्रक्रियाओं को भी तैयार कर लागू किया है जिससे प्रक्रिया–विधि को अधिक व्यवस्थित,

पारदर्शी तथा आसान बनाकर उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी के साथ शीघ्र और विकेंद्रित रूप से निर्णय लिया जा सके।

रणनीतिक योजना, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय योजनाएं और बजट, आंतरिक नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग की निष्ठा, कंपनी के प्रचालनों के विभिन्न पहलुओं संबंधी पारदर्शिता और पूर्व प्रकटन पर जोर देने सहित सम्प्रेषण नीति तथा सभी सांविधिक/विनियामक आवश्यकताओं सहित इसका पूर्ण अनुपालन और इनका वित्तीय तथा समग्र अनुपालन संबंधी प्रणालियां न केवल सैद्धान्तिक रूप से बल्कि वास्तविक रूप से भी विद्यमान हैं।

वर्ष 2017–18 के लिए कारपोरेट सुशासन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाओं की शर्तों का अनुपालन निम्नवत है :

2. निदेशक मंडल

2.1 बोर्ड का आकार

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसमें 75 प्रतिशत इक्विटी शेयर होल्डिंग भारत के राष्ट्रपति की है तथा 25 प्रतिशत इक्विटी शेयर होल्डिंग उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की है। कंपनी के कारोबार का अधीक्षण निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति समय–समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या तय करते हैं जो सात से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी।

2.2 बोर्ड की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में निदेशक मंडल में कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक निदेशकों का आदर्श संयोजन है। इसके साथ–साथ यह भी निर्धारित है कि निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक के साथ कार्यपालक और गैर–कार्यपालक के निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए। वर्तमान में निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा स्वंतत्र निदेशक शामिल हैं। टीएचडीसीआईएल निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित चार प्रकार्यात्मक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित एक निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित एक निदेशक तथा तीन स्वंतत्र निदेशक हैं। निदेशक, बोर्ड को व्यापक अनुभव और कौशल प्रदान करते हैं। निदेशकों का संक्षिप्त परिचय वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान टीएचडीसीआईएल के निदेशक मंडल में परिवर्तन

क्र.सं.	निदेशक का नाम	इवेंट	तारीख
1.	श्री एच.एल. अरोड़ा, निदेशक (तकनीकी)	नियुक्ति	22.12.2017
2.	श्री एस.के. बिस्वास, निदेशक (कार्मिक)	कार्यकाल की समाप्ति	31.01.2018
3.	श्री विजय गोयल, निदेशक (कार्मिक)	नियुक्ति	26.03.2018
4.	श्रीमती अंजू भल्ला, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	कार्यकाल की समाप्ति	16.08.2017
5.	श्री राजपाल, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	नियुक्ति	30.08.2017
6.	श्री सुरेश चन्द्र, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित निदेशक	कार्यकाल की समाप्ति	12.12.2017
7.	सुश्री सौम्या अग्रवाल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित निदेशक	नियुक्ति	17.10.2017
8.	श्री सी.पी. त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित निदेशक	कार्यकाल की समाप्ति	19.03.2018
9.	सुश्री सौम्या अग्रवाल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित निदेशक	कार्यकाल की समाप्ति	14.05.2018
10.	श्री श्रीधर पात्रा, पूर्व निदेशक (वित्त)	कार्यकाल की समाप्ति	31.08.2018

2.3 निदेशकों की आयु–सीमा तथा कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि या अधिवर्षिता की आयु पूरी करने, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है।

सरकार द्वारा नामित अंशकालिक निदेशक भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदेन हैसियत से कार्य कर रहे हैं और उस मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग से सेवा समाप्त हो जाने पर वे सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। स्वंतत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है।

2.4 निदेशकों के लिए कार्यपद्धति एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा

नए निदेशक की भर्ती के समय उनके नाम एक अभिवादन पत्र दिया जाता है जिसके साथ निदेशक के रूप में निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों एवं दायित्वों का ब्यौरा होता है। कंपनी अधिनियम, 2013 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और अन्य लागू विनियमों के अंतर्गत उनसे अपेक्षित अनुपालनों के अलावा, कंपनी के निदेशकों और प्रबंधन से संगत सूचनाएं (प्रकटन) ली जाती हैं।

कंपनी ने अपने निदेशकों के लिए एक प्रशिक्षण नीति तैयार की है जिसका लक्ष्य नेतृत्व गुणों को प्रखर बनाना तथा निदेशकों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और अनुभवों को साझा करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करना है जो क्रमिक रूप से नए निदेशकों को, कंपनी, इसके संचालन, कंपनी के विभिन्न प्रभागों और उनकी भूमिका व जिम्मेदारियों शासन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं तथा कंपनी से संबंधित अन्य संगत और महत्वपूर्ण सूचनाओं से परिचित करता है।

2.5 बोर्ड की बैठकें तथा उपस्थिति

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान बोर्ड की सात बैठकें हुई थी। बैठकों की तिथि, बोर्ड के सदस्यों की संख्या और उपस्थिति निदेशकों की संख्या का विवरण तालिका–1 में दिया गया है:

तालिका 1 : वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों के विवरण

क्र.सं.	बोर्ड की बैठकों की तिथि	बोर्ड के सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	15 जून, 2017	9	7
2.	30 अगस्त, 2017	9	6
3.	20 सितम्बर, 2017	8	7
4.	13 नवम्बर, 2017	9	7
5.	02 जनवरी, 2018	10	8
6.	29 जनवरी, 2018	10	8
7.	26 मार्च, 2018	9	6

वर्ष 2017–18 के दौरान निदेशकों की श्रेणियों, बोर्ड की ऐसी बैठकों की संख्या जिनमें निदेशक उपस्थित थे, पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति, अन्य निदेशक पद/समिति की सदस्यता की संख्या से संबंधित ब्यौरा **तालिका–2** में दिया गया है:

तालिका 2 : निदेशकों की श्रेणियां तथा उनके द्वारा धारित निदेशक पद तथा समिति में धारित पद संबंधी विवरण

क्र. सं.	निदेशक गण	कार्यालय के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	पिछली बैठक में उपस्थिति	अन्य धारित निदेशक पद	अन्य पद	
						अध्यक्ष	सदस्य
प्रकार्यात्मक निदेशक							
1.	श्री डी.वी. सिंह (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार (22.12.2017 तक)	7	7	उपस्थित	-	-	1
2.	श्री एस.के. बिस्वास निदेशक (कार्मिक) (31.01.2018 तक)	6	6	उपस्थित	-	-	-
3.	श्री श्रीधर पात्रा निदेशक (वित्त) (31.08.2018 तक)	7	7	उपस्थित	-	-	-
4.	श्री एच.एल. अरोड़ा निदेशक (तकनीकी) (22.12.2017 से)	3	3	वार्षिक आम सभा के दौरान निदेशक नहीं	-	-	-
5.	श्री विजय गोयल निदेशक (कार्मिक) (26.03.2018 से)	शून्य	शून्य	वार्षिक आम सभा के दौरान निदेशक नहीं	-	-	-
सरकार द्वारा नामित निदेशक							
6.	श्री राजपाल (30.08.2017 से)	6	6	उपस्थित	2	-	-
7.	श्रीमती अंजू भल्ला, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय (01.07.2015 से 16.08.2017 तक)	1	1	वार्षिक आम सभा के दौरान निदेशक नहीं	1	-	-
8.	श्री सुरेश चन्द्र (28.09.2016 से 12.12.2017 तक)	4	शून्य	भाग नहीं लिया	2	-	-
9.	सुश्री सौम्या अग्रवाल, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उत्तर प्रदेश सरकार (17.10.2017 से 14.05.2018 तक)	4	शून्य	भाग नहीं लिया	-	-	-
10.	श्री चंद्र प्रकाश त्रिपाठी (12.12.2017 से 19.03.2018 तक)	2	शून्य	उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती के रूप में	-	-	-
स्वतंत्र निदेशक							
11.	श्री बची सिंह रावत	7	7	उपस्थित	-	-	-
12.	श्री मोहन सिंह रावत	7	5	उपस्थित	-	-	-
13.	प्रो. महाराज के. पंडित	7	7	उपस्थित	-	-	1

2.6 निदेशकों का पारिश्रमिक एवं प्रकटन

आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी कंपनी है, अतः निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक के सबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसलिए बोर्ड पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक के बारे में निर्णय नहीं लेता है। सरकार द्वारा पदेन हैसियत में नामित अंशकालिक निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। स्वंतत्र निदेशकों को बोर्ड तथा समिति की बैठकों मे भाग लेने के लिए 20,000 रू. प्रति सीटिंग की दर से शुल्क का भुगतान किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 4 के अनुसार बोर्ड द्वारा बैठक शुल्क नियत किया जाता है।

वर्ष 2017–18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के लिए किए जाने वाले भुगतान का ब्यौरा **तालिका 3** में दिया गया है:

तालिका 3: स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के रूप में किए गए भुगतान के ब्यौरे

स्वतंत्र निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क (रू. में)				कुल (रू. में)
	बोर्ड की बैठक और वार्षिक आम बैठक	लेखा परीक्षा समिति की बैठक	पारिश्रमिक समिति की बैठक	सीएसआर एवं सततता विकास समिति	
श्री बची सिंह रावत	1,40,000	1,00,000	20,000	40,000	3,00,000
श्री मोहन सिंह रावत	1,00,000	60,000	शून्य	40,000	2,00,000
प्रो. महाराज के. पंडित	1,40,000	1,00,000	20,000	शून्य	2,60,000

तालिका 4: पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव का पारिश्रमिक

वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी के पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशकों एवं कंपनी सचिव को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(राशि रूपए में)

स्वतंत्र निदेशकों के नाम	पदनाम	वेतन और भत्ते	बोनस/ कमीशन	निष्पादन से संबंधित वेतन (पीआरपी)	सकल योग
श्री डी.वी. सिंह	अध्य एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार	3165260	-	933935	**4099195**
श्री एस.के. बिस्वास	पूर्व–निदेशक (कार्मिक)	3627835	-	891892	**4519727**
श्री विजय गोयल	निदेशक (कार्मिक)	3740199	-	300959	**4041158**
श्री एच.एल. अरोड़ा	निदेशक (तकनीकी)	3686074	-	307902	**3993976**
श्री श्रीधर पात्रा (31.08.2018 तक)	निदेशक (वित्त)	2755922	-	874620	**3630542**
सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	1000768	-	50749	**1051517**

2.7 केएमपी (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(1) तथा कंपनी (प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 8 के अनुसार निर्धारित श्रेणी या श्रेणियों की प्रत्येक कंपनी को पूर्णकालिक प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) रखना होगा।

टीएचडीसीआईएल ने वर्ष 2017–18 में निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नामोनिर्दिष्ट किए हैं।

1. श्री डी.वी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री श्रीधर पात्रा, प्रमुख वित्त अधिकारी
3. सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव

2.8 बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया–विधियां:

i) निर्णय लेने की प्रक्रिया : कंपनी ने दिशा–निर्देशों का सेट निर्धारित किया है तथा निदेशक मंडल की बैठकों के लिए सचिवालय मानकों का अनुसरण करती है ताकि सभी कारपोरेट मामलों को पेशेवर तरीके से किया जा सके। इन दिशा–निर्देशों में बोर्ड की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को संसूचित तथा कार्यकुशल तरीके से प्रणालीबद्ध बनाने की अपेक्षा की जाती है।

ii) बोर्ड की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण तथा चयन:

- बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपयुक्त रूप से नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती है। कार्यसूची की विस्तृत टिप्पणियां, प्रबंधन रिपोर्टें तथा अन्य स्पष्टकारी विवरण आमतौर पर सदस्यों के मध्य पर्याप्त समय देते हुए सामान्यतः 07 दिन पूर्व परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, संसूचित और केन्द्रित निर्णयों को लिया जा सकें।
- अति आवश्यक मामलों में बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होने पर अल्पावधि नोटिस पर बैठकें बुलाई जाती है या परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- जब कार्यसूची के साथ अधिक मात्रा में दस्तावेजों का संलग्न करना व्यावहारिक न हो तो ऐसे कागजात बैठक के दौरान पटल पर रखे जाते है।
- संबंधित प्रकार्यात्मक निदेशक और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कार्यसूची से संबंधित कागजात परिचालित किए जाते हैं।
- कार्यसूची के मामलों के संबंध में बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुतीकरण दिए जाते हैं ताकि सदस्यगण पर्याप्त जानकारी और सूचना सहित निर्णय ले सकें।

बोर्ड के सदस्यों के पास कंपनी की सभी जानकारियां होती हैं। बोर्ड कार्यसूची में ऐसा कोई भी मुद्दा शामिल करने की सिफारिश कर सकता है जिसे वह महत्वपूर्ण समझता है। बोर्ड द्वारा विचार की जाने वाली मदों के संबंध में जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है वरिष्ठ प्रबंधन से जुडे कार्मिकों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बुलाया जाता है।

iii) बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना:

प्रत्येक बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त के मसौदे को बैठक के बाद पन्द्रह दिन के भीतर सभी सदस्यों को उनकी अभ्युक्तियों हेतु परिचालित किया जाता है। निदेशक कार्यवृत्त के मसौदे पर इसके परिचालन की तारीख से सात दिन के भीतर अपनी अभ्युक्तियां देते हैं। निदेशकों से प्राप्त सभी अभ्युक्तियों की तुलनात्मक शीट अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/संबंधित समिति के अध्यक्ष को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक बोर्ड/समिति की कार्यवाही का अनुमोदित कार्यवृत्त, कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत अभिलिखित किया जाता है।

iv) अनुवर्ती तंत्र:

बोर्ड द्वारा जारी निदेशों को नियमित रूप से संबंधित विभागों को संप्रेषित किया जाता है एवं बोर्ड के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है जिससे अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावी रिपोर्टिंग तथा निर्णयों की समीक्षा करने में सहायता में मिलती है।

v) अनुपालन:

हमारा प्रयास है कि विधि, नियम एवं दिशा–निर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कंपनी अधिनियम, 2013 (जिस सीमा तक ये लागू हैं), सेबी विनियमन एवं दिशा–निर्देश, विभिन्न कानूनों के तहत सूचीबद्ध करार एवं सांविधिक अपेक्षाओं के सभी लागू प्रावधानों का कंपनी अनुपालन सुनिश्चित करती है। निदेशक मंडल समय–समय पर उसके समक्ष प्रस्तुत विधायी अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

vi) निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाने वाली सूचनाएं

- वार्षिक परिचालन योजना, बजट और संगत अद्यतन जानकारी।
- पूंजीगत बजट तथा संगत अद्यतन जानकारी।
- कंपनी के तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम।

- लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की अन्य समितियों की बैठक के कार्यवृत्त।
- बड़े निवेश, सहायक कंपनियों का निर्माण, संयुक्त उपक्रम और रणनीतिक गठजोड़।
- खरीदारी/कार्य/नामांकन आधार पर अवार्ड किए गए ठेकों से संबंध में तिमाही सूचना।
- परियोजना की प्रगति रिपोर्ट की स्थिति।
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट।
- निदेशकों की उनके निदेशक पद के बारे में रूचि का प्रकटीकरण।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश के प्रस्ताव या बड़े ठेके अवार्ड करना।
- मध्यस्थता मामलों की स्थिति। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन एवं उसके कारणों सहित पद्धतियां।
- लागू कानूनों की अपेक्षाओं के अनुसार बोर्ड की सूचना या अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

3. निदेशक मंडल की समितियां :

वर्तमान में कंपनी में बोर्ड की निम्नलिखित तीन उप–समितियां हैं:

i) लेखापरीक्षा समिति

ii) पारिश्रमिक समिति

iii) सीएसआर तथा सततता संबंधी समिति

कंपनी सचिव, बोर्ड की उप–समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति गठित की है। लेखापरीक्षा समिति की संरचना, गणपूर्ति (कोरम), विस्तार क्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कारपोरेट सुशासन के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप होता हैं। लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां तथा विचारार्थ विषय कारपोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के क्रम में।

3.1.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में सदस्य के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे। लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे तथा लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है:

दिनांक 31.03.2018 तक की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संरचना **तालिका 5** में दी गई है:

तालिका 5: लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1.	श्री बची सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
2.	श्री मोहन सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
3.	प्रो. महाराज कृष्ण पंडित	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
4.	एच.एल. अरोड़ा (29.01.2018 से)	निदेशक (तकनीकी)–सदस्य
5.	श्री एस.के. बिस्वास (02.01.2017 से 28.01.2018 तक)	निदेशक (कार्मिक)–सदस्य

निदेशक (वित्त) और मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी विशेष स्थायी विशिष्ट आमंत्रिती हैं।

3.1.2 लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा इसकी वित्तीय सूचनाओं के प्रकटन का निरीक्षण करना ताकि वित्तीय विवरणों को सही, पर्याप्त और विश्वसनीय होना सुनिश्चित किया जा सके।
- कंपनी के लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक तथा नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना।

- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।
- बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और इस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में प्रबंधन वर्ग के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना:
  - लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में होने वाले परिवर्तन, यदि कोई हों, तथा उसके कारण;
  - प्रबंधन द्वारा निर्णय की कवायद पर आधारित मुख्य लेखाकरण प्रविष्टियां जिनमें अनुमान भी शामिल हैं;
  - लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण समायोजनों को वित्तीय विवरणों में शामिल करना;
  - वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;
  - किसी भी संबद्ध पार्टी के लेन–देन का प्रकटन; तथा
  - ड्राफ्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।
  - बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए तिमाही वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन वर्ग के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना।
  - प्रबंधन के साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों के निष्पादन, आंतरिक लेखा परीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता पर समीक्षा करना।
  - लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता तथा कार्य निष्पादन तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी।
  - कंपनी के सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन–देन पर उत्तरवर्ती संशोधन अथवा अनुमोदन।
  - अन्तर–निगम ऋणों तथा निवेशों की संवीक्षा।
  - कंपनी के दायित्व एवं सम्पत्तियों का, जहां आवश्यक हो, मूल्यांकन।
  - आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
  - आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा/अथवा लेखापरीक्षकों के साथ किसी भी उल्लेखनीय निष्कर्ष के बारे में चर्चा करना तथा उस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना।
  - जिन मामलों में जालसाजी का संदेह हो, अनियमितता की गई हो या आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां उल्लेखनीय ढंग से असफल हुई हों, उन मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों द्वारा की गई आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना तथा बोर्ड को उसकी जानकारी देना।
  - भुगतान के मामले में हुई गंभीर चूकों के कारनामे का पता लगाना।
  - सचेतक तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।
  - नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दी गई लेखापरीक्षा टिप्पणी पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
  - कंपनी में होने वाले सभी सम्बद्ध पार्टी लेन–देनों का पूर्व–अनुमोदन व समीक्षा करना।
  - कार्यक्षेत्र व्याप्ति की संपूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी तथा सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा प्रयासों के समन्वय पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना।
  - प्रबंधन तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार तथा समीक्षा करना:
  - कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता।
  - प्रबंधन के प्रत्युत्तर सहित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों के सम्बद्ध निष्कर्ष तथा सिफारिशें।
- प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार तथा समीक्षा करना:
  - पूर्व लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान के महत्वपूर्ण निष्कर्ष।
- कार्यक्षेत्र अथवा अपेक्षित सूचना तक पहुंच में किसी प्रकार के प्रतिबंध सहित लेखापरीक्षा कार्य के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना होना।

लेखा परीक्षा समिति की शक्तियां:

अपनी भूमिका के अनुरूप, लेखापरीक्षा समिति शक्तियों का प्रयोग करेगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- लेखापरीक्षा समिति को यह अधिकार होगा कि वह

ऊपर विनिर्दिष्ट अथवा बोर्ड द्वारा सौंपे गए किसी भी मामले की जांच कर सकेगी तथा इस उद्देश्य के लिए कंपनी के रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर उसकी पूरी पहुंच होगी।

- किसी भी कर्मचारी के बारे में तथा उससे सूचना मांगना।
- यदि आवश्यकता पड़े तो बाहर से कानूनी अथवा अन्य पेशेवर सलाह लेना।
- यदि आवश्यक हो तो, संगत विशेषज्ञता रखने वाले बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति मांग सकते हैं।
- किसी भी मामले पर लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर बोर्ड विचार करेगा।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित सूचना की समीक्षा करेगी:

- प्रबंधन के विचार–विमर्श तथा वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तथा प्रचालनों का परिणाम;
- महत्वपूर्ण सम्बद्ध पार्टी लेन–देन (लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा परिभाषित), प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत विवरण;
- प्रबंधन के पत्र/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण की कमियों से संबंधित पत्र;
- आंतरिक नियंत्रण की कमियों से सम्बद्ध आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;

3.1.3 बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की पांच बैठकें आयोजित की गई। आयोजित बैठक से संबंधित ब्यौरा **तालिका 6** में दिया गया है:

तालिका 6: वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के ब्यौरे

क्र.सं.	लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की तारीख	सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	15 जून, 2017	4	4
2.	30 अगस्त, 2017	4	3
3.	20 सितम्बर, 2017	4	4
4.	13 नवम्बर, 2017	4	4
5.	26 मार्च, 2018	4	3

वर्ष 2017–18 में लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा **तालिका–7** में दिया गया है।

तालिका 7: लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा

क्र.सं.	लेखा परीक्षा समिति के सदयों के नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
1.	श्री बची सिंह रावत	5	5
2.	श्री मोहन सिंह रावत	5	3
3.	प्रो. महाराज के. पंडित	5	5
4.	श्री एस.के. बिस्वास (28.01.2017 से समिति के सदस्य नहीं रहे)	4	4
5.	श्री एच.एल. अरोड़ा (29.01.2018 से लेखा परीक्षा समिति के सदस्य)	1	1

निदेशक (वित्त) और मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के विशेष आमंत्रिती के रूप में लेखा परीक्षा की बैठकों में निरपवाद रूप से भाग लिया।

3.2 पारिश्रमिक समिति

कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों, लिस्टिंग करार और सेबी (लिस्ट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर की आवश्यकता) विनियम, 2015 के अनुसार, निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल तथा कार्यपालकों एवं गैर–यूनियन पर्यवेक्षकों में वितरण संबंधी नीति के बारे में विचार करने तथा निर्णय लेने के लिए पारिश्रमिक समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया गया। पारिश्रमिक समिति में तीन सदस्य शामिल हैं। सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणी **तालिका 8** में दी गई है:

तालिका 8: पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1.	श्री बची सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
2.	प्रो. महाराज के. पंडित	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
3.	श्री राज पाल	सरकार द्वारा नामित निदेशक–सदस्य

निदेशक (कार्मिक) समिति के स्थायी विशिष्ट आमंत्रिती हैं।

3.2.2बैठकें और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान पारिश्रमिक समिति की एक बैठक 02 जनवरी, 2018 को आयोजित की गई। पारिश्रमिक समिति की जिन बैठकों में सदस्यगण शामिल हुए थे, उनका ब्यौरा इस प्रकार है:

तालिका 9: पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी उपस्थिति

क्र.सं.	पारिश्रमिक समिति के सदस्य	सदस्यों की श्रेणी	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठक	भाग ली गई बैठकों की संख्या
1.	श्री बची सिंह रावत	अध्यक्ष	1	1
2.	प्रो. महाराज के. पंडित	सदस्य	1	1
3.	श्री राज पाल	सदस्य	1	1

निदेशक (कार्मिक) ने विशेष आमंत्रिती के रूप में बैठक में भाग लिया।

3.3 सीएसआर तथा सततता समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा सीएसआर तथा सततता नीति– 2015 के अनुसार आपकी कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बोर्ड ने बोर्ड स्तर की सीएसआर तथा सततता समिति का गठन किया है।

3.3.1संरचना

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सीएसआर तथा सततता समिति की संरचना **तालिका 10** में दी गई है:

तालिका 10: सीएसआर तथा सततता समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां:

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1.	श्री मोहन सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
2.	श्री डी.वी. सिंह (28.01.2018 से सदस्य नहीं रहे)	प्रकार्यात्मक निदेशक–सदस्य
3.	श्री बची सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
4.	श्री श्रीधर पात्रा (31.08.2018 तक)	प्रकार्यात्मक निदेशक–सदस्य
5.	श्री एच.एल. अरोड़ा (29.01.2018 तक)	प्रकार्यात्मक निदेशक–सदस्य

कार्यपालक निदेशक (एस एंड ई), नोडल अधिकारी होने के नाते समिति में स्थायी विशिष्ट आमंत्रिती हैं।

3.3.2बैठकें तथा उपस्थिति

वित्त वर्ष 2017–18 में सीएसआर तथा सततता समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं। आयोजित बैठक का ब्यौरा **तालिका 11** में दिया गया है:

तालिका 11: सीएसआर तथा सततता समिति की बैठक तथा उनकी उपस्थिति:

क्र.सं.	सीएसआर तथा सततता समिति की बैठक की तारीख	सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	15 जून, 2017	4	4
2.	14 मार्च, 2018	4	4

तालिका 12: सीएसआर एवं सततता समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा:

क्र.सं.	समिति के सदस्यों के नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री मोहन सिंह रावत	2	2
2.	श्री बची सिंह रावत	2	2
3.	श्री श्रीधर पात्रा	2	2
4.	श्री डी.वी. सिंह (28.01.2018 तक सदस्य)	1	1
5.	श्री एच.एल. अरोड़ा (29.01.2018 से सदस्य)	1	1

सीएसआर तथा सततता समिति के कार्य

बोर्ड स्तर की सीएसआर तथा सततता समिति कंपनी के सीएसआर–एसडी कार्यक्रम/गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग पर नजर रखती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीएसआर तथा सतत परियोजनाओं/गतिविधियों तथा वार्षिक योजना/बजट पर विचार करना।
- आवधिक सीएसआर–एसडी प्रगति रिपोर्ट/स्थिति रिपोर्ट पर विचार करना।
- सीएसआर–एसडी गतिविधियों की मानीटरिंग करना।
- सीएसआर–एसडी परियोजनाओं की प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करना।
- अन्य कोई कार्य जिसे आवश्यक समझा जाए आदि।

4. आम सभा की बैठकें

जिस तारीख, समय तथा स्थान पर पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकें आयोजित की गई थीं, उन्हें **तालिका 13** में दर्शाया गया है।

तालिका 13: पिछली तीन वार्षिक आम सभा के ब्यौरे :

वार्षिक आम सभा	20 सितम्बर, 2017 को आयोजित 29वीं वार्षिक आम सभा	26 सितम्बर, 2016 को आयोजित 28वीं वार्षिक आम सभा	22 सितम्बर, 2015 को आयोजित 27वीं वार्षिक आम सभा
समय	अपराह्न 12.45 बजे	अपराह्न 12.30 बजे	अपराह्न 5.00 बजे
स्थान	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, ईस्ट टावर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, ईस्ट टावर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली
विशेष कार्य व्यवहार	• वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना	• वित्त वर्ष 2016–17 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना • निजी प्लेसमेंट आधार पर प्रतिभूत गैर–परिवर्तनीय गैर–संचयी बॉड जानी करना।	• वित्त वर्ष 2015–16 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना • कारपोरेट बॉड जारी करके रू. 2500 करोड़ का ऋण लेना।

5. प्रकटन

5.1 सतर्कता तंत्र

कंपनी का अलग सतर्कता विभाग है जो टीएचडीसीआईएल के साथ व्यवसाय कर रहे आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाओं, सेवा प्रदाताओं या अन्य पक्षों के कर्मचारियों/प्रतिनिधियों से संबंधित धोखाधड़ी या संदिग्ध मामलों पर कार्रवाई करता है।

कंपनी में अनैतिक/अनुचित आचरण की जानकारी देने और इसकी जांच करने और दुरस्त करने के लिए एक परिभाषित एवं स्थापित सचेतक नीति (सतर्कता तंत्र) है। सचेतक नीति, कंपनी की वेबसाइट www.thdc.co.in पर उपलब्ध है। इस नीति के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

वर्ष 2017–18 के दौरान सचेतक नीति के अधीन कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसके अतिरिक्त किसी भी कर्मचारी को टीएचडीसीआईएल की लेखा परीक्षा समिति के पास जाने से वंचित नहीं किया गया है।

5.2 कारपोरेट सुशासन पर सेबी (दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाओं की लिस्टिंग) विनियम, 2015 एवं डीपीई के दिशानिर्देशः

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कारपोरेट सुशासन पर जारी स्टाक एक्सचेंज एवं दिशानिर्देश के साथ लिस्टिंग करार की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। वर्ष के दौरान कंपनी पर किसी सांवधिक प्राधिकारी द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया या निंदा नहीं की गई।

5.3 लेखाकरण व्यवहार – प्रबंधन के दृष्टिकोण से वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सभी लागू भारतीय लेखाकरण मानकों (इंडएएस) का अनुसरण किया गया।

5.4 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

टीएचडीसीआईएल में इस समय 3 स्वतंत्र निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक 26 मार्च, 2018 को आयोजित हुई जिसमें दो स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

5.5 निवेशकों के लिए सूचना

5.5.1 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के कारपोरेट बांड निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैः

बीएसई लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
पता : फिरोजजीजीभाय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई–400001 **आईएसआईएन** : आईएनई812वी07013	**पता**: एक्सचेंज प्लाजा, प्लाट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051 **आईएसआईएन** : आईएनई812वी07013

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क 31 जुलाई, 2017 से पहले दोनों स्टॉक एक्सचेंजो को भुगतान किया गया है।

5.5.2 रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर ऐजेंट्स

कार्वे कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
कार्वे सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31–32
गाछीबॉउली,
फाइनेंनसियल डिस्ट्रिक्ट जिला, नानाकर्मगुडा,
हैदराबाद–500 032

5.5.3 डिबेंचर ट्रस्टी

विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड
ए–268, प्रथम तल, भीष्म पितामह मार्ग,
नई दिल्ली –110014
मो.नं. +919619105439
ईमेल – sanjay.dodti@vistra.com

5.5.4 निवेशक की शिकायतें

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को किसी निवेशक की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

5.5.5 केंद्रीयकृत वेब आधारित निवारक प्रणाली–स्कोर्स

सेबी की केंद्रीयकृत वेब आधारित शिकायत निवारक प्रणाली अर्थात स्कोर्स कंपनी में प्रयोग में लाई जाती है। स्कोर्स के माध्यम से बांडधारक कंपनी के खिलाफ अपनी शिकायत निवारण के लिए दर्ज करा सकते हैं। दर्ज कराई गई प्रत्येक शिकायत की स्थिति ऑनलाइन भी देखी जा सकती है। यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि शिकायतों का समुचित रूप से निपटान किया गया है तो सेबी द्वारा शिकायतों का निपटारा कर दिया जाता है।

5.5.6 अनुपालन अधिकारी का नाम तथा पदनाम

सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव सूचीकरण अनुबंध के खंड 6 की मद में अनुपालन अधिकारी है।

6. लाभांश का भुगतान :

वर्ष	वित्तीय वर्ष के लिए प्रदत्त लाभांश की कुल राशि (करोड़ में)	वार्षिक आम सभा की तारीख जिसमें लाभांश घोषित किया गया
2015-16	162	26 सितंबर, 2016
2016-17	221	20 सितंबर, 2017
2017-18	256.10	वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किया गया क्योंकि अंतरिक लाभांश 30 सितंबर, 2018 या इससे पूर्व होने वाली वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा जाएगा।

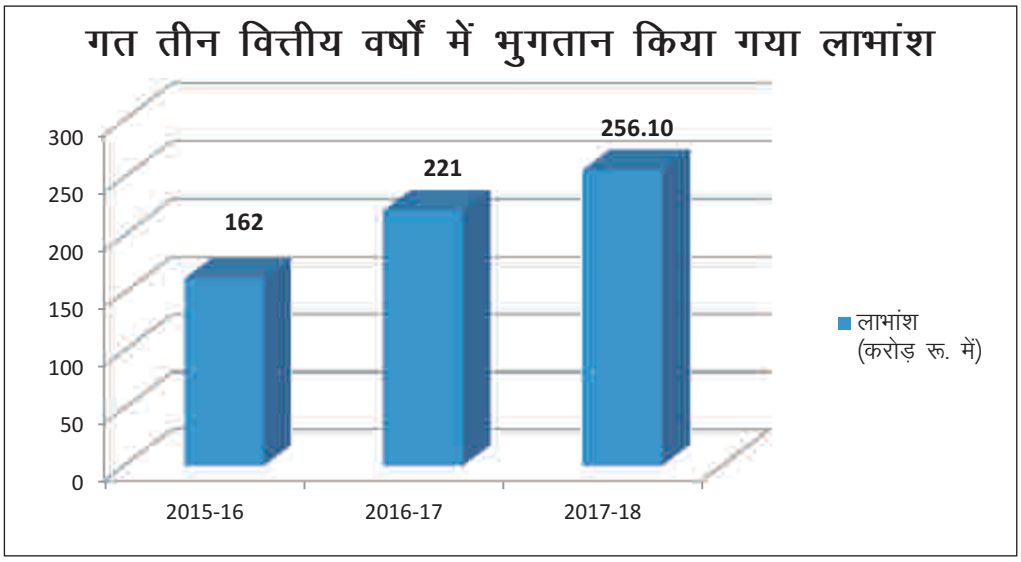

शेयरधारक प्रतिमान :

क्रमांक	श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी का %
1	भारत के राष्ट्रपति	26924917	74.22584
2	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	9349400	25.77415
3	अन्य नाममात्र के शेयरधारक	10	0

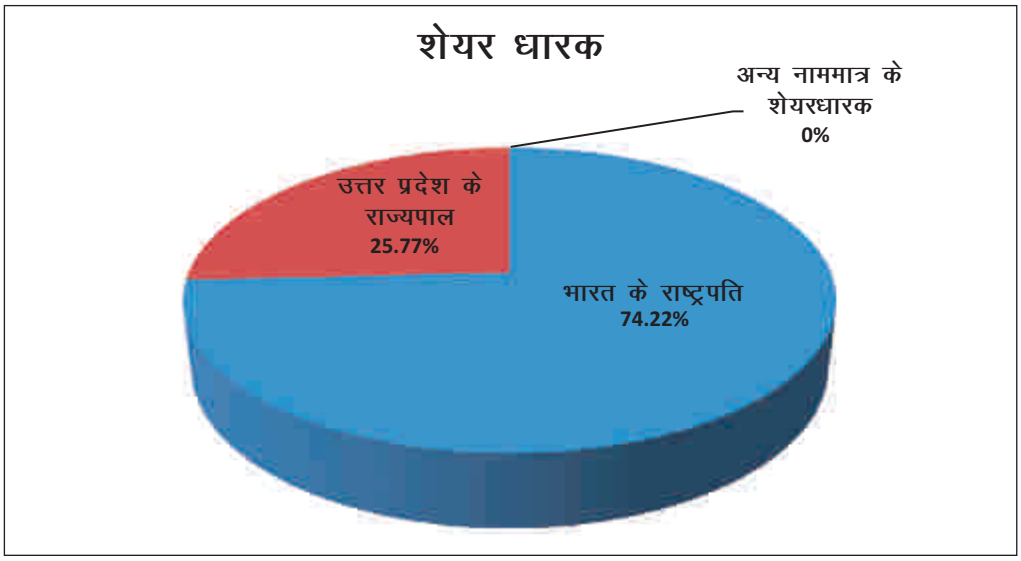

7. सचेतक नीति

कंपनी में निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद जालसाजी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक मूल्यों के उल्लंघन की जानकारी देने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सचेतक नीति है। यह कर्मचारियों को उत्पीड़न से सुरक्षोपाय देता है जो इस तंत्र का लाभ उठाकर अध्यक्ष या लेखा परीक्षा समिति तक भी सीधे शिकायत कर सकते हैं। किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षक समिति से संपर्क करने के लिए मना नहीं किया गया है। नीति में धोखाधड़ी को रोकने के लिए तंत्र भी शामिल है।

- इसमें सद्भावपूर्वक सचेत करने वाले कर्मचारियों की उत्पीड़न से रक्षा करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है।
- जानबूझ कर झूठा आरोप लगाने वाले कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- कंपनी पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

8. शिकायत निवारण तंत्र

संगठन की उत्पादकता और दक्षता में सुधार करने तथा कार्य की संतुष्टि में वृद्धि के लिए कर्मचारियों की शिकायत का शीघ्र निपटारा करने हेतु आसान और सुलभ व्यवस्था करने के उद्देश्य से डीपीई दिशानिर्देश के क्रम में शिकायत निवारण समिति गठित की गई है।

9. जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने जून, 2012 में "जोखिम प्रबंधन मैनुअल" अपनाया। इस मैनुअल से यह अभिप्रेत है कि यह निगम में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में एकरूप और स्रोत जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाए रखे। 'जोखिम प्रबंधन योजना' के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए मैनुअल के अनुसार वित्त, नियोजन, परिकल्प इत्यादि से सदस्यों को लेकर जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है। जोखिम प्रबंधन योजना की प्रभावशीलता में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

नियमों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन योजना कार्यान्वित की जा रही है। "जोखिम प्रबंधन मैनुअल" में उल्लेख किए गए अनुसार प्रत्येक परियोजना ने जोखिम रजिस्टर खोला है और जोखिम वाले कार्यकलापों के समन्वय के लिए नोडल जोखिम अधिकारी नामित किया है। जोखिम की किसी घटना के होने पर उसका रिकार्ड 'जोखिम अनुभव रजिस्टर में रखा जा रहा है, जिसमें भविष्य में जोखिम की घटना में कमी करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कंपनी द्वारा समय–समय पर कंपनी के जोखिम प्रबंधन की समीक्षा की जाती है। बोर्ड भी नियमित आधार पर जोखिम प्रबंधन की समीक्षा करता है।

10. रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली

टीएचडीसी ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिकार्ड प्रबंधन मैनुअल अंगीकार किया है। कंपनी के अभिलेख प्रबंधन की देखरेख के लिए मुख्य अभिलेख अधिकारी और अपेक्षित स्टाफ नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ ऋषिकेश में एक अलग अभिलेख कार्यालय बनाया गया है।

11. संचार का माध्यम

कंपनी अपने शेयरधारकों से वार्षिक रिपोर्ट, आम सभा, समाचार पत्र एवं वेबसाइट के जरिए संवाद करती है। सूचीबद्ध करार एवं सेबी (लिस्टिंग ओबलिगेशन एंड डिक्लोजर रिक्वायरमेंट) विनियामक, 2015 के अनुसार कंपनी के आवधिक वित्तीय परिणाम विनिर्दिष्ट समय में घोषित किए जाते हैं। ये परिणाम राष्ट्रीय और स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी ने कर्मचारियों के साथ–साथ जनता को भी सामग्री उपलब्ध कराते हुए अपनी आधिकारिक वेबसाइट बनाई है। कंपनी के बारे में सभी तथ्यपूर्ण जानकारी वेबसाइट (www.thdc.co.in) पर होस्ट की गई है। कंपनी के विषय में जानकारी, नवीनतम अद्यतन एवं घोषणाओं के लिए इसकी वेबसाइट www.thdc.co.in पर पाया जा सकता है। जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं –

- वार्षिक वित्तीय परिणाम
- शेयरधारक प्रतिमान
- कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट
- स्टॉक एक्सचेंज को समय–समय पर की गई कारपोरेट घोषणाएं।

कंपनी की अधिकारिक न्यूज विज्ञप्ति, अन्य प्रेस की जानकारी, निवेशकों या विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुतियां

भी इसकी वेबसाइट पर डाली जाती हैं।

12. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

आपकी कंपनी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत इसका संसदीय निरीक्षण भी किया जा सकता है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है जो लेखापरीक्षकों द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा की रीति–नीति के बारे में उन्हें निदेश देते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक आपकी कंपनी की लेखाओं का परीक्षण की दृष्टि से लेखापरीक्षा करते हैं तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कंपनी की लेखा परीक्षित रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अंदर संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

13. कारपोरेट आचार नीति

आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने कारपोरेट अच्छे सुशासन पहल के भाग के रूप में कारपोरेट आचार नीति को अंगीकृत किया है। आचार नीति का प्रयोजन कंपनी के कर्मचारियों में अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उच्चतम व्यावसायिक नैतिकता, अच्छे सुशासन, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के मानक को स्थापित करना है।

14. निदेशक मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

कंपनी कार्य व्यवहार के नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध है और लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है। कंपनी में बोर्ड सदस्यों जिसमें सरकार द्वारा नामित सदस्य सहित स्वतंत्र निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के कार्मिक शामिल हैं, के मामलों के प्रबंधन की प्रक्रिया में नैतिकता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के मद्देनजर निदेशकों एवं इसके वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों (संहिता) के लिए आचार संहिता लागू है। निदेशक मंडल ने कंपनी के मिशन और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कंपनी के विजन और नैतिक मूल्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों तथा प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए एक पृथक आचार संहिता तथा नीति निर्धारित की है। इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों को संचालित करने में आचार नीति तथा पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाना है।

बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के अपर महाप्रबंधक स्तर तक के वरिष्ठ प्रबंधन से व्यापारिक आचार संहिता और नैतिकता वार्षिक पुष्टि मांगी जाती है। बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन अर्थात प्रमुख कार्यपालकों ने समीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है।

डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के तहत यथापेक्षित घोषणा

"बोर्ड के सभी सदस्यों ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है"।

(डी.वी. सिंह)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

कारपोरेट सुशासन प्रमाण पत्र

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी कारपोरेट सुशासन अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

15. पत्राचार के लिए पता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
प्रगतिपुरम, बाईपास रोड,
ऋषिकेश–249201
उत्तराखंड

पत्राचार के लिए फोन नं. तथा ई–मेल संदर्भ नीचे दिए गए है:

कंपनी सचिव	सुश्री रश्मि शर्मा
कार्यालय में संपर्क करने के लिए टेलीफोन नं.	0135–2439309, फैक्स : 0135–2439442
ई–मेल	rashmi.thdc@gmail.com
सार्वजनिक शिकायतों के लिए	श्री आर.एन. सिंह, महाप्रबंधक (एस. पी) / निदेशक, लोक शिकायत
संपर्क	0120–2776490, फैक्स–0120–2776433
ई–मेल	rnsingh@thdc.co.in

पी.एस.आर. मूर्ति
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
सी.पी 13090

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कारपोरेट सुशासन का प्रमाण–पत्र

सेवा में,

सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढवाल,
टिहरी–249 001

1. मैंने **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी)** सीआईएन. यू45203यूआर1988जीओआई009822 द्वारा मई, 2010 में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जारी दिशा–निर्देशों के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है। टीएचडीसी इंडिया लि., ऋण प्रतिभूतियों के लिए सूचीबद्ध है और भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की इक्विटी अंशभागिता के साथ भारत सरकार का उपक्रम है।

2. कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकार की गई प्रक्रिया विधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है।

3. मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है। जहां तक बोर्ड की संरचना का संबंध है महिला निदेशक की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के पास लंबित है।

4. मेरा आगे यह भी कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में और न ही वह कार्यकुशलता या कारगरता के बारे में कोई आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संपन्न किया है।

हस्ता./–
(पी.एस.आर. मूर्ति)
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 12 सितम्बर, 2018

178 आरपीएस फ्लैट्स, शेख सराए फेस–1, नई दिल्ली–110017
मोबाइलः 919816010286, दूरभाषः 011–26018714
ई–मेल : pendyala50@yahoo.com

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

स्वच्छ भारत अभियान के लिए पहल

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट

कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कारपोरेट मामले मंत्रालय/डीपीई द्वारा जारी नियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित अपनी सीएसआर नीति–2015 मौजूद है। आपकी कंपनी की सीएसआर अभिदृष्टि "सामाजिक रूप से जिम्मेदार कारपोरेट, समाज एवं समुदाय में मूल्य सृजन में सतत वृद्धि तथा सतत विकास को प्रोत्साहन करना" है। टीएचडीसीआईएल का सीएसआर पर दृष्टिकोण लंबी अवधि के लिए सतत विकास पर आधारित है। सीएसआर के क्रिया–कलापों की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जाती है कि इसके लाभ, टीएचडीसीआईएल के प्रचालन स्थल एवं संसाधन क्षमताओं के आधार पर सबसे छोटी इकाई अर्थात गांव, पंचायत, ब्लॉक या जिला स्तर तक पहुंचे।

सीएसआर के कार्यों का कार्यान्वयन कंपनी द्वारा प्रायोजित "सेवा–टीएचडीसी एवं टीएचडीसी शिक्षा समिति" नामक एनजीओ के माध्यम से किया जा रहा है।

सेवा–टीएचडीसी

टीएचडीसी लिमिटेड ने सीएसआर के कार्यान्वयन एवं कंपनी के सततता क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन "सेवा–टीएचडीसी" नामक कंपनी प्रायोजित गैर सरकारी संगठन का गठन किया है। सेवा–टीएचडीसी ने 2009–10 से कार्य आरंभ किया है। इस समिति के लक्ष्य एवं उद्देश्य परोपकारार्थ एवं गैर लाभग्राही हैं। इसकी प्रबंधन समिति में 07 सदस्य हैं जो टीएचडीसीआईएल द्वारा मनोनित इसके कर्मचारी हैं। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इस समिति के पदेन संरक्षक हैं।

टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस)

टीईएस का गठन परियोजना प्रभावित जनसंख्या के बच्चों और पिछड़े हुए टिहरी जिले एवं ऋषिकेश के गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए किया गया है। वर्तमान में इस समिति के तत्वावधान में दो स्कूल चल रहे हैं एक भागीरथीपुरम, टिहरी में, जो छठी से 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान कर रहा है और दूसरा स्कूल प्रगतिपुरम, ऋषिकेश में है जो पहली से 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान कर रहा है।

1.1 संस्थागत तंत्र

बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति

टीएचडीसीआईएल ने बोर्ड की चार सदस्य सीएसआर समिति का गठन किया है। एक स्वतंत्र निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। कंपनी सचिव, सीएसआर समिति के सचिव हैं।

सीएसआर समिति, कंपनी अधिनियम/भारत सरकार द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों द्वारा परिभाषित भूमिका एवं उत्तर दायित्वों के अनुसार कार्य करती है और सीएसआर के कार्यों

इंद्रानगर, ऋषिकेश में युवाओं के लिए कम्प्यूटर सेंटर

की प्रगति की समीक्षा करने और संबंधित मुद्दों की चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें करती है।

बोर्ड से निचले स्तर की समिति

सीएसआर एवं सततता कार्यों के विभागाध्यक्ष महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक स्तर के अधिकारी बोर्ड स्तर के नीचे की समिति (बीबीएलसी) की अध्यक्षता करते हैं, तथा उनको इसका नोडल अधिकारी मनोनित किया जाता है। बीबीएलसी के अन्य सदस्य इसके विभिन्न प्रकार्यात्मक विभागों से होते हैं। संगठन के बाहर से भी बीबीएलसी में सीएसआर एवं सततता विकास के क्षेत्र में स्वतंत्र विशेषज्ञ नामाति किए जाते हैं।

नोडल अधिकारी बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति में स्थायी विशेष आमंत्रिती होता है।

1.2 नियोजन

1.2.1 संसाधन

पिछले अंतिम तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा किए गए औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% इसके सीएसआर एवं सततता नीति के अनुपालन में खर्च होता है। खर्च से बची राशि व्यपगत नहीं होती और अगले वित्तीय वर्ष के अग्रेनीत हो जाती है।

बजट एवं वार्षिक सीएसआर एवं सततता योजना सीएसआर समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित होती है।

1.2.2 सीएसआर कार्यक्रम का चयन

सीएसआर कार्यक्रम का चयन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलापों से संबंधित है। टीएचडीसीआईएल सीएसआर पहल का शीर्षक "टीएचडीसी सहदृय" (मानवीयता के साथ कारपोरेट) है। मुख्य क्षेत्र जहां टीएचडीसीआईएल, सीएसआर कार्यक्रमों द्वारा उद्देश्य पूरा करना चाहती है उनके शीर्षक निम्नलिखित हैं:

- टीएचडीसी निरामय (स्वास्थ्य)– पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेयजल परियोजनाएं
- टीएचडीसी जागृति (बेहतर भविष्य के लिए पहल)– शिक्षा पहल
- टीएचडीसी दक्ष (कौशल)– आजीविका सृजन एवं कौशल विकास पहल।
- टीएचडीसी उत्थान (प्रगति)– ग्रामीण विकास
- टीएचडीसी समर्थ (सशक्तीकरण) – सशक्तीकरण की पहल
- टीएचडीसी सक्षम (सक्षम)– वृद्ध एवं विकलांगों की देखभाल
- टीएचडीसी प्रकृति (पर्यावरण)– पर्यावरण संरक्षण पहल।

1.2.3 स्थान एवं लाभार्थियों का चयन

सीएसआर एवं सततता परियोजना कार्यक्रमों की वरीयता स्थानीय क्षेत्र को दी जाती है अर्थात (i) कंपनी संयंत्र/परियोजना/क्रियाकलापों के निकट स्थान एवं (ii) व्यापक भौगोलिक क्षेत्र जो कंपनी के व्यापार प्रचालनों और क्रियाकलापों से सीधे रूप से प्रभावित हों।

1.3 कार्यान्वयन

सीएसआर एवं सततता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन मुख्यतः सेवा–टीएचडीसी एवं टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) के माध्यम से किया जाता है जो कंपनी द्वारा प्रायोजित/स्थापित पंजीकृत समितियां हैं। सीएसआर कार्यक्रमों का संचालन टीएचडीसीआईएल की परियोजनाओं/यूनिटों द्वारा सीधे रूप से भी किया जाता है।

1.4 निगरानी

सीएसआर कार्यक्रमों की पारदर्शिता एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा निम्नलिखित दर्शित माध्यमों का उपयोग करके एक मजबूत निगरानी तंत्र की स्थापना की गई है।

i) मासिक प्रगति रिपोर्ट

ii) तिमाही प्रगति रिपोर्ट

iii) वीडियो कांफ्रेंसिंग

iv) परियोजना स्थल भ्रमण

v) फोटोग्राफी, फिल्म तथा वीडियो सहित प्रलेखी साक्ष्य

vi) आंतरिक निगरानी तंत्र, जैसा कि सीएसआर समिति द्वारा निर्धारित किया गया है।

vii) निगरानी के लिए तृतीय पक्ष की नियुक्ति भी की जाती है।

1.5 रिपोर्टिंग

सीएसआर एवं सततता के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट, बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति द्वारा विचार किए जाने के बाद ही बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

वार्षिक रिपोर्ट में भी सीएसआर एवं सततता रिपोर्ट शामिल होती है जिसमें अधिनियम/नीति में यथा विनिर्दिष्ट विवरण शामिल होते हैं और इन्हें कंपनी की वेबसाइट पर भी दर्शाए जाते हैं। सततता पहलों के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण भी सीएसआर पर बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल होता है।

वार्षिक सततता रिपोर्ट भी 'टीएचडीसीआईएल सीएसआर संचार रणनीति' के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित एवं दर्शाई जाती है।

1.6 प्रभाव आंकलन

5.00 लाख रूपए से अधिक पूर्ण किए गए सभी सीएसआर एवं सततता कार्यक्रमों का प्रभाव आंकलन विशेषज्ञताप्राप्त बाहरी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है और सफलता/असफलता वाली रिपोर्ट भी बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति के समक्ष रखी जाती है।

टीएचडीसीआईएल सीएसआर संचार रणनीति

बोर्ड द्वारा अनुमोदित टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार रणनीति में प्रमुख हितधारकों के साथ संचालित संचार नीति में कंपनी द्वारा चलाई जा रही या चलाई जाने वाली सीएसआर सततता पहलों के संबंध में उनके विचार और सुझाव सुनिश्चित करना शामिल है। हालांकि सीएसआर गतिविधि के चयन तथा कार्यान्वयन पर अंतिम निर्णय बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति द्वारा लिया जाता है।

जहां तक संभव हो सीएसआर कार्यक्रम 'टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार रणनीति' का पालन करते हुए सीएसआर कार्यक्रम परियोजना माध्यम से चलाए जाते हैं।

सीएसआर बजट

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी को पिछले तीन वर्षों के अपने औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना होगा। तद्नुसार वर्ष 2017–18 के लिए सीएसआर बजट रू. 16.17 करोड़ है। टीएचडीसी द्वारा प्रायोजित समितियों, सेवा– टीएचडीसी एवं टीएचडीसी शिक्षा समिति को सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। टीएचडीसीआईएल की सीएसआर एवं सततता नीति, 2015 के अनुसार सीएसआर बजट का उपयोग मुख्यतः टीएचडीसीआईएल के प्रचालन क्षेत्रों के आस–पास और विविध परियोजना स्थलों/व्यापारिक स्थलों के आसपास के क्षेत्रों में किया गया है। कंपनी सीएसआर और सततता कार्यक्रम बोर्ड स्तर के नीचे की समिति (बीबीएलसी) तथा बोर्ड स्तर (बीएलसी) की सीएसआर समिति के माध्यम से संचालित किए जाते हैं।

सीएसआर परियोजनाओं की लेखा–परीक्षा

सेवा–टीएचडीसी, टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस), कार्यान्वयन एजेंसियों के खातों की वार्षिक लेखा–परीक्षा संबंधित समितियों के उप–नियमों के अनुसार प्रेक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउन्टेंट से करायी जाती है।

विस्तृत सीएसआर क्रिया–कलाप **परिशिष्ट–I** पर दिए गए हैं।

1. **वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान चलाई गई सीएसआर परियोजनाओं का सिंहावलोकन**

टीएचडीसीआईएल सीएसआर एवं सततता योजना को अपनी व्यापारिक योजना एवं रणनीतियों के साथ एकीकृत करती है। इन क्रियाकलापों की योजना अग्रिम रूप से तैयार की जाती है। लक्ष्य विभिन्न उपलब्धियों पर निर्धारित किए जाते हैं जिसमें आबंटित बजट में अपेक्षित संसाधनों की मात्रा का पूर्वानुमान और वांछनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए निश्चित समय–सीमा निर्धारित की जाती है। इसके आसान क्रियान्वयन के लिए लंबी अवधि की सीएसआर एवं सततता योजनाओं को मध्यम एवं लघु अवधि में श्रेणीबद्ध किया जाता है। यह कंपनी सीएसआर एवं एसडी परियोजनाओं के लिए ऐसे पणधारियों को प्राथमिकताएं देती है जो इसके प्रचालनों से सीधे प्रभावित होते हैं सीएसआर क्रियाकलाप, टीएचडीसीआईएल की सीएसआर योजना के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

सकारात्मक सततता परिवर्तन लाने के लिए दीर्घावधि में कोई लाभ न देने वाली टुकडों–टुकडों में छोटी–मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के स्थान पर टीएचडीसीआईएल लक्षित समुदायों के समग्र विकास पर ध्यान देती है। महिलाओं का शोषण रोकने के लिए महिला सशक्तिकरण, खेती तथा बागवानी कार्यों में हस्तक्षेप से आय अर्जन, स्वयं सहायता समूहों में पुनर्चक्रण निधि के माध्यम से आय अर्जन, चल–खल (तालाबों) के जीर्णोद्धार/निर्माण करके पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान को बढ़ावा देना, जल हार्वेस्टिंग संरचनाओं को बढ़ावा देना, क्षमता विकास हेतु पारंपरिक जल–मिलों का आधुनिकीकरण, इंधन, चारा और औषधीय वृक्षों का रोपण, स्वास्थ्य सेवाएं, संरक्षित पेय जल की उपलब्धता, स्वच्छता सुविधाएं (आर्थिक रूप से कमजोर, एससी/एसटी तथा ओबीसी वर्ग को) शिक्षा को बढ़ावा देना, कंप्यूटर एवं सिलाई में कौशल प्रशिक्षण, स्थानीय आईटीआई की सहायता सहित रोजगार सृजन, पर्यावरण सततता सुनिश्चित करना, परिस्थितिकी संतुलन आदि समग्र विकास में शामिल हैं।

2. **बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति का गठन इस प्रकार है:**

- श्री मोहन सिंह रावत, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
- श्री बच्ची सिंह रावत, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- श्री श्रीधर पात्रा, निदेशक (वित्त) (31.08.2018 तक)– सदस्य
- श्री एच.एल. अरोड़ा, निदेशक (तकनीकी) – सदस्य

कंपनी सचिव, सीएसआर समिति के सचिव है।

3. **कंपनी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ : 808.59 करोड़ रुपए**

4. **निर्दिष्ट सीएसआर व्यय (निवल औसत लाभ का 2 प्रतिशत) : 16.17 करोड़ रुपए**

5. **वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण :**

   (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि : 16.20 करोड़ रुपए

   (ख) व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो। : शून्य

   (ग) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को खर्च करने के तरीके : **परिशिष्ट – I** के अनुसार

6. **यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत या उसके किसी भाग को खर्च करने में नाकाम रही है, तो कंपनी को बोर्ड की रिपोर्ट में राशि खर्च न कर पाने का कारण देना होगा।**

   टीएचडीसीआईएल ने सीएसआर पर पूर्ववर्ती तीन वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत से अधिक व्यय किया है। इसलिए कोई औचित्य अपेक्षित नहीं है।

   सीएसआर समिति का उत्तरदायित्वपूर्ण कथन है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, सीएसआर के उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन में है ।

प्र.ह. हस्ताक्षर (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	प्र.ह. हस्ताक्षर (सीएसआर समिति के अध्यक्ष)

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान विभिन्न सीएसआर गतिविधियां

टीएचडीसी जागृति – शिक्षा विकास

शिक्षा और कौशल विकास को रोजगार–सृजन का महत्वपूर्ण भाग मानते हुए निम्नानुसार विभिन्न उपाए किए गए।

टीएचडीसी शिक्षा समिति द्वारा चलाए जा रहे ऋषिकेश तथा टिहरी विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा

एक जिम्मेदार कारपोरेट के रूप में टीएचडीसीआईएल जरूरतमंद वाह्य हितधारकों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने एवं योगदान करने के लिए दो विद्यालय चला रहा है, एक भागीरथीपुरम, टिहरी में जो छठी से बाहरवीं कक्षा तक तथा दूसरा प्रगतिपुरम, ऋषिकेश में है जो पहली से दसवीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान कर रहा है। ये विद्यालय टीएचडीसीआईएल शिक्षा समिति (टीईएस) के अंतर्गत पिछड़े तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संचालित किए जा रहे है। विद्यार्थियों को निःशुल्क ड्रेस, पुस्तकें तथा लेखन सामग्री, बस सेवा के साथ ''नैवैद्यम'' योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है।

जूनियर हाई स्कूल कोटेश्वरपुरम

उपरोक्त के साथ ही केएचईपी के परियोजना प्रभावित परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए सेवा–टीएचडीसी द्वारा ओमकारानंद सरस्वती पब्लिक विद्यालय, शिक्षा समिति के माध्यम से कोटेश्वर, टिहरी में अंग्रेजी माध्यम का एक जूनियर हाई स्कूल संचालित किया जा रहा है। इस स्कूल में लगभग 190 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

- वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान टिहरी एवं देहरादून जिलों के 156 सरकारी स्कूलों के 7047 छात्रों की सुविधा के लिए 1 करोड़ रूपए की लागत के 2349 स्कूल फर्नीचर सेट प्रदान किए गए थे। इसके अतिरिक्त टिहरी एवं देहरादून के जिले 13 स्कूलों को 14 वाटर फिल्टर सह कूलर भी प्रदान किए गए।

- देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों के परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवकों को शिक्षित करने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु 20 केंद्र खोले गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से 400 से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य उनके कंप्यूटर कौशल को उन्नत कर उन्हें रोजगार योग्य बनाना था।

- विशेषज्ञ एजेंसियों/संस्थानों के माध्यम से आईटीआई, होटल प्रबंधन जैसे व्यवसायों में रोजगार परक कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से 30 से अधिक युवाओं को लाभ मिला।

श्री डी.वी. सिंह, अ.प्र.नि., टीएचडीसीआईएल के अन्य निदेशकों के साथ वीपीएचईपी के लिए मोबाइल हेल्थ वैन को हरी झंडी दिखाते हुए

दीनगांव, टिहरी गढ़वाल में सेवा–टीएचडीसी द्वारा मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करना

- 'सीएसआर एवं सततता तथा टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार रणनीति पर संवेदनशीलता हेतु आंतरिक एवं वाह्य हितधारकों के लिए अनेक प्रशिक्षण / कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी

टीएचडीसीआईएल द्वारा सीएसआर पहलों के अंतर्गत भागीरथीपुरम टिहरी में एक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया गया है। इस संस्थान में अत्याधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं यथा प्रशासनिक ब्लॉक, शैक्षणिक ब्लॉक, प्रयोगशालाएं, वर्कशॉप, पुस्तकालय, कैंटीन तथा छात्र तथा छात्राओं के लिए छात्रावास विद्यमान है। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन और कम्प्यूटर साइंस के कुल पांच विषयों में विद्यार्थियों के लिए सर्व सुविधायुक्त अवसंरचनाएं उपलब्ध है। यह संस्थान उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) देहरादून का संघटक कॉलेज है।

उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से, मुख्यतया राज्य के पिथौरागढ़, चमौली, टिहरी, उत्तरकाशी आदि जिलों के आदिवासी इलाकों के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं और उच्चतर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, टिहरी बांध प्रभावित परिवारों को भी उनके घरों के समीप इस संस्थान के खुलने से लाभ हो रहा है। परियोजना प्रभावित परिवारों के विद्यार्थियों के लिए 5 प्रतिशत सीट आरक्षित हैं। टीएचडीसी–आईएचईटी की उपस्थिति से स्थानीय समुदाय की आमदनी के स्तर में वृद्धि हुई है।

टीएचडीसी निरामय – स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

इस पहल में स्वास्थ्य रक्षा बचाव एवं स्वच्छता, पेयजल आदि सहित स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करना शामिल है।

- टिहरी के सुदूर क्षेत्र दीन गांव में एमबीबीएस चिकित्सक, फार्मासिस्ट, नर्स और चिकित्सा सहायक की टीम के साथ वर्ष 2014–15 से एक एलोपैथिक औषधालय चल रहा है। निकटवर्ती 20 ग्रामों के औसतन वार्षिक 12000 व्यक्ति ओपीडी का लाभ उठा रहे हैं। इस औषधालय में लघु आपरेशन कक्ष तथा प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं यथा पैथोलॉजी प्रयोगशाला, एक्सरे, ईसीजी आदि तथा कॉल करने पर एम्बुलैंस सुविधा भी उपलब्ध है। दवाएं निःशुल्क वितरित की जाती हैं।

- परियोजना प्रभावित क्षेत्रों तथा पुनर्वास बस्तियों में निर्मल नेत्र संस्थान, ऋषिकेश तथा टीएचडीसीआईएल के चिकित्सकों द्वारा 27 बहुविशेषज्ञता चिकित्सा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 6900 से अधिक रोगी आए तथा 270 से अधिक मोतियाबिन्द के आपरेशन किए गए। रोगियों की सर्जरी भी निःशुल्क की गयी।

- वर्तमान में जिला टिहरी में गलियाखेत, धौन्तरी एवं कोटेश्वर में पांच और ऋषिकेश के झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्र में दो होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, नारायण मिशन सोसाइटी ऋषिकेश के माध्यम में चल रही है जिसमें दवाई निःशुल्क मिलती हैं। इन डिस्पेंसरी की प्रति वर्ष 60,000 से अधिक ओपीडी हैं।

- परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए एड्स पर जागरूकता उत्पन्न करने और चिकित्सा शिविर आयोजित करने के लिए वीपीएचईपी को एक एम्बुलैंस प्रदान की गई है।
- ग्रामीणों के समुचित इलाज के लिए सरकारी सीएचसी लम्बगांव को चिकित्सा उपस्कर, दंत चिकित्सा कुर्सी एवं प्रयोगशाला का सामान प्रदान किया गया है।
- स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल कार्यालयों तथा विभिन्न स्थानों की कालोनियों, विद्यालयों, अस्पतालों, कार्यस्थलों, गलियों, सड़कों, बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों, पावन गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्र, पार्क तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में सघन जन–जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आवश्यकतानुसार स्थानीय क्षेत्रों की सफाई की गई। नई टिहरी और ऋषिकेश नगर पालिकाओं मुनि की रेती के परामर्श से विभिन्न स्थानों पर कूड़ेदान रखवाए गए।
- इंदिरा नगर मार्केट के 41 दुकानदारों को 25 लीटर के कूड़ेदान प्रदान किए गए हैं एवं इंदिरा नगर एवं नेहरूपुरम के 800 परिवारों को 12 लीटर के 2 कूड़ेदान (कुल 1600 कूड़ेदान) जैविक और गैर–जैविक कचरे को अलग–अलग इकट्ठा करने के लिए प्रदान किए गए हैं।
- 120 लीटर की क्षमता के 8 कूड़ेदान और 200 लीटर की क्षमता वाली 2 ट्रॉली जिसमें 4 कपड़े के मॉप शामिल हैं, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को प्रदान किए गए हैं।
- साफ–सफाई और रख–रखाव हेतु 04 सरकारी विद्यालयों को गोद लिया गया।
- जनता को सस्ती दवायें सुलभ कराने के लिए नई टिहरी के सरकारी चिकित्सालय के निकट जैनरिक औषधि–दुकान खोली गई।

टीएचडीसी प्रकृति – पर्यावरण प्रबंधन

पर्यावरणीय सततता और पारिस्थितिकी संतुलन लाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए हैं:–

- परियोजना प्रभावित ग्रामों के विभिन्न स्थलों पर फल, चारा, ईंधन और औषधीय प्राजातियों के 12000 से अधिक वृक्ष लगाए गए।
- ऋषिकेश में 5 जून, 2016 को पर्यावरण दिवस मनाया गया। स्वतंत्र निदेशक, टीएचडीसीआईएल के पदाधिकारियों, वन विभाग तथा पुनर्वासित लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने की व्यक्तियों की उपस्थिति में स्कूली छात्रों में विभिन्न प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

बापूग्राम, ऋषिकेश में मशरुम उत्पादन प्रशिक्षण–महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहन

- जिला उन्नाव (यूपी), लखनऊ (यूपी) एवं सितारगंज (उत्तराखंड) के विभिन्न गांवों में 375 सौर स्ट्रीट लाइट एवं 170 हाई मस्ट लाइट संस्थापित की गई हैं। इस गतिविधि को ऊर्जा बजट एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यान्वित किया गया है।

टीएचडीसी उत्थान (ग्रामीण विकास)

कंपनी एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज, कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय मोदीपुरम तथा वीर चंदर सिंह गढ़वाली उत्तराखंड, वन और बागवानी विश्वविद्यालय, रानीचौरी के साथ 60 परियोजना प्रभावित ग्रामों के दीर्घावधि समग्र विकास हेतु 2009 से कार्य कर रही हैं।

संचालित की जा रही प्रमुख गतिविधियों में कृषक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन, उनकी छोटी–छोटी गतिविधियों के लिए प्रारंभिक धन हेतु सहायता प्रदान करना, कंप्यूटर एवं सिलाई केंद्र की स्थापना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, फल, चारा तथा औषधीय प्रजातियों के पौधों का रोपण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता गतिविधियां, कृषक केंद्रित कृषि हस्तक्षेप जिसे कृषकों को गोष्टियों के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी ज्ञान प्रदान करना, कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों के भ्रमण, फार्म प्लाटों का प्रदर्शन, बेमौसमी सब्जियों यथा मशरूम उत्पादन, बर्मी कंपोस्ट गड़ढ़ों का निर्माण करके जैविक खेती को बढ़ावा देना, पॉली हाउस का निर्माण तथा लाइव स्टॉक प्रबंधन आदि फसलों तथा दुधारू पशुओं की

उत्पादकता में वृद्धि करना शामिल है।

ग्रामीणों की आय और आजीविका में वृद्धि के लिए उन्हें मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया गया है।

इन परियोजनाओं के माध्यम से लाभः

- कृषि कार्यक्रमों से कृषकों में विश्वास का स्तर बढ़ा है तथा युवकों को दीर्घकालिक आजीविका के स्रोत के रूप में कृषि को अपनाने हेतु प्रेरित किया गया है।
- पिछले वर्षों में आय और जीवन स्तर में वृद्धि हुई है।
- ग्रामीण समुदायों की भागीदारी स्तर में वृद्धि हुई है।
- इन कृषि विकास कार्यक्रमों से कृषकों की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है।
- ये कार्यक्रम, स्थानीय पारंपरिक ज्ञान और नवीनतम तकनीकी नवोन्मेष को साथ लाने में सफल रहे हैं।
- संसाधन प्रबंधन तथा परिवेशी पर्यावरण और प्रवास को रोकने में ये कार्यक्रम सहायक रहे।
- बाढ़ शमन उपायों आदि के रूप में वृक्षारोपण ने वर्षाऋतु में भूक्षरण को रोकने में मदद की।
- कृषक समुदाय के कल्याण के माध्यम से ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय विकास लक्ष्य को समग्र रूप से प्राप्त किया गया।

टीएचडीसी समर्थ – महिला सशक्तीकरण

- महिलाओं विशेषकर कमजोर वर्ग के लिए सिलाई–बुनाई, उत्पादन एवं सौंदर्य प्रसाधन जैसे विभिन्न केंद्र उनकी जीविका को सुदृढ़ करने और साथ ही महिलाओं को वृद्धि एवं विकास का मजबूत माध्यम बनाकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्थापित किए गए। ये केंद्र निःशुल्क संचालित होते हैं, अभी तक इन केंद्रों से 560 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं।
- समिति अधिनियम के अधीन एक महिला सहकारी क्रेडिट समिति, गठित एवं पंजीकृत की गई है। समिति को 10 लाख रू. का वित्तीय अनुदान प्रदान किया गया है। इसके सदस्यों ने भी अपना अंशदान दिया है। लगभग 70 महिला किसान सदस्य समिति में शामिल हुई हैं। लगभग 8 लाख रू. का ऋण वितरित किया गया है और इसकी वसूली भी आरंभ की गई है। यह ऋण कुछ सामान्य ऋण ब्याज सहित वसूला जा रहा है जिसका निर्णय स्वयं समिति द्वारा ही लिया जाता है जो कि आगे इसके पुल में ही जोड़ दिया जाएगा। समिति के सदस्यों को सेवा–टीएचडीसी द्वारा विभिन्न जीविका प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा सशक्त किया गया है।

प्राकृतिक विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण

सशक्त गंगा नदी के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व और ऋषिकेश में आने वाले लाखों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों/यात्रियों के मद्देनजर लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम–ऋषिकेश के गंगा घाट क्षेत्र में एनर्जी इफिसेन्सी सर्विस लिमिटेड (ईईएसएल) के माध्यम से एलईडी आधारित प्रकाश परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है। इस परियोजना में मौजूदा प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करना, समग्र प्रकाश व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना एवं सौंदर्यप्रद बनाना, मौजूदा पारंपरिक प्रकाश यूनिटों को ऊर्जा बचाने वाले एलईडी से बदलना, मुख्य संरचनाओं जैसे कि राम झूला, लक्ष्मण झूला, परमार्थ निकेतन एवं त्रिवेणी घाट इत्यादि को सजावटी लाइटों से सजाना है।

मुख्य सीएसआर परियोजनाओं के मूल्यांकन एवं प्रभाव आंकलन के बाद आईआईटी रूड़की एवं एसआर एशिया की टिप्पणियां :

- स्कूलों में शिक्षा से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में टीएचडीसी का कार्य निष्पादन।
- इन कार्यक्रमों की योजना लंबी अवधि के लाभों के लिए बनाई गई थी और इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा।
- सेवा–टीएचडीसी द्वारा रिकॉर्ड एवं डोजियर का समुचित रख–रखाव होता है।
- ये कार्यक्रम वर्तमान स्थिति में वांछनीय एवं संगत हैं।

वित्त वर्ष 2017–18 की सीएसआर गतिविधियों का विवरण एवं व्यय

1	2	3	4	5	6	7
क्रम सं.	सीएसआर परियोजनाएं या चिह्नित गतिविधियां	सेक्टर जिसमें परियोजना लागू है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	अनुमोदित बजट (रू. लाख में)	खर्च की गई राशि (रू. लाख में)	व्यय की गई राशिः कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा या सीधे
1	स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत शौचालयों तथा अल्प सुविधा प्राप्त व्यक्तियों के लिए शौचालयों का निर्माण, चार होम्योपैथिक तथा एक एलोपैथिक औषधालय, बहु विशिष्ट चिकित्सा शिविर, जलापूर्ति योजनाएं चलाना तथा वाटर प्यूरीफायर्स आदि का वितरण	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (i) स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता अर्थात भूख, गरीबी एवं कुपोषण का उन्मूलन करना स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना जिसमें रोग निरोधी स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता एवं पेयजल को उपलब्ध करवाना शामिल है।	प्रभावित क्षेत्रों में सभी परियोजना चलाई जाती हैं।	कुल बजट परिव्यय 1959.48 लाख रू.	191.14	सेवा–टीएचडीसी
2	टिहरी, कोटेश्वर तथा ऋषिकेश में तीन विद्यालयों का संचालन, टीएचडीसी हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्युट का निर्माण, विद्यालयों को अवसंरचनात्मक सामग्री उपलब्ध कराना, कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम, होटल प्रबंधन तथा आईटी प्रशिक्षण आदि।	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (ii) शिक्षा को बढ़ावा देना जिसमें विशेष शिक्षा एवं रोजगार बढ़ाने वाले व्यवसायिक कौशल में वृद्धि करना शामिल है।			749.67	सेवा–टीएचडीसी तथा टीएचडीसी शिक्षा समिति
3	महिला सशक्तीकरण हेतु सिलाई–कढ़ाई केंद्र की स्थापना	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा, महिला सशक्तीकरण आदि			26.05	सेवा–टीएचडीसी

1	2	3	4	5	6	7
क्रम सं.	सीएसआर परियोजनाएं या चिह्नित गतिविधियां	सेक्टर जिसमें परियोजना लागू है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	अनुमोदित बजट (रू. लाख में)	खर्च की गई राशि (रू. लाख में)	व्यय की गई राशिः कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा या सीधे
4	वृक्षारोपण तथा नर्सरी विकास तथा सौर लाइटों का संस्थापन	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (iv) पर्यावरण सततता सुनिश्चित करना पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति एवं अन्य जीवों को संरक्षण देना, पशु कल्याण, कृषि वानिकी को सुनिश्चित करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं मृदा, हवा एवं जल की गुणवत्ता को बनाए रखना।			144.62	सेवा–टीएचडीसी
5	पारंपरिक कला और संस्कृति का विकास एवं उन्नयन	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (v) राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति आदि का संरक्षण			195.22	सेवा–टीएचडीसी
6	खेल–कूद को बढ़ावा	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेल–कूद, ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण			19.79	सेवा–टीएचडीसी

1	2	3	4	5	6	7
क्रम सं.	सीएसआर परियोजनाएं या चिह्नित गतिविधियां	सेक्टर जिसमें परियोजना लागू है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	अनुमोदित बजट (रू. लाख में)	खर्च की गई राशि (रू. लाख में)	व्यय की गई राशिः कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा या सीधे
7	राष्ट्रीय आपदा / विपत्ति के दौरान आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए अनुमत्य सीएसआर कार्यक्रम (वार्षिक सीएसआर बजट का 5%)	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (VIII) केंद्र सरकार आदि द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष अथवा अन्य किसी में अंशदान				सेवा–टीएचडीसी
8	परियोजना प्रभावित क्षेत्र, कार्यस्थलों पर श्मशान घाट, पैदल मार्ग, यात्री शेड, ग्रामीण सामुदायिक भवन निर्माण। जीविका विकास कार्यक्रम, कस्टम हायरिंग केंद्र आदि की स्थापना	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची टप्प की मद संख्या (X) अर्थात ग्रामीण विकास परियोजना			245.02	सेवा–टीएचडीसी
9	प्रशासनिक शिरोपरि खर्च, क्षमता निर्माण, बेसलाइन / आवश्यकता आंकलन सर्वेक्षण, प्रभाव निर्धारण आदि (वार्षिक बजट का 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।				48.50	सेवा–टीएचडीसी
	कुल				**1959.48**	**1620.01**

टिप्पणी: *वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सीएसआर गतिविधियों का बजट 19.59 करोड़ रू. था तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ का 2% 16.17 करोड़ रू. था। कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर 16.20 करोड़ रू. खर्च किए हैं जो औसत शुद्ध लाभ से 2% अधिक है।*

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

पृष्ठभूमि :

बिजली एक आधारभूत जरूरत एवं मुख्य संचालक शक्ति है जो आधुनिक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि मुख्यतः मजबूत अवसंरचना पर निर्भर है जो कि विद्युत क्षेत्र की सर्वोत्तम वृद्धि एवं निष्पादन पर निर्भर करती है।

देश में विद्युत क्षेत्र का त्वरित विकास समय की जरूरत है। भारत में विश्व की 18% जनसंख्या रहती है, जबकि इसकी कुल ऊर्जा की खपत विश्व की 6% ही है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत, ब्रीक्स देशों में सबसे कम है। भारत सरकार ने 2019 तक सभी के लिए 24x7 विद्युत का लक्ष्य रखा है जिसमें 2022 तक नवीनीकरण संसाधनों से 175 गीगावाट की संस्थापित क्षमता हासिल करना भी है।

भारत सरकार ने प्रतिस्पर्धा के माहौल में विद्युत क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न सुधार एवं नई नीतियां आरंभ की हैं। अक्षय ऊर्जा में क्षमता बढ़ाने के लिए बनाई गई योजना के कठोर लक्ष्यों के मद्देनजर, ग्रिड स्थायित्व में चुनौतियों से निपटने के लिए जल विद्युत एवं पंप स्टोरेज संयंत्र में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पानी की कमी को पूरा करने के लिए स्टोर करने वाली जल विद्युत परियोजना के विकास की भी आवश्यकता है।

मौजूदा परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था में वृद्धि एवं इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धी दरों पर विश्वसनीय एवं गुणवत्ता वाली विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करती है। विद्युत उत्पादन करने में टीएचडीसीआईएल की मुख्य भूमिका होने के कारण यह सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मुख्य भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

31.03.2018 को कंपनी की प्राधिकृत पूंजी रू. 4,000 करोड़ है तथा इसमें प्रदत्त पूंजी रू. 3627.43 करोड़ है। इसमें भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की इक्विटी भागीदारी 3:1 के अनुपात में है। कंपनी की 2023 तक उत्तर प्रदेश के खुर्जा में 1320 मे.वा. के सुपर थर्मल विद्युत केंद्र तथा विभिन्न परम्परागत/गैर परम्परागत और नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं के संस्थापन हेतु रणनीतिक व्यापारिक विविधीकरण की योजना है। कंपनी देश के विभिन्न भागों में सभी संभाव्य पारंपरिक एवं गैर–पारंपरिक एवं नवीनीकरण विद्युत योजनाओं को तलाश रही है।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण :

टीएचडीसीआईएल की मजबूती और कमजोरी बनाम अवसर तथा चुनौती का विश्लेषणात्मक अध्ययन नीचे दिया गया है:–

(क) मजबूती

- **सुदृढ़ तकनीकी कौशल आधार:** टिहरी जल विद्युत कॉम्पलेक्स (2400 मेगावाट) जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है जो कि एशिया क्षेत्र में सबसे ऊंचा एवं विश्व में पांचवां अर्थ एवं रॉकफिल बांध है, के कार्यान्वयन चरण के दौरान आई अत्यधिक चुनौतियों का सामना कर उनका निपटान करने के माध्यम से टीएचडीसीआईएल ने तकनीकी रूप से मजबूत आधार प्राप्त कर लिया है।

- **जटिल हिमालयी भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत कार्यों में इंजीनियरिंग तथा निर्माण संबंधी कौशल:** टिहरी परियोजना में 27 सुरंगे हैं (अधिकतम व्यास 11 मीटर तथा कुल लंबाई लगभग 18 कि.मी.) तथा इसमें 18 शाफ्ट (अधिकतम व्यास 12 मीटर तथा अधिकतम ऊंचाई 220 मीटर और कुल लंबाई लगभग 2.27 कि.मी.) हैं। हिमालय की जटिल भौगोलिक परिस्थितियों में सभी संरचनाएं पूरी की गईं।

- **जल विद्युत उत्पादन संयंत्र के कार्यान्वयन में शामिल पर्यावरण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से जुड़े जटिल मुद्दों को संभालने की योग्यता:** टिहरी परियोजना में लगभग 15,000 परिवारों का सफल पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर), टिहरी बांध से गंगोत्री तक के जलागम क्षेत्र का उपचार तथा पारिस्थितिकीय सुधार के अतिरिक्त अन्य उपाय शामिल थे।

- **प्रभावी प्रचालन एवं अनुरक्षण:** टिहरी एचपीपी को आरंभ करने के समय से टीएचडीसी ने पर्याप्त विशेषज्ञता विकसित कर ली है और जल विद्युत परियोजनाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए इन–हाऊस अनुभव भी प्राप्त कर लिया है। इससे टिहरी एवं कोटेश्वर दोनों परियोजनाओं में सामान्य स्तर से परे एवं बिना रूके विद्युत उत्पादन की उपलब्धता हुई है।

- **स्वचालित संयंत्र निगरानी:** संयंत्र की निगरानी एससीएडीए (पर्यवेक्षीय नियंत्रण एवं आंकड़े अर्जन)

प्रणाली के माध्यम से की जाती है, यह एक ऐसी स्वचालित पर्यवेक्षीय प्रणाली है जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस द्वारा समर्थित कंप्यूटर एवं नेटवर्क आंकड़े संचार का उपयोग किया जाता है जो कंपनी को इन संयंत्र के उच्च स्तरीय पर्यवेक्षीय प्रबंधन के लिए इसे सक्षम बनाता है।

- **सक्षम और प्रतिबद्ध कार्यबलः** कंपनी के पास मजबूत और सक्षम प्रबंधन टीम है जिसमें 1922 कर्मचारी हैं।
- **सुदृढ़ वित्तीय स्थितिः** कंपनी, सुदृढ़ वित्तीय आधार के साथ वित्त वर्ष 2006–07 से लगातार लाभ अर्जित कर रही है। जिससे इसका वित्तीय आधार मजबूत हो गया है। प्रदत्त पूंजी से अधिक आरक्षित और अधिशेष निधि ने कंपनी को भावी क्षमता विस्तार हेतु मजबूत आर्थिक स्थिति प्रदान की है।
- **बेहतर कर्मचारी प्रतिधारण दरः** कंपनी में दक्ष एवं अनुभवी कर्मचारियों का प्रतिधारण दर बहुत अधिक है।

प्रचालनों से राजस्व में पीएटी के % में 05 वर्षों की प्रवृत्ति

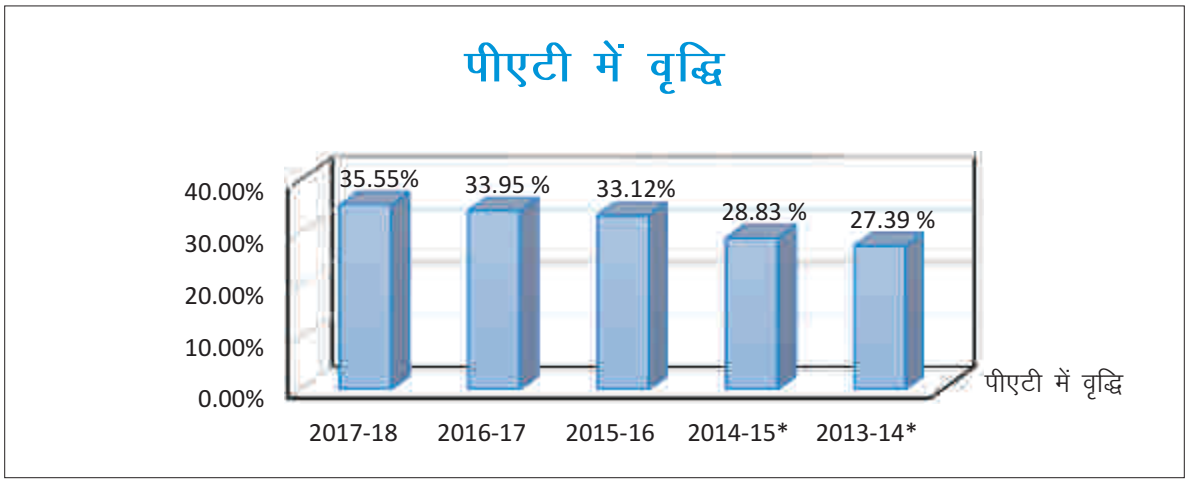

पिछले पांच वर्षों के निवल मूल्य की प्रवृत्ति

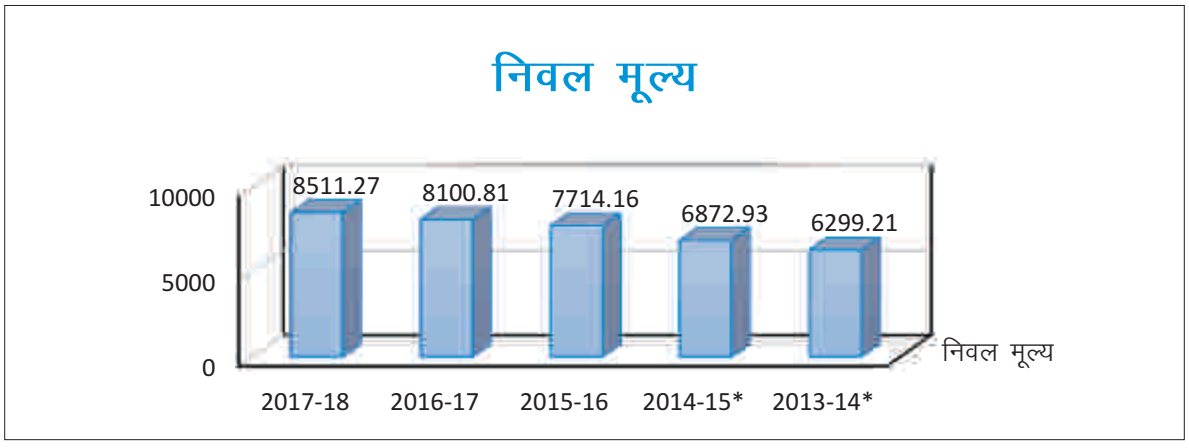

(ख) कमजोरियां

- मुख्य रूप से राज्य विशिष्ट–परियोजनाएं केवल एक राज्य अर्थात उत्तराखंड तक सीमित हैं।
- जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में भूगर्भीय चुनौतियां आती हैं जिनके परिणामस्वरूप विलंब होता है और समय एवं लागत में बढ़ोतरी होती है जिससे टैरिफ में बढ़ोतरी होती है।
- जल विद्युत विकास करने में निर्माणपूर्व अवधि में बहुत अधिक समय लगता है।

- सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व के साथ जुड़ी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयां ।

(ग) अवसरः

- **अत्यधिक अप्रयुक्त जल विद्युत संभाव्यता एवं अस्थिर नवीकरणीय अंतःक्षेपण का बढ़ता हुआ भागः** भारत में जल विद्युत क्षेत्र में भारी संभावना है जो अप्रयुक्त है। दूषित जल–ताप मिश्रण, पवन विद्युत परियोजनाओं में वृद्धि से पूरे दिन ऊर्जा नहीं मिल सकती है, पीक विद्युत कमियों से जल विद्युत को विशेषकर पंप स्टोरेज प्लांट को विद्युत में वृद्धि करने के लिए और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है।

- **पड़ोसी देशों में जल विद्युत संभावनाः** भारत के बाहर विषेशकर नेपाल और भूटान जैसे क्षेत्र में व्यापार के विकास की संभावनाएं हैं जहां भारत सरकार द्विपक्षीय सहयोग प्रदान करती है। कंपनी इन देशों में व्यापार की संभावनाएं तलाश रही है।

- **नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनः** भारत सरकार ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से 175 गी.वा. की क्षमता के संस्थापना का लक्ष्य रखा है। इसमें सौर से 100 गी.वा. पवन से 60 गी.वा., बायोमास से 10 गी.वा. एवं लघु जल विद्युत से 5 गी.वा. शामिल हैं।

- सरकार ने विद्युत कंपनियों पर विशिष्ट नवीकरणीय संसाधनों द्वारा उत्पन्न विद्युत खरीदने या बाजार से नवीनीकरण ऊर्जा प्रमाणन (आरईसी) के क्रय करने के लिए नवीनीकरण क्रय बाध्यता (आरपीओ) भी अधिरोपित की है।

- **भंडारण सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचाः** आने वाली स्टोरेज प्रौद्योगिकी विशेषकर विद्युत वाहनों के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी।

i) **रणनीतिक विविधीकरणः** आपकी कंपनी ने भारत और विदेश में परम्परागत/गैर परम्परागत स्रोतों के माध्यम से विद्युत विकास के अपने लक्ष्य में विस्तार किया है।

- **ताप विद्युतः** उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में 9828 मि.यू. की वार्षिक उत्पादकता वाला 1320 मे.वा. विद्युत संयंत्र 2023 तक तैयार हो जाएगा।

i) **सौर ऊर्जाः** टीएचडीसीआईएल का भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ चरणबद्ध ढंग से 250 मे. वा तक की ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े ग्रिड के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन किया है। तद्नुसार, केरल में 50 मे.वा. की सौर पीवी परियोजना के निर्माण के लिए एसईसीआई, केएसईबी एवं टीएचडीसीआईएल के त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ii) **पवन ऊर्जाः** कंपनी ने पाटन में 50 मे.वा. एवं द्वारका, गुजरात में 63 मे.वा. की पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना करके पहले ही नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विविधीकरण किया है।

iii) **परामर्शः** कंपनी अपनी विशेषज्ञता एवं अनुभव द्वारा अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्यों/निजी क्षेत्र में अपनी परामर्शी सेवाएं दे रही है।

(घ) चुनौतियांः

1. **जटिल प्रक्रिया एवं अनुमति प्राप्त करने में समय लगनाः** पर्यावरण और वन संबंधी अनुमति तथा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (जहां लागू हो) से अनुमति प्राप्त करने के कठोर मानदंड और जटिल प्रक्रिया होने के कारण परियोजनाओं के लिए अनुमति प्राप्त करने में विलंब होता है जिससे क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर पर्यावरण तथा धार्मिक आधार पर गैर–सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध किए जाने के कारण परियोजना मंजूरी तथा उनके कार्यान्वयन में विलंब होता है। कभी–कभी इससे परियोजना छोड़नी भी पड़ जाती है।

- **भूमि अधिग्रहण की जटिल प्रकियाः** अवसंरचना संबंधी कार्य तथा जलमग्नता सहित परियोजना के घटकों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और उसमें काफी समय लगता है।

- **भौगोलिक अनिश्चितताएंः** भौगोलिक विशेषमताओं के कारण, विशेषकर तरूण हिमालय क्षेत्र में समय और लागत में काफी वृद्धि हो जाती है।

- **बढ़ती प्राकृतिक आपदाएंः** चूंकि अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए भू–स्खंलन, पर्वतीय ढ़लानों के ढह जाने और सड़कों के अवरुद्ध होने, बाढ़ और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निर्माण अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा समय और लागत बढ़ जाती है।

- **बाजार की बदलती परिस्थितियांः** सस्ते दर पर लघु अवधि बाजार में विद्युत की उपलब्धता।

- **राज्य विद्युत कंपनियों की बिगड़ती वित्तीय स्थितिः** विद्युत प्रापण को विक्रय करने में असक्षमता, विशेषकर मंहगी बिजली के कारण।

- **जल विद्युत क्षेत्र के ठेकेदारों की खराब वित्तीय स्थिति:** भारत में जल विद्युत के अनुभवी ठेकेदार बहुत खराब वित्तीय स्थिति में है।
- **विनियामक जोखिम:** इस बात की पूरी संभावना रहती है कि विनियामक प्राधिकरण भविष्य में टैरिफ के लिए परियोजना की पूरी लागत पर विचार न करें। टैरिफ विनियमों में आगे और परिवर्तन किए जाने से नकदी प्रवाह प्रचलन परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।
- **जल विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत उत्पादन एवं पीएएफ के लिए कठोर लक्ष्य का निर्धारण:** जलीय परियोजनाओं का निष्पादन मानसून की उपलब्धता एवं कुछेक स्तर तक बर्फ परत पर निर्भर करता है। पिछले पांच वर्षों के सबसे उच्चतर स्तर पर सख्त एमओयू लक्ष्यों का निर्धारण जल विद्युत सीपीएसयू के कार्य निष्पादन में कमी करता है।

भावी दृष्टिकोण:

मानव सभ्यता का भविष्य तकनीकी प्रगति एवं आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करता है जो इस पर निर्भर करता है कि हम आधुनिक समय की ऊर्जा चुनौतियों को कितनी दक्षता से छोड़ते एवं अपनाते हैं। इसके अतिरिक्त "सौभाग्य" स्कीम के कारण भी मांग बढ़ सकती है क्योंकि भारत सरकार देश के प्रत्येक घर को बिजली से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। कंपनी का भावी दृष्टिकोण धारणीय विकास की ओर है जो निम्नलिखित पर केंद्रित है :

- पर्यावरण का संरक्षण करने एवं भविष्य में विद्युत उत्पादन के सुरक्षोपाय करने के लिए ग्रीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को प्रयुक्त करना।
- विद्युत उत्पादन करने के प्रत्येक संसाधन में देश के अन्य राज्यों एवं साथ ही अफ्रीका एवं दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में संभावनाओं को तलाश करना।
- देश भर में विद्युत वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की संभावनाएं तलाश करना। इसका आरंभ करने के लिए एनसीआर एवं देहरादून में ऐसे स्टेशनों के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।
- नेपाल एवं भूटान में भारी जलीय क्षमता है। भूटान में जल विद्युत के विकास के लिए टीएचडीसीआईएल भारत सरकार एवं भूटान सरकार में कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया चला रही है।
- मांग में कमी लाने के लिए ऊर्जा का कार्यकुशल ढंग से प्रयोग। कार्यकुशल, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अभिनव प्रयोग (नवाचार)।

ऊर्जा संरक्षण उपाय, तकनीकी अंगीकरण एवं समावेश, विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

क. ऊर्जा संरक्षण के उपाय

ऊर्जा संरक्षण तथा मांग प्रबंधन उपाय ऊर्जा की चरम और औसत मांग को घटा सकते हैं। संरक्षित ऊर्जा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यावरण और इसके संसाधनों को सुरक्षित रखने में सहायक है। मार्जिन में ऊर्जा संरक्षण में निवेश ऊर्जा आपूर्ति में निवेश बेहतर प्रतिफल देता है।

टीएचडीसीआईएल का विद्युत की मांग कम करने के लिए इसके दक्षतापूर्वक उपयोग में विश्वास है। टीएचडीसीआईएल कंपनी में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

पिछले वर्ष ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निम्नलिखित उपाय किए गए :–

(i) टीएचडीसीआईएल की सभी इकाईयों में सड़क लाइटों सहित पुराने बल्बों को बदलने का काम पूरा किया जा चुका है। हालांकि, दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र में स्थित टिहरी एवं कोटेश्वर में 70% कार्य पूरा हो गया है।

(ii) टीएचडीसीएआईएल, ऋषिकेश के सभी कार्यालीय परिसर में सरस्वती भवन एवं आईटी भवन को छोड़कर गैर ऊर्जा प्रभावी बिजली उपकरणों के बदलने का कार्य पूरा हो चुका है।

(iii) टीएचडीसीआईएल परिसर, ऋषिकेश के आवासीय परिसर में गैर ऊर्जा प्रभावी 40 वा. की फ्लोरसेन्ट ट्यूब के स्थान पर 20 वाट के एलईडी ट्यूब को बदलने का कार्य पूरा हो चुका है।

(iv) 500 कि.वा. रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और यूपीसीएल द्वारा 2.98 लाख रूपए की ऊर्जा की आपूर्ति अपनी स्वयं की खपत के अतिरिक्त नौ माह तक ग्रिड को निर्यात की आपूर्ति करने के लिए दी गई है।

(v) सभी नए गैर आवासीय परिसरों में एलईडी प्रकाश के प्रावधान हैं।

(vi) गैर आवासीय भवनों के लिए विद्युत वितरण प्रणाली के अनुरक्षण/नवीनीकरण में एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया।

(vii) आवासीय और गैर – आवासीय भवनों में फाइव स्टार रेटिंग के छत के पंखें लगाए गए।

(viii) गैर आवासीय भवनों में स्टार रेटिंग के एसी लगाए गए तथा बिना सितारा रेटिंग वाले एसी को पांच सितारा रेटिंग वाले एसी से बदला गया।

कार्यालय परिसर और अतिथिगृहों में लगभग 396 एसी काम कर रहे हैं, जिसमें से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए 308 एसी को स्टार रेटिंग के एसी में बदला गया। विद्युत मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार शेष एसी को भी स्टार रेटिंग के एसी में बदले जाने की योजना है।

पार्क क्षेत्र, कार्यालय और आवासीय क्षेत्र की फेंसिग और प्रकाश व्यवस्था भी सौर प्रणाली से की गई है। दिन के प्रकाश को समुचित ढंग से प्रयुक्त करने के लिए सभी नए भवनों में समुचित प्रावधान किए गए हैं। विद्युत आपूर्ति प्रणाली में सुधार तथा हानि में कमी करने के लिए स्वचालित पावर फेक्टर नियंत्रक लगाए गए हैं। कंपनी अपनी सभी व्यापारिक संस्थापनाओं में एलईडी का उपयोग कर रही है और प्रभावी ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है।

पर्यावरण के उन्नयन के लिए विभिन्न अन्य पहलों के अतिरिक्त ऊर्जा का संरक्षण करना जिसमें ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों को बढ़ावा देना शामिल है। आपकी कंपनी के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सततता कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग रहा है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में ऊर्जा संरक्षण की निम्नलिखित दो परियोजनाओं को पूरा किया है।

1. उत्तर प्रदेश के उन्नाव एवं लखनऊ छावनी जिले एवं उत्तराखंड के उद्यम सिंह नगर में सौर ऊर्जा प्रकाश परियोजना:

इस परियोजना का कार्यान्वयन आउटडोर सामुदायिक गतिविधियों का समर्थन करने, वाणिज्य को बढ़ाने, विशेषकर महिलाओं के लिए सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने, ग्रीन और ऊर्जा बचाने वाली प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय सौंदर्य को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। इस परियोजना के अधीन एनर्जी इफिसिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी एवं पीजीसीआईएल के एक

संयुक्त उद्यम द्वारा 2.47 करोड़ रूपए की लागत से सोलर हाई मास्ट लाईट (एचएमएल) एवं सोलर स्ट्रीट लाईट (एसएसएल) की संस्थापना की गई है।

2. हरिद्वार जिले में गैंदीखाता में ग्रिड से जुड़े 200 कि.वा. सोलर रूफ टॉप संयंत्र का निर्माणः

इस परियोजना के अधीन श्री कृष्णायन देसी गौरक्षा एवं गोलोक धाम समिति एक पंजीकृत सोसाईटी है जो हरिद्वार में 2000 परित्यक्त गायों के लिए एक गौशाला चला रही है, जिसके लिए संयंत्र की कुल लागत अर्थात 110 लाख रूपए में से 30.90 लाख रूपए के अंतराल वित्त पोषण का सहयोग दिया गया। शेष 79.10 लाख रूपए की राशि भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) द्वारा सब्सिडी के रूप में अनुमोदित की गई। गौशाला की विद्युत जरूरतों के अतिरिक्त इस संयंत्र का उद्देश्य गौशाला की प्रचालन लागत को पूरा करने के लिए राजस्व कमाना भी है। इस गतिविधि के समर्थन के पीछे टीएचडीसीआईएल का उद्देश्य ग्रिड को 200 कि.वा. ऊर्जा सुलभ करवाकर राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन में भागीदार बनाना और साथ ही परित्यक्त गायों की मदद करना और उनके लिए सुरक्षोपाय करना भी है।

ख. तकनीकी समावेश, अंगीकरण एवं नवाचार

वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली

टिहरी परियोजना में अब अत्याधुनिक "वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली" शामिल की गई है। जलाशय स्तर एवं इसमें जल भरने की मात्रा की छह घंटे पूर्व का अनुमान जारी किया जा रहा है। यह पूर्वानुमान जनव्यापी रूप से उपलब्ध है। कोई भी इसकी वेबसाइट URL117.239.95.84 के माध्यम से देख सकता है।

इस प्रणाली के प्रथम चरण में टिहरी जल भराव क्षेत्र गंगोत्री तक 11 एडब्ल्यूएस (ऑटोमैटिक वैदर स्टेशन) एवं 4 ऑटोमैटिक नदी स्तर एवं डिस्चार्ज राडार सेंसर संस्थापित किए गए हैं। मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ें ऑटोमैटिक सेंसर एवं डाटा लॉगर में एकत्रित आंकड़ों से प्राप्त किए जा रहे हैं। बांध के ऊपर स्थित अर्थ स्टेशन को जीपीआरएस/जीपीएस प्रौद्योगिकी द्वारा आंकड़ें प्रसारित किए जाते हैं। इन आंकड़ों को आईआईटी, रूड़की एवं टीएचडीसी, ऋषिकेश के डिजाईन विभाग में स्थित मॉडलिंग केंद्रों द्वारा प्रदत्त वेबसाइट के माध्यम से देखा जाता है। इनको संसाधित करने और मॉडलिंग के बाद पूर्वानुमान जारी किया जाता है और प्रशासनिक एवं इंजीनियरिंग प्राधिकारियों को प्रसारित किया जाता है। इस प्रकार की प्रणाली का उपयोग भारत में पहली बार किया जा रहा है। जब जलाशय का स्तर एफआरएल के पास होता है तो इससे उस समय की जानकारी मिलती है जिससे बांध प्राधिकारी इस पर निर्णय ले सकते हैं।

द्वितीय चरण में लीड समय को बढ़ाकर 6 घंटे से 12, 24 एवं 48 घंटे करने के लिए कुछेक और अधिक एडब्ल्यूएस, रिवर लेवल एवं डिस्चार्ज सेंसर संस्थापित किए जाएंगे।

डिजीटल ऐलिवेशन मॉडल

डिजीटल ऐलिवेशन मॉडल संख्यात्मक आंकड़ों की फाइल है जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र की भूमि की सतह पर किसी निर्धारित ग्रिड अंतराल की भौगोलिक सतह का उत्थान शामिल होता है। डीईएम का उपयोग अनेक अनुप्रयोगों जैसे जलीय, मॉडलिंग, रेल, सिविल इंजीनियरिंग, व्यापक स्तर के मानचित्रण एवं दूरसंचार में भूमि की सतह को दर्शाने के उपकरण के रूप में किया जाता है।

बोकांग बैलिंग एच.पी.पी. में पहुंच बहुत सीमित है। इस स्थान पर क्षेत्र का सर्वेक्षण अंकीय उत्थान प्रतिमान का उपयोग करके 15 से.मी. की सटीकता के साथ किया गया है।

टिहरी और कोटेश्वर एचईपी के ईएम उपकरणों की स्थिति की निगरानी

मशीनों की उपलब्धता, विश्वसनीयता एवं जीवनकाल तथा संयंत्र के निष्पादन तथा इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों को ठीक रखने के लिए निगरानी और जांच, मैसर्स केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बंगलौर द्वारा वर्ष 2011–12 से की जा रही है। वित्त वर्ष 2017–18 में टीएचडीसीआईएल ने टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए कंडीशन मॉनीटरिंग कार्य कराया गया है।

पुर्जों का स्वदेशीकरण

टीएचडीसीआईएल द्वारा "**मेक इन इंडिया**" की संकल्पना को बढ़ावा देने के लिए मैसर्स पावर मशीन, रूस द्वारा आपूर्ति किए जा रहे ईएम उपकरण के पुर्जों को टिहरी, एचपीपी पर स्वदेश में ही निर्माण करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इस संबंध में मैसर्स भेल एवं अन्य क्रेताओं द्वारा 250 मे.वा. जेनरेटर के पुर्जे जैसे कि स्टेटर वाईडिंग, रोटर पोल्स, मिडल स्लॉट वैडेज विकसित किए गए हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त 25 प्रकार के तेल एवं हवा के लिए हाई प्रेशर वाल्व और जल के लिए लो प्रेशर वाल्व जो 25 प्रकार के होंगे, को विकसित करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बहुत से अन्य पुर्जों एवं अन्य सहकारी उपकरणों के विकास की प्रक्रिया चल रही है।

सूक्ष्म भूकंपीय एवं शक्तिशाली गति मापक का संस्थापन (एसएमएएस)

भूकंपीय नेटवर्क का उद्देश्य टिहरी बांध क्षेत्र के इर्द–गिर्द सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधियों के दीर्घकालिक आंकड़े एकत्र करना और भूकंपों के संबंध में आंकड़े एकत्र करना है। टिहरी और कोटेश्वर बांध की शक्तिशाली भू–गतियों को अभिलिखित करने तथा भूकंप के दौरान उनकी अनुक्रियाओं को मानीटर करने के लिए शक्तिशाली गति मापक (एसएमएएस) लगाए गए हैं।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(रू. लाख में)

	विवरण	2017-18	2016-17
क	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)**		
	यात्रा	20	14
	परामर्श एवं व्यावसायिक व्यय	236	293
	प्रबंधन/प्रतिबद्धता शुल्क	0	125
	ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान	1315	0
	वस्तुओं का आयात	2571	12517
	योग	**4142**	**12949**
ख	**विदेशी मुद्रा में आय (नकद आधार पर)**	**0**	**0**
ग	**सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य**		
i)	पूंजीगत वस्तुएं	2602	13087
ii)	अतिरिक्त (स्पेयर) पुर्जे	0	0
	योग	**2602**	**13087**
घ	**खपत किए गए भाग, स्टोर्स एवं स्पेयर पुर्जों का मूल्य**		
i)	आयातित (रू. लाख में)	3	68
	%	0.32	14
ii)	स्वदेशी (रू. लाख में)	915	444
	%	99.68	86
च	**निर्यात का मूल्य**	0.00	0.00

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2017-18

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2017–18

खंड–कः कंपनी के बारे में सामान्य सूचनाएं

1. **कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)** : यू45203यूआर1988जीओआई009822
3. **कंपनी का नाम** : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
4. **पंजीकृत पता** : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,
   भागीरथी भवन, भागीरथीपुरम,
   टॉप टेरेस, टिहरी गढ़वाल
5. **वेबसाइट** : www.thdc.co.in
6. **ई मेल आई डी** : cmd@thdc.co.in
7. **जिस वित्त वर्ष से रिपोर्ट संबंधित है** : 2017–18
8. **जिस सेक्टर/जिन सेक्टरों के साथ कंपनी जुड़ी हुई है (औद्योगिक गतिविधि कोड वार) : विद्युत**

*समूह	वर्ग	उप वर्ग	विवरण
351	3510	35101	विद्युत ऊर्जा का उत्पादन

**राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के वर्गीकरण के अनुसार*

8. **उन तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं को सूचीबद्ध करें जिनका कंपनी विनिर्माण करती है/प्रदान करती है (तुलन–पत्र के अनुसार)**
   i. जल विद्युत
   ii. पवन विद्युत
   iii. अभियांत्रिकी परामर्श
9. **उन स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापारिक गतिविधियां चलाई जाती हैं:**
   i. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्याः शून्य
   ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्याः 19

क्र.सं.	कार्यालय का नाम/स्थान	जिला	राज्य	संचालित परियोजनां/गतिविधि
1.	कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश	देहरादून	उत्तराखंड	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सभी परियोजनाएं
2.	एनसीआर कार्यालय, कौशाम्बी	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	थर्मल डिजाइन तथा विद्युत मंत्रालय के साथ जनसंपर्क
3.	पंजीकृत कार्यालय, भागीरथीपुरम	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड	टिहरी एचपीपी (1000 मे.वा.), टिहरी पीएसपी (1000 मे.वा.) तथा कोटेश्वर एचईपी (400 मे.वा.)
4.	परियोजना कार्यालय, कोटेश्वरपुरम	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड	कोटेश्वर एचईपी (400 मे.वा.)
5.	नई परियोजना कार्यालय, न्यू टिहरी शहर (एनटीटी)	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड	नई परियोजनाएं– झेलम तमक एचईपी (108 मे.वा.), बोकांग बेलिंग एचईपी (330 मे.वा.)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम/स्थान	जिला	राज्य	संचालित परियोजना/गतिविधि
6.	परियोजना कार्यालय, अलकनंदा पुरम, पीपलकोटी	चमोली	उत्तराखंड	विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (444 मे.वा.)
7.	परियोजना कार्यालय, खुर्जा	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश	खुर्जा एसटीपीपी (1320 मे.वा.)
8.	परियोजना कार्यालय, बबीना	झांसी	उत्तर प्रदेश	ढुकवां एसएचपी (24 मे.वा.)
9.	परियोजना कार्यालय, राधनपुर	पाटन	गुजरात	पाटन पवन विद्युत फार्म (50 मे.वा.)
10.	परियोजना कार्यालय, देवभूमि द्वारका	देवभूमि द्वारका	गुजरात	देवभूमि द्वारका पवन विद्युत फार्म (63 मे.वा.)
11.	अमेलिया कोयला खान परियोजना कार्यालय	सिंगरौली	मध्य प्रदेश	अमेलिया कोयला खान
12.	परियोजना कार्यालय, जोशीमठ	चमोली	उत्तराखंड	झेलम तमक एचईपी (108 मे.वा.)
13.	परियोजना कार्यालय, धारचुला	पिथौरागढ़	उत्तराखंड	बोकांग बेलिंग एचईपी (330 मे.वा.)
14.	संपर्क कार्यालय, देहरादून	देहरादून	उत्तराखंड	उत्तराखंड सरकार एवं आर एंड आर कार्य के लिए संपर्क
15.	संपर्क कार्यालय, पंचकुला	पंचकुला	हरियाणा	चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ संपर्क
16.	संपर्क कार्यालय, नैनीताल	नैनीताल	उत्तराखंड	माननीय उच्च न्यायलय, उत्तराखंड में न्यायिक मामले
17.	संपर्क कार्यालय, लखनऊ	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	ढुकवां एसएचपी (24 मे.वा.) तथा उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क
18.	परामर्श कार्यालय, कटरा	रियासी	जम्मू–कश्मीर	कटरा तथा वैष्णों देवी के बीच ढलान स्थिरीकरण के लिए परामर्श
19.	ट्रांजिट कैंप, एनबीसीसी टॉवर	नई दिल्ली	नई दिल्ली	मंत्रालय तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से जनसंपर्क

10. कंपनी की सेवा प्राप्त करने वाले बाजार :

टीएचडीसीआईएल निम्नलिखित लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बिजली उपलब्ध कराता है :

i) उत्तराखंड
ii) उत्तर प्रदेश
iii) हरियाणा
iv) पंजाब
v) मध्य प्रदेश
vi) जम्मू और कश्मीर
vii) राजस्थान
viii) दिल्ली
ix) चंडीगढ़
x) गुजरात

खंड खः कंपनी के वित्तीय ब्यौरे

1. **प्रदत्त पूंजी** : 3627.43 करोड़ (31.03.2018 के अनुसार)
2. **कुल कारोबार (सकल आय)** : 2228.73 करोड़
3. **करोपरांत कुल लाभ (पीएटी)** : 778.74 करोड़

4. **करोपरांत लाभ (%) के प्रतिशत के रुप में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्चः**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी की विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए पूर्ववर्ती तीन वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत 16.17 करोड़ रूपए होता है। तथापि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा 19.59 करोड़ रू. सीएसआर बजट के रूप में अनुमोदित किए गए। कंपनी अधिनियम, 2013 में समाहित प्रावधानों के अनुसार व्यय के लक्ष्य को 16.20 करोड़ रू. खर्च करके सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

5. **उन गतिविधियों की सूची जिनके लिए उपरोक्त 4 में व्यय किया गया हैः**

कंपनी ने वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान मोटे तौर पर निम्नलिखित मुख्य शीर्षों पर सीएसआर व्यय किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुरूप हैः

1	2	3	4	5	6	7
क्र सं.	**सीएसआर परियोजना या गतिविधि**	**क्षेत्र (सेक्टर)**	**स्थानीय क्षेत्र एवं जिला**	**अनुमोदित बजट (लाख रूपये में)**	**खर्च की गई राशि (लाख रूपये में)**	**खर्च की गई राशिः सीधी या कार्यान्वित करने वाली एजेंसी के माध्यम से**
1	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि	स्वास्थ्य	परियोजना प्रभावित क्षेत्र (उत्तराखंड)	1959.48	191.14	सेवा–टीएचडीसी
2	शिक्षा एवं रोजगार बढ़ाने के लिए, व्यावसायिक कौशल आदि	शिक्षा			749.67	सेवा–टीएचडीसी
3	महिला सशक्तिकरण	महिला सशक्तिकरण			26.05	सेवा–टीएचडीसी
4	पर्यावरण सततता आदि	पर्यावरण			144.62	सेवा–टीएचडीसी
5	राष्ट्रीय विरासत कला संस्कृति को प्रोत्साहन	कल्याण			195.22	सेवा–टीएचडीसी
6	खेल–कूद को प्रोत्साहन	खेल–कूद			19.79	सेवा–टीएचडीसी
7	ग्रामीण विकास कार्यक्रम	सामाजिक			245.02	सेवा–टीएचडीसी
8	निष्पादन करने वाली एजेंसी (सेवा–टीएचडीसी) के कार्यालयीन व्यय / बेस लाईन सर्वेक्षण / विशेषज्ञों के दौरे पर खर्च				48.50	सेवा–टीएचडीसी
	कुल			**1959.48**	**1620.01**	

खंड गः अन्य ब्यौरे

1. **क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियां हैं ?**

   नहीं

2. **क्या सहायक कंपनी / कंपनियां मूल कंपनी की बी आर पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी / कंपनियों की संख्या का उल्लेख करें**

   लागू नहीं

3. **क्या कोई अन्य इकाई / इकाईयां (अर्थात आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी इकाई / इकाईयों के प्रतिशत का उल्लेख करें (30 प्रतिशत से कम, 30–60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)**

   नहीं

खंड घः बी आर संबंधी सूचना

1. **बी आर के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के विवरण**

क) बी आर नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के ब्यौरे :

- डी आई एन नं. – 03107819
- नाम – श्री डी. वी. सिंह
- पदनाम – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

बीआर शीर्ष का ब्यौरा

1. बीआर नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी अलग–अलग निदेशक

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति / नीतियां	उत्तरदायी निदेशक / निदेशकगण
सिद्धांत 1 (पी 1)	व्यापार नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संचालित व सुशासित किए जाएं	• आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली • कामगारों के लिए स्थायी आदेश • कारपोरेट आचार नीति • व्यापारिक आचार और नैतिक संहिता • सचेतक नीति • सत्यनिष्ठा समझौता	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)
सिद्धांत 2 (पी 2)	व्यापार द्वारा ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन काल के दौरान सततता में योगदान करें।	सुरक्षा नीति, सीएसआर और सततता नीति ओएचएसएएस 18001: 2007	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 3 (पी 3)	व्यापार द्वारा सभी कर्मचारियों के हित को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए	मानव संसाधन (एच आर) नीतियां	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 4 (पी 4)	व्यापार द्वारा सभी हितधारियों विशेषकर वंचित, कमजोर तथा सीमांत हितधारकों के हितों का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।	विजन व मिशन आर एंड आर नीति	निदेशक (तकनीकी)

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति / नीतियां	उत्तरदायी निदेशक / निदेशकगण
सिद्धांत 5 (पी 5)	व्यापार द्वारा मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।	विजन, मिशन और मूल्य	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 6 (6)	व्यापार द्वारा पर्यावरण का सम्मान और उसका संरक्षण किया जाना चाहिए तथा पर्यावरण को बहाल करने के प्रयास करने चाहिए	पर्यावरण नीति आईएसओ 14001–2015 (ईएमएस)	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 7 (7)	व्यापार, जब जनता और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों तो उन्हें उत्तरदायी रीति से यह कार्य करना चाहिए।	मूल मान्यताएं (कोर वैल्यू)	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)
सिद्धांत 8 (8)	व्यापार द्वारा समावेशी विकास तथा समता मूलक विकास का समर्थन किया जाना चाहिए।	सीएसआर और सततता नीति सीएसआर संचार रणनीति	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 9 (9)	व्यापार जगत को अपने ग्राहकों के साथ जुड़े रहना चाहिए तथा उन्हें अपने ग्राहकों को उत्तरदायी रुप में महत्व देना चाहिए	उपभोक्ता प्रति–पुष्टि तंत्र (फीडबैक तंत्र)	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)

सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति / नीतियां (उत्तर हां / नहीं)

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या..... के लिए आपकी कोई नीति / नीतियां है	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
2.	क्या संगत हितधारियों से परामर्श करने के उपरांत नीति तैयार की गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नही
3.	क्या नीति किन्हीं राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं? यदि हां, तो स्पष्ट उल्लेख करें–	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
4.	i. क्या नीति को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त है? ii. यदि हां, तो क्या प्रबंध निदेशक / मालिक / सीईओ / यथोचित बोर्ड निदेशक ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं?	हां हां	हां हां	हां हां	हां हां	हां हां	हां हां	हां हां	हां हां	नहीं नहीं
5.	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कंपनी में बोर्ड / निदेशक / कार्मिकों की विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
6.	नीति (पालिसी) को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक का उल्लेख करें	*	*	वेब पर नहीं	*	वेब पर नहीं	*	वेब पर नहीं	*	*
7.	क्या सभी संगत आंतरिक और बाहरी हितधारियों को नीति के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया जा चुका है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
8.	क्या नीति/नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी के पास आंतरिक ढांचा है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
9.	क्या नीति/नीतियों से जुड़ी हितधारकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए कंपनी की नीति/नीतियों से जुड़ा कोई शिकायत निवारण तंत्र है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी से इस नीति के कामकाज की स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाया है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	

*** पर्यावरण नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**

http://www.thdc.co.in/content/environment-policy

*** पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**

http://www.thdc.co.in/content/rr-policy

*** सीएसआर और सततता नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**

http://thdc.co.in/sites/default/files/CSR-CD-policy28.05.13.pdf

*** टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार रणनीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**

http://thdc.co.in/sites/default/files/CSR_CommuStrategy.pdf

*** कारपोरेट आचार संहिता नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**

कारपोरेट आचार संहिता के लाभग्राही केवल कंपनी के कर्मचारी हैं। इसलिए कारपोरेट आचार संहिता नीति केवल इंट्रानेट अर्थात कर्मचारियों के लॉग–इन पर उपलब्ध है।

*** सचेतक नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**

सचेतक नीति के लाभग्राही केवल कंपनी के कर्मचारी है। इसलिए सचेतक नीति केवल इंट्रानेट अर्थात कर्मचारियों के लॉग–इन पर उपलब्ध है।

*** व्यापार आचार संहिता और नैतिक आचार संहिता निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**

व्यापार आचार संहिता और नैतिक आचार संहिता के लाभग्राही केवल कंपनी के कर्मचारी हैं। इसलिए व्यापार आचार संहिता और नैतिक आचार संहिता केवल इंट्रानेट अर्थात कर्मचारियों के लॉग–इन पर उपलब्ध है।

*** अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**

http://www.thdc.co.in/sites/default/files/R%26D_Policy_THDC.pdf

*** सुरक्षा नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**

http://www.thdc.co.in/sites/default/files/Occupational_Health%26Safety.pdf

2. यदि किसी सिद्धांत के लिए क्र.सं. 1 का उत्तर ''नहीं'' है तो कृपया कारण बताएं (दो विकल्पों परध) का निशान लगाएं)।

लागू नहीं

3. बीआर से संबंधित सुशासन

- जिस अंतराल पर निदेशक मंडल, बोर्ड की समितियां या मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कंपनी के बी आर निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं, उसका उल्लेख करें :– छमाही
- क्या कंपनी बीआर या सततता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? कितने समय के अंतराल पर इसका प्रकाशन किया जाता है?

टीएचडीसीआईएल वर्ष 2008–09 से हर वर्ष सततता रिपोर्ट प्रकाशित करती है। टीएचडीसीआईएल की सततता रिपोर्ट http://thdc.co.in/ पर उपलब्ध हैः

व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट टीएचडीसीआईएल की वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

खंड डः सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1 (व्यापारों का संचालन व सुशासन आचार, पारदर्शी और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए)

1. क्या आचार नीति, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति के दायरे में केवल कंपनी ही आती है? हां/नहीं। क्या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों पर लागू है?

टीएचडीसीआईएल ने कंपनी अधिनियम/डीपीई दिशा–निर्देशों के अंतर्गत कारपोरेट सुशासन की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाने का प्रयास किया है। सुशासन में कंपनी के सभी कार्मिकों की जवाबदेही शामिल होती है तथा यह निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई कंपनी की नीतियों पर आधारित होता है। इन नीतियों में उल्लिखित सिद्धांतों को दिशा–निर्देशों और आचार संहिता के माध्यम से परिभाषित किया जाता है।

आचार नीति, सचेतक नीति, कार्यपालकों और पर्यवेक्षकों के लिए आचरण, अनुशासन और अपील नियम तथा कामगारों के लिए स्थायी आदेश पहले ही प्रचलन में है जिनका उद्देश्य भ्रष्टाचार से जुड़े जोखिम को कम करना है।

जल विद्युत क्षेत्र में परियोजनाओं के निर्माण में कार्यकलापों की प्रकृति के आधार पर बड़ी मात्रा में धनराशि शामिल होती है। टीएचडीसीआईएल द्वारा अवार्ड किए गए सभी प्रमुख कार्य अनुबंधों (1000.0 मिलियन से अधिक अनुमानित लागत) तथा आपूर्ति और सेवा कार्यों (500.00 मिलियन से अधिक अनुमानित लागत) के लिए अनिवार्य रूप में सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि प्रापण (खरीददारी) और संविदा प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके और उसे सुदृढ़ किया जा सके।

इस प्रकार यह नीति ठेकेदारों पर भी लागू होती है।

2. गत वित्त वर्ष के दौरान हितधारियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है तथा प्रबंधन द्वारा उनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषप्रद रूप से समाधान किया गया है? यदि हां तो 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

पूर्ववर्ती वर्ष की कोई शिकायत बकाया नहीं है। दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि के बीच सचेतक नीति के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सिद्धांत 2 (व्यवसायों को उन सामानों और सेवाओं को प्रदान करना चाहिए जो सुरक्षित हैं और उनके जीवन चक्र में स्थिरता हेतु योगदान करते हैं)

1. अपने 03 उत्पादों या सेवाओं की सूची उपलब्ध करवाएं जिनकी डिजाइन से सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता जोखिम और/या अवसर उपस्थित हुए हैं।

जल विद्युत उत्पादन और पवन विद्युत उत्पादन

सभी विद्युत उत्पादन पद्धतियों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। जल विद्युत क्षेत्र एवं पवन विद्युत क्षेत्र में होने के कारण प्रभाव न्यूनतम है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत हैं। कंपनी, संव्यवहार अपने प्रचालनों का प्रभाव सीमित करने के लिए पर्यावरण का प्रबंधन सावधानीपूर्वक करती है।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए संसाधन के प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा उपलब्ध करवाएं, प्रति ईकाई उत्पाद (वैकल्पिक):

क. पिछले वर्ष की तुलना में पूरी वैल्यू चेन के दौरान

स्रोत/उत्पादन/वितरण में प्राप्त की गई कमी कितनी है?

ख. पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं द्वारा (ऊर्जा, जल) प्रयोग में की गई कमी?

टीएचडीसीआईएल जल विद्युत और पवन विद्युत के माध्यम से बिजली पैदा कर रहा है। जल विद्युत परियोजनाएं जल की खपत किए बिना इसका उपयोग कर बिजली उत्पादन करती है और इस जल को पीने और सिंचाई के प्रयोजन से छोड़ दिया जाता है। पवन विद्युत पवन की गति का प्रयोग करते हुए विद्युत का उत्पादन करती है तथा इसमें भी संसाधनों की कोई खपत/कमी नहीं होती।

3. क्या सतत स्रोत (परिवहन सहित) के लिए कंपनी की कोई प्रक्रिया–विधियां है ?

i. यदि हां, तो आपकी इनपुट का कितना प्रतिशत दीर्घकालिक रूप से किया गया ? साथ ही लगभग 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

जल विद्युत उत्पादन के लिए जल का प्रयोग किया जाता है तथा पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की गति को प्रयोग में लाया जाता है, दोनों संसाधन प्राकृतिक स्रोत हैं और इस विद्युत उत्पादन प्रक्रिया में इसकी मात्रा और गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है।

4. क्या कार्यस्थल के आस–पास स्थित समुदाय के लोगों सहित स्थानीय और लघु उत्पादकों से माल और सेवाएं प्राप्त करने के लिए कंपनी ने कोई कदम उठाए हैं? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और योग्यता बढ़ाने लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

माल कार्य/सेवाओं का प्रापण ई–टेंडर के जरिए किया जाता है। व्यापक प्रचार करने के लिए समाचार पत्रों में एनआईटी भी प्रकाशित की जाती हैं। सभी टेंडर सभी वेंडरों के लिए खोले जाते हैं जिनमें स्थानीय वेंडर भी शामिल होते हैं।

स्थानीय/छोटे वेंडरों/ठेकेदारों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

- ई–टेंडरिंग में स्थानीय/छोटे वेंडरों को ई–टेंडरिंग के प्रति संवेदनशील किया जा रहा है। टीएचडीसीआईएल द्वारा खोले गए ''सुविधा केंद्रों'' के माध्यम से इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से पंजीकरण एवं टेंडर अपलोड करने के लिए विक्रताओं की सहायता की जाती है।
- 2.0 करोड़ रू. तक के मूल्य के टेंडर स्थानीय/क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। 2.0 करोड़ रू. से अधिक मूल्य के टेंडर राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों के साथ–साथ स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाते हैं ताकि उनमें अधिक से अधिक स्थानीय और लघु उत्पादक भाग ले सकें।
- टाउनशिप के अवसंरचनात्मक/अनुरक्षण कार्यों से संबंधित छोटे कार्य स्थानीय ठेकेदारों को अवार्ड किए जाते हैं।
- परियोजनाओं/व्यापारिक संस्थापनाओं के लिए वाहन किराए पर लेना, कार्यालय परिसर की सफाई, बागवानी कार्य जैसी सेवाएं स्थानीय विक्रेताओं/एजेंसियों के माध्यम से करायी जाती हैं।
- विशेषज्ञता कार्य में जुटे प्रमुख ठेकेदारों को स्थानीय विक्रेताओं/एजेंसियों की सेवाएं लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उपक्रमों से प्रापण को बढ़ावा देने के क्रम में टेंडर की लागत एवं ईएमडी के भुगतान से छूट भी दी जाती है।
- एक अलग एमएसएमई कार्नर वेबसाइट में प्रदान किया गया है, जिसमें किसी वित्तीय वर्ष के लिए ब्यौरा अपलोड किया जा रहा है। यह एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किया गया है।
- सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों तथा सभी स्टार्ट–अप (चाहे एमएसएमई या अन्य) को पूर्व कारोबार और पूर्व–अनुभव के संबंध में योग्यता मानदंड को पूरा करने में कुछ छूट दी जाती है।

5. क्या उत्पादों और अपशिष्ट का पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) करने का कोई तंत्र कंपनी के पास है। यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्ट का पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) करने का प्रतिशत क्या है (अलग–अलग <5 प्रतिशत, 5–10 प्रतिशत, >10 प्रतिशत) लगभग 50 शब्दों में उनका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

हमारे उत्पाद अर्थात बिजली की पूरी की पूरी खपत हो

जाती है और इसलिए पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) की कोई गुंजाइश नहीं है। ई–अपशिष्टि का निपटान सरकार द्वारा अनुमोदित पक्षों के माध्यम से किया जाता है।

टीएचडीसीएल द्वारा नगर क्षेत्र, कैंटीन की ठोस छीजन एवं बागवानी छीजन के उत्पादक प्रयोग के लिए ऋषिकेश नगर क्षेत्र में बायो गैस संयंत्र की भी स्थापना की गई है। संयंत्र की क्षमता 500 किलोग्राम प्रतिदिन है। संयंत्र से उत्पादित बायो गैस का प्रयोग कैंटीन/अतिथि गृह की रसोई में तापीय अनुप्रयोग के लिए किया जाता है जबकि खाद का प्रयोग इन हाउस बागवानी गतिविधियों के लिए किया जाता है। टीएचडीसीआईएल की ऋषिकेश टाऊनशिप से मलजल के उपचार हेतु मलजल उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है।

सिद्धांत 3 (व्यापार को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए)

1. **कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं: 1922 (31.03.2018 के अनुसार)**

2. **कृपया अस्थायी/संविदा/तथा आकस्मिक आधार पर मेहनताने के एवज में रखे गए कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   कंपनी मेहनताने के एवज में अस्थायी अथवा संविदा आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त नहीं करती। तथापि, कंपनी के बिजनेस माड्यूल में विभिन्न क्रियाकलापों जैसे निर्माण, उत्थापन, विशेषज्ञतायुक्त परामर्शी सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग का प्रावधान किया गया है जिससे बड़ी मात्रा में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। केवल 7 डाक्टर संविदा आधार पर नियुक्त किए गए हैं।

3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें।**

   116

4. **कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें।**

   32

5. **क्या आपकी कंपनी में ऐसी कोई कर्मचारी एसोसिएशन है जिसे प्रबंधन ने मान्यता प्रदान की हो।**

टीएचडीसीआईएल में निम्नलिखित एसोसिएशन/यूनियनें हैं:

- टीएचडीसी आफिसर्स एसोसिएशन
- टीएचडीसी डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन
- टीएचडीसी सुपरवाइजर एसोसिएशन
- टीएचडीसी चालक/हेल्पर कर्मचारी यूनियन
- टीएचडीसी श्रमिक संघ
- टीएचडीसी वर्कर्स यूनियन
- टीएचडीसी आईटीआई तकनीकी कर्मचारी संघ
- टिहरी जल विकास निगम लिमिटेड कर्मचारी संघ

6. **आपके कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य हैं?**

   वर्तमान में 1656 (87.15 प्रतिशत) स्थायी कर्मचारी इन एसोसिएशनों/यूनियनों के सदस्य हैं।

7. **कृपया पिछले वित्त वर्ष के दौरान बाल श्रम, बेगार, यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों की संख्या तथा वित्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें।**

क्र.सं.	श्रेणी	वित्त वर्ष के दौरान की गई शिकायतों की सं.	वित्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.
1	बाल श्रम/बेगार/गैर–स्वैच्छिक श्रम	शून्य	लागू नहीं
2	यौन उत्पीड़न	शून्य	लागू नहीं
3	रोजगार में भेदभाव	शून्य	लागू नहीं

8. आपके नीचे वर्णित कितने प्रतिशत कर्मचारियों को गत वर्ष संरक्षा और कौशल सुधार संबंधी प्रशिक्षण दिया गया?–(2017–18)

	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या		प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रतिशत	
	सुरक्षा में प्रशिक्षण	कौशल उन्नयन	संरक्षा में प्रशिक्षण	कौशल उन्नयन
स्थायी कर्मचारी (कुल सं. 1922)	85	103	4.47% (85/1922*100)	5.42% (103/1922*100)
स्थायी महिला कर्मचारी (कुल सं. 116)	1	1	0.86% (1/116*100)	0.86% (1/116*100)
आकस्मिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी	-	-	-	-
विकलांग कर्मचारी (कुल सं. 32)	-	2	-	6.25% (2/32*100)

सिद्धांत 4 (व्यापार को समस्त हितधारियों विशेषकर वंचितों, कमजोर और सीमांत के हितों की रक्षा के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए)

11. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक तथा बाहरी हितधारियों की गणना की है?

हां

2. क्या कंपनी ने उपर्युक्त में से वंचित कमजोर और सीमांत हितधारियों की पहचान की है?

हां

3. क्या वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारियों को नियुक्त करने के लिए कोई विशेष पहल की गई है? यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

कंपनी, वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारियों के उत्थान के लिए तत्पर रहती है। शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्व–सहायता समूह के गठन तथा रिवाल्विंग फंड प्रदान करने के रूप में दी गई सतत सहायता और समर्थन के कारण उनकी जीवन शैली में सुधार हुआ है। उनके लिए स्वास्थ्य जागरुकता और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए हैं।

सिद्धांत 5 (व्यापार को मानवाधिकारों को सम्मान एवं बढ़ावा देना चाहिए)

1. क्या मानव अधिकार से संबंधित कंपनी की नीति के दायरे में केवल कंपनी आती है या यह समूह / संयुक्त उपक्रमों / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / गैर सरकारी संगठनों / अन्यों पर भी लागू है?

टीएचडीसीआईएल की सभी कार्मिक नीतियां, इकाइयों, कार्यालयों और परियोजनाओं में तैनात इसके सभी कर्मचारियों पर लागू होती हैं। कंपनी द्वारा अवार्ड किए गए ठेकों में मानवाधिकार से जुड़े प्रावधान शामिल होते हैं तथा विभिन्न श्रम कानूनों तथा भूमि कानूनों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है।

2. पिछले वित्त वर्ष के दौरान हितधारियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों का समाधान प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रुप से किया गया?

वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की शिकायत सहित मानवाधिकार से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत 6 (व्यापार को पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण तथा पुनर्स्थापन करना चाहिए)

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति के दायरे में केवल कंपनी आती है या यह समूह / संयुक्त उद्यमों / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / गैर–सरकारी संगठनों / अन्यों पर भी लागू है।

टीएचडीसीआईएल की पर्यावरण नीति इसके सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। ठेकों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े खंड हैं ताकि हमारे ठेकेदार, शिकमी ठेकेदार,

आपूर्तिकर्ता और परामर्शदाता उनकी गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने पर पर्याप्त ध्यान दे सकें।

कर्मचारियों के लिए सततता विकास जागरूकता पर आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

2. **क्या जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए कंपनी ने कोई रणनीति तैयार की है/पहलें की हैं, यदि हां, तो वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें।**

हां, टीएडीसीआईएल पर्यावरण नीति का वेब लिंक हैं– http://www.thdc.co.in/Content/Environment-Policy

3. **क्या कंपनी पर्यावरण जोखिम से जुड़े बड़े खतरों की पहचान कर उनका मूल्यांकन करती है? हां/नहीं**

हां। परियोजना की तैयारी के स्तर पर विस्तृत पर्यावरण प्रभाव का आंकलन किया जाता है और पर्यावरण योजना तैयार की जाती है जिसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाता है। उत्तराखंड में निर्माणाधीन विष्णुगाड पीपलकोटी एचई परियोजना (444 मेगावाट) के लिए प्रयासों की समीक्षा एवं सर्वोत्तम पद्धति अपनाने के लिए विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय पैनल गठित किया गया है। इस जानकारी को अन्य परियोजनाओं में भी लागू किया जा रहा है।

4. **क्या कंपनी की क्लीन डेवलपमेंट मेकैनिज्म से जुड़ी कोई परियोजना है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं। यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है?**

वर्तमान में कंपनी की क्लीन डेवलपमेंट मेकैनिज्म एकजीक्यूटिव बोर्ड के साथ पंजीकृत कोई परियोजना नहीं है।

5. **क्या कंपनी ने क्लीन टेक्नोलाजी, ऊर्जा कार्यकुशलता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के बारे में कुछ अन्य पहलें शुरू की हैं। हां/नहीं। यदि हां, तो वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें।**

कंपनी जल विद्युत एवं पवन विद्युत उत्पादन करती है जो अपने आप में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा है। कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में 500 कि.वा. सोलर रूफ टॉप भी संस्थापित किया गया है। 24 मे.वा. की लघु जल विद्युत परियोजना ढुकवां, झांसी, उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है जिसको 2018–19 में चालू किया जाना है। कासरगोड, केरल में सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के साथ 50 मे. वा. सौर ऊर्जा संयंत्र के विकास के लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के साथ पीएसए और भूमि–करार यथा–शीघ्र हस्ताक्षरित किए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

6. **क्या आलोच्य वित्त वर्ष के दौरान सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार कपंनी द्वारा किया गया उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्धारित सीमा के भीतर है?**

हां

7. **वित्त वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त लंबित कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या (अर्थात संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किए गए थे)**

आलोच्य अवधि में सीपीसीबी/एसपीसीबी से कोई कारण बताओ/कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ।

सिद्धांत 7 (व्यापार जब जनता तथा विनियामक नीति को प्रभावित करने लगे, उसे ऐसा उत्तरदायित्व के साथ करना चाहिए)

1. **क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड चेम्बर या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां तो केवल उन प्रमुख संस्थाओं के नाम बताएं जिनके साथ आपका व्यापारिक संबंध है।**

क. ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए)

ख. स्टैंडिंग कांफ्रेस ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (स्कोप)

2. **क्या आपने अपनी एसोसिएशन के माध्यम से लोक हित को आगे बढ़ाने या उसमें सुधार लाने का समर्थन किया है? हां/नहीं, यदि हां तो प्रमुख क्षेत्रों का विशेष उल्लेख करें (ड्राप बाक्सः सुशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा सतत व्यापारिक सिद्धांत, अन्य)**

जिम्मेदार केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते टीएचडीसीआईएल, देश के कानूनों, नियमों, विनियमों और सार्वजनिक नीतियों का अनुपालन करने के प्रति

प्रतिबद्ध है। कंपनी अपनी नीतियां तैयार करते समय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नीतियां और दिशा–निर्देशों तथा सांविधिक निर्देशों को ध्यान में रखती है।

जब कभी भी मौजूदा नीतियों और दिशा–निर्देशों की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को मत/सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि वह उन पर विचार कर सके। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तुत किए गए मत/सुझाव कंपनी या समाज के किसी वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर न तैयार किए गए हों बल्कि समग्र जनता और संपूर्ण राष्ट्र के व्यापक लाभ के लिए तैयार किए गए हों।

सिद्धांत 8 (व्यापार को समग्र वृद्धि और समान विकास के लिए सहयोग देना चाहिए)

1. **क्या सिद्धांत 8 से जुड़ी नीति के बारे में कंपनी के विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहलें/परियोजनाएं हैं? यदि हां तो उसका ब्यौरा दें।**

वर्ष 2009 से ही टीएचडीसीआईएल के सीएसआर कार्यक्रम का केंद्र बिंदु लक्षित समुदायों के विकास पर रहा जो स्वयं बृहद परिप्रेक्ष्य में समान विकास का द्योतक है। तदनुसार 3 मुख्य दीर्घावधि परियोजनाएं बनाई गई तथा उन्हें टिहरी परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ये निम्नवत हैं:–

(क) एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर के माध्यम से समन्वित विकास दृष्टिकोण द्वारा प्रताप नगर ब्लॉक में टिहरी बांध जलाशय की 30 रिम क्षेत्र गांवों की जीविका का सशक्तिकरण एवं संवर्धन।

(ख) किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से टिहरी गढ़वाल के ऊपरी रमोली प्रताप नगर ब्लॉक के 20 गांवों में सतत जीविका एवं संसाधन प्रबंधन के लिए ग्रामीण समुदायों की पारिस्थितिकी की पुनर्स्थापना एवं सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण।

(ग) 20 गांवों में जीविका सुरक्षा कार्यक्रम जो अब 2015–16 से जिला टिहरी गढ़वाल के कोटेश्वर क्षेत्र भिलंगना ब्लॉक में वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली होर्टिकल्चर एंड फोरेस्टरी यूनिवर्सिटी के अधीन कालेज आफ फोरेस्टरी, रानीचौरी के माध्यम से जारी है।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है:

- कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कृषक स्वयं सहायता समूहों (प्रत्येक समूह में औसतन 10 महिला सदस्यों के साथ लगभग 150) के माध्यम से।
- कार्यभार कम करने, चारा घास रोपण, कृमि खाद के गड्ढे बनाने, तकनीकी हस्तक्षेपों, पॉलिहॉउस स्थापित करने तथा हाइब्रिड बीज/फलों के पौधों के साथ कृषकों की सहायता करने आदि के माध्यम से महिला कृषकों में अरूचि और तनाव को कम करना।
- नवीनतम वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के साथ कृषि को बढ़ावा देने तथा प्रचलित फसल/फार्मिंग प्रणाली और बाधाओं को समझाते हुए परंपरागत कृषि पद्धतियों में सुधार करना।
- मसालों की खेती, लहसुन/अदरक उत्पादन, सब्जी उत्पादन, अजवाइन अथवा जड़ी–बूटी उत्पादन का संवर्धन तथा स्थानीय बाजार में पहुंच के लिए मूल्य श्रृंखला तैयार करना।
- कृषि–बागवानी फसलों, पशुधन आदि सहित फसलों की उत्पादकता तथा फार्मिंग प्रणालियों के अन्य घटकों में सुधार करना।
- ग्रामीण युवकों तथा महिला कृषकों की संपेषणीयता के लिए उनको बाजार के साथ बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए उनकी क्षमता–निर्माण करना।
- शिविरों और प्रशिक्षणों के माध्यम से तथा बागवानी (फल), खाद्य फसल, जड़ी–बूटी, औषधीय पौधों, अदरक, गैर–मौसमी सब्जियों आदि के लिए प्रदर्शन प्लॉट्स विकसित करते हुए कैम्पों एवं प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना।
- उत्पादों के शीघ्र विक्रय हेतु बाजार–संयोजन के लिए कार्यतंत्र की खोज करना।
- खाना–पकाने, स्वच्छ–पेयजल, मृदा प्रबंधन की सुधार पद्धतियों को बढ़ावा देना।
- जल प्रबंधन, वन विकास, बंजर भूमि प्रबंधन, जल दोहन, पशुचारा विकास, ढलान–भूमि प्रबंधन, जलधारा परिस्थितियों विज्ञान आदि के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन।
- जल संरक्षण और इससे संबंधित परंपरागत ज्ञान।

- दुग्ध उत्पादन हेतु पशुधन प्रबंधन तथा उत्पादन/आय बढ़ाने के लिए पशुचारा विकास।

इन परियोजनाओं के माध्यम से लाभ

कुछ लाभों को मोटे–तौर पर निम्नलिखित रूप में उल्लिखित किया गया है:

- कृषि कार्यक्रमों के माध्यम से कृषकों में आजीविका के स्रोत के रूप में कृषि को अपनाने हेतु विश्वास का स्तर बढ़ा है।
- पिछले वर्षों में आय और जीवन स्तर में वृद्धि हुई है।
- आय से वृद्धि होने से वे कृषि के अलावा अन्य छोटे उद्यम शुरू करने में समर्थ बने हैं।
- ग्रामीण समुदायों की भागीदारी स्तर में वृद्धि हुई।
- इन कृषि विकास कार्यक्रमों से कृषकों की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है।
- यह कार्यक्रम, स्थानीय ज्ञान और नवीनतम तकनीकी नवोन्मेष को साथ लाने में सफल रहा है।
- इसलिए ये कार्यक्रम संसाधन प्रबंधन तथा परिवेशी पर्यावरण और विकास को रोकने में सहायक रहे हैं।
- यह भी देखा जा सकता है कि ग्रामीण विकास और कृषक समुदाय के राष्ट्रीय लक्ष्यों को समग्र रूप से प्राप्त किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा कंपनी ने डीपीई दिशा–निर्देशों तथा टीएचडीसी सीएसआर नीति के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत समुदाय के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए है:

शिक्षा और स्वास्थ्य

क. शिक्षा : वंचित/सुविधाहीन समुदायों को शिक्षा मुहैय्या करवाने, उच्च और तकनीकी शिक्षा केंद्र की स्थापना करने, व्यावसायिक शिक्षा और अवसंरचनात्मनक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप किए गए हैं। प्रमुख हस्तक्षेप निम्नलिखित है:

1. वंचित/सुविधाहीन समुदायों के लिए विद्यालयों का संचालन:

टीएचडीसीआईएल, अपनी ''टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी (टीईएस)'' के माध्यम से 63 योग्य शिक्षकों/कर्मचारियों की सहायता से दो स्थानों नामत: पिछड़े टिहरी गढ़वाल जिले के टिहरी और कोटेश्वर में एक एवं ऋषिकेश में वंचित/सुविधाहीन समुदायों के लिए एक विद्यालय का संचालन कर रहा है। इन विद्यालयों में नजदीकी इलाकों के पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 427 छात्राओं सहित 870 विद्यार्थी हैं। इन विद्यालयों में नाममात्र का शुल्क लिया जाता है। ड्रेस, मध्याह्न भोजन और अध्ययन सामग्री निशुल्क मुहैय्या करवाई जाती है। इन विद्यालयों के संचालन हेतु वार्षिक बजट लगभग 5.40 करोड़ रुपए का है।

2. उच्चतर तकनीकी शिक्षा केंद्र की स्थापना:

टीएचडीसीआईएल ने टिहरी में पहले जल विद्युत विकास संस्थानन और अभियंत्रिकी महाविद्यालय ''टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की है। इस संस्थान का उद्देश्य विद्यार्थियों (लगभग 1440) को संचालित किए जा रहे विद्युत संयत्रों और साथ ही साथ निर्माणाधीन परियोजनाओं में शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ विशिष्ट अनुभव प्रदान करना है। यह संस्थान वर्ष 2011 से कार्यशील है। इसके निर्माण की लागत लगभग 60 करोड़ रुपए है।

3. विद्यालयों को अवसंरचनात्मक सहायता:

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 7047 विद्यार्थियों के लिए स्कूल फर्नीचर के कुल 2349 सेट्स टिहरी और देहरादून जिले के 156 सरकारी विद्यालयों में वितरित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, टिहरी और देहरादून जिले के 13 विद्यालयों को 14 वाटर फिल्टर–सह–कूलर भी प्रदान किए गए।

4. व्यावसायिक/कौशल विकास शिक्षा

i. वंचित/सुविधाहीन समुदायों को समय–समय पर आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरित किए गए 20 से अधिक केंद्रों के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है। इन केंद्रों से 800 से अधिक विद्यार्थियों ने लाभ उठाया है।

ii. कमजोर तबके के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए आर्थिक संरक्षण प्रदान किया जाता है।

ख. स्वास्थ्य

एलोपैथिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी खोलने तथा बहु–विशिष्ट स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं मुहैय्या करवाई जा रही हैं। ब्यौरा निम्नलिखित है:

1. **एलोपैथिक हॉस्पिटल :**

एमबीबीएस चिकित्सक और पूर्ण प्रशिक्षित सहायक स्टाफ जैसे फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टैक्नीशियन, अटेंडेंट, ड्राइवर सहित एम्बुलेंस, मूलभूत रोग–जांच, एक्सट–रे, ईसीजी एवं निशुल्क दवा वितरण के साथ छोटे ऑपरेशन थियेटर जैसी सुविधाओं के साथ पिछड़े टिहरी गढ़वाल जिले के दीन गांव में एलोपैथिक हॉस्पिटल की स्थापना। यह निकटवर्ती लगभग 40 गांवों की लगभग 15000 जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करता है। वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान, इस हॉस्पिटल में 19000 ओपीडी दर्ज हुई हैं।

2. **होम्योपैथिक डिस्पेंसरी:**

वर्तमान में स्वामी नारायण मिशन सोसाइटी, ऋषिकेश की सहायता से पांच होम्योपैथिक डिस्पेंसरी कार्यशील हैं, जिनमें से चार टिहरी जिले में गलियाखेत, धौंतरी, कोटेश्वर और शीशम झाड़ी में तथा एक इंद्रानगर, ऋषिकेश जिला देहरादून में, निशुल्क दवा–वितरण सुविधा के साथ कार्यशील हैं। इन डिस्पेंसरियों में सामूहिक रूप से प्रतिवर्ष 50,000 से अधिक ओपीडी होती हैं।

3. **बहु–विशिष्ट चिकित्सा शिविर:**

टीएचडीसीआईएल, प्रायः प्रतिष्ठित निर्मल आश्रम नेत्र संस्थान, ऋषिकेश और टीएचडीसी के चिकित्सकों के माध्यम से टीएचडीसीआईएल परियोजनाओं एवं पुनर्अवस्थित कार्यस्थलों के आस–पास के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बहु–विशिष्टीय चिकित्सा शिविर (लगभग 10–15 प्रति वर्ष) आयोजित करती है। विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक जैसे स्त्री–रोग विशेषज्ञ, हृदय–रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, दंत–चिकित्सक, नेत्र–रोग विशेषज्ञ एवं सामान्य फिजीशियन के साथ–साथ प्रशिक्षित सहायक स्टॉफ एवं मूलभूत रोग–जांचे तथा निशुल्क औषधि सुविधाएं, शिविर के दौरान उपलब्ध कराई जाती हैं।

अब तक, ऐसे 112 शिविर लगाए जा चुके हैं, जिनमें 1925 नेत्र–शल्य चिकित्सा सहित 27000 मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया है।

ग. ऊर्जा दक्षता परियोजना

एनर्जी एफीशियंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल) के माध्यम से 375 सोलर स्ट्रीट लाइट (एसएसएल) एवं 170 सोलर हाईमास्ट लाइट (एचएमएल) सिस्टम (75 एसएसएल एवं 70 एचएमएल, उन्नाव जिले में, 150 एसएसएल एवं 50 एचएमएल, लखनऊ कैंट, उ. प्र. में तथा 150 एसएसएल और 50 एचएमएल, सितारगंज, जिला उद्यम सिंह नगर, उत्तराखण्ड में) के लिए एलईडी आधारित परियोजना के संस्थापन और रख–रखाव का कार्य पूरा किया गया है।

घ. प्राकृतिक विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण

पवित्र गंगा नदी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता तथा ऋषिकेश में लाखों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों/पर्यटकों को देखते हुए एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल) के माध्यम से स्वर्गाश्रम–ऋषिकेश के गंगा घाट इलाकों में एक एलईडी बेस्ड लाइटिंग प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया गया है। इस परियोजना में मौजूदा लाइटिंग सिस्टम का सुदृढ़ीकरण, संपूर्ण लाइटिंग स्थितियों और सौंदर्य में सुधार करने के लिए नई एलईडी हाईमास्ट लाइटों का संस्थापन, मौजूदा परंपरागत लाइटिंग यूनिट को ऊर्जादक्ष एलईडी के साथ बदलना, प्रमुख स्थानों जैसे रामझूला, लक्ष्मण झूला, परमार्थ निकेतन, और त्रिवेणी घाट आदि को सजावटी लाइटों से रोशन करना आदि शामिल है।

2 **क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं आंतरिक टीम/अपने प्रतिष्ठान/बाहरी गैर–सरकारी संगठन/सरकारी संस्था/किसी अन्य संगठन द्वारा भी संचालित किए जाते हैं?**

कंपनी की लगभग सभी सीएसआर परियोजनाएं कंपनी द्वारा प्रायोजित गैर–सरकारी संगठनों, सेवा–टीएचडीसी तथा टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) द्वारा निष्पादित की जा रही हैं।

3. **क्या आपने अपनी पहल के कोई प्रभाव का आंकलन किया है?**

टीएचडीसीआईएल द्वारा अपनी सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव निर्धारण मूल्यांकन इंडियन इंस्टीटयूट आफ कारपोरेट एफेयर (आईआईसीए) में सूचीबद्ध टाटा इंस्टीटयूट आफ सोशल सांइस (टीआईएसएस) मुंबई, आईआईटी रूड़की, एसआर एशिया, सरकारी विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के माध्यम से कराया जाता है।

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है–भारतीय रुपये में खर्च की गई राशि तथा संचालित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा?**

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों

को करने के लिए 16.20 करोड़ रुपए का कुल व्यय किया गया था। उन प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा, जिनमें व्यय किया गया, को उपर्युक्त संबंधित भागों में शामिल किया गया है।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि सामुदायिक विकास से जुड़ी इस पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया है? कृपया लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।**

हां। टीएचडीसीआईएल का केंद्र बिंदु लाभग्राहियों की प्रभावी भागीदारी पर रहता है ताकि उनमें भी स्वामित्व की भावना आ सके तथा वे परियोजना को पूरा होने के बाद भी गतिविधियों में वृद्धि कर सकें। यह उनके गत वर्षों के मूल्यांकन/प्रभाव निर्धारण रिपोर्टों में भी इंगित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष संचार नीति के अनुपालन के बाद हितधारियों की आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाएं बनाई जाती हैं। कुछ सामाजिक आर्थिक गतिविधियां किसान स्वयं सहायता समूहों (एफएसएचजीएस) के जरिए बीज राशि की सहायता देकर कार्यान्वित की जाती है जो अन्य एफएसएचजीएस में सहायता आधार पर घूर्णन करती है। यह देखने में आया है कि कुछ एफएसएचजीएस में बचत की आदत विकसित हो गई है तथा वे अच्छा कार्य कर रहे हैं।

सामुदायिक भागीदारी का अन्य उदाहरण हरिद्वार जिले में पथरी पुनर्वास क्षेत्र में लघु/सीमांत किसानों को 10.0 लाख रू. के खेती संयंत्रों की पूलिंग के लिए ''आदर्श किसान क्लब'' सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस क्लब के लागत की 40% राशि उत्तराखंड राज्य कृषि विभाग एवं 40% राशि टीएचडीसीआईएल द्वारा सहायता के रूप में तथा शेष राशि किसानों द्वारा उपलब्ध कराई गई है। संयंत्रों की पूलिंग सफलतापूर्वक कार्य कर रही है तथा ओ एंड एम प्रयोजनों के संयंत्र को किराए पर देने के लिए उचित राशि ली जाती है। उपर्युक्त परियोजनाओं की सफलता से प्रेरित होते हुए, टीएचडीसीआईएल, वित्तीय वर्ष 2018–19 में टिहरी जिले के 25 गांवों को ऐसा ही माडल दोहराने की योजना बना रही है। परियोजना की सफलता अन्य किसानों को ऐसी पहलों के साथ जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है।

सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत एक महिला सहकारी क्रेडिट सोसाइटी बनाई गई है एवं पंजीकृत कराई गई है। सोसाइटी को 10/– लाख रूपयों की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सोसाइटी के सदस्यों ने भी अपना अंशदान किया है। लगभग 70 महिला किसान सोसाइटी से जुड़ गई हैं। लगभग 8 लाख रु का ऋण वितरित किया गया है तथा वसूली भी शुरू हो चुकी है। यह ऋण, सोसाइटी द्वारा स्वयं निर्धारित कुछ कार्यशील ब्याज दर पर वसूली किया जा रहा है, जो बाद में पूल में जमा होता है। सोसाइटी के सदस्यों को विभिन्न आजीविका प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से सशक्त बनाया गया है।

सिद्धांत 9 (व्यापार को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायी तरीकों से वचनबद्ध होना चाहिए और उनका मूल्य देना चाहिए)

टीएचडीसीआईएल द्वारा सिद्धांत–9 के अंतर्गत चिन्हित सभी बातों का अपनी वाणिज्यिक प्रक्रिया के माध्यम से पालन किया जाता है। तथापि, टीएचडीसीआईएल महसूस करती है कि निम्नलिखित कारणों से सिद्धांत 9 पर अलग नीति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि:

- टीएचडीसीआईएल बड़ी मात्रा में खरीदारी करने वाले ग्राहकों को विद्युत आपूर्ति करती है। इनमें से अधिकांश संबंधित राज्य सरकार के स्वामित्व में हैं,
- विद्युत का आबंटन विद्युत मंत्रालय द्वारा निश्चित नीतियों और दिशा–निर्देशों के आधार पर किया जाता है।
- विद्युत प्रशुल्क (पावर टैरिफ) का निर्धारण सभी हितधारियों को शामिल कर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा किया जाता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा के लिए टैरिफ टीएचडीसीआईएल और हितधारी राज्यों के आपसी समझौते पर तय किया जाता है।
- यदि कोई मुद्दा हो तो उस पर उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी) जैसे सामूहिक मंच पर चर्चा कर समाधान किया जाता है, इसमें ग्राहकों के संगठन और उत्पादक सदस्य होते हैं।
- ग्राहकों की जरुरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए उनसे (लाभग्राहियों से) अलग से फीडबैक प्राप्त किया जाता है।

1. **वित्त वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं?**

शून्य प्रतिशत, क्योंकि कोई ग्राहक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2. **क्या कंपनी स्थानीय कानूनों द्वारा दिए गए अधिदेश के अतिरिक्त उत्पाद लेबल पर उत्पाद संबंधी सूचनाओं का प्रदर्शन करती है? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त सूचनाएं)**

अंतिम उत्पाद विद्युत होने के कारण उत्पाद लेबलिंग लागू नहीं है। टिहरी एचपीपी तथा कोटेश्वर एचईपी के संयंत्र प्रचालन के दौरान किए जा रहे सुरक्षा उपायों का विवरण निम्न प्रकार हैं–

अलार्म सिस्टमः निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सावधान करने के लिए टिहरी तथा कोटेश्वर दोनों परियोजनाओं में अलार्म सिस्टम लगाया गया है जिन्हें विद्युत संयंत्र की मशीनों को शुरू करने या बाढ़ के दौरान पानी छोड़ने के लिए स्पिलवे का प्रचालन करने से पूर्व बजाया जाता है।

टिहरी में मशीनों के प्रचालन के दौरानः टर्बाइन शुरू करने से 15 मिनट पूर्व बांध के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थापित किए गए सीआईएसएफ नियंत्रण कक्ष तथा विद्युत संयंत्र की मुख्य सुरंग के आउटलेट को सूचना दी जाती है ताकि वे लोगों को चेतावनी देने के लिए सायरन बजाएं। जब एक से अधिक टर्बाइन शुरू की जानी हो तो प्रत्येक मशीन 15–15 मिनट के अंतराल पर शुरू की जाती है।

कोटेश्वर में मशीनों के प्रचालन के दौरानः यदि चार इकाइयों में से पहली इकाई शुरू की जाती है तो इकाई शुरू की जाने से 15 मिनट पहले सायरन बजाया जाता है और उसके बाद 5–5 मिनट के अंतराल पर दो बार इसका प्रचालन दोहराया जाता है। यदि कोई इकाई शुरू की जा चुकी हो और दूसरी इकाई शुरू की जाती है तो इसके शुरू होने से पूर्व 5 मिनट पूर्व सायरन एक बार बजाया जाता है। जब एक से अधिक मशीनें शुरू की जानी हों तो प्रत्येक दूसरी मशीन 15 मिनट के अंतराल पर शुरू की जाती है।

टिहरी में स्पिलवेज के प्रचालन के दौरानः स्पिलवेज का प्रचालन शुरू करने से पूर्व नदी के आस–पास स्थित निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों को चेतावनी देने के लिए सायरन बजाया जाता है। जब कभी स्पिलवेज के जरिए पानी छोड़ने की आवश्यकता महसूस होती है तो बांध के निचले इलाके में रहने वाले लागों को सावधान करने तथा उन्हें चेतावनी देने के लिए घोषणा की जाती है।

कोटेश्वर एचईपी में स्पिलवेज के प्रचालन के दौरानः स्पिलवेज रेडियल गेटों के प्रचालन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि लगातार एक मिनट तक सायरन बजाया जाए तथा 5–5 मिनट के अंतराल पर तीन बार दोहराया जाए। जब कभी स्पिलवेज के जरिए पानी छोड़ने की आवश्यकता महसूस होती है तो बांध के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सचेत करने तथा उन्हें चेतावनी देने के लिए घोषणा की जाती है। स्पिलवेज का प्रचालन करते समय पानी छोड़ने में हर प्रकार की सावधानी बरती जाती है। स्पिलवेज गेट धीरे–धीरे, बारी–बारी से खोले जाते हैं और एक बार में एक ही गेट लगभग 100 मि.मी. खोला जाता है ताकि निचले क्षेत्रों में कोई अप्रिय घटना न घटे।

टिहरी बांध जलाशय के लिए वास्तविक समय अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणालीः वास्तविक समय अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली में ग्यावरह (11) स्वचालित मौसम केंद्र तथा टिहरी परियोजना में टिहरी जलाशय के जल ग्रहण क्षेत्र एवं एक केंद्रीय भू केंद्र में स्थापित 04 जी एवं डी केंद्र शामिल हैं। प्रणाली मौसम विज्ञान एवं जल विज्ञान के वास्तविक समय के आंकड़ों के अवलोकन के लिए समर्थ होगी तथा यह टिहरी जलाशय के अंतर्वाह के पूर्वानुमान के आंकड़ों को पुनःसंसाधित करने के लिए टिहरी में स्थापित भू–केंद्र को संचारित करती है। प्रणाली की संस्थापना जून, 2016 में की गई तथा यह संभावना है कि गणित मॉडल के अधिप्रमाणन के पश्चात टीएचडीसी करीब 90 प्रतिशत यर्थाथता पर 15–16 घंटे लीड समय के साथ अंतर्वाह का पुर्वानुमान लग सकेगा।

टिहरी/कोटेश्वर बांध के अनुप्रवाह में अग्रिम पूर्व चेतावनी प्रणालीः टिहरी एवं कोटेश्वर बांध से जल छोड़ने के बारे में ऋषिकेश तक की अनुप्रवाह आबादी हेतु आपदा शमन एवं प्रबंधन केंद्र (डीएमएमसी) उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून के माध्यम से अग्रिम चेतावनी प्रणाली स्थापित की जा रही है। इस प्रणाली में कोटेश्वर बांध एवं त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश के मध्य आठ केंद्रों में सायरन एवं स्पीकरों की स्थापना तथा दो नियंत्रण कक्षों, एक कोटेश्वर परियोजना तथा अन्य डीएमएमसी, देहरादून की स्थापना शामिल है। विभिन्न स्थानों पर संस्थापित साइरन, इन नियंत्रण कक्षों से संचालित होते हैं।

3 क्या किसी हितधारक द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी के विरुद्ध अनुचित व्यापारिक परिपाटी, अनुत्तरदायी विज्ञापन तथा/अथवा गैर–प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार संबंधी कोई केस किया है और वित्त वर्ष के अंत में लंबित हैं। यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें।

नहीं

4. क्या आपकी कंपनी ने किसी प्रकार का ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि रुझान किया है।

हां, उपभोक्ता सर्वे किए जाते हैं तथा 5 बिंदु स्केल पर उपभोक्ताओं की प्रतिपुष्टि (फीडबैक) प्राप्त की जाती है। उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रतिपुष्टि का विश्लेषण किया जाता है। सभी लाभग्राही वार्षिक प्रतिपुष्टि फार्म में लगातार अपना संतोष 'उत्कृष्ट' रेटिंग के रूप में व्यक्त करते हैं।

प्रपत्र नं. एमजीटी–9
वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण एवं अन्य ब्यौरे

i	सीआईएन	यू45203यूआर1988जीओआई009822
ii	पंजीकरण की तिथि	12 जुलाई,1988
iii	कंपनी का नाम	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
iv	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	सरकारी कंपनी
v	पंजीकृत कार्यालय का पता	भगीरथी भवन, टाप टैरेस, भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड(249001)
vi	संपर्क ब्यौरे	कंपनी सचिव, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड बाईपास रोड, प्रगतिपुरम, गंगा भवन, ऋषिकेश–249201 फोन– 0135–2439309
vii	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	हां – ऋण सूचीबद्ध

II. कंपनी की मुख्य व्यवसायिक गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार का 10प्रतिशत या उससे अधिक योगदान करने वाले व्यवसाय निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	विद्युत का उत्पादन	35101	100%

III. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेकअप)

(i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या		
	मूल	कुल	कुल शेयरों का %	मूल	कुल	कुल शेयरों का %
क. प्रमोटर्स						
(1) भारतीय						
क) व्यक्तिगत	10	10		10	10	
ख) केंद्र सरकार	26639417	26639417	74.02%	26924917	26924917	74.23%
ग) राज्य सरकार	9349400	9349400	25.98%	9349400	9349400	25.77%
उप–योग क (1):–	**35988817**	**35988817**	**100%**	**36274317**	**36274317**	**100%**
(2) विदेशी						
क) अनिवासी–भारतीय व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) अन्य व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) निकाय निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड.) अन्य कोई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–योग (क) (2):– प्रमोटर की कुल शेयर होल्डिंग	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
(क) = (क)(1)+(क)(2)	**35988817**	**35988817**	**100%**	**36274317**	**36274317**	**100%**

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या		
	मूल	कुल	कुल शेयरों का %	मूल	कुल	कुल शेयरों का %
ख. पब्लिक शेयर होल्डिंग						
(1) संस्थाएं						
क) म्यूचुअल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) केंद्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) राज्य सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड.) वेंचर केपिटल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) बीमा कंपनियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
छ) वित्तीय संस्थाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ज) विदेशी वेंचर केपिटल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
झ) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–योग (ख)(1) :–	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
(2) गैर–संस्थाएं						
क) निकाय निगम						
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) व्यक्तिगत						
i) व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स जो एक लाख रू. तक नाम मात्र शेयर पूंजी रखते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स जो एक लाख रू. से अधिक शेयर पूंजी रखते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–योग (ख)(2) :	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
ग. अभिरक्षक द्वारा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के लिए धारित शेयर्स	**शून्य**			**शून्य**		
कुल जोड़ (क+ख+ग)	**35988817**			**36274317**		

(ii) प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग

क्र. सं.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों का भारग्रस्त/गिरवी रखे शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों का भारग्रस्त/गिरवी रखे शेयरों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग के प्रतिशत में परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति	26639417	74.02	शून्य	26924917	74.23%	शून्य	0.21%
2	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	9349400	25.98	शून्य	9349400	25.77%	शून्य	0.21%
	कुल	35988817	100	-	36274317	100	-	

(iii) प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के अंत में संचयी शेयर होल्डिंग	
1.	**भारत के राष्ट्रपति**	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
क	वर्ष के प्रारंभ में	26639417	74.02	26639417	74.02
ख	15 जून, 2017 को आबंटित शेयरों की सं. 26 मार्च, 2018 को आबंटित शेयरों की सं.	241300 44200			
ग	वर्ष की समाप्ति पर **(क+ख)=ग**	26924917	74.23%	26924917	74.23%
2.	**उत्तर प्रदेश के राज्यपाल**				
क	वर्ष के प्रारंभ में	9349400	25.98%	9349400	25.98%
ख	कोई आबंटन/अंतरण नहीं	शून्य	00.00%	शून्य	00.00%
ग	वर्ष की समाप्ति पर **(क+ख)=ग**	9349400	25.77%	9349400	25.77%

(iv) शीर्ष 10 शेयर होल्डर्स के लिए शेयरहोल्डिंग पद्धति (निदेशक गण, प्रमोटरों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा) – शून्य

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरहोल्डिंग

क्र. सं.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और निदेशकों के विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशतता	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशतता
1.	श्री डी.वी. सिंह	1	शून्य	1	शून्य
2.	श्री विजय गोयल	0	शून्य	1	शून्य
3	श्री एस.के. बिस्वास	1		0	
4	श्री श्रीधर पात्रा	1	शून्य	1	शून्य
5	श्री एच.एल. अरोड़ा	0	शून्य	1	शून्य
6	श्री राज पाल	2	शून्य	2	शून्य
7	श्री टी. वेंकटेश	0	शून्य	2	शून्य
8	सुश्री सौम्या अग्रवाल	2	शून्य	2	शून्य
9	श्री बची सिंह रावत	0	शून्य	0	शून्य
10	श्री मोहन सिंह रावत	0	शून्य	0	शून्य
11.	प्रो. महाराज के. पंड़ित	0	शून्य	0	शून्य

IV. ऋणग्रस्तता

बकाया / उपार्जित ब्याज लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं, सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

(राशि रू. में)

विवरण	जमा धनराशियों को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण ग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋण ग्रस्तता				
i) मूल धन	42037405261	6003891009		48041296270
ii) ब्याज देय, परंतु प्रदत्त नहीं	0	0		0
iii) उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं	629241807	36804857		666046664
कुल (i+ii+iii)	42666647068	6040695866		48707342934
वित्त वर्ष के दौरान ऋण ग्रस्तता में बदलाव				
• वृद्धि	2593885523	134323901		2728209424
• कमी	9890328032	131525550		10021853582
शुद्ध परिवर्तन	**-7296442509**	**2798351**		**-7293644158**
वित्त वर्ष के अंत में ऋण ग्रस्तता				
i) मूल धन*	34740962752	6006689360		40747652112
ii) ब्याज देय, परंतु प्रदत्त नहीं	0	0		0
iii) उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं	501057934	52118042		553175976
कुल (i+ii+iii)	**35242020686**	**6058807402**		**41300828088**

V निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा / या प्रबंधक के पारिश्रमिकः

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण						
		श्री डी.वी. सिंह	श्री एस.के. बिस्वास	श्री एच.एल. अरोड़ा	श्री विजय गोयल	श्री श्रीधर पात्रा	कुल
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	31.66 - 9.33	36.28 - 8.91	36.86 - 3.07	37.41 - 3.00	27.56 - 8.74	169.77 - 33.05
2.	स्टाक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के अनुसार – अन्य, उल्लेख करें	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (क)	**40.99**	**45.19**	**39.93**	**40.41**	**36.30**	**208.82**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा (प्रति बैठक)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम			
		श्री बची सिंह रावत	श्री मोहन सिंह रावत	प्रो महाराज के. पंडित	कुल
1.	स्वतंत्र निदेशक • बोर्ड एवं समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें	300000 शून्य शून्य	200000 शून्य शून्य	260000 शून्य शून्य	760000 शून्य शून्य
	कुल (1)	**300000**	**200000**	**260000**	**760000**
2.	अन्य गैर–कार्यपालक निदेशक गण • बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	- - -
	कुल (2)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**-**
	कुल (ख)= (1+2)	**300000**	**200000**	**260000**	**760000**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा (प्रति बैठक)	100000	100000	100000	

टिप्पणी : टीएचडीसीआईएल में सिटिंग फीस का भुगतान रु. 20,000 प्रति सिटिंग की दर से किया जाता है।

ग. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	कुल राशि	
		कंपनी सचिव	कुल
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	 10.00 - 0.51	 10.00 - 0.51
2.	स्टाक विकल्प	शून्य	शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य
4.	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के अनुसार – अन्य उल्लेख करें	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य
	कुल	**10.51**	**10.51**

VI शास्तियां / दंड / दोषों का प्रशमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति / दंड / प्रशमन शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकार (आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय)	यदि कोई अपील की गई हो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रशमन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशकगण					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रशमन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. अन्य चूककर्ता अन्य अधिकारी					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रशमन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

पी.एस.आर. मूर्ति
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
सीपी 13090

फार्म नं. एमआर–3
सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रामिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार)

सेवा में,

सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढवाल,
टिहरी–2490011

मैंने मैसर्स **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ("कंपनी")** सीआईएननं. यू45203यूआर1988जीओआई009822 के द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों तथा सकारात्मक निगमित प्रचालनों के अनुपालन हेतु सचिवालीय लेखा परीक्षा की है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की इक्विटी भागीदारी के साथ भारत सरकार का गैर–सूचीबद्ध उपक्रम है । सचिवालीय लेखा परीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई जो मुझे कारपोरेट आचारण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए तथा उन पर अपनी राय देने के लिए सार्थक आधार प्रदान करती है।

कंपनी के बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों तथा कंपनी द्वारा फाइल की गई रिटर्नों तथा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों के हमारे सत्यापन तथा सचिवालीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एंजेटों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नांकित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी के पास इसके बाद दी गई रिपोर्टिंग के अध्यधीन तथा उसी प्रकार समुचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन साधन भी है।

हमने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्मों तथा कंपनी द्वारा फाइल की गई रिटर्नों तथा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) डिपोजटरीज अधिनियम, 1996 तथा इसके अन्तर्गत बने विनियम एवं उपनियम;

(iii) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ओवर सीज प्रत्यक्ष निवेश और वाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक, उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम;

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश लागू हैं :–

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और ऋण प्रतिभूतियों की सूची) विनियम 2008;

(v) ग्राहकों के साथ काम करने और कंपनी अधिनियम से संबंधित प्रतिभूतियों और एक्सचेंज बैंक आफ इंडिया (निर्गम और शेयर स्थानन्तरण एजेंटो के रजिस्ट्रार) विनियम 1993;

(vi) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्वों की सूची और मांगों का प्रकटीकरण) विनियम, 2015;

(vii) कंपनी तथा डिबेंचर न्यासी मैसर्स विस्ट्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड के बीच दिनांक 30 नवंबर, 2016 को हस्ताक्षरित डिबेंचर न्यास विलेख;

(viii) अन्य लागू नियम, यथाः

क) आयकर अधिनियम, 1961

ख) माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2007

ग) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

मैंने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयी मानकों की लागू धाराओं के पालन की भी जांच की है ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने आमतौर पर उपरोक्त विषयों का निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्यधीन अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि का सामान्तया पालन किया है :

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं किः

वित्त वर्ष के अंत में कंपनी का निदेशक मंडल कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशक तथा अन्य निदेशकों से बना है जिसमें महिला निदेशक शामिल नहीं है जिसके लिए कंपनी ने महिला निदेशक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है ।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक के निर्धारण की पर्याप्त सूचना दी जाती है, कुछ बैठकों को छोड़कर कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेज दिए गए थे। बैठकों से पहले एजेंडे की मदों की जानकारी तथा स्पष्टीकरण के लिए तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं और रिपोर्ट की अवधि में बोर्ड के कार्यवृत्त में कोई विसम्मति नहीं है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी के द्वारा अनुसरण किए गए अनुपालन तंत्र के आधार पर तथा बोर्ड के समक्ष रखी गई अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर मेरी राय है कि कंपनी के आकार एवं संचालनों के अनुरूप तथा लागू विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं हैं।

ह0/–

(पी.एस.आर. मूर्ति)
(एसीएस–5880
सी.पी. नं. 13090

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 सितम्बर, 2018

यह रिपोर्ट हमारे इसी तिथि के पत्र के साथ पढ़ी जाए जो अनुलग्नक–क के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है ।

178, आरपीएस फ्लेट्स, शेख सराय फेस–1, नई दिल्ली– 110017
मोबाइलः 919816010286, दूरभाषः 011–26018714
ई–मेलः pendyala50@yahoo.com

पी.एस.आर. मूर्ति
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
सीपी 13090

अनुलग्नक–क

सेवा में,

सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढवाल, टिहरी–249001

मेरी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए ।

1. सचिवालीय रिकार्ड का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरा दायित्व इन सचिवालीय रिकार्ड पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करना है।

2. हमने सचिवालीय रिकार्ड अंतर्वस्तु की यथार्थता के बारे में सार्थक आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवालीय रिकार्डों में सही तथ्यों के परिलक्षित होने को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया था। मुझे विश्वास है कि मैने जिन पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है वे मेरी राय को उचित आधार प्रदान करती है।

3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड तथा बही खातों की सत्यता एवं औचित्य को सत्यापित नहीं किया है।

4. जहां आवश्यक हुआ, मैने विधि, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन तथा हो रही घटनाओं आदि के विषय में प्रबंधन से विवरण प्राप्त किया है।

5. कारपोरेट तथा अन्य लागू विधि, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। मेरी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में न तो कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में है, जिनके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है ।

हस्ता./–

(पी.एस.आर. मूर्ति)
एसीएस–5880
सी.पी. नं. 13090

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 सितम्बर, 2018

178, आरपीएस फ्लेट्स, शेख सराय फेस–1, नई दिल्ली– 110017
मोबाइलः 919816010286, दूरभाषः 011–26018714
ई–मेलः pendyala50@yahoo.com

विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (444 मेगावाट) में
टनल बोरिंग मशीन की असेम्बली प्रगति पर

श्री डी.वी. सिंह, अ.प्र.नि., टीएचडीसीआईएल एवं श्री आर.के. वर्मा, अध्यक्ष, सीईए
एम ओ यू दस्तावेजों का आदान–प्रदान करते हुए

वित्तीय विवरण
2017-18

- विशिष्ट लेखाकरण नीतियां 2017–18
- तुलन–पत्र
- लाभ एवं हानि का विवरण
- नगदी प्रवाह विवरण
- लेखा संबंधी टिप्पणियां
- वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अभ्युक्तियां

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2017–2018

1 सामान्य

संगत वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 विद्युत अधिनियम, 2013 लागू सीईआरसी विनियमनों के सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी किए गये विवरणों, मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप पारंपरिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। कुछ विनिर्धारित कंपनियों के लिए 01 अप्रैल 2016 से भारतीय लेखाकरण मानक अनिवार्य कर दिया गया है। टीएचडीसीआईएल के वित्तीय विवरण 01 अप्रैल 2016 से प्रभावी भारतीय लेखाकरण मानक के अनुपालन में तैयार किए गए है।

2 अनुमान एवं पूर्वानुमान

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों को रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

3.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीएंडई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) में निर्धारित है।

3.2 पीपीएंडई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आने वाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में ठेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

3.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे पूंजीकरण के मानक को पूर्ण करते हैं और इन्हें इस राशि में शामिल किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों को 'स्टोर्स एवं स्पेयर्स'के रूप में रखा जाता है।

3.4 यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृहद निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृहद निरीक्षण की अनुमानित लागत हेतु सूचक मानना चाहिए।

3.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनापेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिस वर्ष अमान्य किया गया।

3.6 भूमि जिस पर पीपी एंड ई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपी एंड ई में शामिल की जाती है।

3.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी (एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भूभाग

पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं / प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान / दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

4 चल रहे पूंजीगत कार्य

4.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

4.2 सुविधाओं के सृजन पर व्यय की गयी पूंजी, जिस पर कंपनी का नियंत्रण नहीं है लेकिन परियोजना के निर्माण हेतु जिसका सृजन अनिवार्य है इसे चल रहे पूंजीगत कार्य में शामिल किया जाता है। तदन्तर व्यवस्थित रूप से आबंटित किया जाता है।

4.3 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउन–शिप के निर्माण, वनीकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति पूंजीकृत है क्योंकि भूमि व्यावसायिक प्रचालन तिथि से अवर्गीकृत है।

4.4 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

4.5 आपूर्ति सह उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

4.6 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

4.7 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में **कर्मचारी हित लाभ**, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, सामान्य नागरिक सुविधाओं के उन्नयन एवं अनुरक्षण पर व्यय, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागत, प्रशासनिक एवं सामान्य ऊपरी लागत, यदि परियोजना लागत में लगी हो, ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं / पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

5 अमूर्त परिसंपत्तियां

5.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

5.2 अलग से अधिग्रहित अर्मूत परिसंपत्तियों को लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

5.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

5.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनापेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता

है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

6 विदेशी मुद्रा लेन–देन

6.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) से छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया।

6.2 विदेशी मुद्रा में लेन–देन प्रारंभिक रूप से लेन–देन की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को लेन–देन की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

6.3 मौद्रिक मदों के निपटारे अथवा अंतरण से उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि के लाभ–हानि विवरण में आय अथवा व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है तथा इसे प्रचालनीय विद्युत केंद्रों तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की पूंजीगत कार्य की राशि में जोड़ दिया जाता है।

7 उचित मूल्य माप

7.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

7.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेन–देन मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आगतों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं।

7.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर 1 – समरुप परिसंपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजार की बाजार कीमत (असमायोजित) लगाना।

स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर आगत, उचित कीमत मापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से महत्वपूर्ण है, दृष्टव्य है।

स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर आगत, उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है, दृष्टव्य नहीं है।

7.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

8 संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से भिन्न वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति की उन परिस्थितियों में पहचान की जाती है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

8.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

8.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं निम्नानुसार हैं–

1.) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

2.) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

3) लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

8.4 **प्रारंभिक पहचान और मापः** सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां, प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली लेन–देन लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की लेन–देन लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां लेन–देन कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लेन–देन कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य अवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

8.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनकी लेन–देन कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

8.6 **तदन्तर मापः** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

8.7 **अमान्य–पहचान (डी रिकागनिशन)** – किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

9 माल–सूची

9.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

9.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर परिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

10 वित्तीय देनदारियां

10.1 कंपनी की वित्तीय देनदारियां अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देनदारियां संविदागत दायित्व है।

10.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

10.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

10.3.1 वित्तीय देनदारियां प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती है। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित लेन–देन लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (लेन–देन लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाता है अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

10.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

10.4 उत्तरवर्ती माप

10.4.1 प्रारंभिक पहचान के बाद, वित्तीय देनदारियां तदन्तर रखाव लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

10.4.2 रखाव लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

10.5 **अमान्य करना :** किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

11 सरकारी अनुदान

11.1 केंद्र / प्रादेशिक / अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान में उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचईपी स्टेज–1 हेतु प्राप्त अंशदान भी शामिल है। इसे प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर– प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान / सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला जाता है।

12 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

12.1 कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व प्रस्तुत करने पर प्रावधानों की पहचान होती है आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण अपेक्षित है तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है। ये प्रावधान तुलन– पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के निर्धारण हेतु सुनिश्चित किए जाते हैं।

12.2 आकस्मिक देनदारियां प्रबंधन / निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

12.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

13 राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

13.1 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा तथा संग्रहण के उद्देश्य से अनंतिम दर स्वीकार की जाती है। विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली / वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

13.2 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 18 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

13.3 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हों, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

13.4 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितग्राहियों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित / अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन / गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्रों के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित / अनुमोदित / सहमत नहीं है, प्रोत्साहन / गैर –प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

13.5 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 23 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 35 वर्ष माना गया।

13.6 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

13.7 विविध देनदारों से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य अधिभार के इनकी वसूली/स्वीकृति की अनिश्चितता के कारण प्रोद्भूत देय नहीं माना गया और तद्नुसार रसीद के आधार पर गणना की गयी।

13.8 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

13.9 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

13.10 बीमा कंपनी सहित अन्य पक्षों से संपत्ति तथा उपस्करों अथवा अन्य मदों के असामान्य, गुम अथवा हानि पहुंचने पर क्षतिपूर्ति और देय अन्य दावों को उनकी वसूली की निश्चितता पर लाभ–हानि में शामिल किया जाता है। मदों के गुम या असामान्य होने पर बीमा कंपनी सहित अन्य पक्षों से क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु संगत दावे तथा तदन्तर परिसंपत्ति/माल सूची संबंधी कोई खरीद एकल आर्थिक घटनाएं हैं और इन्हें अलग से लेखे में लिया जाता है।

14 व्यय

14.1 मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गई सामग्री और कल–पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते में प्रभारित की जाती है।

14.2 प्रत्येक मामले में 5,00,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

14.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

14.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्चे राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

14.5 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

14.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय न की गई कोई राशि अलग से अव्यपगत निधि में रखी जाएगी।

14.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

15 कर्मचारी हितलाभ

15.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हों) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

15.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देनदारी, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

15.3 वास्तविक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

16 ऋण लागत

16.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

16.2 सामान्यतया उधार ली गई निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत, जो विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे–जुड़ी न हों, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार विभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में मान्य किया जाता है।

17 मूल्यह्रास एवं परिशोधन

17.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

17.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में सीईआरसी ने दर अधिसूचित नहीं की है, उनमें मूल्यह्रास का कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि से प्रावधान किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

17.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लैपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लैपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25% वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

17.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकृत वर्ष में रू. 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

17.5 1500/– रुपये से अधिक लेकिन 5000/– रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

17.6 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामाग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

17.7 लीज होल्ड जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

17.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

17.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

18 माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

18.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति को क्षति चिन्हित किया जाता है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

19 आय कर

आयकर व्यय वर्तमान और आस्थगित कर की राशि का प्रतिनिधित्व करता है। लाभ और हानि विवरण से

आयकर की पहचान होती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

19.1 **वर्तमान आयकर** – आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। लाभ और हानि विवरण में उल्लिखित लाभ से कर योग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें जो आय अथवा व्यय अन्य वर्ष में कर योग्य अथवा घटाने योग्य है, शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त जो मदें कभी कर योग्य अथवा घटाने योग्य (स्थायी अंतर) नहीं, वे भी शामिल नहीं है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन– पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

19.2 आस्थगित कर

19.2.1 तुलन–पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन–पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देनदारियां मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें लेन–देन न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

19.2.2 प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देनदारियां परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन– पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देनदारियां और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

19.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्र आय या इक्विटी में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्र आय या इक्विटी में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन होता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देनदारियां जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जहां निवल आधार पर शेष के समायोजन की मंशा हो।

आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक को प्रभावित करती है।

20 नकदी प्रवाह विवरण

20.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्याधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात

राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन– पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन– पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

21 प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण – कंपनी तुलन–पत्र में प्रचलित/ अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

21.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह–

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देनदारी निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

21.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

21.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

22 दर विनियमित गतिविधियां – विनियामक आस्थगित खाता शेष

22.1 दर विनियमित गतिविधियों से जो विनियामक आस्थगित लेखे शेष रहते हैं भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) 114 उनके लेखे को विनिर्दिष्ट करता है। ये मानक केवल पहली बार उन ग्राह्यताओं को सुलभ हैं जो अपने पिछले जीएएपी के अंतर्गत विनियामक आस्थगित लेखा शेषों को मान्य करते हैं। भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) पहली बार के पात्र ग्राह्यताओं को उनकी पिछली जीएएपी दर विनियामक नीतियों को सीमित परिवर्तन के साथ जारी रखने तथा वित्तीय स्थिति विवरण तथा लाभ या हानि विवरण में अलग से अपेक्षित प्रस्तुतीकरण तथा विनियामक आस्थगित लेखा शेष तथा व्यापक आय की अनुमति देता है। इसका पालन किया गया।

23 लाभांश वितरण

23.1 कंपनी के अंशधारियों को लाभांश वितरण के लिए जिस अवधि के लिए लाभांश अनुमोदित किया जाता है उसे कंपनी के वित्तीय विवरण में उसी अवधि के लिए देनदारी के रूप में माना गया है।

24 सेगमेंट रिपोर्टिंग

24.1 विद्युत उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस)–108– 'प्रचालन सेगमेंट' के अनुसार प्रबंधन तथा परामर्श कार्य रिपोर्ट योग्य सेगमेंट नहीं हैं।

31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन–पत्र

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्तियां					
गैर–चालू परिसंपत्तियां					
(क) संपत्ति, प्लांट एवं पुर्जे	1		7,32,768		7,80,642
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	2		3,94,994		3,03,496
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	1		33		45
(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	2		33		33
(ड.) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	3	4,483		4,694	
(ii) अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	4	1,582	6,065	1,881	6,575
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	5		76,219		70,941
(छ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	6		69,965		91,914
चालू परिसंपत्तियां					
(क) माल सूची	7		3,000		3,264
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) प्राप्य व्यापार	8	1,30,726		1,73,228	
(ii) नकदी तथा नकदी समकक्ष	9	6,102		6,707	
(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक बकाया	10	37		25,037	
(iv) अल्पकालिक ऋण तथा अग्रिम	11	4,578		4,305	
(v) अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	12	167	1,41,610	179	2,09,456
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	13		9,047		8,107
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	14		5,983		6,322
जोड़			**14,39,717**		**14,80,795**
इक्विटी एवं देयताएं					
इक्विटी					
क) इक्विटी शेयर पूंजी	15	3,62,743		3,59,888	
ख) अन्य इक्विटी		4,88,384	8,51,127	4,50,193	8,10,081
गैर चालू देनदारियां					
(क) वित्तीय देनदारियां					
(i) दीर्घकालिक ऋण	16	2,41,530		4,04,185	

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
(ii) गैर चालू वित्तीय देनदारियां	17	2,200		934	
(iii) अन्य गैर चालू वित्तीय देनदारियां	18	284	2,44,014	220	4,05,339
ख) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	19		97,907		1,04,729
ग) दीर्घकालिक प्रावधान	20		35,087		38,970
चालू देनदारियां					
(क) वित्तीय देनदारियां					
(i) अल्पकालिक ऋण	21	64,663		38,724	
(ii) व्यापार देयताएं	22	53		41	
(iii) अन्य चालू देनदारियां	23	1,21,422	1,86,138	68,815	1,07,580
ख) अन्य चालू देनदारियां	24		4,429		3,749
ग) अल्पकालिक प्रावधान	25		21,015		10,347
घ) चालू कर देनदारियां (निवल)	26		0		0
जोड़			**14,39,717**		**14,80,795**

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणी इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06500954

(डी. वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(पीयूष अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 073695

दिनांक: 11.08.2018
स्थान : ऋषिकेश

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
लगातार प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	27		2,19,064		2,09,474
अन्य आय	28		3,809		14,123
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		6,822		6,531	
घटाएं : सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	1	6,822	0	6,531	0
कुल राजस्व			**2,22,873**		**2,23,597**
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	29		30,649		25,425
वित्त लागत	30		22,787		29,106
मूल्यह्रास और परिशोधन	1		57,452		52,557
सामान्य प्रशासन और अन्य व्यय	31		20,342		19,513
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण और स्टोर एवं स्पेयर हेतु प्रावधान	32		0		445
कुल व्यय			**1,31,230**		**1,27,046**
असाधारण मदों और टैक्स से पूर्व लाभ			**91,643**		**96,551**
असाधारण मदें–(आय)/व्यय–निवल			554		16,146
कर पूर्व लाभ			**91,089**		**80,405**
कर व्यय	**33**				
चालू कर					
आयकर			19,056		17,154
आस्थगित कर–परिसंपत्ति			(5,083)		(8,142)
I लगातार परिचालन से अवधि के लिए लाभ			**77,116**		**71,393**
II अन्य बृहत आय					
(i) मदें जो लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं की जाएगी :					
परिभाषित हित लाभ योजनाओं का पुनः मापन	34		563		(414)
परिभाषित हितलाभ योजनाएं–आस्थगित कर परिसंपत्ति			195		144

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
अन्य बृहत् आय			**758**		**(270)**
कुल बृहत् आय (I+II)			**77,874**		**71,123**
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन					
(लगातार प्रचालनों के लिए)					
बेसिक (रु.)			215.24		198.86
डायल्यूटिड (रु.)			215.23		198.86

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणी इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06500954

(डी. वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(पीयूष अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 073695

दिनांक: 11.08.2018
स्थान : ऋषिकेश

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि लाख रु. में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के हैं)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ, पूर्वावधि समायोजन				
एवं असाधारण मदें		**91,643**		**96,551**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-				
मूल्यह्रास (पूर्वावधि मूल्यह्रास सहित)	57,452		52,574	
मूल्यह्रास–सिंचाई भाग	@6,822		6,531	
प्रावधान	-	-	445	
ऋणों पर ब्याज	22,787		29,106	
अन्य बृहत आय (ओसीआई)	563		(414)	
एसओसीआईई के जरिए पूर्वावधि समायोजन	317		117	
असाधारण मदें	(554)	87,387	(16,146)	72,213
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		**1,79,030**		**1,68,764**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :-				
माल सूची	264		(76)	
प्राप्य व्यापार	42,502		33,970	
अन्य परिसंपत्तियां	655		(428)	
ऋण और अग्रिम (वर्तमान+गैर चालू)	(1,002)		(4,387)	
व्यापार देय और देनदारियां	(15,973)		2,482	
प्रावधान (वर्तमान+गैर चालू)	6,785	33,231	(3,999)	27,562
कर पूर्व प्रचालनों से प्राप्त नगदी प्रवाह		**2,12,261**		**1,96,326**
कारपोरेट कर		(19,056)		(17,154)
प्रचालनों से निवल नगदी (क)		**1,93,205**		**1,79,172**
ख. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तन				
संपत्ति प्लांट एवं पुर्जे तथा सीडब्ल्यूआईपी	(1,07,886)		(1,51,762)	
पूंजी अग्रिम	21,944		(30,092)	
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ख)		**(85,942)**		**(1,81,854)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	3,200		4,000	
उधारियां	(98,875)		53,465	
ब्याज और वित्तीय प्रभार	(22,787)		(29,106)	
लाभांश तथा लाभांश पर कर	(40,345)		(36,575)	
वित पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह(ग)		**(1,58,807)**		**(8,216)**

राशि लाख रु. में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के हैं)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		(51,544)		(10,898)
ड. आरंभिक नगदी तथा नगदी समकक्ष		(6,980)		3,918
च. समापन नगदी तथा नगदी समकक्ष (घ+ड.)		(58,524)		(6,980)

टिप्पणी:

1. नगदी और नगदी समकक्ष राशियों में 37 लाख रू. (गत वर्ष में 25037 लाख रू.) का बैंक शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकडों को, जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहबद्ध / पुनःव्यवस्थित / पुनः दर्शित किया गया है।
3. नगदी और नगदी समकक्ष का मिलान नोट सं. 37.19 (क) में कर दिया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06500954

(डी. वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(पीयूष अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 073695

दिनांक: 11.08.2018
स्थान : ऋषिकेश

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि लाख रू. में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		3,59,888
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		2,855
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंत शेष		**3,62,743**

ख. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि लाख रू. में

			01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य बृहत् आय	
विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल
अथ शेष		**0**	**4,49,160**	**1,500**	**(467)**	**4,50,193**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि (आय)/व्यय	35		(317)			(317)
पुनर्अभिलिखित अथ शेष (I)		**0**	**4,49,477**	**1,500**	**(467)**	**4,50,510**
वर्ष के लिए लाभ			77,116			77,116
अन्य बृहत् आय					758	758
कुल बृहत् आय			**77,116**		**758**	**77,874**
लाभांश			33,521			33,521
लाभांश पर कर			6,824			6,824
प्रतिधारित आय को स्थानान्तरण (II)			**36,771**			**37,529**
डिबेंचर मोचन आरक्षित (III) को स्थानान्तरित			(1,500)			(1,500)
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षित वृद्धि/(उपयोग) (IV)				1,500		1,500
वर्ष के दौरान शेयर पूँजी आबंटन जमा/आबंटित (V)		345				345
अंतिम शेष (I+II+III-IV+V)		**345**	**4,84,748**	**3,000**	**291**	**4,88,384**

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणी इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06500954

(डी. वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(पीयूष अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 073695

दिनांक: 11.08.2018
स्थान : ऋषिकेश

टिप्पणी:- 1

संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2017 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2018 के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
क–संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर										
लीज होल्ड परिसंपत्तियां										
1. लीज होल्ड भूमि	3,905	-	-	3,905	196	186	-	382	3,523	3,709
अन्य परिसंपत्तियां										
2. फ्री होल्ड भूमि	3,813	12	-	3,825	-	-	-	-	3,825	3,813
3. जलमग्न भूमि	1,60,625	4,444	-	1,65,069	48,165	7,386	-	55,551	1,09,518	1,12,460
4. भवन	83,298	5,749	(2)	89,045	17,670	3,113	258	21,041	68,004	65,628
5. अस्थायी भवन ढांचे	1,153	1,207	-	2,360	1,153	1,197	10	2,360	-	-
6. सड़क, पुल तथा पुलिया	13,908	2,126	-	16,034	2,749	520	9	3,278	12,756	11,159
7. जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	1,541	599	-	2,140	576	89	-	665	1,475	965
8. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	2,114	35	-	2,149	1,234	56	-	1,290	859	880
9. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,04,979	366	(434)	3,04,911	1,00,210	16,835	-	1,17,045	1,87,866	2,04,769
10. ई.डी.पी. मशीनें	1,412	48	(42)	1,418	950	188	(34)	1,104	314	462
11. विद्युत संस्थापनाएं	4,166	404	-	4,570	428	242	-	670	3,900	3,738
12. पारेषण लाइनें	2,436	25	-	2,461	915	127	-	1,042	1,419	1,521
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	5,293	397	(15)	5,675	2,252	320	(11)	2,561	3,114	3,041
14. फर्नीचर तथा फिक्सचर	2,313	182	(5)	2,490	928	144	(3)	1,069	1,421	1,385
15. वाहन	1,407	156	(17)	1,546	689	83	(7)	765	781	718
16. रेलवे साइडिंग	122	-	-	122	37	4	-	41	81	85
17. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	5,14,730	3,472	(12)	5,18,190	2,22,889	28,505	-	2,51,394	2,66,796	2,91,841
18. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,39,878	141	(39)	1,39,980	65,443	7,433	-	72,876	67,104	74,435
19. निवल बही मूल्य या निवल वसूलनीय मूल्य, जो कम हो, में अप्रयोज्यनीय / अप्रचलित आस्तियां	33	-	(21)	12	-	-	-	-	12	33
उप जोड़	**12,47,126**	**19,363**	**(587)**	**12,65,902**	**4,66,484**	**66,428**	**222**	**5,33,134**	**7,32,768**	**7,80,642**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**11,59,549**	**88,335**	**(758)**	**12,47,126**	**4,07,151**	**59,817**	**(484)**	**4,66,484**	**7,80,642**	**7,52,398**
ख–अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां–साफ्टवेयर	395	2	-	397	350	14	-	364	33	45
उप जोड़	**395**	**2**	**-**	**397**	**350**	**14**	**-**	**364**	**33**	**45**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**393**	**2**	**-**	**395**	**331**	**19**	**-**	**350**	**45**	**62**
मूल्यह्रास का ब्यौरा					चालू वर्ष		पूर्व वर्ष			
ई.डी.सी को हस्तांरित मूल्यह्रास					2,168		748			
पीएंडएल विवरण को हस्तांरित मूल्यह्रास					57,452		52,557			
पीएंडएल विवरण को हस्तांरित मूल्यह्रास– उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान					6,822	66,442	6,531	59,836		
वर्ष के दौरान रू.1500.00 से अधिक परंतु रू. 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया					10		19			

1.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4x100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि को 01 रू. के कल्पित मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

1.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान किए गए मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अन्य प्रतिकूल सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

टिप्पणी :–2

पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं अमूर्त संपत्तियां विकासाधीन

राशि लाख रु. में

विवरण	31 मार्च, 2018 की समाप्ति पर					31 मार्च, 2018 की स्थिति अनुसार
	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2017 की स्थित अनुसार	वर्ष 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 के दौरान वृद्धि	वर्ष 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 के दौरान समायोजन	वर्ष 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 के दौरान पूंजीकरण	
क. निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		6,366	6,321	324	(5,489)	7,522
सड़क, पुल तथा पुलिया		1,061	1,588	14	(1,827)	836
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		275	315	-	(590)	-
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		98,446	20,719	-	(233)	1,18,932
जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे, जल मार्ग, वियर्स, सर्विस द्वार तथा अन्य जलीय कार्य		1,79,784	42,702	(143)	(4,243)	2,18,100
जलागम क्षेत्र वनीकरण		923	264	-	-	1,187
विद्युत संस्थान तथा उपकेन्द्र उपकरण		37	72	-	(21)	88
कोयल खान का विकास		0	3,761	0	0	3,761
अन्य		103	504	-	(482)	125
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		9,772	16	-	-	9,788
निर्माण के दौरान व्यय	26.1	2,370	4,024	(2,370)		4,024
पुनर्वास व्यय						
पुनर्वास व्यय		4,359	28,535	-	(2,263)	30,631
घटाए : सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान		-	-	-	-	-
जोड़		**3,03,496**	**1,08,821**	**(2,175)**	**(15,148)**	**3,94,994**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**2,39,066**	**1,50,323**	**(2,493)**	**(83,400)**	**3,03,496**
ख) अमूर्त–पूंजीगत कार्य प्रगति पर						
अमूर्त–परिसंपत्तियां विकासाधीन		33	0	0	0	33
उप जोड़		**33**	**0**	**0**	**0**	**33**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**33**	**0**	**0**	**0**	**33**

2.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी और ढुकवाँ आदि जैसी निरंतर निर्माणाधीन परियोजनाएं शामिल हैं। चूँकि निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए क्षति का प्रश्न नहीं उठता।

टिप्पणी :– 3

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		2,490		2,690	
अप्रतिभूत		717		1,072	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		2,674		2,580	
अप्रतिभूत		183		232	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**6,064**		**6,574**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		1,582	4,482	1,881	4,693
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		0		0	
अप्रतिभूत		0		0	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		1		1	
अप्रतिभूत		0		0	
निदेशकों को कुल ऋण		1		1	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	1	0	1
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु रुप में या वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों के लिए		0		0	
अन्य के लिए		0	0	0	0
जमा राशियां					
अन्य जमा राशियां		0	0	0	0
उप जोड़			**4,483**		**4,694**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0		0
उप जोड़–अग्रिम			**4,483**		**4,694**
कुल ऋण और अग्रिम			**4,483**		**4,694**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0		0	
ब्याज		1		1	
जोड		**1**		**1**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	1	0	1
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		2		5	
ब्याज		1		9	
जोड़		**3**		**14**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		1	2	2	12

टिप्पणी : 4

अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
अन्य					
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			1,582		1,881
जोड़			**1,582**		**1,881**

टिप्पणी : 5

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
आस्थगित कर देनदारियां		(2,975)		(2,975)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		85,507	82,532	80,229	77,254
आस्थगित कर समायोजन			(6,313)		(6,313)
जोड़			**76,219**		**70,941**

टिप्पणी : 6

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
पूर्वभुगतान व्यय		35		40	
उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं		0	35	0	40
उप जोड़			**35**		**40**
अग्रिम पूंजी					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के विरूद्ध (62701 लाख रु. की बैंक गारंटी के लिए)		52,764		44,532	
ii) पुनर्वास/पनर्स्थापना (उत्तराखंड सरकार/एसएलएओ)		3,012		29,981	
iii) अन्य		26,546		29,790	
iv) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		10	82,332	63	1,04,366
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			12,402		12,492
उप जोड़ – पूंजी अग्रिम			**69,930**		**91,874**
जोड़			**69,965**		**91,914**

टिप्पणी : 7

माल सामग्री

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
माल सामग्री					
(भारित औसत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल और भवन सामग्री		111		297	
यांत्रिक एवं विद्युत भंडार एवं पुर्जे		2,697		2,772	
अन्य (भंडारण एवं पुर्जे सहित)		213		217	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्य)		1	3,022	0	3,286
घटाएं: अन्य भंडारों के लिए प्रावधान			22		22
जोड़			**3,000**		**3,264**

टिप्पणी :– 8

व्यापार प्राप्य

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
(i) छः माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		15,773		1,02,886	
संदिग्ध समझे गए		18,476	34,249	20,776	1,23,662
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			18,476		20,776
(ii) अन्य ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		70,092		40,199	
संदिग्ध समझे गए		0	70,092	0	40,199
(iii) विनियामक ऋणदार परिसंपत्ति (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		44,861		30,143	
संदिग्ध समझे गए		2,201	47,062	2,201	32,344
घटाएं:– अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			2,201		2,201
जोड़			**1,30,726**		**1,73,228**

8.1 व्यापार प्राप्य में रू. 47062 लाख निवल विनियामक ऋणदार परिसंपत्ति (विनियामक परिसंपत्ति रू. 76584 लाख एवं विनियामक देनदारियां रू.29522 लाख) पूर्व वर्ष रू. 32344 लाख (विनियामक परिसंपत्ति रू. 61866 लाख एवं विनियामक देनदारियां रू. 29522 लाख), शामिल हैं।

8.2 व्यापार प्राप्य में 849 लाख रु. (पिछले वर्ष शून्य) में वह राजस्व भी शामिल है जिसे लेखे में शामिल किया गया है।

टिप्पणी : 9

नकद एवं बैंक शेष

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
नकद एवं नकद समकक्ष					
बैंक में शेष (ऑटो स्वीप, बैंक के साथ लचीला जमा सहित)			6,094		6,700
हाथ में चैक, ड्राफ्ट्स, स्टैम्पस			8		7
जोड़			**6,102**		**6,707**

टिप्पणी : 10

नकद और नकद समकक्ष को छोड़कर अन्य बैंक शेष

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
अन्य बैंक शेष					
अन्य (कंपनी के द्वारा प्रयोग के लिए अनुपलब्ध धारणाधिकार के अंतर्गत बैंक में शेष)			37		25,037
जोड़			**37**		**25,037**

टिप्पणी :– 11

लघुवधि ऋण और अग्रिम

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
कर्मचारी का ऋण					
प्रतिभूत		799		774	
अप्रतिभूत		253		315	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		163		138	
अप्रतिभूत		1		1	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**1,216**		**1,228**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		167	1,049	178	1,050
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		0		0	
अप्रतिभूत		0		0	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		1		0	
अप्रतिभूत		0		0	
निदेशकों को कुल ऋण		**1**		**0**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	1	0	0
अन्य					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		0	0	2	2
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु रुप में या वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों के लिए		273		273	
अन्य के लिए		35	308	35	308
जमा राशियां					
प्रतिभूति जमा		687		412	
सरकार/न्यायालय में जमा राशियां		2,534		2,534	
अन्य जमा राशियां		7	3,228	7	2,953
उप जोड़			**4,586**		**4,313**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			8		8
कुल अग्रिम			**4,578**		**4,305**
कुल ऋण और अग्रिम			**4,578**		**4,305**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0		0	
ब्याज		1		0	
जोड़		**1**		**0**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	1	0	0
टिप्पणी: अधिकारी द्वारा देय					
मूलधन		1		1	
ब्याज		0		1	
जोड़		**1**		**2**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	1	0	2

टिप्पणी : 12

अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
अन्य					
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			167		179
जोड़			**167**		**179**

टिप्पणी : 13

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
जमा किया गया कर			9,047		8,107
जोड़			**9,047**		**8,107**

टिप्पणी: 14

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
पूर्वभुगतान व्यय			3,119		3,027
उपार्जित ब्याज			28		22
उप जोड़			**3,147**		**3,049**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
कर्मचारियों को			25		7
खरीद के लिए			1,211		1,591
अन्य को			1,600		1,675
उप जोड़ – अन्य अग्रिम			**2,836**		**3,273**
जोड़			**5,983**		**6,322**

टिप्पणी : 15

शेयर पूंजी

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्राधिकृत					
1000/– रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,00,000.00	4,00,00,000	4,00,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी		3,62,74,317	3,62,743	3,59,88,817	3,59,888
1000/–रु. प्रत्येक के पूर्व प्रदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		**3,62,74,317**	**3,62,743**	**3,59,88,817**	**3,59,888**

15.1 कंपनी ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 25610 लाख रु. के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया।

टिप्पणी 15.1

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक, शेयर वाले शेयर धारकों का विवरण

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक					
I. भारत सरकार		2,69,24,917	74.23	2,66,39,417	74.02
II. उत्तर प्रदेश सरकार		93,49,400	25.77	93,49,400	25.98
कुल		**3,62,74,317**	**100.00**	**3,59,88,817**	**100.00**

टिप्पणी 15.2

शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का मिलान

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्रारंभिक		3,59,88,817	3,59,888	3,55,88,817	3,55,888
निर्गत		2,85,500	2,855	4,00,000	4,000
अंतिम		**3,62,74,317**	**3,62,743**	**3,59,88,817**	**3,59,888**

टिप्पणीः– 16

दीर्घकालिक ऋण

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
क. बॉंड्स					
बॉंड्स इश्यू सं. 1– प्रतिभूत*					
(प्रत्येक रू. 1000000/– के 7.59 प्रतिशत की दर से गैर–परिवर्तिनीय बॉंड 10 वर्षीय सुरक्षित प्रतिदेय) (मोचन की तारीख 03.10.2026)			60,000		60,000
जोड़ (क)			**60,000**		**60,000**
ख. प्रतिभूत					
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)-78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए) **					
(15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.50 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।)			40,625		49,653
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी) -78302002 (केएचईपी के लिए) #					
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्टूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फलोटिंग ब्याज दर लागू है)			32,175		43,875
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) (केएचईपी के लिए)# (यूए–जीई–पीएसयू-033-2010-3754)					
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 9.35 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			22,774		29,781
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी)-330001- (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय फ्लोटिंग ब्याज दर 9.35 प्रतिशत प्रति वर्ष लागू)			28,554		38,072
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई)-32677052247 (टिहरी पीएसपी के लिए) ##					
स्टेट बैंक आफ इंडिया (अगस्त 2016 से मई 2026 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय वर्तमान में फ्लोटिंग ब्याज दर / आधार दर +1.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्थात 9.20 प्रतिशत)			0		1,22,765
जोड़ (ख)			**1,24,128**		**2,84,146**

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
ग. अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा) विश्व बैंक ऋण -8078-आईएन (वीपीएचईपी के लिए) (15 नवम्बर, 2017 से 15 मई, 2040 तक 23 वर्षों में छमाही किश्तों में प्रतिदेय, ब्याज दर/एल आई बी ओ आर+आई भिन्नता विस्तार प्रतिवर्ष अर्थात 2.28 प्रतिशत)			57,402		60,039
जोड़ (ग)			**57,402**		**60,039**
कुल (क+ख+ग)			**2,41,530**		**4,04,185**

** टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियों अर्थात बांध, पावर हाउस सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल उपस्कर पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण, अन्य उधारों के अंतर्गत नहीं आते हैं। टिहरी बांध एवं एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी अधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण

टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण।

$संबंधित ऋण रैंकिग समरूप के तहत वित्त पोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित ।

*टिहरी एचपीपी चरण–I की वर्तमान परिसंपत्तियों पर प्रथम/सममूल्य प्रभार बांड सुरक्षित है।

वर्ष के दौरान किसी ऋण या उस पर ब्याज चुकाने में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणी: 17

गैर चालू वित्तीय देनदारियां

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
देनदारियां					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म और लघुउद्यमों के लिए		0		0	
अन्यों के लिए		0	0	0	0
ठेकेदार आदि से जमा, प्रतिधारण राशि		2,484		1,154	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		284	2,200	220	934
जोड़			**2,200**		**934**

टिप्पणी: 18

अन्य गैर चालू वित्तीय देनदारियां

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभः प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			284		220
कुल			**284**		**220**

टिप्पणी: 19

अन्य गैर चालू देनदारियां

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम के लेखे पर आस्थगित राजस्व					
अंतिम तुलन–पत्र के अनुसार		21,271		21,271	
जोड़े : वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व		0		0	
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन		0	21,271	0	21,271
सिंचाई घटक के लिए अंशदान					
सिंचाई सेक्टर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		1,44,118		1,44,118	
घटाएं:-					
मूल्यह्रास के प्रति समायोजन		67,482	76,636	60,660	83,458
अन्य देनदारियां			0		0
जोड़			**97,907**		**1,04,729**

टिप्पणी: 20

दीर्घकालिक प्रावधान

राशि लाख रु. में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

			31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए			
विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	वृद्धि	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
I. कर्मचारियों से संबंधित		38,655	4,026	(2,390)	(6,173)	34,118
II. अन्य		315	703	0	(49)	969
कुल		**38,970**	**4,729**	**(2,390)**	**(6,222)**	**35,087**
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े		**32,733**	**6,878**	**(494)**	**(147)**	**38,970**

20.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में ए एस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 37.14 में कर दिया गया है।

टिप्पणी :– 21

लघुवधि उधार

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालिक ऋण					
क. प्रतिभूत ऋण					
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)*					
पंजाब नेशनल बैंक (फ्लोटिंग दर आधार पर एक वर्ष के लिए एमसीएलआर अर्थात 8.45%)			64,663		38,724
कुल			**64,663**		**38,724**

*परियोजना स्थल पर मशीनरी स्टेयर्स, औजार एवं अनुषंगियों, इंधन स्टाक स्पेयर एवं सामग्री सहित टिहरी चरण–I एवं कोटेश्वर एचईपी के कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लॉक पर द्वितीय प्रभार के रु. 64663 लाख का ओडी सुरक्षित है।

टिप्पणी :– 22

देय व्यापार

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
देय व्यापार–एमएसएमईडी			0		0
देय व्यापार–एमएसएमईडी से भिन्न अन्य			53		41
कुल			**53**		**41**

टिप्पणी: 23

अन्य चालू वित्तीय देनदारियां

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता					
क. प्रतिभूत* (भारतीय मुद्रा में ऋण)			98,618		37,503
कुल (क)			**98,618**		**37,503**
ख. अप्रतिभूत **			2,665		0
कुल (ख)			**2,665**		**0**
कुल			**1,01,283**		**37,503**
देनदारियां					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		41		1	
अन्य के लिए		7,401	7,442	19,419	19,420
ठेकेदारों आदि से जमा, प्रतिधारण राशि		7,165		5,232	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन–प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि		0	7,165	0	5,232
आस्थगित उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			0		0
उपार्जित ब्याज पर देय नहीं					
वित्तीय संस्थाएं		5,532		6,660	
अन्य देनदारियां		0	5,532	0	6,660
कुल			**20,139**		**31,312**
कुल देनदारियां			**1,21,422**		**68,815**

* प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता को चुकाने की शर्तों के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी–16 में दिए गए है।

टिप्पणी :– 24

अन्य चालू देयताएं

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
देयताएं					
अन्य देयताएं			4,429		3,749
योग			**4,429**		**3,749**

टिप्पणी: 25

लघु अवधि प्रावधान

राशि लाख रु. में

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

			31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए			
विवरण	**टिप्पणी सं.**	**01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार**	**वृद्धि**	**समायोजन**	**उपयोग**	**31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार**
I. कार्य		405	345	(3)	(112)	635
II. कर्मचारियों से संबंधित		8,508	14,910	(817)	(3,740)	18,861
III. अन्य		1,434	602	(113)	(404)	1,519
जोड़		**10,347**	**15,857**	**(933)**	**(4,256)**	**21,015**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**20,583**	**10,032**	**(15,015)**	**(5,253)**	**10,347**

25.1 कर्मचारियों के हित लाभ के संबंध में एएस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 37.14 में कर दिया गया है।

टिप्पणी : 26

चालू कर देयता (निवल)

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
आय कर					
अथ शेष			0		0
अवधि के दौरान वृद्धि			9,696		15,156
अवधि के दौरान समायोजन			(3,730)		(6,330)
अवधि के दौरान उपयोग			(5,966)		(8,826)
अंतिम शेष			**0**		**0**

टिप्पणी : 26.1

निर्माण के दौरान व्यय

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
व्यय					
कर्मचारियों के लाभ पर होने वाला व्यय	29				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		10,656		10,917	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		730		633	
पेंशन निधि		360		541	
उपदान		380		1,659	
कल्याण		205		134	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		36	12,367	44	13,928
अन्य व्यय	31				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		67		72	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		299	366	295	367
दर एवं कर			11		28
विद्युत एवं ईंधन			623		576
बीमा			33		35
संचार			168		80
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		5		3	
स्टोर एवं अतिरिक्त कलपुर्जों की खपत		0		0	
भवन		641		29	
अन्य		228	874	140	172
यात्रा एवं वाहन			178		241
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			528		358
सुरक्षा			437		98
प्रचार तथा जनसंपर्क			37		46
अन्य सामान्य व्यय			1,935		929
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			1		3
सर्वेक्षण और सर्वेक्षण व्यय			99		0
प्रतिभूत जमा पर ब्याज/प्रभावी ब्याज दर के लेखे पर प्रतिधारण राशि			149		89
मूल्यह्रास	1		2,168		748
कुल व्यय (क)			**19,974**		**17,698**

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
प्राप्तियां					
अन्य आय	28				
ब्याज					
बैंक जमा से		3		5	
कर्मचारियों से		98		114	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम:					
प्रभावी ब्याज के लेखे में समायोजन		36		44	
अन्य से		4	141	3	166
मशीन किराया प्रभार			0		15
किराया प्राप्तियां			70		49
विविध प्राप्तियां			80		50
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना			219		22
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			0		1
उचित मूल्य लाभ–प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			149		89
कुल प्राप्तियां (ख)			**659**		**392**
कराधान से पूर्व निवल व्यय			**19,315**		**17,306**
कराधान के लिए प्रावधान	33				
कराधान सहित निवल व्यय			**19,315**		**17,306**
लेखाकरण नीति में परिवर्तन एवं पूर्व अवधि मदें	35		**136**		**(73)**
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)	34		**113**		**(131)**
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			2,370		854
कुल ईडीसी			**21,708**		**18,218**
घटाएं :					
सीडब्ल्यूआईपी/परिसम्पत्ति को आबंटित ईडीसी		17,292		15,358	
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है।		393	17,685	490	15,848
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**4,023**		**2,370**

टिप्पणी : 27

प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
विद्युत बिक्री के प्रति लाभार्थियों से आय		2,15,963		2,07,903	
घटाएं :					
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम–आस्थगित		0	2,15,963	0	2,07,903
विचलन व्यवस्थापन/संकुचन प्रभार			2,887		1,419
परामर्श से आय			214		152
योग			**2,19,064**		**2,09,474**

27.1 माननीय सीईआरसी ने 2009–14 की अवधि के लिए टिहरी एचपीपी की प्रशुल्क याचिका का निपटान कर दिया है और उसी आधार पर दिनांक 20.03.17, 29.03.2017 और 05.12.2017 के आदेशों द्वारा वर्ष 2014–19 के लिए प्रशुल्क को मंजूरी दे दी है।
इस आदेश के फलस्वरुप पिछले वर्षों की राशि (–) 555 लाख रु. को आसाधारण मद के रूप में दर्शाया गया है। उक्त आदेश के आधार पर चालू वित्त वर्ष 2017–18 के लिए राजस्व के अनुमत्य किया गया।

टिप्पणी :– 28

अन्य आय

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज					
बैंक जमाराशि पर (इसमें टीडीएस रू. 103081.00 शामिल है, पिछले वर्ष 93266.00 रू.)		210		255	
कर्मचारियों से		351		395	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम–प्रभावी ब्याज के खाते में समायोजन		391		426	
अन्य		10	962	326	1,402
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार			6		15
किराया प्राप्तियां			135		117
विविध प्राप्तियां			324		569
प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनरांकन			2,886		12,297
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			41		7
उचित मूल्य लाभ–सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि			114		108
जोड़			**4,468**		**14,515**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26.1		659		392
जोड़			**3,809**		**14,123**

टिप्पणी :– 29

कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ			35,770		31,506
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान			2,523		2,056
पेंशन निधि			1,343		1,770
उपदान			2,003		3,100
कल्याण व्यय			986		495
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			391		426
जोड़			**43,016**		**39,353**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26.1		12,367		13,928
योग			**30,649**		**25,425**

टिप्पणी :– 30

वित्तीय लागत

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
वित्त लागत					
बॉंड निर्गम श्रृखला 1 पर ब्याज			4,554		2,246
ऋणों पर ब्याज			32,805		40,358
जोड़			**37,359**		**42,604**
घटाएं:-					
अंतरित तथा सीडब्ल्यूआईपी लेखा के साथ पूंजीकृत			14,572		13,498
जोड़			**22,787**		**29,106**

टिप्पणीः– 31

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
किराया					
कार्यालय किराया		185		174	
कर्मचारी आवास किराया		699	884	698	872
दर एवं कर			183		187
विद्युत एवं ईंधन			1,756		1,745
बीमा			2,252		2,056
संचार			381		363
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		1,803		1,529	
भंडार एवं कल पुर्जों की खपत		917		519	
भवन		1,350		1,105	
अन्य		2,611	6,681	2,265	5,418
यात्रा एवं वाहन			637		632
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			1,378		1,211
सुरक्षा			4,171		3,264
प्रचार तथा जनसंपर्क			296		303
अन्य सामान्य व्यय			4,282		3,383
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			17		72
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			508		490
अनुसंधान और विकास			238		434
परामर्शी परियोजना/संविदा पर व्यय			1		84
निगम की सीएसआर एवं एस डी गतिविधियों पर व्यय			1,620		1,528
ग्राहकों को छूट			382		385
सुरक्षा जमा पर ब्याज/प्रभावी ब्याज दर के खाते पर प्रतिधारण राशि			114		108
जोड़			**25,781**		**22,535**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26.1		5,439		3,022
जोड़			**20,342**		**19,513**

टिप्पणी :– 32

प्रावधान

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
अशोध्य ऋणों, ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		443
भण्डारों तथा कल–पूर्जों के लिए प्रावधान			0		2
जोड़			**0**		**445**
घटाएं:-					
ईडीसी को अंतरित	26.1		0		0
जोड़			**0**		**445**

टिप्पणी :– 33

कराधान के लिए प्रावधान

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			19,056		17,154
उप जोड़			19,056		17,154
कुल			19,056		17,154

टिप्पणी :– 34

परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			676		(545)
उप जोड़			676		(545)
घटाएं:-					
ईडीसी को अंतरित	26.1		113		(131)
जोड़			563		(414)

टिप्पणी :– 35

लेखाकरण नीति में परिवर्तन एवं पूर्वावधि मदें

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
पूर्व अवधि आय					
विविध प्राप्ति		280	280	3	3
पूर्व अवधि व्यय					
मरम्मत एवं अनुरक्षण		(141)		(215)	
अन्य सामान्य व्यय		9		0	
मूल्यह्रास		277		28	
विविध–अन्य		(46)	99	0	(187)
उप जोड़			**(181)**		**(190)**
घटाएं:- ईडीसी को अंतरित	26.1		136		(73)
जोड़			**(317)**		**(117)**

36.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन

इंड एएस 107 वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियाँ तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रहा है।

i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालन गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य) और तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकदी तथा संपार्श्विक दायित्वों को पूरा करने में सक्षम न हो।

iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम, वह जोखिम होता है जिसमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते है।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज दर जोखिम और
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजारी जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियाँ, जमा और निवेश शामिल होते हैं।

विदेशी मुद्रा जोखिम – वह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम – वह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल : कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पाँच घटक होते हैं :

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूँजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता और कर भी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से वसूलनीय होते हैं, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं, मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएँ तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएँ प्रशुल्क से वसूलनीय होते है और कंपनी की लाभप्रदता पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1. कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती है और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।
2. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पी.एस.यू. डिस्काम होते हैं।
3. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2014–19, कंपनी को लाभग्राहियों से देरी से किए गए भुगतान के लिए बिल जारी करने की अनुमति देता है जिससे भुगतान में विलंब से उद्भूत होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।
4. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुभव पर विचार कर, कंपनी न तो लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देरी से धन के समय मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना नहीं करती है।

5. कंपनी, प्रचालन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार कर सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्तियों का मूल्यांकन करती है और मामला– दर मामला आधार पर संभावित उधार– हानि के लिए प्रावधान करती है।

6. रिपोर्ट करने की तारीख को कंपनी व्यापार प्राप्तियों की वसूली न होने के कारण किसी चूक की परिकल्पना नहीं करती है।

36.2 एमसीए द्वारा जारी किए गए भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन निम्नानुसार किया गया है :

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 1	वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण	• वित्तीय विवरणों को इंड एएस की अनुवर्ती अनुसूची– ।।। के अनुसार तैयार किया गया है। • वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित सभी सूचनाओं का खुलासा किया गया है। • सूचनाएं अन्यत्र कहीं प्रस्तुत नहीं की गई जो वित्तीय विवरणों को समझने के लिए भी प्रासंगिक है उसका खुलासा किया गया है।
इंड एएस 2	माल सूची	कंपनी जल, पवन और सौर विद्युत सहित अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और बिक्री में लगी हुई है। इस प्रकार इसमें कोई कच्चा माल या डब्ल्यू आई पी नहीं होता है, हालांकि उत्पादन प्रक्रिया/आपूर्ति के लिए धारित भंडार, अतिरिक्त कल पुर्जे और उपभोज्य वस्तुओं तथा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाली खपत का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
इंड एएस 7	नकदी प्रवाह विवरण	• नकदी प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय विवरणों के एक अभिन्न अंग के रूप में तैयार किया जा रहा है, जैसा कि इंड एएस 7 के पैरा 18 (ख) में परिभाषित किया गया है और उल्लेखनीय लेखांकन नीति संख्या 20 में बताया गया है। • इंड एस– 7 में एमसी.ए द्वारा जारी अधिसूचना में संसूचित आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए अतिरिक्त प्रकटनों में उन सभी वित्तीय गतिविधियों को शामिल किया गया है जो नकदी प्रवाह विवरणों में दर्शाई गई हैं।
इंड एएस 8	लेखांकन नीतियां, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां	• लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के प्रभाव और त्रुटियों को भूतलक्षी प्रभाव से मान्य किया जाता है, सिवाय उन परिस्थितियों के जिनमें यह अव्यवहारिक हों। • अनुमानों में परिवर्तन के प्रभाव को भविष्य लक्षी रूप से लेखांकित किया जाता है। • इक्विटी और उससे संबंधित टिप्पणियों में परिवर्तन विवरण में असाधारण मदें/व्यय तथा पूर्व अवधि मदों (आय–व्यय) का खुलासा किया गया है।
इंड एएस 10	रिपोर्टिंग/अवधि पश्चात की घटनाएं	• तुलन पत्र की तिथि के बाद ऐसी कोई मुख्य रिपोर्ट योग्य योग्य घटना नहीं घट रही है। • इंड एएस 10 के अनुसार, भुगतान के वर्ष में लाभांश को लेखा में लिया जा चुका है।

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 11	रिपोर्टिंग/अवधि पश्चात की घटनाएं	कंपनी न तो निर्माण व्यापार में है और न ही रिपोर्टिंग अवधि में कोई निर्माण अनुबंध किया है। अतः यह मानक लागू नहीं होता।
इंड एएस 12	आय कर	आस्थगित कर की गणना एएस प्रावधानों के अनुपालन में तुलन पत्र दृष्टिकोण के अनुसार की गई है। • वर्ष 2016–17 के दौरान 5278 लाख रू. की आस्थगित कर संपत्तियों का लेखांकन किया गया।
इंड एएस 16	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	• कंपनी ने वर्ष 2016–17 के एएस 101 के तहत छूट को अग्रेनीत किया है। • इंड एएस को संक्रमण की तारीख पर संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर युक्त परिसंपत्ति के रखाव– मूल्य से उचित माना गया है यह मानते हुए कि मानित रखाव– लागत इंड एएस 101 के अनुपालन में है। • पीपीएंडई की परिभाषा को पूरी करने वाली मालसूची को पीपीएंडई के रूप में मान्य किया गया है और उपयोगी जीवन काल के अनुसार मूल्यह्रास किया गया है।
इंड एएस 17	पट्टे	• कंपनी के पास वित्तीय पट्टे वाली कोई संपत्ति नहीं है। • आपरेटिंग लीज लेनदेन का खुलासा किया गया है और इसे खर्च के रूप में माना गया है।
इंड एएस 18	राजस्व	कंपनी सीआरईसी द्वारा जारी अंतिम टैरिफ आदेश के अनुसार टैरिफ विनियमों के आधार पर निर्धारित सीआरईसी और एएफसी (वार्षिक स्थिर लागत) द्वारा निर्धारित अंतिम टैरिफ के आधार पर बिक्री राजस्व को मान्यता देती हैं। उल्लेखनीय लेखांकन नीति संख्या 13.1 से 13.10 तक राजस्व मान्यता तंत्र की जानकारी देती है जिसे कंपनी द्वारा अपनाया गया है। इंड एएस 18 का मानक 01 अप्रैल, 2018 को समाप्त हो गया है।
इंड एएस 19	कर्मचारी लाभ	• परिभाषित योगदान योजना के तहत कंपनी अंशदायी भविष्य निधि और अधिवर्षिता पेंशन फंड में अंशदान दे रही है। • उपर्युक्त के अतिरिक्त, कंपनी निर्धारित लाभ योजना के तहत, ग्रेच्यूटी, अर्जित छुट्टी, पीआरएमबी (पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ) पोस्ट सेवानिवृत्ति सामान भत्ते का भी भुगतान कर रही है। • कर्मचारियों के लाभों का वास्तविक मूल्यांकन किया गया और इंड एएस 19 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई है।
इंड एएस 20	सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटन	उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई के घटक के रूप में प्राप्त राशि, इंड एएस 20 के अनुसार खातों में मान्य की गई है, विवरण का महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 11 के माध्यम से प्रकटन किया गया है। मानक के अनुसार आस्थगित आय के रूप में इसे मान्य किया गया है।

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 21	विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव	विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित लेखांकन नीतियों का लेखांकन नीति सं. 6.1 से 6.3 के तहत प्रकटन किया गया है।
इंड एएस 23	उधारी लागत	कंपनी ने इंड एएस 23 के अनुसार दीर्घावधि संपत्तियों पर उधारी लागत का पूंजीकरण कर दिया है। विवरण को लेखांकन नीति सं. 16.1 से 16.2 में स्पष्ट किया गया है।
इंड एएस 24	सम्बद्ध पक्ष का प्रकटन	सेवा–टीएचडीसी को सीएसआर गतिविधियों और निदेशकों के पारिश्रमिक के भुगतान का विवरण इंड एएस–24 के द्वारा प्रकट किया गया है ।
इंड एएस 27	पृथक वित्तीय विवरण	कंपनी के पास कोई होल्डिंग/सहायक कंपनी नहीं है। वर्तमान प्रश्नगत मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 28	सहयोग और संयुक्त उद्यम में निवेश	कंपनी के किसी सहयोग/संयुक्त उद्यम में कोई निवेश नहीं है, वर्तमान में प्रश्नगत मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 29	अति स्फीति अर्थव्यवस्था में वित्तीय रिपोर्टिंग	लागू नहीं है।
इंड एएस 32	वित्तीय साधन प्रस्तुति	• अभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को वित्तीय और गैर वित्तीय रूप में विभाजित किया गया है। • वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत पर मापा गया है। • जहां भी लागू हो, प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को अधिक मूल्य दिया गया है। • उचित मूल्य लाभ/नुकसान को परिसंपत्तियों के जीवन पर परिशोधित कर दिया गया है।
इंड एएस 33	प्रति शेयर अर्जन	कंपनी ने संभावित इक्विटी शेयर जारी नहीं किए हैं, अतः मूल और डाइल्यूटेड ई पी एस दोनों ही सामान्य हैं तथा लाभ और हानि के विवरण में इसका समुचित प्रकटन किया गया है।
इंड एएस 34	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	कंपनी ने निजी प्लेसमेंट आधार के माध्यम से धन जुटाया है और स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध हुई है। एल ओडीआर के अनुसार अर्धवार्षिक अंतरिम वित्तीय एक सुशासन के रूप में टीएचडीसीआईएल अंतरिम वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी कर रहा है।
इंड एएस 36	परिसंपत्तियों को हानि	वर्ष के दौरान परिसंपत्ति की कोई हानि नहीं हुई है। जहाँ कहीं आवश्यक हो, प्रबंधन ने हानि की कसौटी की समीक्षा मानक में दिए अनुसार की है।
इंड एएस 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा परिसंपत्तियां	• नकदी बर्हिगमन की निश्चितता तथा घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं के आधार पर प्रबंधन अनुमानों के अनुसार पर समुचित देनदारियों की व्यवस्था की गई। • अन्य मामलों में आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण किया गया है। • वर्ष के दौरान कोई आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं है।

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 38	अमूर्त परिसंपत्तियां	• कंपनी कंप्यूटर अनुप्रयोग साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति मानती रही है महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 5.1 से 5.4 के स्पष्टीकरण के अनुसार इसके उपयोगी जीवन काल के बाद लागत परिशोधित की जाती है।
इंड एएस 40	निवेशित संपत्ति	कंपनी के पास निवेशित संपत्ति जैसी कोई परिसंपत्ति नहीं है। अतः मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 41	कृषि	लागू नहीं
इंड एएस 101	भारतीय लेखांकन मानव का पहली बार अपनाया जाना	• इंड एएस 101 में निर्धारित दिशा–निर्देशों और सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरण तैयार किए गए। • कंपनी ने इंड एएस 101 में उपलब्ध निम्नलिखित छूट (भूतलक्षी प्रभाव से नहीं) का लाभ स्वीकार किया। क. वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण एवं मापन ख. वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि ग. अनुमान घ. मानित लागत च. पूर्व मान्य वित्तीय लिखतों का अभिदान छ. वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देनदारियों का प्रारंभिक स्तर पर उचित मूल्य मापन ज. संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की लागत में विसंस्थापन देनदारियां शामिल हैं। झ. उधारी लागत
इंड एएस 102	शेयर आधारित लागत	लागू नहीं
इंड एएस 103	मिला–जुला व्यवसाय	लागू नहीं
इंड एएस 104	बीमा संविदाएं	लागू नहीं
इंड एएस 105	बिक्री हेतु पुरानी परिसंपत्तियां और बंद प्रचालन	वर्ष के दौरान कोई प्रचालन/गतिविधि बंद नही हुई। अतः किसी प्रकटन की जरूरत नहीं।
इंड एएस 106	खनिज संसाधनों का उत्खनन और मूल्यांकन	लागू नहीं
इंड एएस 107	वित्तीय लिखतों का प्रकटन	यथानिर्धारित सूचना का समुचित रूप से प्रकटन
इंड एएस 108	प्रचालनीय खंड	कंपनी का मुख्य कार्य जल विद्युत उत्पादन एवं विक्रय है तथा इससे लगभग 98% सकल विक्रय राजस्व प्राप्त होता है। कंपनी ने हाल ही में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में पर्दापण किया है। यह इंड एएस 108 के पैरा 13 में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है। इसलिए वित्तीय विवरणों को एकल खंड के रूप में तैयार किया गया है।

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 109	वित्तीय लिखतें	वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत से मापा जाता है क्योंकि वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां दोनों ही मानक के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूर्ण करते हैं। महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 8 से 10 में ब्यौरे को स्पष्ट किया गया है।
इंड एएस 110	समेकित वित्तीय विवरण	लागू नहीं
इंड एएस 111	संयुक्त अनुबंध	लागू नहीं
इंड एएस 112	अन्य संस्थाओं में रूचि का प्रकटन	लागू नहीं
इंड एएस 113	उचित मूल्य मापन	कंपनी ने सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य मापन के लिए इंड एएस के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को इस्तेमाल किया है जैसाकि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 7.1 से 7.4 में वर्णित है।
इंड एएस 114	विनियामक आस्थगित लेखे	जैसा कि इंड एएस 114 के अंतर्गत अनुमत्य है कंपनी पिछली जीएएपी दर नियामक लेखांकन नीति को जारी रखे हुए है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 22.1 में इसका ब्यौरा दिया गया है।
इंड एएस 115	ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व	यह मानक 01 अप्रैल, 2018 से लागू होगा। निष्पादन दायित्व के आधार पर राजस्व मान्यता के लिए मानकों के अंतर्गत जोड़ी गई शर्तें समीक्षाधीन हैं।

37 लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां :

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 214393 लाख रूपये (गत वर्ष रू. 253459 लाख) है।

2. **आकस्मिक देयताएं**

(लाख रू. में)

			2017-18	2016-17
(i)	कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना गया, माध्यस्थम/अदालती मामले*			
	मूलधन			
	सरकारी/सीपीएसई		**62186**	**49925**
	अन्य		**101980**	**101587**
	कुल	**क**	**164166**	**151512**
	ब्याज			
	सरकारी/सीपीएसई		**2465**	**10365**
	अन्य		**176730**	**161304**
	कुल	**ख**	**179195**	**171669**
	कुल योग	**क+ख**	**343361**	**323181**
(क)	कंपनी द्वारा दी गई बैंक गारंटी		**25470**	**25470**
(ख)	विभिन्न माध्यस्थम/श्रम न्यायालय/जिला न्यायालय अदालती मामलों में कंपनी के विरुद्ध डिक्री की गई तथा कंपनी द्वारा जमा की गई लेकिन विवादित हैं और अपीलों के अन्तर्गत है।		**351**	**351**
(ii)	विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्य कर, प्रवेश कर आदि जिसमें कंपनी द्वारा जमा कराए गए 173 लाख रूपये (पिछले वर्ष 173 लाख रूपये) जो अपील के अंतर्गत है।		**708**	**639**
(iii)	अन्य (ठेकेदारों के दावे आदि)		**115**	**115**

(*) आकस्मिक देयताओं में कंपनी के विरुद्ध वे माध्यस्थम एवार्ड शामिल हैं जो कंपनी की अपील और याचिकाओं के आधार पर उच्च न्यायिक फोरम के समक्ष लंबित हैं।

3. ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ कंपनी एफडीआर/सीडीआर प्राप्त कर रही हैं। टिप्पणी 17 एवं 23 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 9649 लाख रुपये (गत वर्ष 6386 लाख रुपये) जमा राशि के अतिरिक्त कंपनी ने 106 लाख रुपये एवं 606 लाख रूपये (गत वर्ष 141 लाख रूपये तथा 1033 लाख रुपये) की एफडीआर/सीडीआर, ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 40 लाख रू./(गत वर्ष 10 लाख रूपये) के समायोजन के बाद पूंजीकृत उधारी लागत की राशि 14572 लाख रु. (गत वर्ष 13498 लाख रु.) है।

5. (i) भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय नई दिल्ली के दिनांक 17/23 अक्तूबर, 2002 के आदेश सं. एफ सं. 8–3/89–एफ सी के तहत उत्तराखंड सरकार ने अपने 30 अक्तूबर, 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जी आई–186/7–1–2002–300 (459)/88 के तहत कोटेश्वर में 338.932 हेक्टेयर सिविल सोयम और वन भूमि के विपथन (डायवर्जन) का आदेश जारी किया है। 338.932 हेक्टेयर भूमि में से 337.057 हेक्टयेर सिविल सोयम भूमि का विलेख वित्त वर्ष 2016–17 तक कार्यान्वित कर दिया गया है तथा शेष 1.875 हेक्टयेर वन भूमि के संबंध में भूमि पट्टा विलेख चालू वित्त वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित किया जा चुका है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि दाखिल–खारिज नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर

अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का नाम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं। कंपनी द्वारा अधिग्रहीत 2547.83 हेक्टेयर (गत वर्ष 2547.83 हेक्टेयर) की कुल भूमि में से 1937.48 हेक्टे. भूमि का स्वामित्व कंपनी के वर्तनाम नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है। शेष भूमि 610.35 हेक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन प्रक्रियाधीन है।

(iii) टिहरी हाइड्रो काम्पलैक्स के निर्माण की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 09 जून, 1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफ द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वन भूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के 24/25 जून, 2004 के पत्र सं. 8/32/86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव, वन, उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कंपनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फारेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा है जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23–सी–4/टी–18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी ने उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रक्रियाधीन औपचारिकताओं के पूरा होने पर पट्टा विलेख कार्यान्वित किया जाना है।

(iv) टिहरी पीएसपी के उत्खनित मलबे की डंपिंग के लिए टीएचडीसीआईएल ने पारस्परिक बातचीत के आधार पर चोपड़ा गाँव में 5.974 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की है। उक्त भूमि में से 5.217 हेक्टेयर भूमि का हक विलेख कंपनी के वर्तमान नाम में कर दिया गया है। शेष भूमि का हक विलेख प्रक्रियाधीन है।

भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 29.12.2016 के पत्र संख्या 8बी/यू.पी.सी/09/2017/2015/एमएफ/1516 के बाद उत्तराखंड सरकार ने चोपड़ा गाँव की 4.668 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन (डायवर्जन) के लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। उपरोक्त भूमि के लिए पट्टा विलेख प्रक्रियाधीन है।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 25 फ्लैट (गत वर्ष 27 फ्लैट) विभिन्न लोगों के अनधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौतियाल गांव में स्थित 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7. (क) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारणों से टिहरी पीएसपी की धीमी प्रगति के कारण 31.3.2018 तक की स्थिति के अनुसार एसबीआई के नेतृत्व वाले व्यापार संघ (कंसोर्टियम) से 1,50,000 लाख के संस्वीकृत ऋण के स्थान पर 1,22,800 लाख रु. आहरित किए जा चुके हैं। इस परियोजना के 31 दिसंबर, 2020 तक प्रारंभ (कमीशन) हो जाने की संभावना है जबकि मूल रूप से निर्धारित की गई समय सूची फरवरी, 2016 थी। कंपनी ने बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा बढ़ाने का अनुरोध किया। बैंक ने ऋण प्राप्त करने की सुविधा की अवधि नहीं बढ़ाई, जिससे कंपनी को दिनांक 29.03.2018 को 61400 लाख रु. और शेष राशि उसके बाद चुकानी पड़ी। बकाया राशि को चालू देयता के रूप में मान्य और वर्गीकृत किया गया है।

(ख) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारणों से वीपीएचईपी की धीमी प्रगति के कारण 31 मार्च, 2018 तक स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 94.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर आहरित किए जा चुके हैं। जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। कंपनी ने मूल रूप से निर्धारित समय–सूची दिसंबर, 2017 के स्थान पर दिसम्बर, 2020 तक वितरण समय–सूची बढ़ाने का और तद्नुसार वितरण समय– सूची को पुनर्निर्धारित का अनुरोध किया। विश्व बैंक ने जून, 2019 तक वितरण समय– सूची बढ़ा दी है। चुकौती की अवधि के पुनर्निर्धारण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए ऋण सेवा (डेबिट सर्विसिंग) मूल संविदा शर्तों के अनुसार दी गई है और वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान चुकौती की राशि को चालू देयता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

8. संबद्ध पक्षकारों के प्रकटन

भारतीय लेखांकन मानक 24 द्वारा यथापेक्षित ''संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण'' इस प्रकार है–

क) संबद्ध पक्षकारों की सूची:

i) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

1. श्री डी. वी. सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री एस. के. बिस्वास*	पूर्व निदेशक (कार्मिक)
3. श्री श्रीधर पात्रा	निदेशक (वित्त)
4. श्री एच. एल. अरोड़ा**	निदेशक (तकनीकी)
5. श्री विजय गोयल***	निदेशक (कार्मिक)
6. सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव

(*) 30.01.2018 तक

(**) 22.12.2017 से

(***) 26.03.2018 से

ii) अन्य

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को संचालित करने के लिए सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अंतर्गत गैर लाभग्राही कंपनी प्रायोजित सोसाइटी "सेवा–टीएचडीसी" मौजूद है।

ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन का सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़ कर) – सीएसआर गतिविधियों के लिए 'सेवा'–टीएचडीसी को 1620 लाख रूपये संवितरित किए गए।

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक और भत्ते तथा अन्य लाभ और व्यय तथा स्वतंत्र निदेशकों की फीस तथा व्यय 167 लाख रु. (गत वर्ष 246 लाख रु.) है।

घ) संयुक्त उपक्रम कंपनियां – शून्य

9. प्रति शेयर आय (ईपीएस) – बेसिक और डायल्यूटेड

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और डायल्यूटेड) इस प्रकार हैं:

	2017-18	2016-17
करोपरांत निवल लाभ जिसका प्रयोग न्यूमरेटर के रूप में मे हुआ है (लाख रुपये)	₹ 77874	₹ 71123
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया	बेसिक : 36181261.38 डायल्यूटेड : 36182301.11	बेसिक : 35988817.00 डायल्यूटेड : 35988817.00
प्रति शेयर आय रुपये बेसिक डायल्यूटेड	₹ 215.24 ₹ 215.23	₹ 198.85 ₹ 198.85
प्रति शेयर अंकित मूल्य	₹ 1000	₹ 1000

10. कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड ए एस–12 ''आय कर'' के अनुपालन में रू. 5278 लाख (गत वर्ष 8286 लाख रुपये) की आस्थगित कर परिसंपत्तियों में निवल वृद्धि को लाभ एवं हानि विवरण में बुक किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापसी योग्य है, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुसार चालू करों का भाग है और वापसी योग्य नहीं है। संचयी आस्थगित कर देयताओं / परिसंपत्तियों का मदवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपये लाख में)

क्र.सं.		31.03.2018	31.03.2017
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)		
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	59703	51988
ii)	प्रारंभिक भारतीय लेखांकन मानक समायोजन	487	487
iii)	ओसीआई को वगीकृत वास्तविक लाभ/हानि	338	143
iv)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप मे माना जाए	6837	6837
v)	संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान	11626	12453
vi)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	6516	8321
	कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)	**85507**	**80229**
	आस्थगित कर देयता (ख)		
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	3572	3572
ii)	मूल्यह्रास के बावत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	- 472	- 472
iii)	संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान	- 1	- 1
iv)	कर्मचारी हित लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	- 124	- 124
	कुल आस्थगित कर देयता (ख)	**2975**	**2975**
	निवल आस्थगित कर देयता (परिसम्पत्तियां) (क)–(ख)	**82532**	**77254**

11. (i) **कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन**

(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए कंपनी प्रायोजित सेवा–टीएचडीसी, लाभ निरपेक्ष, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, के माध्यम से व्यय किए गए सीएसआर खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है–

क्रम सं.	सीएसआर व्ययों के लिए गठित व्यय–शीर्ष	लाख रूपयों में
01	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल एवं पेय जल	191
02	शिक्षा एवं कौशल विकास	749
03	सामाजिक कल्याण	26
04	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	145
05	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	196
06	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	245
07	खेलकूद को बढ़ावा	20
08	प्रौद्योगिकी की वृद्धि में योगदान	1
09	अन्य	48
	कुल	**1621**

**टीएचडीसीआईएल के रू. 1620 लाख के योगदान तथा वर्ष के दौरान ब्याज की आय रू. 8 लाख से "सेवा–टीएचडीसी" द्वारा किया गया व्यय।

(ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार 1617 लाख रू. (गत वर्ष 1528 लाख रूपए) की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च के रूप में रू. 1620 लाख (गत वर्ष 1528 लाख रूपए) की राशि खर्च की, जो पूर्ववर्ती 3 वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ 2% के बराबर है।

(ग) कंपनी ने वर्ष 2017–2018 के दौरान नकद रूप से तथा कंपनी द्वारा सेवा–टीएचडीसी को खर्च की प्रकृति (पूंजी या राजस्व) के साथ नकद रूप से भुगतान किए जाने वाले खर्च का विवरण निम्नानुसार है–

(रू. लाख में)

		नकद राशि	अभी भुगतान किया जाना है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	0	0	0
(ii)	(i) के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन पर	1620	0	1620

(ii) अनुसंधान एवं विकास व्यय से संबंधित प्रकटन

कंपनी ने वर्ष 2017–18 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आर एंड डी योजना के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर 482 लाख रू. (पूँजी 244 लाख रू. और राजस्व 283 लाख रू.) गत वर्ष 434 लाख रू. (पूँजी शून्य), राजस्व 434 लाख रू. व्यय किया,

12. एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को 41 लाख रू. (गत वर्ष 01 लाख रू.) की मूल राशि का भुगतान नहीं किया गया। शेष बकाया 45 दिनों से कम अवधि का है।

13. कंपनी ने कर्मचारियों/कार्यालयों/अतिथि गृहों/अस्थायी शिविरों के लिए परिसर और वाहनों पट्टे/किराए पर लिए हैं। पट्टे पर लिए गए ये प्रबंध आमतौर पर आपसी सहमत शर्तों पर नवीकरणीय है। पट्टे किराये के भुगतान के लिए राशि में 952 लाख रू. (गत वर्ष 890 लाख) शामिल है।

14. i) कंपनी परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत ईपीएफओ द्वारा समय–समय पर घोषित नियत प्रतिशत पर परिवार पेंशन सहित नियोक्ता अंशदान का भुगतान भविष्य निधि को कर रही है। बीमांकित मूल्य रू. 'शून्य' (पिछले वर्ष रू. शून्य) के आधार पर योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य जो वर्तमान बाध्यता मूल्य **2528 लाख रू.** (पिछले वर्ष **208 लाख रू.**) की बढोत्तरी बहियों में प्रावधान की गई है।

ii) ''कर्मचारियों के हितलाभ'' के संबंध में इंड एएस–19 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण।

31.03.2018 को किए गए वास्तविक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों के हित'' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.3.2018 को समाप्त वित वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी – 1 निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

विवरण	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014
समाप्ति सूची	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)
छूट की दर	7.60%	7.50%	7.75%	8.0%	8.50%
भावी वेतन वृद्धि	8.00%	8.00%	8.00%	8.0%	6.50%

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

रूपए लाख में

(नकारात्मक शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अन्य–बैगेज भत्ता / लंबी सेवा अवार्ड / एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	17003 {14638}	5398 {3714}	12388 {10330}	5639 {4598}	862 {805}
ब्याज लागत	1275 {1134}	337 {288}	929 {801}	423 {356}	65 {62}
पूर्व सेवा लागत	{1145}				
चालू सेवा लागत	684 {796}	213 {307}	402 {573}	221 {168}	73 {50}
लाभ का भुगतान	(691) {(574)}	(3628) {(579)}	(223) {176}	(135) {(127)}	(80) {(93)}
बीमांकिक (लाभ) / हानि	(785) {137}	452 {1668}	(4615) {861}	122 {643}	(28) {38}
वर्ष के अंत में पी वी ओ	17486 {17003}	2772 {5398}	8881 {12388}	6270 {5639}	892 {862}

सारणी–3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

रूपए लाख में

(नकारात्मक शेष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अन्य–बैगेज भत्ता / लंबी सेवा अवार्ड / एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	17486 {17003}	2772 {5398}	8881 {12388}	6270 {5639}	892 {862}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य					
गैर वित्त पोषित लैब / प्रावधान	17486 {17003}	2772 {5398}	8881 {12388}	6270 {5639}	892 {862}
चिन्हित न हुए बीमांकित लाभ / हानि					
तुलन–पत्र में मान्यता निवल देयता	17486 {17003}	2772 {5398}	8881 {12388}	6270 {5639}	892 {862}

सारणी – 4 लाभ और हानि, ओसीआई / ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

रूपए लाख में

(नकारात्मक शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अन्य–बैगेज भत्ता / लंबी सेवा अवार्ड / एफबीएस
वर्तमान सेवा लागत	684 {796}	213 {307}	402 {573}	221 {168}	73 {50}
सेवा पूर्व लागत	{1145}				
ब्याज लागत	1275 {1134}	337 {288}	929 {801}	423 {356}	65 {62}
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	(785) {137}	452 {1668}	(4616) {861}	122 {643}	(28) {38}
वर्ष के लिए लाभ और हानि / ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	1959 {3076}	1003 {2263}	(3284) {2234}	644.05 {525}	138 {112}

अन्य प्रकटन

उपदान	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17486	17003	14638	13741	11049
बीमांकिक (लाभ) / हानि				2266	593
बीमांकिक (लाभ) / हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(785)	(137)	(205)		
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1959	3076	1597	3880	1917

अर्जित अवकाश (ईएल)	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2772	5398	3714	5875	4909
बीमांकिक (लाभ) / हानि	452	1668	835	2131	938
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1003	2263	1521	2876	1562

अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	8881	12388	10330	9382	4664
बीमांकिक (लाभ) / हानि	(4616)	861	(1)	4288	(467)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	(3284)	2234	1242	5147	146

सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6270	5639	4598	3692	2326
बीमांकिक (लाभ)/हानि	122	643	616	1118	118
बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यताप्राप्त	122	643	616	-	-
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	644	525	1047	1433	357

अन्य बैगेज भत्ता/लंबी सेवा अवार्ड/एफबीएस	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	892	862	805	735	632
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(28)	38	12	64	(86)
बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(28)	38	12		
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	138	112	149	118	5

15. भारत सरकार द्वारा गठित तीसरी पीआरसी की सिफारिशों पर विचार कर कंपनी के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए 31.03.2018 तक 10337 लाख रू. (पिछले वर्ष 719 लाख रू.) की राशि को हिसाब में लिया गया है।

16. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर/जीएसटी सहित)

रूपए लाख में

		2017-18	2016-17
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	10*	10*
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	2	2
III.	कंपनी कानूनी मामलों के लिए	------	------
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	------	------
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	6	1
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	2	2

*वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के अध्यधीन

17. लाइसेंसशुदा तथा संस्थापित क्षमताएं :

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2016-17
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मे.वा.)	लागू नही**	लागू नही**
(ii)	सस्थापित क्षमता (मे.वा.)	1513 मे.वा.	1513 मे.वा.
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मे.वा.)	2981 मे.वा.	2981 मे.वा.
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक सूचना (मिलियन यूनिटों में)		
	वाणिज्यिक उत्पादन		
	कुल उत्पादन	**4540.939605**	**4430.000424**
	बिक्री (गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत एवं रूपांतरण हानियों के बाद निवल)	**4004.091416**	**3890.6502761**

** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है, प्रचालन कर सकती है; अनुरक्षित कर सकती है और उत्पादन कर सकती है। इसलिए लाइसेंसशुदा क्षमता लागू नहीं है।

18. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचनाएं इस प्रकार है

(रूपए लाख में)

	विवरण	2017-18	2016-17
क	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)**		
	यात्रा	20	14
	परामर्श और व्यावसायिक व्यय	236	293
	प्रबंधन और प्रतिबद्धता शुल्क		125.00
	ऋण एवं ब्याज की चुकौती	1315	
	माल का आयात	2571	12517
	अन्य (अग्रिम)		
	सम्मेलन के लिए नामांकन		
	साफ्टवेयर की खरीद		
	अन्य		
	कुल	**4142.00**	**12949.00**
ख	**विदेशी मुद्रा में अर्जन (नकद आधार पर)**	**0**	**0**
ग	**सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य**		
i)	पूंजीगत माल	2602	13087
ii)	अतिरिक्त पुर्जे		
	कुल	**2602**	**13087**
घ	**उपभोज्य घटकों, स्टोर्स और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य**		
i)	आयातित (लाख रूपए में)	3	68
	(%)	0.32	14
ii)	देशी (लाख रूपए में)	915	444
	(%)	99.68	86
ड.	**निर्यात का मूल्य**	**0.00**	**0.00**

19. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है:

(लाख रूपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018	31.03.2017
नकदी तथा नकदी समतुल्य	9	6102	6707
लियन के तहत बैंक शेष	10	37	25037
ओवर ड्राफ्ट शेष	21	- 64663	- 38724
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		- 58524	- 6980

ख) मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने इंडएएस 7 "नकदी प्रवाह विवरण" को अधिसूचित करते हुए कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन) नियम, 2017 जारी किए हैं। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (एएसबी) द्वारा नकद प्रवाह के आईएएस 7 विवरण में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू हैं और वे अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते हैं जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकदी प्रवाह और गैर नकदी परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन– पत्र में प्रारंभिक और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव दिया गया है।

(रूपए लाखों में)

वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह 2017-18	प्रारंभिक	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
जारी की गई शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	359888		363088	3200	वीपीएचईपी के लिए भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी
दीर्घकालिक उधारियाँ (बाँड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	441688		342813	98875	विनिमय दर 1343 सहित आहरित ऋण, ऋण पुनर्अदायगी 100218, निवल परिवर्तन 98875
ऋणों पर ब्याज संदत्त वित्तीय लागत घटाएँ पूँजीकृत सीडब्ल्यूआईपी		37359 (14572)		(22787)	लाभ और हानि को प्रभारित
भुगतान किया गया लाभांश और लाभांश वितरण कर				(40345)	2016–17 के लिए अंतिम लाभांश एवं 2017–18 के लिए अंतरिम लाभांश
वित्त पोषण से निवल नकदी प्रवाह				(158807)	

20. (क) व्यापार प्राप्य और भुगतान देनदारियों जमा, ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं/अन्य को अग्रिम जिसमें पूँजी व्यय और ठेकेदारों को जारी सामग्री शामिल है, के संबंध में प्रत्येक पक्षकार से 5 लाख रू. या इससे ऊपर के बकाया शेष के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर को पुष्टिकरण मांगा जाता है। 31 दिसम्बर, 2017 को शेष तथा 31.03.2018 को बकाया की स्थिति की पुष्टि निम्नानुसार है:

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.12.2017 को			'ख' से पुष्टि	31.03.2018 को
		< ₹5 लाख	> ₹5 लाख	कुल रु. लाख में		
		क	ख	ग=क+ख		
1	व्यापार प्राप्य जिसमें विनायामक कर्जदार शामिल नहीं है	0	170392	170392	169924	130726
2	आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और छोटे जमाकर्ताओं को अग्रिम	90	89265	89355	83109	83610
3	प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण धनराशि, व्यापार प्राप्य और जमाकर्ता	1082	14256	15338	10317	18260

ख) प्रबंधन की राय में अपुष्ट शेष राशियों का कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं होगा।

21. लेखाकरण नीति में परिवर्तन

क्र.सं.	नीति	प्रभाव
1	'सामान्य' के संबंध में लेखांकन नीति संख्या में संशोधन। शब्द **''कुछ निर्धारित कंपनियों के लिए 01 अप्रैल, 2016 से इंडएएस अनिवार्य बना दिए गए हैं''** जिसे **01 अप्रैल, 2016** से प्रतिस्थापित किया गया है।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। बेहतर समझ के लिए संशोधन किया गया।
2	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 3.5 में संशोधन। शब्द **(निवल निपटान आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के अनुसार परिकलित)** जोड़े गए हैं	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। बेहतर समझ के लिए संशोधन किया गया।
3	पूँजी कार्य प्रगति पर से संबंधित लेखाकरण नीति संख्या 4.3 में संशोधन। **''अवर्गीकृत भूमि''** शब्दों को **''जलमग्न भूमि''** से प्रतिस्थापित किया गया है।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। लेखा परीक्षा की अभ्युक्तियाँ और सीईआरसी विनियम ध्यान में रख कर संशोधन किया गया है।
4	सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित लेखाकरण नीति 8.4 में संशोधन **''प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ईआईआर की गणना की जाती है''** शब्द जोड़े गए हैं।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। बेहतर समझ के लिए संशोधन किया गया है।
5	वित्तीय देनदारियों से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 10.4.1 में संशोधन। **''प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ईआईआर की गणना की जाती है''** शब्द जोड़े गए हैं।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। बेहतर समझ के लिए संशोधन किया गया है।

क्र.सं.	नीति	प्रभाव
6	सरकारी अनुदानों से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 11.1 में संशोधन। **''पूँजी रिजर्व''** शब्द को **"गैर चालू देयता के अंतर्गत गैर प्रचालनरत आस्थगित आय"** से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।	इंडएएस के अनुपालन में लाभ और हानि विवरण के माध्यम से सिंचाई घटक का परिशोधन किया जाता है। 6822 लाख रु. को आस्थगित राजस्व और सिंचाई घटक के संबंध में मूल्यह्रास के रूप में दर्शाया गया है। इसलिए निवल वित्तीय प्रभाव नहीं है।
7	आय कर से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 19.2.3 में संशोधन। **''आस्थगित कर लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा तक, जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या इक्विटी में मान्य मुद्दों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या इक्विटी में मान्य होता है''** शब्द जोड़े गए है।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। बेहतर समझ के लिए संशोधन किया गया है।

22. चालू वर्ष के ऑकड़ों के साथ ऑकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आँकड़े पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किए गए हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
संदस्यता सं. 026692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06500954

(डी. वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(पीयूष अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 073695

दिनांकः 11.08.2018
स्थान : ऋषिकेश

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी के संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी इसमें शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लेखांकन और लेखापरीक्षण मापदंडों और मामलों जिनको अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने की आवश्यकता है, को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट किए गए लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और क्या वित्तीय विवरण गलतबयानी से मुक्त हैं, के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादन करें।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती हैं।

उन जोखिम मूल्यांकनों को बनाने में लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उचित प्रस्तुतीकरण पर कंपनी के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, जो परिस्थितियों में उपयुक्त है, तैयार की जा सकें। लेकिन वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों को प्रभावी तरीकों से प्रचालित करने की एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था कंपनी में है उस पर विचार व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों के द्वारा बनाए गए लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगति के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरणों का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी लेखा परीक्षा पर राय के लिए आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित, यथा अपेक्षित ढंग से, सूचना देते हैं और भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरुप सही व निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

(क) कंपनी के कार्य के संबंध में तुलनपत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2018 को;

(ख) हानि व लाभ विवरणों और व्यापक आय सहित के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ के लिए; और

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का नकदी प्रवाह।

(घ) इक्विटी में बदलाव के विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इंक्विटी में बदलाव।

मामले पर बल

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आर्षित करना चाहते हैं–

क) बिक्री के लेखाकरण के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 27.1 के साथ पठित राजस्व मान्यता पर लेखाकरण नीति सं. 13 के अनुसार वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदित प्रशुल्क के आधार पर बिक्री को मान्यता दी गई है।

(ख) प्रासंगिक देयताओं के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 37 का पैरा 2, जिसमें दावे/माध्यस्थम कार्यवाही तथा कंपनी द्वारा अथवा ठेकेदारों तथा अन्यों द्वारा न्यायालय में दायर मामलों के परिणामों की अनिश्चितता के संबंध में उल्लेख किया गया है।

(ग) 31.03.2018 को बकाया शेष राशि की पुष्टि से संबंधित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 37 का पैरा 20 जो इसकी पुष्टि वर्ष में एक बार 31 दिसंबर, 2017 को करने के संबंध में है।

(घ) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारकों से टिहरी पीएसपी और वीपीएचईपी परियोजनाएं पूरा होने में विलंब से संबंधित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 37 का पैरा 7

इन मामलों के संबंध में हमारी राय भिन्न नहीं है।

विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं के संबंध में रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 द्वारा यथापेक्षित विवरण उक्त आदेशों के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामले के संबंध में **'अनुलग्नक क'** में प्रस्तुत हैं।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 143 की उपधारा (5) की शर्तों पर जांच वाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिनका अनुपालन **'अनुलग्नक–ख'** में किया गया है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएं देखी हैं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में बहियों की हमारी छानबीन से अब तक प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि की अपेक्षानुसार उपयुक्त लेखा बहियां रखी गई हैं।

(ग) इस रिपोर्ट में शामिल किया गया तुलनपत्र, लाभ हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण और नकदी प्रवाह विवरण इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण का इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है जो लेखा विवरणों के अनुरुप है।

(घ) हमारी राय में एक मात्र उल्लिखित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के विशिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरुप है।

(ड.) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 ई. दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान जो निदेशकों की अनर्हता से संबद्ध है, कंपनी पर लागू नहीं है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक कारगरता के संबंध में **अनुलग्नक 'ग'** में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में

शामिल किए जाने वाले अन्य मामले में हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पंष्टीकरण के अनुसार है–

i. कंपनी ने इसके वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर लंबित कानूनी मुकदमों के प्रभाव का खुलासा कर दिया है– वित्तीय विवरण की टिप्पणी 37.2 को देखें।

ii. कंपनी के पास गौण संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं में कोई भी ऐसी सामग्री की नहीं हैं जिसमें हानि की संभावना हो।

iii. कंपनी के निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में किसी प्रकार की राशि को अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

पी डी अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण नं. 001049सी

(पीयूष अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता सं.: 073695

स्थानः ऋषिकेश
दिनांकः 11.08.2018

अनुलग्नक–क

टीएचडीसी इंडिया लि. की लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

("अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं "शीर्षक के अंतर्गत इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक 'क')

हम रिपोर्ट करते है कि:–

i. (क) कंपनी ने सामान्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समुचित रिकार्ड रखा है। परिसंपत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान संपत्तियों, संयंत्र और उपस्करों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गयी है तथा सत्यापन के दौरान कोई बड़ी विसंगति नहीं पाई गई जिसका लेखा–बही में उपयुक्त रुप से निपटान न किया गया हो। हमारी राय में कंपनी के आकार एक व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है।

(ग) हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेख की जांच के आधार पर स्पष्ट होता है कि कंपनी की फ्री होल्ड तथा लीज आधार पर जमीन कंपनी के नए नाम टीएचडीसी इंडिया लि. से पहले टिहरी बांध परियोजना अथवा टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि. के नाम पर प्राप्त की गयी। टिप्पणी क्रमांक 37.5 (ii) से विदित होता है कि स्वामित्व विलेख में 610.35 हेक्टे. फ्री होल्ड भूमि को पुराने नाम से नए नाम में परिवर्तित करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गयी है टिप्पणी 37.5(iii) से विदित होता है कि 44.429 हैक्टे. की सिविल सोयम भूमि के लिए लीज डीड का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है और टिप्पणी 37.5 (iv) से विदित होता है कि 0.757 हैक्टे. फ्री–होल्ड भूमि एवं 4.668 हैक्टे. लीज होल्ड भूमि के लिए स्वामित्व हस्तांतरण और लीज डीड का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है।

ii. माल सूचियों की वास्तविक सत्यापन सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है। हमारी राय में भौतिक सत्यापन की बारंबारता उचित है। माल सूचियों के भौतिक सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई।

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तद्नुसार आदेश के पैराग्राफ–3 का खंड–(iii) (क) (ख) और (ग) लागू नहीं है।

iv. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–73 से 76 तक तथा उसमें निहित अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

vi. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा – 148 (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रख–रखाव निर्धारित किया है। कंपनी आवश्यक लागत रिकार्ड बनाए रखती है। वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रक्रियाधीन है।

vii. (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्यनिधि, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवा कर तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2018 को बाकी नहीं थी। जैसा

कि हमें बताया गया है, कंपनी पर राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं हैं।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित विवादित सेवा कर जमा नहीं किए गए हैं।

वित्त वर्ष	धनराशि (रू. लाख में)	देयताओं की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
2012-13 से 2014-15	14.86	सेवा कर	टीएचडीसीआईएल ने मांग के विरुद्ध न्यायाधिकरण में अपील दायर की है

viii. हमारे द्वारा अपनायी गई लेखापरीक्षा पद्धति तथा अभिलेखों के अनुसार तथा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक को ऋण अथवा उधार पर ली गई राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की।

ix. हमारी राय में तथा कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान आवधिक ऋण के माध्यम से जुटाए धन का, वर्ष के दौरान उसी काम के लिए उनका इस्तेमाल किया।

x. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन को इस तरह के मामले की कोई सूचना अथवा रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

xi. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 ई दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार प्रदत्त छूट तथा धारा 197 सह–पठित अधिनियम की अनुसूची प्रबंधन पारिश्रमिक संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xii हमारी राय में कंपनी, निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3 (XII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii हमारी राय तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार संगत पार्टियों के सभी लेन–देन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुरूप है तथा ऐसे लेन–देनों के विवरणों का यथा–अपेक्षित मान्य लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में खुलासा किया गया है।

xiv. प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण, लेखापरीक्षा प्रक्रिया निष्पादन के अनुसार कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमानी अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों का आबंटन समीक्षागत वर्ष के दौरान नहीं किया। अतएव आदेश के खंड 3 (XIV) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते।

xv. हमारी राय और कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में निदेशकों अथवा उनसे जुडे व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेन–देन नही किया अतएव आदेश के खंड 3 (XV) प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xvi. हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार कंपनी पर आदेश खंड (XVI) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण सं. 001049सी

(पीयूष अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता सं.: 073695

स्थानः ऋषिकेश
दिनांक: 11.08.2018

''अनुलग्नक–ख''

टीएचडीसी इंडिया लि. के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का भाग

(इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं संबंधी रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक–ख)

क्र. सं.	निर्देश	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्री होल्ड तथा लीज होल्ड के स्पष्ट स्वामित्व/लीज विलेख का अनुमति है। यदि नहीं तो कृपया फ्री होल्ड और लीज होल्ड भूमि का क्षेत्रफल बताएं जिसके लिए स्वामित्व/लीज विलेख उपलब्ध नहीं है।	हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के परिवर्तित नाम से पूर्व फ्रीहोल्ड तथा लीज होल्ड भूमि या तो टिहरी बांध परियोजना अथवा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. के नाम से प्राप्त की गई। टिप्पणी क्रमांक 37.5 (ii) से विदित होता है कि स्वामित्व विलेख में 610.35 हेक्टे. फ्री होल्ड भूमि को पुराने नाम से नए नाम में परिवर्तित करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गयी है टिप्पणी 37.5(iii) से विदित होता है कि 44.429 हैक्टे. की सिविल सोयम भूमि के लिए लीज डीड का क्रियान्वेयन प्रक्रियाधीन है और टिप्पणी 37.5 (iv) से विदित होता है कि 0.757 हैक्टे . फ्री–होल्ड भूमि एवं 4.668 हैक्टे. लीज होल्ड भूमि के लिए स्वामित्व हस्तांतरण और लीज डीड का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है।	पुराने नाम से नए नाम में परिवर्तन कराने हेतु मामला राजस्व प्राधिकारियों के पास है।	शून्य
2.	कृपया ऋण/उधार/ब्याज आदि को माफ करने संबंधी कोई प्रकरण हैं। यदि हां तो उसके कारण और उसमें शामिल राशि बताएं।	हमें प्राप्त जानकारी और स्पंष्टीकरण के अनुसार ऋण/उधार/ब्याज आदि माफ करने संबंधी कोई प्रकरण नहीं है।	लागू नहीं	शून्य
3.	क्या अन्य पक्ष के पास उपलब्ध माल सूचियों तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदानों के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का समुचित अभिलेख रखा जा रहा है।	हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी, अन्य पक्ष के पास उपलब्ध माल सूचियों का समुचित अभिलेख रख रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार कंपनी को सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से कोई संपत्ति उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त नहीं हुई है।	समुचित अभिलेख का रख–रखाव किया जा रहा है।	शून्य

पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण 001049सी

(पीयूष अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता सं. 073695

स्थानः ऋषिकेश
दिनांकः 11.08.2018

अनुलग्नक–ग

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

(इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 (एफ) में 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं संबंधी रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक 'ग')

कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) की 31 मार्च, 2018 की वित्तीय रिपोर्ट की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ वित्तीय विवरणों की इसी तारीख को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख–रखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया(आईसीएआई) द्वारा आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है जिसमें कार्य के सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय लेखांकन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित तथा 'आईसीएआई' द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विवरण (द गाइडेंस नोट) पर लागू हैं और ये दोनों ही 'आईसीएआई' द्वारा जारी है। इस मानक और मार्गदर्शी नोट की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय लेखांकन पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, वित्तीय लेखांकन और उसके प्रचालनीय प्रभाव पर आधारित है। हमारी वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा वित्तीय लेखांकन का जोखिम मूल्यांकन, का वास्तविक जोखिम निर्धारण है तथा परीक्षण और डिजाइन तथा आंतरिक नियंत्रण में जोखिम अनुमान के संचालनीय प्रभाव पर आधारित है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य कंपनी के वित्तीय लेखांकन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरित वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीय तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (i) कंपनी की परिसंपत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और पूर्ण संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (ii) उचित आश्वासन दिया जाए कि वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन–देन को अभिलेखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय–व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथासमय पता लगाना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना सहित गलत विवरण, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, की अन्तर्निहित सीमा के कारण, पता नहीं लगाया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की भावी अवधि हेतु कोई भी मूल्यांकन जोखिम भरा हो सकता है, स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग अपर्याप्त हो सकती है। नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में कंपनी में वित्तीय लेखांकन पर सभी प्रकार की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय लेखांकन यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2018 को प्रभावी तरीके से प्रचालनीय है। कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण रिपोर्टिंग मानदंड आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए आईसीएआई द्वारा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा परीक्षा हेतु जारी मार्गदर्शी नोट पर आधारित है।

पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001049सी

(पीयूष अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता सं. 073695

स्थानः ऋषिकेश
दिनांकः 11.08.2018

No.MAB-III/Rep/01-94/A/cs-THDC/2018-19/602

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member, Audit Board-III
New Delhi

दिनांक-10/09/2018

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,
ऋषिकेश

विषय : 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वार्षिक लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाएँ।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय,

ह./–
(राज कुमार)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, सी.ए.जी. भवन एनेक्सी, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
6th & 7th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110 002
Tel. : 011-23239213, 23239235, Fax : 011-23239211, E-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरुप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2018 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों के चयनात्मक जांच–पड़ताल तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कोई उल्लेखनीय तत्व नहीं आया है जिसके कारण इस पर या अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कुछ भी अनुपूरक टिप्पणी की जाए।

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

प्रतिहस्ताक्षरित
(राज कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य,लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 सितंबर, 2018

नोट

नोट

टिहरी बांध झील का एक मनोरम दृश्य

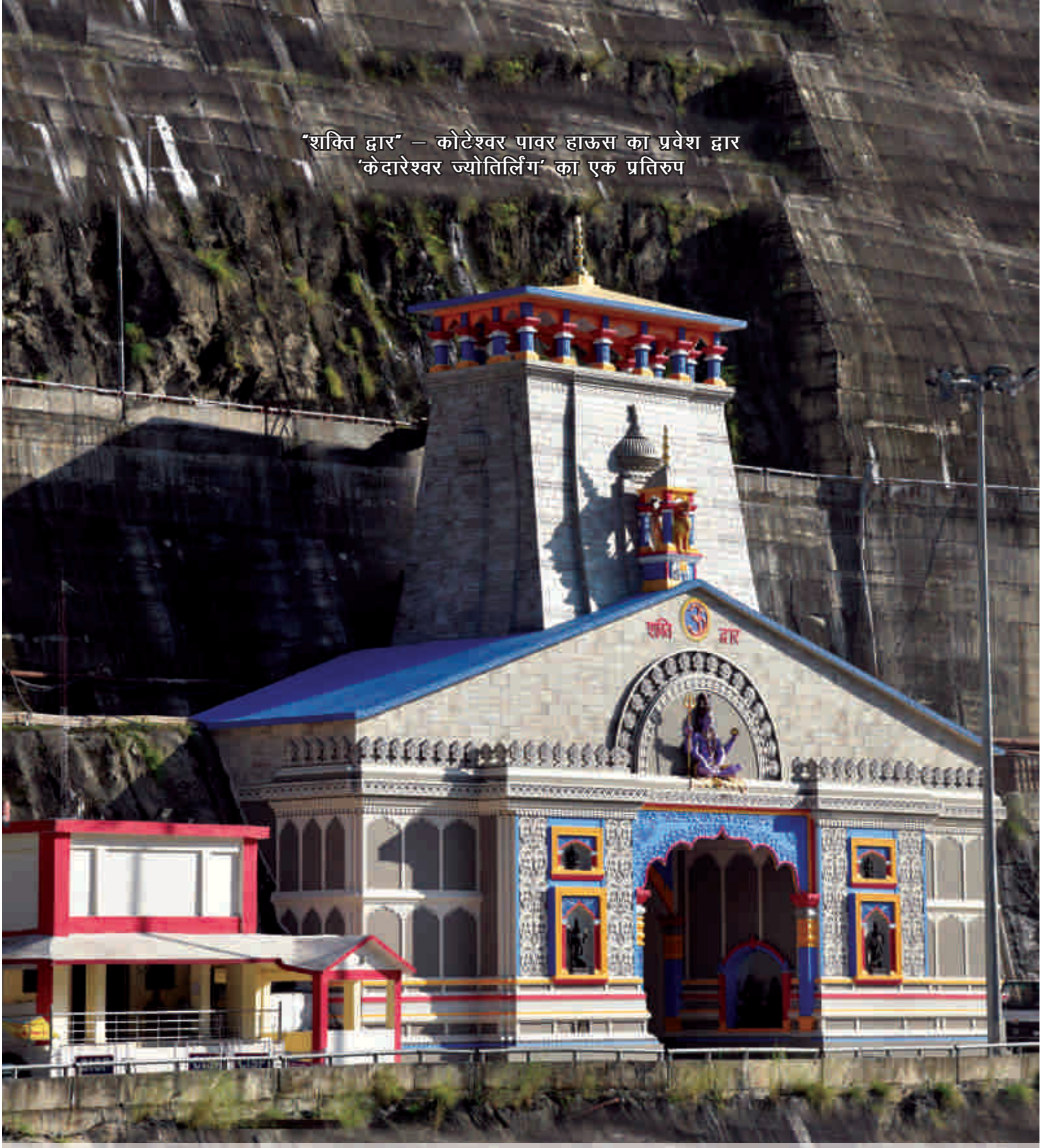

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED
(भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)
CIN : U45203UR1988GOI009822
कॉरपोरेट कार्यालय : गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाई–पास रोड, ऋषिकेश – 249201
Corporate Office: Ganga Bhawan, Pragatipuram, Bye-Pass Road, Rishikesh - 249201
वेबसाइट / Website : www.thdc.co.in

www.paromita.org